सत्यमेव जयते

भाग-I

सुरक्षित समुदाय, सुदृढ़ देश

नागरिक सुरक्षा एवं संबद्ध संगठनों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए पुस्तिका

अप्रैल, 2012

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
भारत सरकार

भाग -I

नागरिक सुरक्षा एवं संबद्ध संगठनों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए पुस्तिका

नागरिक सुरक्षा एवं संबद्ध संगठनों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुस्तिका

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
भारत सरकार
एनडीएमए भवन
ए–1, सफदरजंग एनक्लेव
नई दिल्ली – 110 029

का एक प्रकाशन

आई.एस.बी.एन. : 978–93–8044–02–6

अप्रैल, 2012

इस पुस्तिका का उल्लेख करते हुए, निम्नलिखित उद्धरण का प्रयोग किया जाना चाहिए :
नागरिक सुरक्षा एवं संबद्ध संगठनों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुस्तिका – राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भारत सरकार का प्रकाशन
आई.एस.बी.एन. : 978–93–8044–02–6

नागरिक सुरक्षा एवं संबद्ध संगठनों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए यह राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुस्तिका श्री ज्योति कुमार सिन्हा, सदस्य, एनडीएमए की अध्यक्षता में विभिन्न हितधारकों, नियामकों, सेवा प्रदाताओं और संपूर्ण देश के मानवीय संवेदनशीलता के क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ परामर्श से तैयार की गई है।

प्रस्तावना

नागरिक सुरक्षा एवं संबद्ध संगठनों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए पुस्तिका आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 6 के तहत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) द्वारा, नागरिक सुरक्षा एवं अन्य ऐसे संबद्ध संगठनों के तत्त्वावधान के माध्यम से, भारत में प्रभावी, कुशल और व्यापक समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन के लिए प्रकाशित की गई है। इस तरह के प्रयास के द्वारा हमारी दूरदृष्टि देश में तत्काल आपदा प्रबंधन के लिए समुदाय की क्षमता को बढ़ाने के द्वारा जान–माल की हानि को कम करने पर केंद्रित है।

हालांकि, समुदायों द्वारा अतीत में आपदाओं के प्रबंधन को सफलतापूर्वक किया गया है, फिर भी इनमें कई कमियाँ अभी हैं जिनका समाधान करने की आवश्यकता है। आपदा की स्थिति में एक प्रथम प्रतिक्रियादाता के रूप में समुदाय की भागीदारी को प्रशिक्षण के सुविचारित दृष्टिकोण के आधार पर और अधिक व्यापक, प्रभावी, शीघ्र और सुनियोजित बनाया जाना है।

आपदा प्रबंधन में हमारे समुदाय की भागीदारी में कुछ कमियों का अनुभव करके और महत्त्वपूर्ण बाधाओं का समाधान करने की इच्छा से विशेषज्ञों के एक प्रमुख समूह (कोर ग्रुप) का गठन किया गया और चार क्षेत्रीय परामर्श कार्यशालाओं का संचालन किया गया। यह सुनिश्चित किया गया था कि देश की सभी नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थाओं और गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि उपर्युक्त कार्यशालाओं में भाग लें और उनके विचारों पर उचित ध्यान दिया जाए। संशोधित मसौदा फिर से सभी राज्यों, केन्द्र शासित प्रदेशों को परिचालित किया गया था, और उनकी अंतिम टिप्पणियाँ प्राप्त कर ली गईं और तदनुसार उनको पुस्तिका में शामिल किया गया। तत्पश्चात्, नागरिक सुरक्षा एवं संबद्ध संगठनों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए एक समग्र पुस्तिका तैयार की गई है और इसे सफल कार्यान्वयन हेतु प्रकाशित किया गया है।

विषय–वस्तु

प्रस्तावना iii
प्राक्कथन ix
आमुख xi
प्रथमाक्षर xiii
सहायक सामग्री की सूची xvii
प्रयोक्ताओं के लिए टिप्पणी xxi

खंड 1
परिचय और अधिशासी सारांश 1
1.1. परिचय 3
1.2. अधिशासी सारांश 5
1.3. परिचय खंड, मॉड्यूल, एकक 6
1.4. प्रत्येक विषय का विशेष मॉड्यूल के रूप में उपयोग कैसे करें 8
1.5. नागरिक सुरक्षा संदर्भ 9
1.6. प्रशिक्षण/विषय अनुकूलन (ओरियंटेशन) पाठ्यक्रम का मूल्यांकन 9
1.7. प्रत्येक विषय का विशेष मॉड्यूल के रूप में उपयोग कैसे करें 14
1.8. नागरिक सुरक्षा संदर्भ 14
1.9. प्रशिक्षण/विषय अनुकूलन (ओरियंटेशन) पाठ्यक्रम का मूल्यांकन 14

खंड 2
भारत में आपदा प्रबंधन हेतु आपदा परिदृश्य और संस्थागत व्यवस्था 17
2.1. भारत में आपदा और आपदा प्रबंधन 19
2.2. संस्थागत और कानूनी व्यवस्थाएं 20
2.3. आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत संस्थागत रूपरेखा 21
2.4. मौजूदा संस्थागत व्यवस्थाएं 25
2.5. अन्य महत्वपूर्ण संस्थागत व्यवस्थाएं 28
2.6. राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा महाविद्यालय (एनसीडीसी) 29
2.7. गैर–सरकारी संगठन (एनजीओ) 30

विषय–वस्तु

2.8. राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी), राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) और नेहरू युवा केन्द्र संगठन (एनवाईकेएस) की भूमिका 30

खंड 3

आपदा और प्रबंधनः मुद्दे और चुनौतियां 31

3.1. आपदा प्रबंधन : प्रक्रियाएं, सिद्धांत और परिप्रेक्ष्य 33
3.2. समुदाय आधारित आपदा तैयारी (सीबीडीपी) 38
3.3. आपदा जानकारी, संचार और जन–संचार माध्यम 43

खंड 4

आपदा और विकास– प्रश्न, अवधारणा स्पष्टीकरण 47

4.1. आपदा को समझना : परिभाषा और परिप्रेक्ष्य 49
4.2. आपदा के आर्थिक और सामाजिक प्रभाव 62
4.3. आपदा शब्दावली और पारिभाषिक शब्दावलियों से परिचित होना 68

खंड 5

आपदा में स्वयंसेवकों के प्रबंधन से संबंधित चुनौतियां 71

5.1. आपदा में स्वयंसेवक से संबंधित प्रबंधन 73
5.2. नागरिक समाज संगठनों की सेवाएं लेना 81
5.3. युवा स्वयंसेवकों के संगठन को शामिल करना (ओवाईवी) 86
5.4. नेतृत्व, प्रेरणा और टीम निर्माण कौशल को बढ़ावा देना 91

खंड 6

महिलाएं, असुरक्षित समूह, मनोसामाजिक समर्थन 101

6.1. आपदा में महिला संबंधी मुद्दे : असुरक्षितता संबंधी समाधान 103
6.2. आपातकालीन चिकित्सा देखभाल : असुरक्षित समूहों की आवश्यकताएं 108
6.3. आपदा में मनोसामाजिक समर्थन 112

खंड 7

नागरिक सुरक्षा के लिए प्रशिक्षण सेवा 119

7.1. नागरिक सुरक्षा में प्रशिक्षण 121

खंड 8
आपदा पर कार्रवाई और अभ्यास/प्रशिक्षण **137**
8.1. आपदा में खोज और बचाव का महत्व 139
8.2. आपदा में प्रथमोपचार (फर्स्ट एड) से संबंधित बुनियादी बातों को सीखना 152
8.3. व्यावहारिक, कृत्रिम कवायद, अभ्यास एवं क्षेत्र में प्रदर्शन 157

खंड 9
नागरिक सुरक्षा संगठन को समझना **171**
9.1. नागरिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन–एक नया परिप्रेक्ष्य 173

खंड 10
प्रयास, तरीके और रणनीतियाँ **183**
10.1. मानवीय चार्टर और आपदा कार्रवाई के न्यूनतम स्तर 185
10.2. आपदा कार्रवाई के प्रबंधन के लिए आपदा प्रतिक्रिया प्रणाली (आईआरएस) 191
10.3. पूर्व चेतावनी तंत्र और सुरक्षित निकासी 196
10.4. रूढ़ आपदा, आपदा कल्पना तथा संबंधी विषय (एथिक्स) 201

खंड 11
अतिरिक्त सहायता सामग्री **207**
अनुबंध–I
प्रशिक्षुओं के तीन विभिन्न प्रकारों के लिए प्रस्तावित प्रशिक्षण और अनुकूलन कार्यक्रम
(क) वरिष्ठ नागरिक सुरक्षा एवं अन्य पदाधिकारियों, योजनाकारों, नीति संबंधी कार्मिकों का प्रशिक्षण और अनुकूलन कार्यक्रम 209
(ख) वरिष्ठ और मध्यम स्तर के अधिकारियों और प्रशिक्षक सहित प्रमुख कार्यक्रम कर्मी 212
(ग) नागरिक सुरक्षा, राष्ट्रीय कैडेट कोर, नेहरू युवा केंद्र संगठन, एनएसएस, स्काउट और गाइड, रेड क्रॉस आदि के प्रमुख स्वयंसेवक 220

अनुबंध–II
पंजीकरण फार्म 236

अनुबंध–III
सत्र मूल्यांकन आरूप (फॉर्मेट) 238

अनुबंध–IV
क्षेत्र दौरा मूल्यांकन आरूप 240

अनुबंध–V
प्रशिक्षण मूल्यांकन आरूप 241

अनुबंध–VI
प्रशिक्षण पश्चात मूल्यांकन प्रश्नावली 243

अनुबंध–VII
आपदा शब्दावली और पारिभाषिक शब्दावलियां 245

संपर्क करें **256**

इस पुस्तिका के भाग–II में निम्नलिखित खंड शामिल हैं :

खंड 12
परिचय और अधिशासी सारांश

खंड 13
जल–मौसम विज्ञान संबंधित आपदाओं के प्रति कार्रवाई

खंड 14
भू–वैज्ञानिक आपदाओं के प्रति कार्रवाई

खंड 15
औद्योगिक, रासायनिक आपदाओं और नाभिकीय/विकिरणकीय आपातस्थितियों के प्रति कार्रवाई

खंड 16
दुर्घटना संबंधी कार्रवाई और अन्य आपदाओं के प्रति कार्रवाई

खंड 17
जैविक आपदाओं के प्रति कार्रवाई

खंड 18
अतिरिक्त सहायता सामग्री

सत्यमेव जयते

उपाध्यक्ष
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
भारत सरकार

प्राक्कथन

"संसार के बदलते हुए भू–राजनैतिक परिदृश्य का विशेष गुण परंपरागत युद्धों के बार–बार होने की घटनाओं की संख्या में कमी लाना है। तथापि, साथ ही विषम युद्धस्थिति, आतंकवाद और अन्य प्राकृतिक तथा मानव जनित आपदाओं के कारण जान–माल की तबाही बढ़ी है। ऐसे परिदृश्य के लिए, देश में आपदा प्रबंधन की प्रक्रिया में नागरिक सुरक्षा (सिविल डिफेंस) संगठन से एक बड़ी भूमिका निभाए जाने की अपेक्षा की जाती है। बचाव, राहत और पुनर्वास के कार्यों के अलावा, नागरिक सुरक्षा संगठन एक समुदाय आधारित स्वैच्छिक संगठन होने के कारण समुदाय के क्षमता निर्माण के क्षेत्र में भी एक मुख्य भूमिका अदा कर सकता है और अन्य देशों के समान किसी भी आपदा का सामना करने के लिए समुदाय को तैयार कर सकता है।

नागरिक सुरक्षा के महत्त्व को महसूस करते हुए, मंत्रियों के समूह ने इस तथ्य कि हमारे सामने नई तथा जटिल चुनौतियां उभर कर आई हैं, के परिप्रेक्ष्य में नागरिक सुरक्षा संगठन के पुनर्गठन की इच्छा प्रकट की थी और तदनुसार ही नागरिक सुरक्षा संगठन का तैयारी कार्यक्रम बनाया जाने तथा एक ठोस कार्य योजना तैयार किए जाने की जरूरत है। तदनुसार, नागरिक सुरक्षा पुनर्गठन पर तैयार राष्ट्रीय नीति दृष्टिकोण पत्र में सिफारिश की गई कि आपदा प्रबंधन रूपरेखा में नागरिक सुरक्षा को शामिल करने के लिए संगठन को और मजबूत बनाया जाए।

नागरिक सुरक्षा संरचना के पुनर्गठन के भारत सरकार के निर्णय के परिणामस्वरूप, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने यूएसएआईडी–भारत के आपदा प्रबंधन समर्थन परियोजना के साथ सहयोग से, नागरिक सुरक्षा संवर्ग (काडर) के कौशल तथा प्रशिक्षण जरूरतों की आपदा प्रबंधन ढांचे में पहचान करने और नागरिक सुरक्षा एवं इससे संबद्ध संगठनों के लिए एक समग्र प्रशिक्षण पुस्तिका तैयार करने के लिए, क्षेत्रीय बैठकों के माध्यम से राष्ट्रव्यापी परामर्श प्रक्रिया प्रारंभ की थी। राज्यों एवं विशेषज्ञों से प्राप्त जानकारियों/सुझावों के आधार पर, पुस्तिका के रूप में एक उत्तम दस्तावेज का सृजन किया गया है जो प्रशिक्षकों के लिए आपदा प्रबंधन के पहलुओं पर कक्षाओं के संचालन में मददगार होगा।

मैं विभिन्न हितधारकों द्वारा इस पुस्तिका (भाग–I) को तैयार करने में दिए गए अनन्य सहयोग तथा प्रोत्साहन के लिए उनका बहुत–बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं इस दस्तावेज को अंतिम रूप देने में श्री जे.के. सिन्हा, माननीय सदस्य, एनडीएमए और उनके अधिकारियों की टीम द्वारा किए गए प्रयासों के प्रति विशेष रूप से आभारी हूं।

नई दिल्ली
अप्रैल, 2012

एम. शशिधर रेड्डी
(विधायक)

सत्यमेव जयते

सदस्य
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
भारत सरकार

आमुख

भारतीय उपमहाद्वीप पर बड़े पैमाने पर तबाही लाने वाली विभिन्न भयंकर आपदाओं द्वारा बार–बार प्रहार किया गया है। गुजरात का भूकंप, बिहार की बाढ़, उड़ीसा के महाचक्रवात या तमिलनाडु, अंडमान और केरल में आई सुनामी ने देश, उसके निवासियों, आधारढांचे और पर्यावरण के प्रति असुरक्षितता और जोखिम को उजागर किया है।

आपदा में गईं जानों और क्षतिग्रस्त संपत्ति से संबंधित नुकसान को कम करने के लिए त्वरित कार्रवाई की सदा ही जरूरत पड़ती है। अतीत के अनुभवों ने हमें दिखाया है कि उन देशों जिनमें सरकार, वहां के निवासियों और प्रशिक्षित कर्मियों ने आपदाओं का सामना करने के लिए मिल–जुल कर प्रयास किया, में उन देशों जहाँ सरकार, लोग आदि आपदा के प्रति अच्छी तरह तैयार एवं संगठित नहीं थे, की तुलना में जल्दी सुधार और बहाली हुई।

नागरिक सुरक्षा पुनर्गठन पर श्री के.एम. सिंह, सदस्य, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के राष्ट्रीय नीति दृष्टिकोण पत्र में कई उपयोगी सिफारिशें की गई हैं जिनमें प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण शामिल हैं। समुदायों के स्वयंसेवी समूहों को कौशल और उचित उपकरणों से लैस करके आपदाओं के प्रबंधन में उनके द्वारा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा सकती है। नीति पत्र में देश की आबादी के कम से कम एक प्रतिशत भाग को क्षमता निर्माण और समुदाय स्तर की तैयारी के कार्यक्रम के तहत कवर करने की हिमायत की गई है। नागरिक सुरक्षा संगठन में इस प्रक्रिया में एक उत्प्रेरक एजेंट के रूप में काम करने की क्षमता है। एक व्यापक प्रशिक्षण प्रणाली के लिए आवश्यकता को महसूस करते हुए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए), यूएसएआईडी और डीएमएसपी ने इस पुस्तिका को तैयार करने के लिए मिल–जुल कर काम किया। मास्टर प्रशिक्षकों के महत्त्वपूर्ण समूह के प्रशिक्षण की बढ़ती आवश्यकता के लिए इस पुस्तिका को डिजाइन किया गया है और इसमें एक प्रयोक्ता–अनुकूल तरीके से कई किस्म की सीखने योग्य सहायक जानकारी/सामग्रियों की मदद से आपदा से निपटने की तैयारी और उसके प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं को कवर किया गया है। इस पुस्तिका की रूपरेखा सरल रखी गई है ताकि प्रत्येक विशेष आपदा और उससे संबंधित लोगों के लिए एक अलग खंड और एक विशेष मॉड्यूल हो।

नागपुर, कोलकाता, दिल्ली और तिरुअनंतपुरम में चार क्षेत्रीय परामर्श बैठकें आयोजित की गईं। यह खुशी की बात थी कि पूरे देश से नागरिक सुरक्षा महानिदेशकों, मुख्य वार्डनों और नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों की एक बड़ी संख्या ने इनमें भाग लिया और उनमें से हर एक ने अपने बहुमूल्य सुझावों का योगदान दिया। इस संदर्भ में मुकुंद उपाध्याय, आईपीएस (सेवानिवृत्त), श्री. जी.एस. सैनी, निदेशक, राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा महाविद्यालय, नागपुर, श्री ए. सिंह, आईएएस, सचिव, नागरिक सुरक्षा, पश्चिम बंगाल सरकार, श्री राजन के. मेधेकर, आईपीएस, अपर महानिदेशक,

नागरिक सुरक्षा, केरल सरकार द्वारा ज्ञान आधारित जानकारी प्रदान करने में किए गए प्रयासों की अत्यधिक सराहना की जाती है।

मैं गृह मंत्रालय के आपदा प्रबंधन प्रभाग, पूर्व महानिदेशक, नागरिक सुरक्षा और एनडीआरएफ, श्री कोशी कोशी, पूर्व–कार्यकारी निदेशक, श्री पी.जी. धरचक्रबर्ती प्रो संतोष कुमार और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, नई दिल्ली से कर्नल प्रबोध कुमार पाठक और प्रो विनोद कुमार शर्मा, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली को उनकी बहुमूल्य जानकारी के लिए अपना हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ।

मैं कर्नल जे.आर. कौशिक, वरिष्ठ विशेषज्ञ (नागरिक सुरक्षा एवं राष्ट्रीय कैडेट कोर), डॉ० एम.सी. अबानी, वरिष्ठ विशेषज्ञ, मेजर जनरल वी.के. दत्ता, वरिष्ठ विशेषज्ञ (एम.ई.–सी.बी.), मेजर जनरल आर.के. कौशल, वरिष्ठ विशेषज्ञ (नीति एवं योजना), डॉ. इंद्रजीत पाल, एसोसिएट प्रोफेसर, सीडीएम, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी, डॉ. सुशांत कुमार जेना, डॉ. पवन कुमार सिंह, और श्री नवल प्रकाश, डॉ. कुमार राका, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी, एनडीएमए, श्री आमोद कुमार, श्री विनोद कुमार गुप्ता, उप. मुख्य वार्डन, दिल्ली नागरिक सुरक्षा संगठन और श्री. राकेश कुमार वर्मा को इस दस्तावेज को तैयार करने में उनके द्वारा दिए गए असीम समर्थन और सहायता के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूँ।

मैं इस अवसर पर सुश्री नीना मिनका, पूर्व वरिष्ठ आपदा प्रबंधन सलाहकार, सलाहकार यूएसएआईडी–भारत, श्री एन.एम. प्रुष्टि, पूर्व पार्टी चीफ, आपदा प्रबंधन सहायता परियोजना और उनकी टीम के सदस्यों और प्रवीण कुमार अमर, आपदा प्रबंधन परामर्शदाता को इस पुस्तिका को तैयार करने और समृद्ध करने के लिए दी गई जानकारियों एवं निवेशों के लिए भी धन्यवाद देता हूँ।

मैं प्रो. (डॉ.) भगवानप्रकाश और उनकी अनुसंधान टीम जिसमें स्वर्गीय प्रो शिवनारायण मिश्रा, प्रो. रबिनारायण पांडा, डा. ममता दाश, श्री राधाकांत, श्री. चंद्रशेखर राउत और श्री शक्तिरंजन पात्र शामिल हैं, द्वारा दिए गए महत्त्वपूर्ण योगदान का इस आमुख में जिक्र करना चाहूंगा।

श्री बिनय भूषण गडनायक, विशेषज्ञ (आईआरएस), एनडीएमए के प्रशिक्षण पुस्तिका की तैयारी में किए गए संपूर्ण प्रयासों में सहायता देने के लिए उनका विशेष उल्लेख किया जाता है।

अंत में, मैं श्री एम. शशिधर रेड्डी, विधायक, उपाध्यक्ष, एनडीएमए और एनडीएमए के सभी सदस्यों को इस बहुमूल्य दस्तावेज को तैयार करने में दिए गए उनके मार्गदर्शन और सुझावों जो प्रशिक्षकों के लिए कार्यविधि तैयार करने में बहुत मददगार होंगे, के लिए आभार व्यक्त करना चाहता हूँ।

श्री जे के सिन्हा,
सदस्य, एनडीएमए

नई दिल्ली
अप्रैल, 2012

प्रथमाक्षर

एईआरबी	परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड
एएचयू	दुर्घटना खतरा इकाई
बीएआईआईडी	ब्रीथ एल्कोहल इग्निशियन इंटरलोक डिवाइसिज
बीआईएस	भारतीय मानक ब्यूरो
बीएमएचआरसी	भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर
बीडब्ल्यू	जैविक हथियार
कैट्स	केंद्रीयकृत दुर्घटना और आघात सेवा
सीएपीएफ	केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल
सीबीडीपी	समुदाय आधारित आपदा तैयारी
सीसी	जलवायु परिवर्तन
सीडी	नागरिक सुरक्षा
सीडीएम	स्वच्छ विकास तंत्र
सीईआर	प्रमाणित उत्सर्जन कटौती
सीएच$_4$ (CH_4)	मीथेन
सीएनएस	केंद्रीय तंत्रिका तंत्र
सीओ$_2$ (CO_2)	कार्बन डाइऑक्साइड
सीपीआर	कार्डियो – पल्मोनरी रिससिटेशन
सीआरईडी	आपदाओं के अनुसंधान के लिए केंद्र
सीएसआईआर	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद
सीएसओ	सिविल सोसाइटी संगठन
डीएम एक्ट	आपदा प्रबंधन अधिनियम
डीआरआर	आपदा जोखिम न्यूनीकरण
ईएमपी	इलेक्ट्रो मेगनेटिक पल्स
ईओसी	आपातकालीन प्रचालन केंद्र
ईआरसी	आपातकालीन कार्रवाई केंद्र
ईआरटीएस	आपातकालीन कार्रवाई दल
ईयू	यूरोपीय संघ
एफएएमएस	आग चेतावनी और संदेश

एफजीडी	फोकस समूह चर्चा
एफएसआई	भारत का वन सर्वेक्षण
जीडीपी	सकल घरेलू उत्पाद
जीएचजीएस	ग्रीनहाउस गैसें
जीटी	गीगाटन
जीएलओएफ	हिम झील प्रस्फोटन बाढ़
जीडब्ल्यू	भूमंडलीय तापन (ग्लोबल वार्मिंग)
एचसीएन	हाइड्रोजन साइनाइड
एचआईवी / एड्स	हयूमन इम्यूनोडेफिसियंसी वायरस एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिसिएंसी सिंड्रोम
एचपीसी	उच्चाधिकार प्राप्त समिति
आईसीसी	घटना कमान केंद्र
आईसीएमआर	भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद
आईसीटी	सूचना और संचार प्रौद्योगिकी
आईडीएनडीआर	अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा जोखिम न्यूनीकरण दशक
आईएफआरसी	अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस और रेड क्रीसेंट सोसायटी
आईएमसीबी	भोपाल गैस त्रासदी पर अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग
आईएमडी	भारतीय मौसम विज्ञान विभाग
आईएनडी	तात्कालिक परमाणु डिवाइस
आईपीसीसी	जलवायु परिवर्तन पर अंतर–सरकारी पैनल
आईआरसीएस	भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी
आईआरजी	अंतर्राष्ट्रीय संसाधन समूह
आईआरएस	घटना प्रतिक्रिया प्रणाली
आईटीडीजी	अन्तर्वर्ती प्रौद्योगिकी विकास समूह
केपीपी	प्रमुख कार्यक्रम कार्मिक
केवी	किलोवोल्ट
केवीके	कृषि विज्ञान केन्द्र
एलसीडी	लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले
एलसीई	लो–कार्बन इकॉनमी
एमएडी	परस्पर आश्वासित विध्वंस
एमसीआई	बड़ी संख्या में हताहतों वाली दुर्घटना

एमएफआई	सूक्ष्म वित्त प्रयास
एमआईसी	मिथाइल आईसो–साइनेट
एमएमए	मोनो मिथाइल अमाइन
एमएनसी	बहुराष्ट्रीय कंपनियां
एमएसवी	मिनी सीवर्ट
एनएटीएस	सोडियम थाई सल्फेट
नासा	राष्ट्रीय वैमानिकी और अनुसंधान प्रशासन
एनसीसी	राष्ट्रीय कैडेट कोर
एनसीडीसी	राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा महाविद्यालय
एनडीआरएफ	राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल
एनआईडीएम	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान
निमहांस	नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस
एनएमपी	न्यूरो मोटर पाथवेज
एन$_2$ओ (N_2O)	नाइट्रस ऑक्साइड
एनपीपी	नाभिकीय विद्युत संयंत्र
एनएसएस	राष्ट्रीय सेवा योजना
एनवाईकेएस	नेहरू युवा केन्द्र संगठन
ओएचपी	ओवरहेड प्रोजेक्टर
ओवाईवी	युवा स्वयंसेवक संगठन
पीपीई	कार्मिक प्रक्षेपी उपकरण
पीपीएम	प्रति मिलियन अंश
पीपीपी	सार्वजनिक निजी भागीदारी
आरडीडी	विकिरणकीय प्रकीर्णन युक्ति
स्टार्ट	सरल ट्रायज और शीघ्र उपचार
एससीबीए	स्वनियंत्रित श्वास उपकरण
एसडीएमए	राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
एसएचजी	स्वयं सहायता समूह
(एस) एचई	महिला/पुरूष
एसएलएस	पूरक शिक्षा सहायता
एसएमएस	लघु संदेश सेवा
एसओपी	मानक प्रचालन प्रक्रिया

प्रथमाक्षर

एसएसजी	समाज सेवा मार्गदर्शिकाएँ
टीबी	तपेदिक
टीईडी	ट्राड पर्यावरण धन्यवाद
ट्रेमकार्ड	परिवहन आपातकालीन कार्ड
ट्रेमडेटा	रेडियोधर्मी सामग्री परिवहन आंकड़े
यूसीसी	यूनियन कार्बाइड निगम
यूसीआईएल	यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड
यूएनडीआरओ	संयुक्त राष्ट्र आपदा राहत संगठन
वीसीडी	वीडियो कॉम्पैक्ट डिस्क
डब्ल्यूएमडी	जनसंहार हथियार
डब्ल्यूएमओ	विश्व मौसम विज्ञान संगठन
वाईआरसी	युवा रेड क्रॉस

सहायक सामग्री की सूची

{जानकारी–सामग्री (हैंडआउट्स), स्लाइड, प्रकरण–अध्ययन, सारणी, चित्र, मानचित्र, और दृश्य–सामग्री}

खंड 3

आपदा प्रबंधन के अवयवों पर जानकारी – सामग्री, *पृ 35*

आपदा प्रबंधन चक्र पर स्लाइड, *पृ 36*

आपात स्थितियों में कार्यकलाप ? *पृ 37*

पारंपरिक दृष्टिकोण बनाम समुदाय आधारित आपदा संबंधित दृष्टिकोण पर स्लाइड, *पृ 41*

समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन के लक्षणों पर स्लाइड, *पृ 42*

आपदा संचार के लिए दिशानिर्देश पर स्लाइड, *पृ 45*

खंड 4

आपदा की परिभाषा, *पृ 52*

आपदाओं की व्यापक श्रेणियों, *पृ 55*

जोखिम और असुरक्षितता कुछ परिभाषाएँ ? *पृ 58*

मानव जनित आपदाएं, *पृ 29*

खतरा, असुरक्षितता और आपदा, *पृ 61*

आपदाओं का आर्थिक प्रभाव, *पृ 66*

क्या आपदा निवारण, किफायती है ? *पृ 67*

स्लाइड

आपदा के कटु तथ्य, *पृ 54*

आपदा के प्रकार, *पृ 55*

आपदा का स्वास्थ्य और सफाई पर प्रभाव, *पृ 64*

आपदाओं के दौरान आम चिकित्सा समस्याएं, *पृ 65*

खंड 5

प्रभावी स्वयंसेवी प्रबंधन के लाभ, *पृ 76*

प्रभावी स्वयंसेवी प्रबंधन के संबंध में आठ कदम, *पृ 77*

युवा लोग ही क्यों स्वयंसेवक बनें ? *पृ 90*

नेतृत्व और समुदाय आधारित स्वयंसेवी संगठनों में टीम निर्माण *पृ 96*

टीम के क्षमतापूर्ण सकारात्मक पहलू *पृ 97*

टीम के क्षमतापूर्ण नकारात्मक पहलू *पृ 98*

प्रभावी स्वयंसेवी टीम को बनाने के लिए रणनीतियाँ *पृ 99*

टीम के मनोबल और उत्प्रेरण को बनाए रखने के लिए कदम *पृ 100*

जानकारी–सामग्री (हैंडआउट्स)

स्वयंसेवकों की प्रेरणा बढ़ाने के उपाय *पृ 78*

स्वयंसेवकों की आपदा में जिम्मेदारियां *पृ 84*

स्वयंसेवकों की भूमिका और कार्य *पृ 88*

प्रकरण अध्ययन

बिहार का वीरतापूर्ण जज्बा *पृ 84*

सहायक सामग्री की सूची

खंड 6

जानकारी–सामग्री (हैंडआउट्स)

आपदाओं में महिलाओं की स्थिति, *पृ 106*

आपदा का स्वास्थ्य और सफाई पर प्रभाव, *पृ 110*

व्यक्तिगत स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित निवारण गाइड, *पृ 111*

आपदा संबंधित समझना, *पृ 115*

मनो–सामाजिक समर्थन–व्यथा सुनने का कौशल, *पृ 116*

स्लाइड

आपदा प्रबंधन में महिला संबंधी मुद्दों को शामिल करना, *पृ 107*

खंड 7

आपदा प्रबंधन में प्रशिक्षण क्या और क्यों दिया जाए, *पृ 124*

प्रशिक्षण आवश्यकताओं का आकलन, *पृ 125*

उपयुक्त प्रशिक्षण रणनीति का विकास, *पृ 126*

एकाधिक सुविधा की भूमिकाओं और कौशल, *पृ 127*

अतिरिक्त कौशल : क्या करें और क्या न करें, *पृ 128*

स्लाइड – सुविधा संबंधित कौशल, *पृ 130*

पावर प्वाइंट – कौशल विकास के तरीके, *पृ 131*

प्रशिक्षण में खेल और कार्यकलापों की भूमिका, *पृ 135*

प्रशिक्षण में क्या करें और क्या न करें, *पृ 136*

खंड 8

खोज और बचाव के महत्वपूर्ण अवयवों पर जानकारी–सामग्री, *पृ 142*

खोज एवं बचाव से संबंधित–क्या करें और क्या न करें, *पृ 143*

बेल्लारी (कर्नाटक) में एक क्षतिग्रस्त भवन का खोज और बचाव अभियान ? *पृ 144*

पहाड़गंज में बम ब्लास्ट : अस्पताल की कार्रवाई–एक केस–स्टडी, *पृ 149*

केस स्टडी : प्रथमोचार की जानकारी–सबके लिए अनिवार्य, *पृ 154*

आपात स्थिति देखभाल का अधिकार पर सर्वोच्च न्यायलय का निर्णय, *पृ 156*

रस्सियों और गांठों और कोड़ों के उपयोग पर दृश्य–सामग्री, *पृ 159*

बचाव तकनीकों पर दृश्य–सामग्री, *पृ 161*

प्रथमोचार में ट्रायज प्रक्रिया पर चित्र में चित्र, *पृ 165*

प्रथमोचार पर दृश्य–सामग्री, *पृ 166*

खंड 9

भारत नागरिक सुरक्षा अधिनियम, *पृ 176*

नागरिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन में इसकी नई भूमिका, *पृ 178*

नागरिक सुरक्षा के मुख्य कार्यकलाप, *पृ 180*

मौजूदा नागरिक सुरक्षा सेवाएं, *पृ 181*

खंड 10

<u>*जानकारी–सामग्री (हैंडआउट्स)*</u>

मानवीय चार्टर के सिद्धांतों, *पृ 187*

मानवीय मुद्दों से संबंधित अभिकरणों की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां, *पृ 188*

आईआरएस डिजाइन मानदंड, *पृ 194*

खतरे की पूर्व चेतावनी के लिए पशु/पक्षी/कीट के व्यवहार को समझना, *पृ 199*

आपदा आकलन, *पृ 203*

एक आपदा संबंधित रिपोर्ट क्या है और इसे कैसे लिखें, *पृ 205*

<u>*स्लाइड*</u>

मानवीय राहत के न्यूनतम मानक, *पृ 190*

प्रतिक्रिया के पारंपरिक दृष्टिकोण में समस्या के क्षेत्र, *पृ 195*

आईआरएस, में योजना उत्तरदायित्व, *पृ 195*

आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए प्रौद्योगिकी का एकीकरण, *पृ 198*

सहायक सामग्री की सूची

प्रयोक्ताओं के लिए टिप्पणी

नागरिक सुरक्षा एवं संबद्ध संगठनों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए पुस्तिका (भाग–I) के प्रिय प्रयोक्ताओं,

मुझे विश्वास है, कि आप निम्नलिखित भयावह तथ्यों से परिचित होंगे। फिर भी हम सब मिलकर, किसी भी आपदा के प्रति पहले प्रतिक्रियादाता के रूप में काम करने के लिए, लोगों के बीच जागरूकता, ज्ञान और कुशलता को बढ़ावा देकर अपने समुदाय को सुरक्षित तथा देश को आपदा से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार कर सकते हैं।

कुछ कटु तथ्य

क) **09 दिसंबर, 2011 –** एएमआरआई अस्पताल में लगी आग – कोलकाता – 90 रोगियों की घुटन से मृत्यु हो गई।

ख) **13 अगस्त, 2010 –** लेह – बादल फटना – भारतीय सेना के 33 सैनिक लापता, 1113 मृत और 500 निवासी लेह में लापता हो गए।

ग) **11 नवम्बर, 2009 –** आईओसी, जयपुर में आग से 12 से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु हो गई, 150 से अधिक लोग घायल हो गए।

घ) **अगस्त – सितम्बर, 2008 –** कोसी बाढ़ से 15 जिलों में फैले 1598 गांवों में 30 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हुए।

ङ) **वर्ष–2008 –** मानसून बारिश में पूरे भारत में कम से कम 1000 लोग मारे गए थे।

च) **जून, 2005 में गुजरात की बाढ़ –** 250,000 से अधिक लोग को इलाकों से बाहर सुरक्षित निकाला गया। बाढ़ की वजह से 8000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान होने का अनुमान किया गया था।

छ) **26 दिसंबर, 2004 –** भारत में कम से कम 10,136 लोग मारे गए थे और लाखों लोग सुनामी से बेघर हो गए।

ज) **26 जनवरी, 2001 –** भुज में केंद्र वाले भूकंप में 20,000 से अधिक लोग मारे गए, 167,000 अन्य घायल हो गए और पूरे गुजरात में लगभग एक करोड़ घरों को नष्ट कर दिया।

झ) **अक्टूबर 1999 –** उड़ीसा का महाचक्रवात जो 10,000 से अधिक लोगों की मौत का कारण बना; जिसने लगभग 275,000 घरों को नष्ट कर दिया जिससे 1,67 मिलियन लोग बेघर हो गए।

ट) **17 अगस्त, 1998** – भूस्खलन से लगभग 380 लोग मारे गए और उत्तराखंड में मालपा में पूरा गांव भारी भूस्खलन में बह गया।

ठ) **30 सितंबर, 1993** – लातूर भूकंप में लगभग 7928 लोग मारे गए और 30,000 अन्य लोग घायल हो गए।

ड) **2003 से 2008** – भारत में मंदिर की भगदड़ की विभिन्न घटनाओं में 1131 से अधिक लोग मारे गए हैं और हजारों घायल हो गए, इसमें नवीनतम घटना जोधपुर में चामुण्डा माता मंदिर की है।

ढ) पिछले आठ वर्षों में, भारत के विभिन्न भागों में 21 बम विस्फोट हुए हैं, 806 लोग मारे गए और कई घायल हुए।

ण) **20 मई, 2008** – बंगलौर/कृष्णागिरि में अवैध शराब के सेवन से मौतें, मृतकों की सं॰ 156 थी।

त) **27 फरवरी से 3 मार्च, 2002** – गोधरा ट्रेन की अग्नि दुर्घटना और बाद में सांप्रदायिक हिंसा में 151 कस्बों और गुजरात के पंद्रह से सोलह जिलों में 993 गांवों में दोनों समुदायों के लगभग 1044 लोग हिंसा में मारे गए थे।

थ) **21 जुलाई, 2001** – मंगलौर मेल ट्रेन के चार डिब्बे पटरी से उतर गए और काडलुंडी नदी में गिर गए जिसमें 57 लोग मारे गए और 300 घायल हुए।

द) **24 दिसंबर, 1999** – भारतीय एयरलाइंस की फ्लाइट सं॰ 814 का अपहरण कर उसे अफगानिस्तान ले जाया गया।

ध) **13 जून, 1997** – 59 लोग मारे गए और सौ से अधिक उपहार सिनेमा आग में गंभीर रूप से घायल हुए।

न) **12 नवम्बर, 1996** – सऊदी अरब एयरलाइंस फ्लाइट सं॰ 763 की एयर कजाकिस्तान फ्लाइट सं॰ 1907 के साथ चरखी दादरी के क्षेत्र में आकाश में टक्कर, सभी सवार 349 लोग मारे गए।

प) **23 दिसंबर, 1995** – डबवाली हरियाणा में एक तम्बू में आग, 360 लोग मारे गए।

फ) **3 दिसंबर, 1984** – भोपाल गैस त्रासदी में लगभग 20,000 मारे गए।

हाल के वर्षों में हुई प्राकृतिक और मानव जनित आपदाएं भारत में युद्ध स्तर पर आपदा तैयारियों की जरूरत को रेखांकित करते हैं।

यह प्रशिक्षण पुस्तिका, नागरिक सुरक्षा होमगार्ड्स और अन्य स्वयंसेवी आधारित संगठनों की प्रशिक्षण जरूरतों को ध्यान में रखकर, आपदा प्रबंधन पर सीखने के सबकों की एक शृंखला को, आपके सामने रखने का एक प्रयास है।

यह पुस्तिका कैसे तैयार की गई

इस दस्तावेज को विकसित करने से पहले देश के सभी चार क्षेत्रों में प्रशिक्षण आवश्यकताओं का आकलन (टीएनए) किया गया था। विभिन्न स्तरों पर आपदा प्रबंधन पर काम कर रहे विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया और अपनी प्रतिक्रिया दी।

जहाँ, टीएनए में आपदा संबंधी तैयारी और कार्रवाई का संबंध है, अधिकांश कार्रवाईकर्ताओं ने बताया कि उनके फोकस वाले क्षेत्र ये थे–खोज तथा बचाव, आपदा राहत, जोखिम सूचना, संचार और समुदाय जागरूकता। तथापि, उनमें से कई ने इंगित किया कि अभी भी कई क्षेत्रों में ज्ञान तथा कुशलता की खामियां हैं –आपातकालीन तैयारियाँ, बुनियादी संचार, संघर्ष संकल्प, नेतृत्व और प्रेरणा कौशल, घटना प्रतिक्रिया प्रणाली, पर्यावरण और महामारी नियंत्रण, स्वयंसेवक प्रबंधन, मनोसामाजिक समर्थन, संबंधित विषय, महिला संबंधी मुद्दे, असुरक्षित समूहों की जरूरतों का समाधान, नाभिकीय विकिरण खतरों, आपदा कार्रवाई के न्यूनतम मानकों, स्वयंसेवी संगठनों और नागरिक समाज समूहों के साथ समन्वय और प्रशिक्षण की प्रक्रिया–विधि।

इसी प्रकार, भागीदारों द्वारा पसंद किए प्रशिक्षण तरीके ये है–दृश्य–श्रव्य, भागीदारी पूर्ण और अनुभव–आधारित सबक और क्षेत्र अध्ययन एवं प्रायोगिक शिक्षण। क्लासरूम लेक्चर को सबसे कम पसंद किया गया। कुछ कार्रवाई–कर्ताओं ने योजना निर्माण, टीम–वर्क, संगठन, नेटवर्किंग, गठबंधन निर्माण और पूर्व–आपदा तैयारी के महत्त्व पर जोर दिया। प्रशिक्षकों की विभिन्न श्रेणियों के लिए विशिष्ट तरीके पर भी जोर दिया।

इस पुस्तिका में इन में से अधिकांश चिंताओं का समाधान किया गया है। तथापि, वास्तविक सफलता मददगारों और मास्टर प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण योजना तथा सत्रों के क्रियान्वयन के दौरान उनकी कल्पना, नवाचार तथा सृजनता पर निर्भर करेगी।

प्रशिक्षण कार्यक्रम को कैसे तैयार किया जाए

यह सिफारिश की गई है कि प्रशिक्षण शुरू करने से काफी पहले, कोर्स समन्वयक तथा प्रशिक्षण टीम वाले खंड–। को अवश्य पढ़ना चाहिए। तैयारी तथा दिशानिर्देश शीर्षक के अंतर्गत यह भी अनुमान लगाया गया है कि सभी मददगार तथा प्रशिक्षक खंड–2 तथा खंड–3 में यथा स्पष्ट प्रशिक्षण तरीकों तथा कौशलों की विभिन्न किस्मों से परिचित हों, तथा उन्हें नागरिक सुरक्षा संगठनों तथा उनकी

भूमिकाओं तथा उत्तरदायित्वों की समझ भी उनको हो। प्रशिक्षण संस्थाओं में बाहर से आमंत्रित रिसोर्स पर्सन को उद्देश्य तथा तरीकों के बारे में पर्याप्त जानकारी देने की जरूरत है।

एक स्वयंसेवक/स्वयंसेवी आधारित संगठन की प्रेरणा तथा क्षमता के स्तर को कायम रखने के लिए प्रशिक्षण एक सर्वश्रेष्ठ टॉनिक है। नागरिक सुरक्षा जैसे संगठनों को एक खुले, जागरूक, परिचित, भागीदारपूर्ण माहौल में टीम वर्क पर फोकस करते हुए काम करने के लिए सक्षम, सक्रिय, प्रतिबद्ध तथा उच्च कुशलता प्राप्त व्यक्तियों की जरूरत होती है। नियमित आधार पर प्रशिक्षक तथा स्वयंसेवकों की स्थायी मौजूदगी से ही ऐसे व्यावसायिक, दृष्टिकोण आधारित तथा व्यवहार संबंधी परिवर्तनों को बढ़ावा दिया जा सकता है। इससे उनकी रुचि, प्रेरणा स्तर कायम रह सकता है तथा ये तरीका उनको सरोकार तथा समुदाय से जोड़े रखता है।

खंड 1

परिचय और अधिशासी सारांश

विषय–वस्तु

1.1. परिचय 3

1.2 अधिशासी सारांश 5

1.3. परिचय खंड, मॉड्यूल, एकक 6

1.4. एक सत्र के लिए नमूना संरचना और योजना 8

1.5. प्रस्तावित प्रशिक्षण और विषय अनुकूलन कार्यक्रम 9

1.6. सुविधादाताओं/प्रशिक्षकों के लिए दिशानिर्देश 9

1.7. विशेष मॉड्यूल के रूप में प्रत्येक विषय का उपयोग कैसे करें 14

1.8. नागरिक सुरक्षा संदर्भ 14

1.9. प्रशिक्षण/विषय अनुकूलन कोर्स का मूल्यांकन 14

खंड 1

1.1 परिचय

भारत के निवासी दीर्घकाल से विभिन्न प्राकृतिक तथा मानव जनित आपदाओं के असहाय शिकार बनते रहे हैं। लेकिन बढ़ती जागरूकता तथा चुनौतियों से निपटने के लिए नई नीतियों, योजनाओं तथा रणनीतियों के साथ, बाद में स्थिति में सुधार हुआ है। पूरे संसार में, आपदाओं की संख्या में वृद्धि हुई है जो 1950 के दशक में 50 से बढ़कर 20वीं शताब्दी के अंत तक 700 हो गई। संसार के विभिन्न हिस्सों में तबाही लाने वाली कई आपदाओं द्वारा मौतों तथा विध्वंस को देखते हुए, राष्ट्र संघ ने 1990 के बाद आने वाले दशक को अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा जोखिम न्यूनीकरण दशक (आईडीएनडीआर) के रूप में माना। आईडीएनडीआर के बाद जनवरी, 2005 में जापान में कोबे में विश्व आपदा न्यूनीकरण सम्मेलन आयोजित किया गया। इस अवधि के दौरान, भारत में तीन महाआपदाएं आईं अर्थात 30 सितंबर, 1993 को लातूर का भूकंप, अक्तूबर, 1999 में उड़ीसा का महाचक्रवात और 26 जनवरी, 2001 को गुजरात का भूकंप आया जबकि देश अपना गणतंत्र दिवस मना रहा था। इन आपदाओं के क्रूर और निष्ठुर थपेड़ों ने विभिन्न स्तरों पर देश की अपर्याप्त तैयारी को उजागर किया। सक्षम आपदा प्रबंधन रूपरेखा वाले एक आपदा प्रबुद्ध तथा आपदा समुत्थानशील समुदाय के निर्माण की जरूरत महसूस की गई।

विश्व और मीडिया द्वारा आपदा से निपटने की तैयारी से जुड़े महत्त्व को इन तथ्यों से आंका जा सकता है :

क) जनवरी, 2005 में कोबे, ह्योगो, जापान में विश्व आपदा न्यूनीकरण सम्मेलन का आयोजन किया गया और एक आपदा समुत्थानशील विश्व के निर्माण के लिए एक कार्य योजना तैयार की गई।

ख) भारत भी इस सम्मेलन में भागीदार था और उसने कार्य योजना से सहमति जताई।

ग) उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एचपीसी) ने एक आपदा प्रबंधन अधिनियम के अधिनियमन की सिफारिश की और प्रभावी आपदा प्रबंधन के लिए संस्थागत व्यवस्था की एक रूपरेखा का प्रस्ताव भी रखा।

घ) देश में आपदा प्रबंधन प्रयासों को मजबूत करने के लिए भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की प्रविष्टि 23 के तहत आपदा प्रबंधन अधिनियम को दिसंबर, 2005 में पारित किया गया। आपदा

प्रबंधन अधिनियम, 2005 द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जानी थी और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए) जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्रियों द्वारा की जानी थी, का सृजन किया गया। इस अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल (एनडीआरएफ) का भी सृजन किया गया। वर्तमान में इसकी 10 बटालियनें हैं जो पूर्ण प्रशिक्षित हैं तथा आपदा से निपटने के लिए लैस हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) जिसे पहले गृह मंत्रालय के अंतर्गत सृजित किया गया था, को एनडीएमए के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक शासी निकाय के अंतर्गत लाया गया। यह महसूस किया गया कि बड़े पैमाने पर समुदाय जागरूकता और तैयारी के साथ आपदा विषयों पर बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण एक सुरक्षित भारत के निर्माण के लिए प्रमुख अवयव होगा।

ङ) इससे पहले वर्ष 2001, में भारत सरकार द्वारा गठित एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एचपीसी) ने नागरिक सुरक्षा संगठन को आपदा प्रबंधन में शामिल करने की सिफारिश की थी और इसलिए संगठन को निरंतर तैयार रखने को कहा था। बाद में, गृह मंत्रालय ने एनडीएमए के सदस्य श्री के.एम. सिंह की अध्यक्षता में एक समिति को देश में नागरिक सुरक्षा के पुनर्गठन के संबंध में एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए गठित किया। इस रिपोर्ट में यह भी परिकल्पना की गई है कि एक पुनर्गठित नागरिक सुरक्षा संगठन राज्य, जिला तथा स्थानीय प्रशासन को, जहां भी कोई आपदा हो, प्रशिक्षित जनशक्ति उपलब्ध करा सकता है। नागरिक सुरक्षा संगठन सामाजिक रूप से प्रेरित प्रशिक्षित स्वयंसेवकों द्वारा संचालित एक समुदाय आधारित प्रयास होगा। इस समिति का विश्वास है कि सरकार तथा समुदाय को किसी आपदा से निपटने के लिए तालमेल से काम करना चाहिए। समिति ने सिफारिश की कि नागरिक सुरक्षा संगठन को पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों/नगर पालिकाओं/निगमों के साथ निकट समन्वय में समुदाय जन–जागरूकता तथा क्षमता निर्माण में अपनी बढ़ी हुई नई भूमिका का निर्वाह करना चाहिए।

च) यह भी सुझाव दिया गया था कि नागरिक सुरक्षा, जो कि मुख्य रूप से अल्पतम नियमित स्टाफ वाला एक आधारित संगठन है, को एक लंबे आपदा परिदृश्य में अपने संसाधनों की पूर्ति के लिए अन्य स्वयंसेवी आधारित संगठनों की सेवाओं का उपयोग करना चाहिए। इस संगठन को एनसीसी, एनएसएस, स्काउटों और गाइडों, नेहरू युवा केंद्र संगठन जैसे विद्यार्थी तथा गैर–विद्यार्थी युवा संगठनों के साथ सहयोग भी करना चाहिए ताकि आपदा प्रबंधन के सांझे सरोकार के लिए प्रयासों तथा संसाधनों के बीच तालमेल बनाया जा सके। इस प्रक्रिया को एक प्रशिक्षित मानव–शक्ति तैयार करने के लिए क्षमता निर्माण उपायों द्वारा और

मजबूत किया जा सकता है। नागरिक सुरक्षा की अवधारणा तथा संगठन के ओरियंटेशन को भी "नगर–केन्द्रित" से परिवर्तित करके "जिला–केन्द्रित" बनाया गया ताकि इसमें पूरे जिला तथा पूरे देश को कवर किया जा सके। प्रत्येक जिले में अब स्वयंसेवकों का एक समूह होगा जिसके स्वयंसेवक किसी आपदा से निपटने में प्रशिक्षित होंगे और वे पूरे जिले में मौजूद रहेंगे।

1.2 अधिशासी सारांश

1.2.1 हितधारक और पुस्तिका के प्रयोक्ता

इस पुस्तिका को प्रयोक्ताओं/हितधारकों की निम्नलिखित श्रेणी के प्रशिक्षण तथा ओरियंटेशन की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन तथा तैयार किया गया है। इस पुस्तिका में लचीलापन है और इसके भागों का उपयोग विभिन्न असुरक्षित क्षेत्रों में विभिन्न अभिकरणों द्वारा किए जा रहे आपदा प्रबंधन कार्यों के विशेष फोकस वाले क्षेत्रों में किया जा सकता है।

क) राष्ट्रीय/क्षेत्रीय स्तर पर नागरिक सुरक्षा संस्थाएं तथा प्रशिक्षक
ख) सीडीटीआई संकाय
ग) एनसीसी प्रशिक्षक/कार्यक्रम कार्मिक
घ) एनएसएस प्रशिक्षक/कार्यक्रम कार्मिक
ङ) नेहरू युवा केंद्र संगठन प्रशिक्षक/कार्यक्रम कार्मिक
च) रेड क्रॉस प्रशिक्षक/कार्यक्रम कार्मिक
छ) स्काउट और गाइड/प्रशिक्षक/कार्यक्रम कार्मिक/स्वयंसेवक
ज) होमगार्ड प्रशिक्षक
झ) नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक प्रशिक्षक और प्रमुख स्वयंसेवक
ञ) होमगार्ड प्रशिक्षक
ट) एनसीसी, एनएसएस, नेहरू युवा केन्द्र संगठन के प्रमुख स्वयंसेवक
ठ) रेड क्रॉस स्वयंसेवक
ड) नागरिक समाज संगठन/गैर–सरकारी संगठन/युवा संगठन

1.2.2 पुस्तिका के उद्देश्य :

क) आपदा की विभिन्न किस्मों और पहलुओं और इनकी चुनौतियों के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना;

ख) आपदा प्रबंधन पर नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षकों और स्वयंसेवकों की क्षमता तथा कुशलता के स्तर को बढ़ाना;

ग) सभी स्तरों पर आपदा प्रबंधन, प्रशमन तथा जोखिम में कमी लाने पर कार्य योजनाओं को विकसित करने के लिए प्रशिक्षुओं को सक्षम बनाना;

घ) राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन नीतियों, सिद्धांतों, योजनाओं, प्रथाओं, प्रयासों तथा संरचनाओं की समझ को बढ़ावा देना; तथा

ङ) **मास्टर प्रशिक्षकों** के रूप में कार्य करने के लिए नागरिक सुरक्षा कार्मिकों का क्षमता निर्माण।

1.2.3 परिचय खण्ड, मॉड्यूल, एकक

इस पुस्तिका को दो भागों में बांटा गया है। भाग–I में खंड 1 से खंड 11 तक शामिल हैं और भाग–II में खंड 12 से खंड 17 तक शामिल हैं। पुस्तिका के भाग–I में हमने निम्नलिखित अवधारणाओं तथा मुद्दों पर चर्चा की है; (1) आपदा परिदृश्य तथा भारत में आपदा प्रबंधन के लिए संस्थागत व्यवस्था, (2) आपदा प्रबंधनः मुद्दे तथा चुनौतियां, (3) आपदा तथा विकास–प्रश्न, अवधारणा स्पष्टीकरण, (4) आपदा में स्वयंसेवी प्रबंधन की चुनौतियाँ, (5) महिला संबंधी मुद्दे, असुरक्षित समूह, मनो–सामाजिक समर्थन, (6) नागरिक सुरक्षा संगठन के लिए प्रशिक्षण सेवा, (7) आपदा तथा अभ्यास/प्रशिक्षण, (8) नागरिक सुरक्षा संगठन को समझना तथा (9) प्रयास, तरीके तथा रणनीतियां।

1.3 परिचय खंड, मॉड्यूल, एकक

इस पुस्तिका के भाग–I में 11 खंड हैं। सभी खंड विषय आधारित हैं और उनमें अपेक्षित जानकारी–सामग्री (हैंडआउट्स) शामिल हैं, पूरक सामग्री को खंड–11 में अनुबंधों के रूप में रखा गया है।

खंड–1

इसका शीर्षक "परिचय तथा अधिशासी सारांश" है, इस खंड में मॉड्यूल का संपूर्णता में परिचय दिया गया है जिसके साथ उद्देश्य, परिचय खंड, मॉड्यूल, एकक, एक सत्र के लिए नमूना संरचना एवं योजना, नागरिक सुरक्षा कार्मिक की तीन श्रेणियों के लिए प्रस्तावित प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रशिक्षकों के लिए टिप्पणी, और वर्तमान पुस्तिका के भागों का विशेष मॉड्यूल तथा प्रशिक्षण/ओरिएंटेशन कोर्स के मूल्यांकन के लिए इस प्रकार उपयोग किया जाए, से संबंधित बातें शामिल हैं।

खंड–2

इस खंड में भारत में आपदा परिदृश्य और आपदा प्रबंधन की संस्थागत व्यवस्था का विहंगावलोकन किया गया और इसमें भारत में आपदा का इतिहास तथा मौजूदा स्थिति, हालिया बड़ी आपदाएं, भारत में बहु–खतरा क्षेत्र, भारत में आपदा प्रबंधन नीतियां तथा आपदा प्रबंधन प्रथाओं का ब्यौरा दिया गया है। परंपरागत प्रतिमान पर चर्चा करते हुए, इस खंड में महत्त्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य तथा वैकल्पिक दृष्टिकोण का भी वर्णन किया गया है। यह खंड आपदा

प्रबंधन संरचनाओं तथा संस्थाओं, आपदा प्रबंधन कार्य योजना तथा मार्गदर्शक सिद्धांतों, आपदा प्रबंधन के लिए प्रयास, हितधारक समन्वय, संपर्क कड़ियों एवं नेटवर्किंग के साथ–साथ आपदा प्रबंधन के प्रति राज्य तथा नागरिक समाज की कार्रवाइयों का भी वर्णन करता है।

खंड–3

"आपदा प्रबंधन–मुद्दे तथा चुनौतियाँ शीर्षक वाले इस खंड में निम्नलिखित पर फोकस किया गया है – आपदा प्रबंधन प्रक्रियाएं तथा सिद्धांत, आपदा से निपटने के लिए तैयारी–परिप्रेक्ष्य, चुनौतियाँ तथा नए पहल कार्य, प्रभावी समुदाय आधारित आपदा संबंधी तैयारी–समुदाय को आपदा प्रबंधन के लिए क्यों तैयार किया जाए? कैसे एक आपदा समुत्थानशील समुदाय का निर्माण किया जाए? सूचना, संचार, पूर्व चेतावनी प्रणाली, आपदा संचार तथा जनसंचार (मास) मीडिया।

खंड–4

"आपदा तथा विकास–अवधारणा स्पष्टीकरण" शीर्षक वाले इस खंड का मूल उद्देश्य आपदा तथा विकास मुद्दों की अवधारणा को स्पष्ट करना है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि आपदा क्या है ?, इसके विभिन्न चरण क्या हैं ? विकास, आपदा–विकास कड़ियाँ, खतरे, असुरक्षितताएं, आपदा कार्रवाई में बड़ी कमियाँ क्या हैं ? इस खंड में इस बात पर भी रोशनी डाली गई है कि आपदा प्रबंधन लागत प्रभावी क्यों है ? इसमें आपदा शब्दावली तथा उससे संबंधित पारिभाषिक शब्दावलियों से परिचित कराने के लिए सत्र भी हैं।

खंड–5

"आपदा में स्वयंसेवी प्रबंधन संबंधित चुनौतियाँ" पर खंड में आपदा प्रबंधन और संभव चुनौतियों में स्वयंसेवकों के साथ स्वयंसेवी संबंधित संगठनों की महत्त्वपूर्ण भूमिका का वर्णन किया गया है। इस खंड में आपदा के दौरान स्वंयसेवकों की भूमिका तथा कार्य, स्वयंसेवी संबंधित संगठनों की भूमिका, स्वयंसेवी चयन के कौशल, उनकी भर्ती और उन्हें स्वंयसेवा के काम से जोड़े रखने (रिटेंशन), स्वयंसेवी प्रबंधन की चुनौतियों–स्वयंसेवा की भावना को बढ़ावा देना, नेतृत्व तथा टीम निर्माण कौशलों को बढ़ावा देने, स्वयंसेवकों के उत्प्रेरण को बढ़ाने, कार्रवाई के लिए स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण, युवा स्वयंसेवक में संगठनों तथा स्वयंसेवी प्रयासों के तालमेल तथा एकत्रण के द्वारा नागरिक समाज के संगठनों के उपयोग के उपाय के बारे में जानकारी शामिल हैं।

खंड–6

इस खंड का शीर्षक "महिला संबंधी मुद्दे, असुरक्षित समूह, मनो–सामाजिक समर्थन" है जो मूलतः आपदा में महिला संबंधी मुद्दे; असुरक्षितता समाधान, आपातकालीन चिकित्सा देखभाल; असुरक्षित समूहों की जरूरतें, आपदा में मनो–सामाजिक समर्थन पर आधारित है।

खंड–7

इसका शीर्षक "नागरिक सुरक्षा संगठन के लिए प्रशिक्षण सेवा" है, इस खंड में निम्नलिखित पर फोकस किया गया है – जिनमें आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण क्या है, प्रशिक्षण कार्य नीति तैयार करने, प्रशिक्षण के लिए लक्षित श्रोतागण की पहचान का काम, प्रशिक्षण के उद्देश्य तय करना, समुदाय

क्षमता निर्माण की जरूरत, लक्षित श्रोतागण के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम की किस्में, प्रशिक्षण विषय–वस्तु का निर्धारण, प्रशिक्षण कार्यक्रम कैसे आयोजित किए जाएं, प्रशिक्षण कार्यक्रम में लोगों की भागीदारी तय करना, कुशलता तथा क्षमता बढ़ाने के लिए सहायक सामग्री को सीखने, नागरिक सुरक्षा संदर्भ में प्रस्तावित प्रशिक्षण कार्य विधियाँ, प्रशिक्षण कार्यक्रम में अनुभव–पूर्ण ज्ञान का महत्त्व, प्रशिक्षण में खेलों तथा कार्यकलापों की भूमिका, एक प्रशिक्षण कार्यक्रम के मूल्यांकन से संबंधित जानकारी तथा हिदायतें शामिल हैं।

खंड–8

"आपदा पर कार्रवाई तथा अभ्यास प्रशिक्षण" मूलतः एक कुशलता–उन्मुखी खंड है जिसमें आपदा में खोज तथा बचाव, प्रथमोपचार तथा कृत्रिम कवायद, अभ्यास एवं क्षेत्र प्रदर्शन जैसे प्रयोग पर बल दिया गया है।

खंड–9

इसका शीर्षक "नागरिक सुरक्षा संगठन को समझना" है, इस खंड में नागरिक सुरक्षा के बारे में संक्षिप्त तथा समग्र विचार दिए गए हैं। इसमें नागरिक सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन की एक नए परिप्रेक्ष्य, संगठन, संरचना, कार्य, नागरिक सुरक्षा संगठन के कमजोर क्षेत्र, नागरिक सुरक्षा संगठन की भूमिकाओं तथा चुनौतियों के साथ नागरिक सुरक्षा के लिए परिकल्पित नई भूमिकाओं तथा चुनौतियों, उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एचपीसी) की सिफारिशों, जन जागरूकता तथा समुदाय क्षमता निर्माण के साथ–साथ नागरिक सुरक्षा की पुनर्संरचना पर चर्चा की गई है।

खंड–10

इस खंड का शीर्षक "प्रयास, तरीके तथा रणनीतियां" है। इसमें मानवीय चार्टर और न्यूनतम स्तर, आपदा कार्रवाई के प्रबंधन के लिए आपदा प्रतिक्रिया प्रणाली, पूर्व चेतावनी तंत्र और सुरक्षित निकासी, रूढ़ आपदा, आपदा कल्पना संबंधी विषय (एथिक्स) पर चर्चा की गई है।

खंड–11

इस खंड का शीर्षक "अतिरिक्त सहायता सामग्री" है। इसमें और अधिक पढ़ाई के लिए पूरक सामग्री तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक चलाने पर फोकस किया गया है। इस अध्याय में निम्नलिखित बातें शामिल हैं : क) वरिष्ठ नागरिक सुरक्षा एवं अन्य पदाधिकारियों, योजनाकारों, नीति संबंधी कार्मिकों का प्रशिक्षण और विषय अनुकूलन कार्यक्रम; ख) वरिष्ठ और मध्यम स्तर के अधिकारियों और प्रशिक्षक सहित प्रमुख कार्यक्रम कर्मी; ग) नागरिक सुरक्षा राष्ट्रीय कैडेट कोर, नेहरू युवा केंद्र संगठन, राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस), स्काउट और गाइड, रेड क्रॉस आदि के प्रमुख स्वयंसेवक; घ) पंजीकरण फॉर्म; ङ) सत्र मूल्यांकन आरूप; च) क्षेत्र दौरा मूल्यांकन आरूप; छ) प्रशिक्षण मूल्यांकन आरूप, तथा झ) प्रशिक्षण पश्चात् मूल्यांकन प्रश्नावली।

1.4 सत्र के लिए नमूना संरचना एवं योजना

इस पुस्तिका के सभी प्रशिक्षण सत्रों के लिए एक मानक तथा एकसमान संरचना को तैयार किया गया है। प्रत्येक सत्र योजना की एक नमूना संरचना नीचे दी गई है।

भाग–I

क) विषय / प्रसंग;
ख) परिचय तथा मॉड्यूल विहंगावलोकन;
ग) उद्देश्य;
घ) तरीके;
ङ) सामग्री / सीखने के लिए सहायक जानकारी;
च) अवधि;
छ) अनुमानित शिक्षण परिणाम;
ज) ध्यानात्मक / जानकारी संबंधी;
झ) क्षमता / कुशलता संबंधी;
ञ) उप प्रसंग / मुख्य शिक्षण बिन्दु तथा विषय;
ट) सीखे गए महत्त्वपूर्ण सबक;
ठ) कार्यकलाप;
ड) प्रशिक्षक के लिए टिप्पणी; तथा
ढ) अतिरिक्त अध्ययन / संदर्भ।

भाग–2

क) क्या करें तथा क्या न करें से संबंधित दिशानिर्देश; तथा
ख) पूरक शिक्षण सहायता सामग्री।

सत्र अवधि

प्रत्येक प्रशिक्षण सत्र की अवधि पूर्वाह्न में डेढ़ घंटा तथा दोपहर में एक घंटा 15 मिनट की होनी चाहिए। यदि स्थिति की मांग हो तो क्षेत्र में अभ्यास प्रशिक्षण के लिए सत्र की अवधि को दो घंटे तक बढ़ाया जा सकता है।

1.5 प्रस्तावित प्रशिक्षण तथा विषय अनुकूलन कार्यक्रम

नागरिक सुरक्षा संवर्ग की तीन बड़ी श्रेणियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम में निम्नलिखित शामिल हैं (i) आपदा प्रबंधन मुद्दों पर कार्यरत वरिष्ठ स्तर के नागरिक सुरक्षा, होमगार्ड के तथा अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी (ii) मध्यम स्तर के अधिकारी तथा मुख्य कार्यक्रम कार्मिक जिनमें प्रशिक्षक शामिल हैं तथा, (iii) नागरिक सुरक्षा, एनसीसी, नेहरू युवा केंद्र संगठन, एनएसएस, स्काउट एवं गाइड, रेड क्रॉस आदि। इनका विवरण क्रमशः अनुबंध I, II तथा IV में दिया गया है।

तदनुसार, प्रत्येक श्रेणी के लिए प्रशिक्षण विषय–वस्तु का चुनाव किया गया है। उदाहरण के लिए, वरिष्ठ स्तर के पदाधिकारियों के लिए प्रशिक्षण अवधि केवल एक दिन की होती है, इसलिए विषय वस्तु मोटे तौर पर मुद्दे से संबंधित नीतियों, कार्यनीतियों, संरचनाओं तथा कार्यकलापों, नवाचारों (इनोवेशन) तथा नए प्रयासों और नए घटनाक्रम तक ही सीमित किया गया है। इसी प्रकार, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी पर आधारित एक सप्ताह तथा दो सप्ताह के कार्यक्रम में अधिक विषयों, मुद्दों और प्रयोगों को शामिल किया गया है। प्रशिक्षण सेवा पर एक अलग पुस्तिका नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थाओं के उपयोग के लिए भी तैयार की गई ताकि मास्टर प्रशिक्षकों की एक महत्त्वपूर्ण संख्या तैयार की जा सके।

1.6 मददगारों/प्रशिक्षकों के लिए दिशानिर्देश

क) इस पुस्तिका से प्रशिक्षक/मददगार की कई तरीके से मदद हो सकती है, लेकिन इस पुस्तिका को ही सब कुछ नहीं माना जा सकता। प्रशिक्षक/मददगार को यह निश्चित करना होगा कि इसके किस भाग का वह उपयोग करना चाहेगा। किसी व्यक्ति को अपने विशेष वातावरण तथा संस्कृति जिससे वह जुड़ा हुआ है, के अनुसार इसमें दिए गए कुछ तरीकों तथा अभ्यासों को जोड़ना/संशोधित करना होगा;

ख) इस नियम पुस्तिका में दिए गए मॉड्यूलों/खंडों की विषय वस्तु को पूरी तरह पढ़ने के बाद, किसी व्यक्ति को उन क्षेत्रों पर फोकस करना चाहिए जिनको वह सर्वाधिक उपयोगी समझता है और भागीदारों के लिए अनुकूल मानता है तथा जिनके बारे में वे खुद और जानना चाहते हैं;

ग) शिक्षण कार्यक्रलापों का चयन तथा उन्हें प्रशिक्षुओं की विशेष जरूरत के अनुसार बनाने के लिए किए गए कार्यकलाप प्रशिक्षण आकलन के माध्यम से प्रशिक्षकों द्वारा बेहतरीन ढंग से किए जाते हैं;

घ) नमूना कार्यकलापों को करते समय अथवा यह कार्यकलाप करते समय याद रखे जाने वाली एक महत्त्वपूर्ण बात यह आकलन करना है कि वे भागीदारों के स्थानों तथा संगठनों में उपयोग के लिए कितने उपयुक्त हैं;

ङ) प्रशिक्षण के दौरान अपनाई जाने वाली गतिविधियाँ अनिवार्य रूप से सदैव भागीदारों के अनुभव स्तर, सांस्कृतिक अनुकूलन तथा प्रशिक्षुओं के हिसाब से उचित होनी चाहिए;

च) एक प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान, इस्तेमाल से पहले, कार्यकलापों का सदैव पूर्व–परीक्षण किया जाना चाहिए। उनको स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार और संगत बनाने के लिए, विभिन्न आयु समूहों के अनुसार संशोधित किया जा सकता है, तथा चर्चा/प्रश्नों को समंजित अथवा सरलीकृत किया जा सकता है, जहां भी आवश्यक हो;

छ) दूसरा, इस ओर विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत है कि उन भागीदारों/स्वयंसेवकों जो अनपढ़ हैं अथवा जिनको केवल बुनियादी शिक्षा प्राप्त है, के उपयोग के लिए कार्यकलाप तैयार किए अथवा अपनाए जाएं;

ज) उदाहरण के लिए, यहां शामिल किए गए कुछ कार्यकलापों में यह प्रस्ताव किया गया है कि प्रत्येक लघु चर्चा समूह में कोई व्यक्ति इसका सार लिखेगा कि क्या कहा गया है और बाद में वह इसका उपयोग बड़े समूह को रिपोर्ट करने में करेगा;

झ) इस समस्या की चिंता किए जाने की जरूरत नहीं है। बुद्धिमान लोग जो लिखने में सक्षम नहीं होते, आम तौर पर बड़ी अच्छी याददाश्त वाले होते हैं, और सामान्यतः बिना किसी अतिरिक्त कठिनाई के वे लोग अपनी रिपोर्ट दे सकते हैं;

ञ) इसके अलावा, यह भी याद रखा जाए कि हर सीखने वाली गतिविधि की सफलता की कुंजी इसके लचीलापन का होना है। एक प्रशिक्षक/मददगार को कभी भी गतिविधि की अवधि को छोटा करने में भय महसूस नहीं करना चाहिए यदि भागीदारों को गतिविधि में रुचि प्रतीत न

भागीदारों द्वारा एक–दूसरे को अपना परिचय देने के अनेक तरीके हैं। यहाँ इनके पाँच उदाहरण दिए जाते हैं।

नाम तथा परिचय

सत्र में उपस्थिति प्रत्येक भागीदार (प्रशिक्षक से शुरूआत करते हुए) बोर्ड अथवा एक कागज पर अपना पहला अथवा लोकप्रिय नाम तथा अपने बारे में एक वाक्य लिखता है।

जोड़ो (पेयर्स) का परिचय

भागीदारों को किसी ऐसे व्यक्ति को ढूँढने जिसे वह नहीं जानता हो, और अपने बारे में बताते उसके बारे में पूछते हुए उसके साथ कुछ समय बिताने के लिए कहना, उदाहरण के लिए उनका नाम तथा कोई ऐसी बात जो वो समूह में दूसरों को अपने बारे में बताना चाहेंगे। प्रत्येक जोड़े को ऐसा ही दूसरा जोड़ा ढूंढने को कहो जिसके साथ वो ऐसी ही प्रक्रिया दोहराए तब भागीदारों को पूरे समूह में घूमकर यह प्रक्रिया दोहराने को कहो।

वैयक्तिक पहचान

रंगीन ढक्कनों वाले पेनों के साथ फर्श के बीच में रंगीन कागज की शीटों को रखो। भागीदारों को यह समझाओं कि तुम उनसे भागीदारों से, बारी–बारी से जब वे तैयार हो जाएं, कागज पर उनका नाम लिखवाना चाहोगे और उनसे उनके बारे में कोई बात लिखने को कहो, उदाहरण के लिए उन्हें अपने नाम में क्या पसंद है, वे खुद को किस नाम से पुकारा जाना चाहते हैं, आदि। आप शुरूआत करो और इस अभ्यास को मॉडल बनाओ। जब कागज पर सारे नाम आ जाएं, उनको आगामी संदर्भ के लिए प्रदर्शित किया जाना चाहिए (उदाहरण के लिए दीवार पर)। इससे प्रशिक्षकों को भागीदारों के नाम को याद रखने में सहायता भी मिलेगी।

वह बात जो मेरे बारे में कोई नहीं जानता

यह एक उपयोगी अभ्यास है जहां लोग एक–दूसरे को पहले से जानते हैं।

भागीदारों को समूह में चक्कर लगाने को कहो और उनसे खुद के बारे में ऐसा कुछ बोलने को कहो जो समूह में कोई नहीं जानता हों

हम एक–दूसरे के बारे में क्या जानना चाहते हैं

भागीदारों को उन बातों की सूची तैयार करने को कहो जो वे एक–दूसरे के बारे में जानना चाहते हैं। जब वे ऐसा कर लें तो उन बातों को एक फ्लिप–चार्ट पर लिखो। समूह के आकार के आधार पर अभ्यास का अगला भाग पूर्ण अथवा लघु समूहों में किया जा सकता है। तब उनसे बारी–बारी से अपना परिचय देने को कहो जिनमें सूची में दी गई बातों से जुड़े वे विषय शामिल हों जिनके साथ वे खुद को सर्वाधिक सुविधाजनक महसूस करते हों।

हो अथवा प्रशिक्षक के पास कहने के लिए कुछ न बचा हो;

ट) यदि ऐसा होता है, तो इसका एक सकारात्मक अवसर अथवा मूल्यांकन के लिए उपयोग किया जाए। भागीदारों से पूछा जाए कि वे गतिविधि के बारे में कैसा महसूस करते हैं, क्या उन्हें पसंद नहीं है और गतिविधि को अधिक संगत अथवा उपयोगी किस तरह बनाया जा सकता है;

ठ) प्रारंभ करने का तरीका : आपदा प्रबंधन कार्यक्रम की जरूरत पड़ने पर, मददगार को इसे शुरू करने का तरीका अवश्य ढूंढना चाहिए। अच्छी तरह प्रारंभ किया गया सत्र आधा काम कर देता है; तथा

ड) माहौल का निर्माण : यह पता लगाने के लिए कि आपदा के लिए चुनौती भरा क्षेत्र कौन सा हो सकता है, यह अनिवार्य है कि एक उचित माहौल तैयार करने पर पर्याप्त समय व्यय किया जाए। भागीदारों को एक–दूसरे को जानने के लिए समय की जरूरत होगी ताकि यह पता लगाया जा सके कि उन्हें कोर्स से क्या चाहिए और वे एक समूह के रूप में साथ–साथ काम करने के लिए किस तरह सहमत हों, इस पर भी ध्यान दिया जाना है। यह बातें सत्र या कोर्स की अवधि की लंबाई के अनपेक्ष महत्त्वपूर्ण हैं।

ढ) कार्यसूची निर्माण एक कोर्स के प्रारंभ में यह स्पष्ट करना महत्त्वपूर्ण है कि भागीदार को क्यों यह प्रशिक्षण कोर्स कराया जा रहा है। यह पूछना भी उपयोगी है कि भागीदार इस कोर्स से क्या चाहते हैं और यह भी कि वे अपना क्या योगदान देंगे, ऐसा करते समय इस पर बल दिया जाए कि सीखने का यह तरीका पारस्परिक सम्मान और भागीदारी पर आधारित है। इसके अलावा यह भी उपयोगी है कि विशेष रूप से यह पहचान की जाए कि किस तरह वे कोर्स में भाग लेकर अपने काम को और बेहतर बनाना चाहेंगे।

ण) आधार नियम/अनुकूल कार्य तथा सीखने के लिए स्थितियाँ यदि किसी समूह को कारगर ढंग से काम करना तथा साथ–साथ सीखना है तो उसको भागीदारी–पूर्ण समझ रखने की जरूरत है। आधार नियमों तथा सीखने की स्थितियों को पहचानना भी एक समूह को बनाने तथा साथ–साथ काम करने में मददगार होता है। इसको करने के कई तरीके हैं। जो भी तरीका चुना जाए, इसके लिए महत्त्वपूर्ण है कि भागीदार यह तय करें कि वे किन नियमों के द्वारा काम करना चाहेंगे तथा वह नियम पूरे समूह द्वारा स्वीकार्य हों। इसको दीवार पर प्रदर्शित किया जा सकता है और भागीदारों को इनमें बदलाव के लिए आमंत्रण दिया जा सकता है, जैसे–जैसे कोर्स या सत्र प्रारंभ होता है। कुछ मामले आप भागीदारों के ध्यान में लाना चाह सकते हैं जिनमें निम्नलिखित मामले शामिल हैं;

i) गोपनीयता;
ii) समय की पाबंदी;
iii) "पास का अधिकार;
iv) जोखिम लेने के अवसर;
v) चुनौती देने का अधिकार;
vi) "आई" कथन प्रस्तुत करना;
vii) सही व्यवहार; तथा
viii) धूम्रपान निषेध, आदि।

त) बारी–बारी से, भागीदारों को यह स्पष्ट करना मददगार होगा कि नियमों जिनका उल्लंघन करने पर दंड लगता है, की बात करने के बजाय व्यवहार तथा रवैये के संबंध में सोचना आम तौर पर अधिक मददगार होता है, जिसकी समूह को जरूरत होती है, यदि उसे उस काम के साथ तालमेल बैठाना है जिसके लिए समूह को तैयार किया गया है।

कोर्स की शुरूआत में काम करने के इस तरीके को स्पष्ट करना और यह सुनिश्चित करना भी अनिवार्य है कि लोग इसमें शामिल होने को इच्छुक हैं। सीखने की स्थितियों अथवा आधार नियमों में, इस धारणा पर चर्चा करना महत्त्वपूर्ण है कि हमें स्वयं को भावनात्मक तथा बौद्धिक रूप से चुनौती देना चाहिए। इसको महसूस करके कोर्स में चुनौती की धारणा को शुरू किया जाए।

थ) प्रशिक्षण सत्र से पहले

i) प्रशिक्षण/मददगार को प्रशिक्षण शुरू होने के लिए प्रशिक्षण सत्र के लिए तैयार रहने कि जरूरत है। किसी प्रशिक्षक को इस पुस्तिका में परिचय, विहंगावलोकन तथा अन्य सीखने के लिए सहायक सामग्री को पढ़कर अपने अध्यापन बिन्दु तैयार करने चाहिए। साथ ही, वह अपने ज्ञान को, अतिरिक्त पठन, संबंधित विषय/प्रसंग/उप–प्रसंग में अन्य विशेषज्ञों से परामर्श करके, बड़ा सकता/सकती है;

ii) प्रशिक्षक/मददगार के साथ–साथ भागीदारों को एक–दूसरे से बातचीत में सहज होना चाहिए। किसी का रवैया उसके शब्दों, संकेतों, हाव–भाव तथा बोलने का लहजा तथा शब्दों के चयन में झलकता है;

iii) भौतिक वातावरण भी समान रूप से महत्त्वपूर्ण है। कमरा खुला, हवादार तथा अच्छी रोशनी वाला होना चाहिए। पीने का पानी भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए;

iv) एक काला/सफेद बोर्ड चॉक तथा डस्टर अथवा कागज की बड़ी शीटें, अथवा यदि यह उपलब्ध न हों, तो पुराने अखबार जिन पर एक ढक्कनदार पेन अथवा चारकोल का उपयोग किया जा सके। भागीदारों के लिए पेंसिल, पेपर, ढक्कनदार पेनों का स्टाक रखा जाना चाहिए।

v) यदि कोई ओवरहेड प्रोजेक्टर उपलब्ध हो तो पारदर्शी कागज पर तैयार नोट/शीटों को प्रोजेक्टर पर दिखाया जाए;

vi) एक स्क्रीन उपयोगी होगी (यदि न हो तो सफेद दीवार अथवा शीट का उपयोग करें), विशेष रूप से यदि 35 मिमी. की स्लाइड के लिए एक स्लाइड प्रोजेक्टर मौजूद हो। यदि वीडियो तथा टी.वी. सेट उपलब्ध हो तो इनका उपयोग तभी करें जब सत्र के लिए कोई उचित वीडियो फिल्म उपलब्ध हो। यह सुनिश्चित करें कि आप इसे प्रशिक्षण सत्र के पहले ही देखें। इसको एक ऐसी जगह रखें जहाँ आप इसे दिखाना चाहते हैं। वीडियो से आम तौर पर

किसी परिचर्चा को करने तथा किसी ऐसे बिन्दु जिस पर जोर दिया जा रहा हो, को मजबूत करने में मदद मिलती है। इस पर सत्र का त्वरित सार भी दिया जा सकता है उदाहरण के लिए विकास (ग्रोइंग अप)";

vii) भागीदारों की संख्या के आधार पर, एक माइक्रोफोन तथा एम्पलिफायर की जरूरत हो सकती है;

viii) एम्पलिफायर के माध्यम से एक कैसेट रिकॉर्डर से कोई वार्ता को टेप किया जा सकता है उदाहरण के लिए किसी डॉक्टर अथवा किसी विशेषज्ञ की वार्ता; तथा

ix) ऑडियो–विजुअल माध्यम के विकल्प को ध्यान से तय किया जाए। जब "केवल एक बार के लिए (वन्स ओनली)" सामग्री की किसी अनौपचारिक श्रोतागण के लिए जरूरत होती है तो फ्लिप चार्ट ओवरहेड प्रोजेक्टर (ओएचपी) का उपयोग करें। किसी व्याख्यान के लिए एक राइटिंग बोर्ड की व्यवस्था करें। जब विजुअल को बदलना जरूरी हो तो ओएचपी/मैग्नेटिक बोर्ड का इस्तेमाल करें। जब सामग्री की संख्या ज्यादा हो, तो स्लाइडों का उपयोग करें। इन–हाउस मटीरियल तैयार करने के लिए ओएचपी का प्रयोग करें। ऑन लाइन डेटा को जब दिखाना जरूरी हो तो वीडियो डेटा प्रोजेक्टर का उपयोग करें। जब प्रस्तुति को वरिष्ठ नीति–निर्माताओं को देना हो तो पावर प्वाइंट प्रोजेक्टर का उपयोग किया जाना चाहिए।

1.7 प्रत्येक विषय का एक विशेष मॉड्यूल के रूप में उपयोग कैसे करें

यह एक समग्र पुस्तिका है जिसे क्रियान्वित किया जाना है और इसके लिए कम–से–कम दो सप्ताह की न्यूनतम अवधि होगी। यह पुस्तिका लचीलापन लिए हुए है और इसमें कई खंड शामिल हैं तथा हर खंड के कई सत्र/एकक हैं। इसी तरह हर एकक तथा सत्र के कई उप–प्रसंग तथा मुख्य मुद्दे/सबक बिन्दु हैं। तथापि, इस पुस्तिका, को इस तरह डिजाइन किया गया है कि इसके हर खंड को एक विशेष मॉड्यूल के रूप में रखा तथा उपयोग किया जा सकता है, और इसको पृथक प्रशिक्षण कोर्स या कार्यशाला के लिए भी उपयोग में लाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, जलवायु तथा जल संबंधी आपदाओं के प्रति कार्रवाई शीर्षक वाले खंड 7 में सात एकक हैं जिनमें एक एकक अर्थात् चक्रवात को एक "विशेष (स्टैंड अलोन)" प्रशिक्षण मॉड्यूल के रूप में रखा तथा उपयोग किया जा सकता है। ऐसे मामले में, मुख्य प्रसंग के अंतर्गत हर उप–प्रसंग को, प्रशिक्षुओं की जरूरत के आधार पर एक या दो सत्र दिए जा सकते हैं। एक कल्पनाशील मददगार को यह प्रक्रिया लागू करने में आसानी होगी।

1.8 नागरिक सुरक्षा संदर्भ

इस पुस्तिका के खंड 4 में, नागरिक सुरक्षा संगठनों का विस्तार से वर्णन किया गया है। फिर भी, जब भी किसी विशेष सत्र का एक विशेष मॉड्यूल के रूप में उपयोग किया जाए, तो इससे पहले नागरिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन में इसकी भूमिका पर एक संक्षिप्त प्रस्तुति दी जानी चाहिए।

1.9 प्रशिक्षण/विषय अनुकूलन (ओरिएंटेशन) कोर्स का मूल्यांकन

क) प्रशिक्षण एक योजनाबद्ध तथा संरचनापूर्ण कार्यकलाप है जिसका उद्देश्य ज्ञान,

सूचना, कौशल, क्षमताओं का अंतरण करना है, तथा साथ ही प्रशिक्षु में अपेक्षित दृष्टिकोण, रवैया तथा अभ्यास की भावना उत्पन्न करना है;

ख) अतः प्रक्रिया के साथ–साथ शुरूआत से ही विभिन्न स्तरों पर विषयवस्तु का भी एक समवर्ती मूल्यांकन किया जाना बहुत महत्त्वपूर्ण है;

ग) यह अभीष्ट है कि हर सत्र के बाद कम–से–कम पाँच मिनट सत्र में कवर किए गए विषयों, रिसोर्स पर्सन द्वारा इसकी प्रस्तुति का मूल्यांकन तथा हासिल किए गए वास्तविक सबक को दिए जाएँ। यह पता करो कि सत्र का मुख्य उद्देश्य पूरा हुआ या नहीं ?;

घ) इसी प्रकार हर आने वाले दिन में, प्रस्तुति का सार बताने के दौरान, पिछले दिन के कार्य निष्पादन का भागीदारों की प्रतिक्रिया के आधार पर आकलन किया जा सकता है;

ङ) कोर्स के अंत में, एक पूर्ण कोर्स मूल्यांकन होना चाहिए ताकि भविष्य में प्रतिकारी उपाय किए जा सके;

च) कुछ नमूना मूल्यांकन आरूप अनुबंध में दिए गए हैं जिन्हें दिए जाने वाले प्रशिक्षण कोर्स की प्रकृति के अनुसार अपनाया/संशोधित किया जा सकता है; तथा

छ) वास्तव में, मूल्यांकन प्रक्रिया पंजीकरण फॉर्म के साथ ही शुरू हो जानी चाहिए (फॉर्म इसी अनुबंध में दिया गया है) जिसके माध्यम से प्रशिक्षण संगठन प्रशिक्षुओं और उनकी प्रत्याशाओं के बारे में प्रतिक्रिया प्राप्त कर सके। अनुबंध में दिए गए आरूप निम्नानुसार हैं :

i) सत्र मूल्यांकन;
ii) क्षेत्र दौरा मूल्यांकन;
iii) कोर्स मूल्यांकन तथा प्रशिक्षुओं के लिए कोर्स–पश्चात मूल्यांकन;
iv) नियोक्ता संगठन के लिए कोर्स–पश्चात मूल्यांकन; तथा
v) कोर्स–निदेशक मूल्यांकन।

खंड 1

खंड–2

भारत में आपदा प्रबंधन हेतु आपदा परिदृश्य और संस्थागत व्यवस्था

विषय–वस्तु

2.1. भारत में आपदा और आपदा प्रबंधन 19

2.2. संस्थागत और कानूनी व्यवस्थाएं 20

2.3. आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत संस्थागत रूपरेखा 21

2.4. मौजूदा संस्थागत व्यवस्थाएं 25

2.5. अन्य महत्वपूर्ण संस्थागत व्यवस्थाएं 28

2.6. राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा महाविद्यालय (एनसीडीसी) 29

2.7. गैर–सरकारी संगठन (एनजीओ) 30

2.8. राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी), राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) और नेहरू युवा केंद्र संगठन (एनवाईकेएस) की भूमिका 30

सुरक्षित समुदाय
सुदृढ़ देश

खंड 2

2.1. विषय/प्रसंगः

भारत में आपदा और आपदा प्रबंधन

भाग–1

परिचय एवं विहंगावलोकन

भारत 3,287,590 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसकी सीमाएं पाकिस्तान, नेपाल, चीन, बांग्लादेश, बर्मा और भूटान से लगी हुई हैं। देश के तीन ओर जल है; जिसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिन्द महासागर हैं। विभिन्न प्रकार की विपत्तियां जैसे : बाढ़, उष्णकटिबंधी चक्रवात, सूखा, भूकम्प, सुनामी, ओला–वृष्टि, हिम–स्खलन, आग और दुर्घटनाएं समय–समय पर होती रहती हैं, जिससे देश के विभिन्न भाग प्रभावित होते हैं और भारी मात्रा में नुकसान होता है।

नदी–तंत्र के अनुसार देश 4 बाढ़ क्षेत्रों में विभाजित है। ये हैं; ब्रह्मपुत्र क्षेत्र, गंगा क्षेत्र, सिंधु क्षेत्र और मध्य एवं डेक्कन क्षेत्र। प्रतिवर्ष औसतन 4 करोड़ हैक्टेअर क्षेत्र बाढ़ग्रस्त होता है। देश के कुल क्षेत्र के 56% में 7516 कि.मी. लम्बा तटीय क्षेत्र अधिक तीव्रता वाला भूकंप क्षेत्र है जिसमें से 5700 कि.मी. चक्रवात एवं सुनामी संभावित क्षेत्र है जिनसे प्रतिवर्ष जानें जाती हैं और जन–जीवन तथा संपत्ति को नुकसान होता है। आपदाओं के संबंध में कार्रवाई करने के लिए भारत ने संगठनों तथा सुविधाओं का बड़ा नेटवर्क स्थापित किया है। हिन्द महासागर में वर्ष 2004 में आई सुनामी के बाद, भारत सरकार ने 2005 में "राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम" को संसद द्वारा अधिनियमित किए जाने के बाद अपनाकर और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का निर्माण करके एक निर्णायक कदम उठाया है। अधिनियम में विकास संबंधी लाभों को बनाए रखने तथा जीवन, आजीविका और संपत्तियों के नुकसान को कम करने के लिए राहत केंद्रित कार्रवाई से सक्रिय रोकथाम, प्रशमन और तैयारी आधारित तरीके में आदर्श परिवर्तन करने की परिकल्पना है (अनुबंध VIII – राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम–2005 देखें)।

आपदा प्रबंधन की राष्ट्रीय दूरदृष्टि **समग्र, सक्रिय, बहु–आपदा उन्मुखी और प्रौद्योगिकी आधारित** रणनीति विकसित करके एक सुरक्षित और आपदा–प्रतिरोधी भारत का निर्माण करना है। यह रोकथाम, प्रशमन और तैयारी की संस्कृति के माध्यम से प्राप्त किया जाए। संपूर्ण प्रक्रिया समुदाय पर केंद्रित होगी और सभी सरकारी एजेंसियों एवं समुदाय आधारित संगठनों के सामूहिक प्रयासों से समर्थित एवं जारी रहेगी।

उद्देश्य

प्रशिक्षुओं को भारत को प्रभावित करने वाली विभिन्न प्रकार की आपदाओं तथा उनके असर से अवगत कराना।

तरीके

प्रस्तुतीकरण तथा परिचर्चा

सामग्री/सीखने के लिए सहायक जानकारी

भारत का आपदा मानचित्र,ओएचपी/एलसीडी, चित्र, स्लाइड

सत्र–अवधि

एक सत्र (विवरण के लिए पृष्ठ सं. 9 देखें)

अनुमानित शिक्षण परिणाम

ध्यानात्मक/जानकारी संबंधी:

क) भारतीय आपदा परिदृश्य के बारे में भागीदारों की जानकारी बढ़ाना।

क्षमता/कुशलता संबंधी:

क) देश में आपदा संभावित क्षेत्र निर्धारित करने और संस्थाओं तथा कार्रवाई नेटवर्कों के साथ कार्य करने की योग्यता

उप–प्रसंग/मुख्य शिक्षण बिंदु

क) इतिहास तथा मौजूदा स्थिति;

ख) हाल की बड़ी आपदाएं; एक विहंगावलोकन

ग) भारत में बहु–खतरा क्षेत्र;

घ) भारत में आपदा प्रबंधन नीति;

ड.) भारत में आपदा प्रबंधन पद्धतियां;

च) परंपरागत बदलाव, महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य तथा वैकल्पिक दृष्टिकोण;

छ) आपदा प्रबंधन संरचनाएं तथा संस्थाएं;

ज) आपदा प्रबंधन कार्य योजनाएं तथा मार्गदर्शी सिद्धांत;

झ) हितधारक समन्वय, संपर्क कड़ियां (लिंकेज) एवं नेटवर्किंग; और

त) राज्य तथा नागरिक समाज की कार्रवाइयां;

पूरक शिक्षण सहायता सामग्री

आपदा प्रबंधन पद्धतियों पर हैंडआउट

अतिरिक्त अध्ययन/संदर्भ

क) आपदा विकास, खंड–1 का अध्याय–1, पृष्ठ सं. 1–13, ***राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान का समाचार–पत्र (जर्नल)***, एनडीएमए, भारत सरकार का प्रकाशन

ख) ***सीबीडीएम, एक सूचनापरक गाइड, वी.ए.एन.आई,*** नई दिल्ली

मददगार के लिए टिप्पणी

क) देश में असुरक्षितता तथा बहु जोखिम संभावित क्षेत्रों के संबंध में मानचित्र एवं चार्टों का प्रयोग करें; और

ख) सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए पहले से ही हैंडआउट वितरित करें।

2.2 संस्थागत और कानूनी व्यवस्थाएं

2.2.1 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति में राष्ट्रीय, राज्य, जिला और स्थानीय स्तरों पर संस्थागत तंत्र निर्दिष्ट

किए गए हैं। यद्यपि, ये संस्थाएं विभिन्न स्तरों पर गठित हैं, तथापि ये गहन समन्वय से कार्य करेंगी। नई संस्थागत रूपरेखाओं से आपदा प्रबंधन में एक आदर्श बदलाव आने की संभावना है जिससे राहत केंद्रित दृष्टिकोण के स्थान पर सक्रिय प्रणाली स्थापित होगी जिसमें तैयारी, निवारण और प्रशमन पर अधिक बल दिया गया है। जिन राज्यों ने अपने यहां पहले से उपयुक्त संस्थागत तंत्र जैसे : राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण स्थापित नहीं किए हैं, उनको इस दिशा में शीघ्र आवश्यक कदम उठाने होंगे।

2.3 आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत संस्थागत रूपरेखा

2.3.1 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए)

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जो आपदा प्रबंधन का एक शीर्ष निकाय है, के अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं तथा यह आपदा प्रबंधन के लिए नीतियां, योजनाएं और दिशानिर्देश निर्धारित करने, आपदाएं आने पर सामयिक और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए इनके प्रवर्तन और कार्यान्वयन को समन्वित करने के लिए उत्तरदायी है। इन दिशानिर्देशों से केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों और राज्यों को अपनी संबंधित आपदा योजनाएं तैयार करने में सहायता मिलेगी। यह राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना और केंद्रीय मंत्रालयों /विभागों की आपदा प्रबंधन योजनाओं को अनुमोदित करेगा। यह प्राधिकरण अन्य ऐसे उपाय करेगा जो यह खतरनाक आपदा की स्थिति अथवा आपदा से निबटने के लिए आपदाओं के निवारण या प्रशमन अथवा तैयारी और क्षमता निर्माण के लिए आवश्यक समझे। केंद्रीय मंत्रालय/विभाग और राज्य सरकारें इसके अधिदेश को पूरा करने में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को आवश्यक सहयोग और सहायता प्रदान करेंगी। यह प्रशमन और तैयारी के उपायों के लिए निधियों के प्रावधान और उपयोग की निगरानी करेगा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को खतरनाक आपदा की स्थिति अथवा आपदा के समय बचाव और राहत हेतु प्रावधानों अथवा सामग्रियों के आपात प्रापण करने के लिए संबंधित विभागों अथवा प्राधिकरणों को प्राधिकृत करने के लिए शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल (एनडीआरएफ) का सामान्य अधीक्षण, संचालन और नियंत्रण राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में निहित हैं तथा इनका प्रयोग उसी के द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित व्यापक नीतियों और दिशानिर्देशों के दायरे के भीतर कार्य करता है और इसका शासी निकाय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में कार्य करता है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सभी प्रकार की प्राकृतिक अथवा मानव जनित आपदाओं से निबटने के लिए अधिदेशित है जबकि आतंकवाद (विद्रोह–रोधी), कानून और व्यवस्था की स्थितियों, लगातार (सीरियल) बम विस्फोट, विमान अपहरण, हवाई दुर्घटनाएं और रासायनिक, जैविक, विकिरणकीय और नाभिकीय (सीबीआरएन) हथियार प्रणालियों, खान आपदाओं, पत्तन और बंदरगाह पर उत्पन्न होने वाली आपात स्थितियों, वन में लगी आग, तेल क्षेत्र में लगी आग तथा

तेल के फैलने जैसी स्थितियों जिनमें सुरक्षा बलों और/अथवा आसूचना एजेंसियों की गहन भागीदारी अपेक्षित होती है, सहित ऐसी अन्य आपात स्थितियों से मौजूदा तंत्र अर्थात् राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति (एनसीएमसी) द्वारा निपटाया जाना जारी रहेगा।

तथापि, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण रासायनिक, जैविक, विकिरणकीय और नाभिकीय सीबीआरएन आपात स्थितियों के संबंध में दिशानिर्देश तैयार करेगा और प्रशिक्षण तथा तैयारी गतिविधियों में सहायता प्रदान करेगा। प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाओं के लिए चिकित्सा तैयारी, साइको–सोशल केयर एंड ट्रामा समुदाय आधारित आपदा तैयारी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, प्रशिक्षण, तैयारी, जागरूकता सृजन आदि जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और संबंधित हितधारकों द्वारा ध्यान दिया जाएगा। सभी स्तरों पर आपदा प्रबंधन प्राधिकारियों, जो आपात स्थिति में सहयोगात्मक कार्य करने में समर्थ हैं, के पास उपलब्ध संसाधन आसन्न आपदाओं/ऐसी आपदाओं के समय आपात स्थितियों से निपटने वाले नोडल मंत्रालयों/एजेंसियों को उपलब्ध कराए जाएंगे।

2.3.2 राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (एनईसी)

राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के अध्यक्ष केंद्रीय गृह सचिव हैं तथा इसमें कृषि, परमाणु ऊर्जा, रक्षा, पेय जल आपूर्ति पर्यावरण और वन, वित्त (व्यय), स्वास्थ्य, विद्युत, ग्रामीण विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिक, अंतरिक्ष, दूरसंचार, शहरी विकास, जल संसाधन मंत्रालयों/विभागों में भारत सरकार के सचिव तथा एकीकृत रक्षा स्टाफ़ प्रमुख समिति के प्रमुख सदस्यों के रूप में शामिल हैं। राष्ट्रीय कार्यकारी समिति की बैठकों में विदेश, पृथ्वी विज्ञान, मानव संसाधन विकास, खान, नौवहन, सड़क परिवहन एवं राजमार्गों के सचिव तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के सचिव बैठकों में विशेष रूप से आमंत्रित होते हैं।

राष्ट्रीय कार्यकारी समिति राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की कार्यकारी समिति है तथा यह राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कार्य में उसकी सहायता करने हेतु अधिदेशित है और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए निदेशों का अनुपालन भी सुनिश्चित करती है। राष्ट्रीय कार्यकारी समिति खतरनाक आपदा की कोई स्थिति पैदा होने पर अथवा आपदा आने पर कार्रवाई का समन्वय करती है। राष्ट्रीय कार्यकारी समिति राष्ट्रीय आपदा संबंधी राष्ट्रीय नीति के आधार पर आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय योजना तैयार करेगी। राष्ट्रीय कार्यकारी समिति राष्ट्रीय प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन की निगरानी करेगी। यह राष्ट्रीय प्रबंधन प्राधिकरण के परामर्श से केंद्रीय सरकार द्वारा यथानिर्धारित अन्य कार्यों का भी निर्वहन करेगी।

2.3.3. राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए)

राज्य स्तर पर, संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली, जहां उपराज्यपाल अध्यक्ष हैं और मुख्यमंत्री उपाध्यक्ष हैं, को छोड़कर संबंधित मुख्यमंत्रियों की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए) राज्य में आपदा प्रबंधन के लिए नीतियां और योजनाएं निर्धारित करेगा। यह प्राधिकरण अन्य

बातों के साथ–साथ राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य योजना को अनुमोदित करेगा। राज्य योजना के कार्यान्वयन का समन्वय करेगा, प्रशमन और तैयारी उपायों के लिए निधियों के प्रावधान की सिफारिश करेगा और निवारण, तैयारी उपायों के लिए प्रावधान की सिफारिश करेगा और निवारण, तैयारी और प्रशमन उपायों का एकीकरण सुनिश्चित करने के लिए राज्य के विभिन्न विभागों की विकासात्मक योजनाओं की समीक्षा करेगा।

राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कार्यों में उसकी सहायता करने के लिए प्रत्येक राज्य सरकार एक राज्य कार्यकारी समिति का गठन करेगी। राज्य कार्यकारी समिति के अध्यक्ष राज्य सरकार के मुख्य सचिव (सीएस) होंगे और यह राष्ट्रीय नीति, राष्ट्रीय योजना और राज्य योजना के कार्यान्वयन का समन्वय और निगरानी करेगी। राज्य कार्यकारी समिति आपदा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं के बारे में राज्य राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को सूचना भी उपलब्ध कराएगी।

2.3.4 जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए)

प्रत्येक जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष संबंधित जिला मजिस्ट्रेट, जिला कलक्टर(डीसी), उपायुक्त, जैसा भी मामला हो, होंगे तथा स्थानीय प्राधिकारी के चयनित सदस्य सह–अध्यक्ष के रूप में होंगे। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए योजना, समन्वय और कार्यान्वयन निकाय के रूप में कार्य करेगा तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार आपदा प्रबंधन के प्रयोजन के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगा। यह प्राधिकरण अन्य बातों के साथ–साथ जिले के लिए आपदा प्रबंधन योजना तैयार करेगा और राष्ट्रीय नीति, राष्ट्रीय योजना और अपने जिले की राज्य योजना के कार्यान्वयन की निगरानी करेगा। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यह भी सुनिश्चित करेगा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित निवारण, प्रशमन, तैयारी और कार्रवाई उपायों संबंधी दिशानिर्देशों का जिला स्तर पर राज्य सरकार के सभी विभागों और जिले में स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा पालन किया जाता है।

2.3.5 स्थानीय प्राधिकारी

संविधान के 75वें एवं 76वें संशोधन से स्थानीय सरकारों–शहरी स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के लिए तात्कालिक चिंता के विषयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ है। हालांकि, कुछेक सूचीबद्ध मदें जैसे : समाज, स्वास्थ्य, कल्याण समुदाय परिसंपत्तियों का रख–रखाव आदि से अप्रत्यक्ष रूप से आपदा प्रभाव कम हो सकते हैं, तथापि, प्राकृतिक आपदा को कम करने के लिए और अधिक प्रत्यक्ष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। स्थानीय निकाय सामान्य व्यक्तियों के साथ आधारभूत संपर्क होने के कारण जागरूकता पैदा करने की प्रक्रिया और आपदा प्रशमन गतिविधियों में सक्रिय व्यक्तियों की सहभागिता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण

योगदान दे सकती हैं। ये गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ) तथा अन्य एजेंसियों, जो राहत, पुनर्बहाली और पुनर्निर्माण से लेकर प्रशमन एवं रोकथाम की योजना के लिए कार्यक्रम चलाती हैं, के लिए आदर्श माध्यम हैं। जागरूकता पैदा करने तथा जानकारी देने वाले कार्यक्रम आयोजित किए जाने की आवश्यकता है ताकि ये संस्थाएं आपदाओं से बेहतर ढंग से निपटने के लिए तैयार रहें।

2.3.6 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम)

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान अन्य अनुसंधान संस्थाओं के साथ भागीदारी से प्रशिक्षण, अनुसंधान, प्रलेखन और राष्ट्रीय स्तर की सूचना के आधार के विकास सहित क्षमता विकास की अपनी प्रमुख जिम्मेदारी का निर्वहन करता है। यह अन्य ज्ञान आधारित संस्थाओं के साथ संपर्क करेगा और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा यथानिर्धारित व्यापक नीतियों और दिशानिर्देशों के अनुसार कार्य करेगा। यह प्रशिक्षकों, आपदा प्रबंधन अधिकारियों और अन्य हितधारकों के लिए प्रशिक्षण आयोजित करेगा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में "उत्कृष्ट केंद्र" के रूप में उभरने का प्रयास करेगा।

2.3.7 राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल (एनडीआरएफ)

किसी खतरनाक आपदा की स्थिति अथवा रासायनिक, जैविक, विकिरणकीय एवं नाभिकीय (सीबीआरएन) मूल की आपदा जैसी प्राकृतिक एवं मानव जनित दोनों प्रकार की आपदाओं/आपातस्थितियों में विशिष्ट कार्रवाई करने के उपाय से इस अधिनियम में एक राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल (एनडीआरएफ) के गठन का अधिदेश दिया गया है। इस बल का सामान्य अधीक्षण, संचालन तथा नियंत्रण एनडीएमए में निहित होगा तथा इसके द्वारा निष्पादित किया जाएगा और इस बल की कमान तथा पर्यवेक्षण केंद्रीय सरकार द्वारा नागरिक सुरक्षा (सिविल डिफेंस) तथा राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने वाले एक अधिकारी के अधीन होगी। इस समय राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल (एनडीआरएफ) में दस बटालियनें शामिल हैं। दो अतिरिक्त बटालियनों की मंजूरी भारत सरकार द्वारा की गई है और गठित किए जाने की प्रक्रिया में है। इन बटालियनों को महत्वपूर्ण स्थानों पर स्थापित किया गया है और उनको अपेक्षा के अनुसार सक्रिय रूप से तैनात किया जाएगा। राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल की यूनिटें नामित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ बराबर संपर्क बनाए रखेंगी और किसी गंभीर खतरे वाली आपदा की स्थिति के समय उनके लिए उपलब्ध होंगी। हालांकि, प्राकृतिक आपदाओं का संचालन सभी एनडीआरएफ बटालियनों के पास होगा, तथापि चार बटालियनों को रासायनिक, जैविक, विकिरणकीय संबंधी एवं नाभिकीय आपातस्थितियों से उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों से निपटने के लिए उपस्करों से सज्जित एवं प्रशिक्षित किया गया है। भविष्य में, सीबीआरएन कार्रवाई के लिए बाकी बटालियनों को प्रशिक्षित करने की भी योजना मौजूद है। एनडीआरएफ की यूनिटें राज्य सरकार द्वारा अपने संबंधित स्थानों

पर निर्धारित किए गए सभी हितधारकों को मूल प्रशिक्षण भी प्रदान करेंगी। इसके अतिरिक्त, आपदा प्रबंधन में प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देने व संबंधित राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय वचनबद्धताओं को पूरा करने के लिए एक राष्ट्रीय अकादमी स्थापित की जाएगी।

2.3.8 राज्य आपदा कार्रवाई दल (एसडीआरएफ)

राज्यों को अपने मौजूदा संसाधनों में से ही कार्रवाई क्षमताओं का निर्माण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। आरंभ में प्रत्येक राज्य यदि आकार में छोटे हों, तो कुछ छोटी टोलियों और बड़े राज्यों में एक बटालियन के समतुल्य बल को उपस्करों से सज्जित करने एवं प्रशिक्षित करने का लक्ष्य बनाए। महिलाओं और बच्चों की आवश्यकता की देख–रेख के लिए वे महिला सदस्यों को भी इसमें शामिल करें। एनडीआरएफ बटालियनें तथा उनकी प्रशिक्षण संस्थाएं इस प्रयास में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता करेंगे। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अपने पुलिस प्रशिक्षण कालेजों में आपदा प्रबंधन संबंधी प्रशिक्षण तथा राजपत्रित एवं अराजपत्रित पुलिस अधिकारियों के लिए मूल एवं सेवाकालीन पाठयक्रमों को शामिल किए जाने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा।

2.3.9 आपदा प्रशमन रिज़र्व

पिछले दशक में घटित प्रमुख आपदाओं के अनुभव ने कुछ अधिक ऊँचाई वाले क्षेत्रों सहित संवेदनशील स्थानों पर आवश्यक रिज़र्व बल की पूर्व–तैनाती की आवश्यकता को स्पष्ट रूप से सिद्ध कर दिया है। ये रिज़र्व राज्य स्तर पर संसाधनों को बढ़ाने के लिए बनाए गए हैं। प्रशमन रिज़र्व को किसी आपदा अथवा आपदा जैसी स्थिति के दौरान राज्य सरकारों के सहायतार्थ, उनकी संकटकालीन कार्रवाई क्षमताओं को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल के नियंत्रणाधीन रखा जाएगा।

2.4 मौजूदा संस्थागत व्यवस्थाएं

2.4.1 प्राकृतिक विपत्ति प्रबंधन संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीएमएनसी) तथा सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीएस)

प्राकृतिक विपत्ति प्रबंधन से संबंधित सभी पहलुओं का निरीक्षण करने, जिसमें स्थिति का आकलन करना तथा इसके प्रभाव को कम करने के लिए आवश्यक समझे गए उपायों एवं कार्यक्रमों को तय करना, इस प्रकार की विपत्तियों को मॉनीटर करना तथा इनके निवारण के लिए दीर्घावधिक उपाय सुझाना तथा इनके प्रति समाज की प्रतिरोधी क्षमता (समुत्थानशीलता) विकसित करने के लिए जन–जागरूकता कार्यक्रम तैयार करना और उनकी सिफारिश करना शामिल है, के लिए सीसीएमएनसी का गठन किया गया था। सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीएस), देश की सुरक्षा, कानून और व्यवस्था तथा आंतरिक सुरक्षा, विदेशी मामलों से संबंधित नीतिगत मामलों, जिनका तात्पर्य आंतरिक अथवा बाहरी सुरक्षा से होता है, राष्ट्रीय सुरक्षा का उल्लंघन करने वाले आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों को देखती है।

2.4.2 उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी)

गंभीर स्वरूप की विपत्तियों के मामले में, उसके कारण हुए नुकसान तथा अपेक्षित राहत सहायता की राशि के आकलन के लिए अंतर–मंत्रालयी टीमों (आईएमजी) को राज्यों में भेजा जाता है। केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में अंतर–मंत्रालयी समूह, केंद्रीय टीमों द्वारा किए गए मूल्यांकन की समीक्षा करता है तथा राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि (एनसीसीएफ) से राज्यों को प्रदान की जाने वाली सहायता राशि की मात्रा की सिफारिश करता है। तथापि, सूखा, ओला–वृष्टि तथा कीटों के हमले के संबंध में अंतर–मंत्रालयी समूह द्वारा नुकसानों का आकलन सचिव, कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय की अध्यक्षता में ही जारी रहेगा। अंतर–मंत्रालयी समूह की सिफारिशों पर विचार किया जाता है और उनके आधार पर प्रभावित राज्यों को प्रदान की जाने वाली केंद्रीय सहायता उच्च स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित की जाती है। इस समिति के अध्यक्ष के रूप में वित्त मंत्री तथा सदस्यों के रूप में गृह मंत्री, कृषि मंत्री तथा योजना आयोग के उपाध्यक्ष शामिल हैं। उच्च स्तरीय समिति का संघटन एवं संयोजन समय–समय पर भिन्न–भिन्न हो सकता है। समिति में एनडीएमए के उपाध्यक्ष उच्च स्तरीय समिति में विशेष रूप से आमंत्रित होंगे।

2.4.3 केंद्र सरकार

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के उपबंधों के अनुसार, केंद्र सरकार ऐसे सभी उपाय करेगी, जो यह आपदा प्रबंधन के प्रयोजनार्थ, आवश्यक अथवा उचित समझती है तथा सभी एजेंसियों के कार्य का समन्वय करेगी। केंद्रीय मंत्रालय और विभाग विभिन्न आपदा–पूर्व आवश्यकताओं तथा आपदा के निवारण और प्रशमन के लिए उपायों पर निर्णय लेते समय, राज्य सरकार के विभागों की सिफारिशों को ध्यान में रखेंगे। इससे यह सुनिश्चित होगा कि केंद्रीय मंत्रालय और विभाग अपनी विकास संबंधी योजनाओं और परियोजनाओं में आपदाओं के निवारण और प्रशमन के लिए उपायों को शामिल करते हैं, आपदा–पूर्व आवश्यकताओं हेतु निधियों का समुचित आबंटन करते हैं तथा किसी आपदा की स्थिति अथवा इससे प्रभावी रूप से निपटने के लिए तैयारी एवं आवश्यक उपाय करते हैं। आपदा प्रबंधन को सुकर बनाने अथवा इसमें सहायता करने के लिए राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (एनईसी), राज्य सरकारों/एसडीएमए, एसईसी अथवा इनके किसी अधिकारी या कर्मचारी को निर्देश जारी करने की शक्ति केंद्र सरकार के पास होगी और ये निकाय एवं अधिकारी इन निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होंगे। केंद्र सरकार, राज्य सरकारों को उनके द्वारा यथापेक्षित, अथवा अन्यथा इसके द्वारा उचित समझी गई, सहायता और सहयोग प्रदान करेगी। यदि जरूरी हो, तो आपदा प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार सशस्त्र बलों की तैनाती के उपाय करेगी। सशस्त्र बलों की भूमिका सिविल प्राधिकरणों को सहायता 1970 के अनुदेशों में निर्दिष्ट अनुदेशों द्वारा नियंत्रित की जाएगी। केंद्र सरकार आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसियों, अंतरराष्ट्रीय संगठनों तथा विदेशी सरकारों के साथ समन्वय को सुकर बनाएगी। विदेश मंत्रालय गृह मंत्रालय

के साथ मिलकर विदेशी समन्वय/सहयोग को सुकर बनाएगा।

2.4.4 केंद्रीय मंत्रालयों एवं विभागों की भूमिका

चूंकि, आपदा प्रबंधन एक बहु–आयामी प्रक्रिया है, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सभी केंद्रीय मंत्रालयों एवं विभागों की मुख्य भूमिका होगी। भारत सरकार के नोडल मंत्रालयों और विभागों अर्थात् गृह, कृषि, नागरिक उड्डयन, पर्यावरण एवं वन, स्वास्थ्य, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, भू–विज्ञान, जल संसाधन, खान, गृह, रेल, आदि सभी मंत्रालय एनईसी के सदस्य हैं और ये मंत्रालय अपनी प्रमुख क्षमताओं पर आधारित विशिष्ट आपदाओं के निराकरण से संबंधित कार्य अथवा जो कार्य उन्हें सौंपा गया है, उसके लिए नोडल एजेंसी के रूप में काम करना जारी रखेंगे।

2.4.5 राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति (एनसीएमसी)

एनसीएमसी, जिसमें मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में भारत सरकार के उच्च स्तर के अधिकारी शामिल हैं, गंभीर परिणामों वाले प्रमुख संकटों से निपटने का काम करती रहेगी। केंद्रीय नोडल मंत्रालयों के संकट प्रबंधन दल (सीएमजी) द्वारा इसकी मदद की जाएगी और जब भी आवश्यकता होगी, एनईसी इसकी सहायता करेगी। सचिव, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) इस समिति में स्थायी आमंत्रित रहेंगे।

2.4.6 राज्य सरकारें

आपदा प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्यों की है। केंद्र, राज्य तथा जिला स्तरों पर बनाया गया संस्थागत तंत्र आपदाओं के प्रभावी तरीके से प्रबंधन में राज्यों की सहायता करेगा।

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 राज्यों की सरकारों को अन्य बातों के साथ–साथ आपदा प्रबंधन योजनाओं को तैयार करने के उपाय करने, राज्य की विकास योजनाओं में आपदाओं के निवारण अथवा प्रशमन के उपायों को शामिल करने, निधियों के आबंटन, शीघ्र चेतावनी प्रणालियों को स्थापित करने, आपदा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं में केंद्र सरकार तथा अन्य एजेंसियों की सहायता करने का अधिदेश देता है।

2.4.7 जिला प्रशासन

जिला स्तर पर, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) आपदा प्रबंधन के लिए जिला योजना, समन्वयन तथा कार्यान्वयन निकाय के रूप में कार्य करेंगे और एनडीएमए एवं संबंधित एसडीएमए द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार जिले में आपदा प्रबंधन के प्रयोजनों के लिए सभी उपाय करेंगे।

2.4.8 एक से अधिक राज्यों को प्रभावित करने वाली आपदाओं का प्रबंधन

कई बार, एक राज्य में आने वाली आपदाओं का प्रभाव पास के अन्य राज्यों के क्षेत्रों में भी हो जाता है। इसी तरह, बाढ़ आदि जैसी कुछ आपदाओं के संबंध में निवारक उपाय एक

राज्य में किए जाने अपेक्षित हो सकते हैं, फिर भी इनके घटित होने से इनका प्रभाव दूसरे राज्यों में हो सकता है। देश का प्रशासनिक अनुक्रम (हाइअॅराकि) राष्ट्रीय, राज्य तथा जिला स्तर के प्रशासनों में संगठित है। इससे एक से अधिक राज्यों को प्रभावित करने वाली आपदाओं के संबंध में कुछ कठिनाइयां पेश आती हैं। ऐसी स्थितियों के प्रबंधन के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है जिससे सामान्य रूप से स्वयं ही सामने आने वाले घटना से पूर्व, घटना के दौरान तथा घटना के बाद के मुद्दों से बिल्कुल भिन्न कई मुद्दों से निपटा जा सकता है। एनडीएमए ऐसी स्थितियों की पहचान करने के काम को प्रोत्साहन देगा तथा संबंधित राज्यों एवं केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों और अन्य एजेंसियों द्वारा उनसे निपटने के लिए समन्वित रणनीतियां बनाने हेतु परस्पर सहायता करार (म्युचुअल ऐड एग्रीमेंट) की प्रक्रिया के अनुसार तंत्रों की स्थापना को बढ़ावा देगा।

2.5 अन्य महत्वपूर्ण संस्थागत व्यवस्थाएं

2.5.1 सशस्त्र बल

पारंपरिक रूप से, सशस्त्र बलों को नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए केवल तभी बुलाया जाता है, जब स्थिति, मुकाबला करने की उनकी सामर्थ्य से बाहर हो जाती है। तथापि, व्यवहार में, सशस्त्र बल सरकार की जवाबी कार्रवाई क्षमता का एक महत्वपूर्ण भाग बनते हैं तथा सभी गंभीर आपदा की स्थितियों में तत्काल कार्रवाई करते हैं। किसी भी विपत्तिकारक चुनौती का सामना करने की उनकी अपार क्षमता, प्रचालनात्मक कार्रवाई की गति तथा उनके नियंत्रणाधीन संसाधनों और क्षमताओं, के परिणामस्वरूप, सुरक्षा बलों ने आपातकालीन सहायता कार्य में ऐतिहासिक रूप से प्रमुख भूमिका निभाई है। इन कार्यों में संचार, खोज एवं बचाव कार्य, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाएं तथा विशेषकर आपदा के तत्काल बाद लाना–ले जाना शामिल है।

हवाई जहाज तथा हेलीकॉप्टर से लाने–ले जाने तथा पड़ोसी देशों में सहायता पहुंचाने का काम प्रथमतः सशस्त्र बलों की सुविज्ञता एवं अधिकार–क्षेत्र में आता है। सशस्त्र बल विशेष रूप से सी बी आर एन पहलुओं, हेली–इन्सर्शन, अधिक ऊँचाई वाले क्षेत्रों में बचाव कार्य, वाटरमैनशिप तथा परा चिकित्सा क्षेत्र में प्रशिक्षकों और आपदा प्रबंधन के प्रबंधकों को प्रशिक्षण प्रदान करने में सहभागी होते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत रक्षा स्टाफ के मुखिया तथा स्टाफ प्रमुखों की समिति के अध्यक्ष को पहले ही एनईसी में शामिल किया गया है। इसी प्रकार, राज्य तथा जिला स्तरों पर सशस्त्र बलों के स्थानीय प्रतिनिधियों को उनकी कार्यकारी समितियों में शामिल किया जाए ताकि अधिक गहन समन्वय तथा समयबद्धता सुनिश्चित हो सके।

2.5.2 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ)

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, जो संघ के सशस्त्र बल भी हैं, आपदाओं के दौरान तत्काल कार्रवाई के समय मुख्य भूमिका अदा करते हैं। एनडीआरएफ को सहयोग देने के अतिरिक्त, वे अपने ही बलों

में पर्याप्त आपदा प्रबंधन क्षमता विकसित करेंगे तथा उन क्षेत्रों, जहां वे तैनात हैं, में घटित होने वाली आपदा के प्रति कार्रवाई करेंगे। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के स्थानीय प्रतिनिधियों को राज्य एवं जिला स्तर पर कार्यकारी समिति में शामिल या आमंत्रित किया जाएगा।

2.5.3 राज्य पुलिस बल, अग्निशमन सेवाएं तथा होम गार्ड्स

राज्य पुलिस बल, अग्निशमन एवं आपात सेवाएं तथा होम गार्ड्स महत्वपूर्ण हैं और आपदाओं में तत्काल कार्रवाई करते हैं। बहु–जोखिम बचाव क्षमता प्राप्त करने के लिए पुलिस बलों को प्रशिक्षित किया जाएगा तथा अग्निशमन सेवाओं का उन्नयन किया जाएगा। होम गार्ड्स स्वयंसेवकों को आपदा तैयारी, आपातकालीन कार्रवाई, समुदाय को आपदा से निपटने हेतु तैयार करने आदि में प्रशिक्षित किया जाएगा। राज्य सरकारें क्षमता निर्माण तथा उनके बलों के सुग्राहीकरण के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) की सहायता ले सकती हैं।

2.5.4 नागरिक सुरक्षा (सीडी)

नागरिक सुरक्षा तथा होम गार्ड्स के अधिदेश को पुनः परिभाषित किया गया है ताकि आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में इस संगठन को प्रभावकारी भूमिका सौंपी जा सके। सामुदायिक तैयारी तथा जन–जागरूकता के लिए उनको तैनात किया जाएगा। किसी आपदा के आने पर स्वैच्छिक रूप से ड्यूटी स्थानों पर रिपोर्ट करने की संस्कृति को बढ़ावा दिया जाएगा।

प्रत्येक जिले में गठित उपयुक्त नागरिक सुरक्षा (सीडी) सेटअप आपदा कार्रवाई के लिए वरदान होगा क्योंकि किसी भी आपदा में पड़ोसी समुदाय हमेशा सबसे पहले कार्रवाई में मदद करने वाला होता है। सीडी को जिला केंद्रित बनाने तथा आपदा कार्रवाई में शामिल करने के प्रस्ताव को भारत सरकार द्वारा पहले से अनुमोदित कर दिया गया है। इसका चरणबद्ध कार्यान्वयन भी आरंभ हो चुका है। पहले चरण में नागरिक सुरक्षा संगठन को पुनर्गठित करने के लिए चुने गए जिलों की सूची अनुबंध xv में दी गई है। राज्य सरकारें अपने–अपने जिलों में उनका परिचालन सुनिश्चित करेंगी।

2.6 राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा महाविद्यालय (एनसीडीसी)

देश में आपदा राहत एवं प्रबंधन के लिए मानव संसाधन को तैयार करने के लिए पूर्ववर्ती आपातकालीन राहत (ईआर) स्कीम के भाग के रूप में गृह मंत्रालय के अधीनस्थ प्रशिक्षण प्रतिष्ठान के रूप में इस संस्थान की स्थापना (पूर्ववर्ती केंद्रीय आपात राहत प्रशिक्षण संस्थान) 1957 में नागपुर में हुई थी। महाविद्यालय नागरिक सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन में विभिन्न प्रशिक्षण पाठयक्रम आयोजित करता है। हाल में, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने एनसीडीसी,नागपुर को रासायनिक आपदा के लिए एक शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान के रूप में चिह्नित किया है। यूएसए के फेडरल डिजॉस्टर एजेंसी कार्यालय ने यूएसएआईडी तथा एडीपीसी, बैंकॉक, थाईलैंड के सहयोग से एनसीडीसी, नागपुर को भी खोज एवं बचाव (एसएआर) के लिए भारत में एक उन्नत प्रशिक्षण संस्थान के रूप में चयनित किया है।

2.7 गैर–सरकारी संगठन (एनजीओ)

गैर–सरकारी संगठन (एनजीओ) आपदा तैयारी एवं संबंधित कार्रवाई करने के क्षेत्र में सक्रिय अनेक अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय गैर–सरकारी संगठनों के साथ मिलकर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आपात तैयारी, कार्रवाई एवं राष्ट्रीय, राज्य एवं जिला सरकारों के साथ और सुविधाजनक समन्वय स्थापित करने के लिए एनजीओ समन्वित तरीके से कार्रवाई करें, इस उद्देश्य से सरकार के साथ मिलकर आपातकालीन राहत प्रयासों के लिए केंद्रीय गैर–सरकारी संगठन (एनजीओ) समन्वयन समिति गठित करने की आवश्यकता है।

2.8 राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी), राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) और नेहरू युवा केंद्र संगठन (एनवाईकेएस) की भूमिका

सभी समुदाय आधारित प्रयास कार्यों में सहायता करने के लिए इन युवा आधारित संगठनों की क्षमता को इष्टतम बनाया जाएगा और आपदा प्रबंधन संबंधी प्रशिक्षण को उनके कार्यक्रमों में शामिल किया जाएगा।

खंड–3

आपदा और प्रबंधन : मुद्दे एवं चुनौतियां

विषय–वस्तु

3.1 आपदा प्रबंधन : प्रक्रियाएं, सिद्धांत और परिप्रेक्ष्य 33

3.2 समुदाय आधारित आपदा तैयारी (सीबीडीपी) 38

3.3 आपदा जानकारी, संचार और जन–संचार माध्यम 43

पूरक शिक्षण सहायता सामग्री

* आपदा प्रबंधन के अवयवों पर जानकारी–सामग्री (हैंडआउट), *पृ॰ 35*
* आपदा प्रबंधन चक्र पर स्लाइड, *पृ॰ 36*
* कार्यकलाप : आपात स्थिति, *पृ॰ 37*
* पारंपरिक दृष्टिकोण बनाम समुदाय आधारित आपदा संबंधित दृष्टिकोण पर स्लाइड, *पृ॰ 41*

सुरक्षित समुदाय
सुदृढ़ देश

* समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन के लक्षणों पर स्लाइड, *पृ॰ 42*
* आपदा संचार के लिए दिशानिर्देश पर स्लाइड, *पृ॰ 45*

3.1 विषय/प्रसंग :

आपदा प्रबंधन : प्रक्रियाएं, सिद्धांत और परिप्रेक्ष्य

भाग–I

परिचय एवं विहंगावलोकन

यह एकक आपदा प्रबंधन को व्यावहारिक विज्ञान के रूप में परिभाषित करता है और इसके विभिन्न दृष्टिकोणों अर्थात् **राहत एवं प्रशमन के आदर्श, आपदाओं के अवलोकन तथा विश्लेषण, खतरा प्रवण क्षेत्रों की पहचान, भौतिक असुरक्षितता के नमूनों, आपदा प्रबंधन के वैकल्पिक दृष्टिकोणों, विकास आदर्श, जोखिम न्यूनीकरण आदर्श उपाय, खतरों से निपटने के लिए संगठनात्मक क्षमता का निर्माण, ज्ञान एवं कौशल आदि में सुधार आदि को प्रस्तुत करता है।**

भारतीय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 में आपदा प्रबंधन को योजना, संचालन, समन्वय और कार्यान्वयन उपायों, जो निम्नलिखित के लिए आवश्यक अथवा समीचीन हैं, की सतत् और एकीकृत प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है :

क) किसी आपदा के खतरे अथवा आशंका की रोकथाम;

ख) किसी आपदा के जोखिम अथवा इसकी मारक–क्षमता अथवा परिणामों का प्रशमन अथवा न्यूनीकरण;

ग) क्षमता निर्माण;

घ) किसी आपदा से निपटने के लिए तैयारी;

ड.) किसी खतरनाक आपदा की स्थिति के लिए अथवा आपदा आने पर त्वरित कार्रवाई।

च) किसी आपदा की मारक–क्षमता अथवा इसके प्रभावों के परिणाम का आकलन, आपदा में फंसे हुए लोगों को बाहर निकालना, बचाव एवं राहत; और

छ) पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्य

उद्देश्य

प्रशिक्षुओं को आपदा प्रबंधन के सिद्धांतों तथा प्रक्रियाओं के साथ योजना के महत्व से अद्यतन कराना।

तरीके

मददगार/संसाधन उपलब्धकर्ता (रिसोर्स पर्सन) द्वारा प्रस्तुतीकरण और उसके बाद बातचीत, परिचर्चा, प्रश्न–उत्तर, समूह कार्य।

खंड 3

सामग्री/सीखने के लिए सहायक जानकारी

श्वेत/श्याम–पट्ट (वाइट/ब्लैक बोर्ड), पोस्टर एवं स्लाइड्स

सत्र अवधि

दो सत्र (विवरण के लिए पृष्ठ सं. 9 देखें)

अनुमानित शिक्षण परिणाम

ध्यानात्मक/जानकारी संबंधी :

क) व्यावहारिक विज्ञान के रूप में आपदा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं के बारे में बढ़ी हुई/जानकारी।

क्षमता/कुशलता संबंधी :

क) खतरों तथा असुरक्षितताओं का विश्लेषण एवं उनकी पहचान करने की योग्यता;

ख) प्रभावी आपदा प्रबंधन के लिए वैकल्पिक दृष्टिकोणों तथा रणनीतियों को लागू करना; तथा

ग) आपदा प्रबंधन तथा उसकी तीव्रता को कम करने के लिए संगठनात्मक क्षमता को मजबूत बनाना।

उप–प्रसंग/मुख्य शिक्षण बिंदु/विषय

क) परिचय : आपदा प्रबंधन क्या है ?;

ख) आपदा प्रबंधन दृष्टिकोण; प्रमुख दृष्टिकोण तथा वैकल्पिक दृष्टिकोण;

ग) निवारण, प्रशमन, तैयारी, आपात स्थिति में कार्रवाई और पुनर्बहाली से संबंधित उपायों को बेहतर बनाने के लिए आपदाओं का सुव्यवस्थित अवलोकन एवं विश्लेषण;

घ) पुनर्वास : सामाजिक पुनर्वास, आर्थिक पुनर्वास और मनोवैज्ञानिक पुनर्वास;

ड.) खोज एवं बचाव के एक भाग के रूप में;

च) आपदा प्रबंधन चक्र और अवयव अर्थात् कार्रवाई, पुनर्बहाली, जोखिम न्यूनीकरण, तैयारी ; और

छ) आपदा कार्रवाई, आवश्यकता के आकलन, प्रथमोपचार, आपातकालीन खाद्यान्न, दवाइयों तथा जल आपूर्ति और पारिवारिक संबंधों को दोबारा जोड़ने के संबंध में और अधिक प्रकाश डालना;

पूरक शिक्षण सहायता सामग्री

क) आपदा प्रबंधन के अवयवों पर जानकारी–सामग्री (हैंडआउट);

ख) आपदा प्रबंधन चक्र पर स्लाइड; और

ग) कार्यकलाप;

अतिरिक्त अध्ययन/संदर्भ

क) ***संकट प्रबंधन, निराशा से आशा,*** द्वितीय वित्तीय प्रशासन सुधार आयोग रिपोर्ट, 2006

ख) ***सुरक्षित विश्व के लिए योकोहामा रणनीति और कार्य योजना,*** 1995

मददगार के लिए टिप्पणी

क) सत्र किसी विशेषज्ञ द्वारा संचालित किया जाए;

ख) यदि एक संसाधन उपलब्धकर्ता (रिसोर्स पर्सन) सभी उप–प्रसंगों को संभालने में असमर्थ हो, तो और संसाधन उपलब्धकर्ताओं को नियुक्त किया जाए; और

ग) कुछेक भागीदारी अभ्यास तथा समूह कार्य चलाए जाएं।

भाग–II : पूरक शिक्षण सहायता सामग्री

एसएलएस–1

हैंडआउट

आपदा प्रबंधन के अवयव

क) ***जोखिम प्रबंधन***

जोखिम प्रबंधन में आपदाओं की आशंकाओं की पहचान, उनके होने की संभावना का अभिनिर्धारण, जोखिम में रहने वाले समुदायों पर खतरों के प्रभाव का आकलन, उपायों का निर्धारण जिनसे जोखिम कम हो सकते हैं और खतरों को कम करने के लिए कार्रवाई करना शामिल है।

ख) ***आपदा से होने वाली हानि संबंधित प्रबंधन***

आपदा में हुई हानि में मानवीय, संरचनात्मक एवं आर्थिक हानि शामिल हैं। हानि संबंधित प्रबंधन हानियों को न्यूनतम करने के लिए तैयार की गई आपदा–पूर्व एवं आपदा–पश्चात् कार्रवाई के द्वारा इनको कम करता है। प्रभावी हानि से संबंधित प्रबंधन के कार्यकलाप आपदा से पूर्व होते हैं और आपदा के प्रति समाज की असुरक्षितता को कम करने पर केंद्रित होते हैं।

आपदा प्रबंधन के अवयव (जारी...)

ग) ***घटनाओं पर नियंत्रण***

निम्नलिखित उपायों के द्वारा घटनाओं पर नियंत्रण रखा जाता है :

i. **आपदा का पूर्वानुमान** और कारण तथा प्रत्येक प्रकार की घटना से उत्पन्न प्रभाव का संबंध;

ii. **प्रशमन** या आपदा की संभावना को कम करना;

iii. **तैयारी** – आपदा की पूर्वानुमानित संभावना को देखते हुए, प्रबंधक पर्याप्त कार्रवाई करने के संबंध में योजना बना सकते हैं।

iv. **सही जानकारी का संग्रहण एवं आकलन** – एक बार आपदा हो जाने पर प्रबंधक को विश्वसनीय आंकड़ों की आवश्यकता होती है, जिन पर प्राथमिकताएं एवं मार्गदर्शी कार्रवाई आधारित होती है; और

v. **संतुलित कार्रवाई** – हर प्रकार की आपदा के लिए कार्रवाइयों के अलग–अलग सेट की आवश्यकता होगी।

आपदा प्रबंधन के अवयव (जारी...)

घ) ***सहायता की समानता***

सभी आपदा सहायता न्यायसंगत एवं उचित तरीके से प्रदान की जाए।

ङ) ***संसाधन प्रबंधन***

आपदा पश्चात् माहौल से संबंधित सभी प्रतिस्पर्धी आवश्यकताओं तथा मांगों को पूरा करने के लिए कुछेक आपदा प्रबंधकों के पास ही पर्याप्त साधन होते हैं। इस प्रकार, संसाधन प्रबंधन आपदा कार्रवाई का महत्वपूर्ण तत्व होता है। इसलिए, आपदा प्रबंधक को उपलब्ध साधनों की जानकारी अवश्य होनी चाहिए।

एसएलएस–2

स्लाइड

आपदा प्रबंधन चक्र

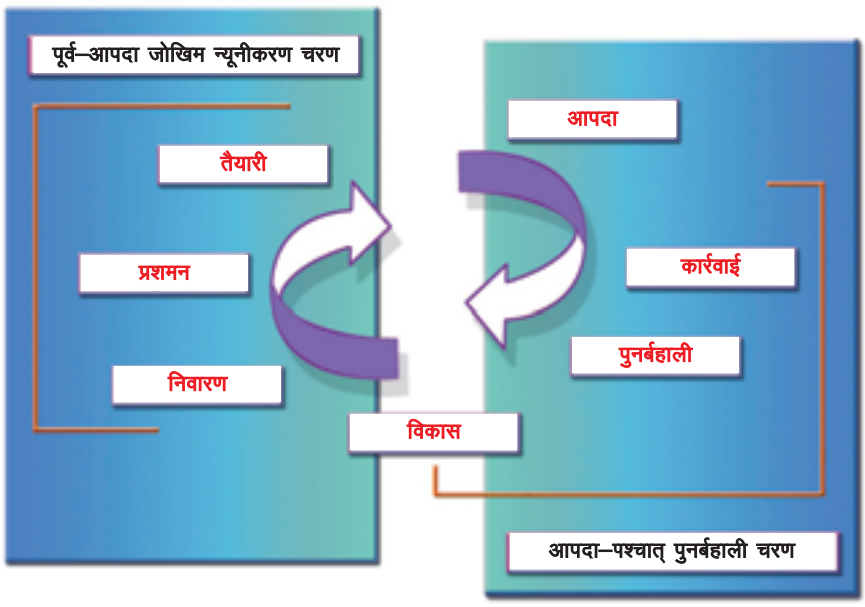

आपात स्थितियों में कार्यकलाप

भागीदारों को चार के समूहों में रखें और उन्हें इन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कहें;

क) गहरे–नीले समुद्र (ब्लू सी) में जब आपकी नाव डूबने लगे, तो आप क्या करेंगे ?

ख) बेहोश को होश में लाने के लिए आप कौन से तरीके अपनाएंगे ?

ग) जब नदी में बाढ़ आनी शुरू हो गई थी, तो लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए आपने क्या किया ?

घ) आपदा के पश्चात् आप क्या उम्मीद रखते हैं ?

ड.) प्रस्तुतीकरण

च) मददगार सार को प्रस्तुत करें ?

3.2 विषय/प्रसंग :

समुदाय आधारित आपदा तैयारी (सीबीडीपी)

भाग – I

परिचय एवं विहंगावलोकन

आपदा पर लोकप्रिय चर्चा में **"समुदाय आधारित"** या **"बॉटम–अप"** दृष्टिकोण अपेक्षाकृत एक नई अवधारणा है। तथापि, हाल में, अब यह महसूस किया गया है और इसे मान्यता दी गई है कि ज्ञान, कौशल और बुनियादी संरचना की सहायता से एक समुदाय आपदा से संबंधित आपात–स्थितियों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। प्रचलित दृष्टिकोण में समुदायों के लिए बहुत कम जगह है क्योंकि उन्हें अधिकतर **समस्याओं, पीड़ितों और लाभभोगियों** के रूप में देखा जाता है, जिन्हें बाहरी व्यक्तियों की मदद की आवश्यकता होती है। वैकल्पिक परिप्रेक्ष्य समुदाय को भागीदारों और समाधान के हिस्से के रूप मे देखना है । वास्तव में, आपदा का सामना करने का एक स्थायी तरीका समुदाय को **महत्वपूर्ण संसाधन** के रूप में मान्यता देना और किसी भी आपदा या आपातस्थिति के लिए तैयार होने में सहायता देना है। विपत्ति से प्रभावित विभिन्न क्षेत्रों के पिछले अनुभव निर्णायक रूप से सिद्ध करते हैं कि लोगों की विपत्ति में रक्षा करने के लिए समुदाय की तैयारी सर्वाधिक व्यावहारिक एवं विश्वसनीय विकल्प है।

दो महत्वपूर्ण कारक इस विचार का समर्थन करते हैं। इनमें से एक है कि प्रायः समुदाय हमेशा सबसे पहले कार्रवाई करने वाला होता है; **समुदाय को उस क्षेत्र में हो रही किसी भी आपदा की अधिक जानकारी होती है और अक्सर इसका पूर्वानुमान लगाने में सक्षम होते हैं। दूसरा पहलू यह है कि समुदाय के पास आपदा के समय में तैयारी और मुकाबला करने का अनुभव होता है।** उनके मुकाबला करने के तरीके पूर्व–परीक्षित एवं अभ्यास किए गए होते हैं। तथापि, समुदायों के पास संसाधनों की कमी, समय पर पूरी जानकारी का अभाव, सुरक्षा के लिए अपर्याप्त प्रौद्योगिकी होती है। एक प्रभावी समुदाय तैयारी रणनीति में इन सभी कारकों को ध्यान में रखा जाए, उनकी आपदा से मुकाबला करने के तंत्र में कमियों की पहचान की जाए, आधारभूत ढांचा, कौशल, सूचना एवं चेतावनी प्रणालियों के बारे में सहायता प्रदान की जाए और इसी प्रकार के गतिरोधों को दूर किया जाए, ताकि समुदाय के प्रयासों का पूर्ण उपयोग किया जा सके।

उद्देश्य

भागीदारों को आपदा प्रशमन में समुदाय–आधारित प्रयासों के महत्व को समझने तथा आपदा परिस्थिति में समुदायों का अमूल्य संसाधन के रूप में उपयोग करने के योग्य बनाना।

तरीके

प्रस्तुतीकरण और परिचर्चा, क्षेत्र–दौरा, प्रकरण अध्ययन (केस स्टडी), समूह कार्य, अभ्यास एवं प्रदर्शन।

सामग्री और सीखने के लिए सहायक जानकारी

फ्लिप चार्ट, श्रव्य–दृश्य (ऑडियो–विज़्युअल), नमूना (सैम्पल) बनाने के लिए सामग्री, रस्सियां,

बचाव एवं प्रशिक्षण के लिए स्ट्रेचर तथा अन्य उपकरण।

सत्र अवधि

दो सत्र (विवरण के लिए पृष्ठ सं. 9 देखें)

अनुमानित शिक्षण परिणाम

ध्यानात्मक/जानकारी संबंधी :

क) आपदा प्रबंधन के लिए प्रथम प्रतिक्रियादाता के रूप में समुदाय के सामर्थ्य के बारे में जागरूकता;

ख) समुदाय की शक्ति एवं सीमाओं तथा इनमें मौजूद कमियों को दूर करने के उपाय की जानकारी; और

ग) आपदाओं से निपटने के लिए समुदाय संबंधित संसाधनों की समझ।

क्षमता/कुशलता संबंधी :

क) समुदाय को अपनी सुरक्षा और बचाव हेतु कौशल प्रदान करने की योग्यता;

ख) गांवों में समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन (सीबीडीपी) टीमों के सेटअप बनाने में मदद;

ग) समुदाय का क्षमता निर्माण, ताकि वे आपदा से पूर्व की सामान्य स्थिति को दोबारा बहाल कर सकें;

घ) मनो–सामाजिक प्रथमोपचार प्रदान करने का कौशल; और

ड.) प्रेरणा, समुदाय संगठन, समुदाय से संपर्क के तरीकों का ज्ञान;

उप–प्रसंग/शिक्षण बिंदु

क) समुदाय आधारित आपदा से निपटने की तैयारी क्या है;

ख) समुदाय को आपदा प्रबंधन के लिए तैयार होने की आवश्यकता क्यों पड़ती है;

ग) यह क्यों महत्वपूर्ण है;

घ) कौन–कौन से अवरोध एवं सीमाएं हैं;

ड.) इन्हें कैसे दूर किया जाए;

च) आपदा का मुकाबला करने संबंधी स्थानीय तंत्र तथा ज्ञान आधार को किस प्रकार सुदृढ़ बनाया जाए;

छ) आपदा प्रभावित क्षेत्रों से समुदाय आधारित जोखिम के बारे में प्राप्त किए गए अनुभव तथा सबक;

ज) आपदा से पूर्व की सामान्य स्थिति दोबारा बहाल करने के लिए समुदाय की मदद;

झ) भावुक स्थितियों का प्रबंधनः जीवितों/पीड़ितों का मनो–सामाजिक प्रथमोपचार;

त) **ग्रामीण आपदा तैयारी समितियों** का गठन–भूमिकाएं एवं जिम्मेदारियां;

थ) व्यक्तियों तथा परिवारों को तैयार करने के लिए दिए जाने वाला कौशल एवं तकनीक;

द) चेतावनी दल (टीम), सफ़ाई व्यवस्था दल (सैनिटेशन टीम), राहत दल, खोज एवं बचाव दल, निकासी दल, प्रथमोपचार दल; और

ध) सुरक्षा प्रक्रियाएं, क्या करे और क्या न करें।

कार्यकलाप

क) पारंपरिक दृष्टिकोण और समुदाय आधारित आपदा (सीबीडीएम) दृष्टिकोण पर विचारोत्तेजक सत्र; और

ख) अभ्यास एवं प्रलेखन सत्र

पूरक शिक्षण सहायता सामग्री

क) पारंपरिक दृष्टिकोण बनाम समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन (सीबीडीएम) दृष्टिकोण पर स्लाइड; और

ख) समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन (सीबीडीएम) के लक्षणों पर हैंडआउट

अतिरिक्त अध्ययन/संदर्भ

क) आपदा प्रशमन, एक समुदाय आधारित दृष्टिकोण

ख) कम्युनिटी बेस्ड प्रिपेयर्डनेस, स्वीडिश एजेंसी फॉर डिवेलपमेंट एंड कॉपरेशन, *नई दिल्ली*

ग) ट्रेनर्स गाइड ऑन कम्युनिटी बेस्ड मैनेजमेंट, *एडीपीसी, बैंकॉक, 2001*

मददगार के लिए टिप्पणी

क) यह एक विषय तथा अभ्यास आधारित सत्र है, इसलिए क्षेत्र कार्य/अभ्यास सत्र का संचालन करें;

ख) भागीदारों को दो विषय उप–समूहों में बाटें तथा प्रत्येक उप–समूह को उपशीर्ष पर परिचर्चा करने और पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहें; और

ग) विषय संबंधी अवधारणा स्पष्ट करने के लिए एक या दो उपयुक्त प्रकरण अध्ययन (केस स्टडी) प्रस्तुत करें।

भाग–II: पूरक शिक्षण सहायता सामग्री

एसएलएस–1

स्लाइड

पारंपरिक दृष्टिकोण बनाम समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन दृष्टिकोण

पारंपरिक दृष्टिकोण	समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन दृष्टिकोण
1. आपदाएं ऐसी अप्रत्याशित घटनाएं होती हैं जिन्हें रोका नहीं जा सकता।	1. आपदाओं को रोका जा सकता है। हम क्षति तथा नुकसान होने से रोकने/कम करने के लिए स्वयं को तैयार कर सकते हैं।
2. आपातकालीन कार्रवाई एवं पुनर्बहाली पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है।	2. आपदा से पूर्व आपदा प्रबंधन कार्यकलापों जैसेः निवारण, प्रशमन एवं तैयारी पर ज़्यादा ध्यान दिया है।
3. आपदाओं से प्रभावित व्यक्ति असहाय हो जाते हैं और बाहरी सहायता प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय (पैसिव) होते हैं।	3. आपदा से प्रभावित व्यक्ति अपने जीवन और आजीविका को दोबारा सामान्य बनाने में सक्रिय भागीदार होते हैं। व्यक्तियों की मौजूदा क्षमताओं का उपयोग किया जाता है और उन्हें सुदृढ़ किया जाता है।

खंड 3

एसएलएस–2

स्लाइड

समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन (सीबीडीएम) के लक्षण

क) व्यक्तियों की सहभागिता–प्रमुख सहभागी एवं प्रेरक के रूप में समुदाय जोखिम न्यूनीकरण तथा विकास के लाभों में प्रत्यक्ष रूप से हिस्सेदार होते हैं।

ख) सर्वाधिक असुरक्षित लोगों को प्राथमिकता दी जाती है–बच्चे, महिलाएं, वृद्ध, विकलांग, जीविका पर निर्भर रहने वाले किसान, मछुआरे तथा शहरी गरीब लोग।

ग) मौजूदा क्षमताओं तथा उत्तरजीविता/आपदा का मुकाबला करने की रणनीतियों को मान्यता दी जाती है।

घ) जोखिम कम करने के उपाय समुदाय विशिष्ट हैं – ये समुदाय के आपदा जोखिम विश्लेषण पर आधारित होते हैं।

ड.) समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन (सीबीडीएम) का उद्देश्य आपदा से असुरक्षितताओं को कम करना तथा क्षमताओं को बढ़ाना है।

च) इसका ध्येय सुरक्षित, आपदा समुत्थानशील तथा विकसित समुदाय का निर्माण करना है।

छ) आपदा जोखिम में कमी को विकास के साथ संबद्ध करना।

ज) बाहरी व्यक्तियों की सहायक एवं मददगार की भूमिका होती है।

3.3 विषय/प्रसंग :

आपदा जानकारी, संचार और जन–संचार माध्यम

भाग–I

परिचय एवं विहंगावलोकन

आपदा जोखिम न्यूनीकरण तथा प्रौद्योगिकीय हस्तक्षेप सूचना और उसके उपयुक्त संप्रेषण/प्रसार से आरंभ होते हैं। सूचना एवं संचार तकनीक/प्रौद्योगिकी में हुई प्रगति से विभिन्न प्रणालियों को एकीकृत करने की और अधिक संभावना बढ़ी है। इंटरनेट, मोबाइल फोन, फैक्स, ई–मेल, रेडियो और टेलीविज़न अब बहुत बड़े जनसमूह वर्ग, जिसमें समुद्रीय तथा मछली पकड़ने वाला समुदाय भी शामिल है, तक पहुंच रहे हैं। इस प्रकार, संचार क्षेत्र आपदा प्रबंधन तथा जन–हानि, संपत्ति एवं वातावरण को होने वाले नुकसान को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

टामपेरे, फिनलैंड में 1991 मे आयोजित **"आपदा संबंधी संप्रेषण पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन"** में, प्रभावी संप्रेषण क्षमताओं के संवर्धन में राष्ट्रीय प्राधिकरणों की प्राथमिक जिम्मेदारियों को दोहराया गया था। प्रेषित की जा रही जानकारी के स्वरूप, क्षेत्र तथा गुणवत्ता एवं उसकी वैधता, महत्ता,सटीकता और समय की पाबंदी में सुधार लाए जाने की तात्कालिक आवश्यकता है। जन–संचार माध्यम (मास मीडिया) समुदायों को जोखिम के संबंध में सार्वजनिक जानकारी सेवाएं प्रदान करने के कार्य में इस प्रक्रिया को सरल बना सकता है। इसके अतिरिक्त, स्थलीय एवं उपग्रह संचार तथा नेटवर्क एवं दूर–संवेदी प्रौद्योगिकियां आपदा के भयावह प्रभाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रहेंगी।

उद्देश्य

क) भागीदारों को आपदा की स्थिति में सूचना एवं संचार की बुनियादी जानकारी होने के योग्य बनाना।

ख) आपदा में सूचना और स्थिति की रिपोर्टिंग के महत्त्व पर प्रकाश डालना;

ग) जानकारी स्काउट्स के रूप में स्वयंसेवक की भूमिका को स्पष्ट करना; और

घ) आपदा से संबंधित जन–शिक्षा एवं सूचना में जन–संचार माध्यम की केंद्रित भूमिका

तरीके

लेक्चर (व्याख्यान) तथा परिचर्चा, प्रश्न तथा उत्तर, प्रयोग सत्र, खेल एवं अभ्यास

सामग्री/सीखने के लिए सहायक जानकारी

फ्लिप चार्ट, मार्कर, वीडियो क्लिप, ओएचपी

सत्र अवधि

दो सत्र (विवरण के लिए पृष्ठ सं. 9 देखें)

अनुमानित शिक्षण परिणाम

ध्यानात्मक/जानकारी संबंधी:

क) संचार, रिपोर्ट लिखने, केस प्रस्तुत करने के संबंध में वर्धित जानकारी।

क्षमता/कुशलता संबंधी

क) भागीदार आपदा तैयारी एवं प्रशमन के संबंध में समुदायों को जानकारी देने, शिक्षित करने एवं सक्षम बनाने योग्य हों।

उप–प्रसंग/मुख्य शिक्षण बिंदु/विषय

क) आपदा संप्रेषण क्या है;

ख) सूचना का महत्व;

ग) टामपेरे सम्मेलन की सिफारिशें;

घ) आईसीटी (सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी) की बढ़ती भूमिका;

ड.) जन–संचार (मास मीडिया) की महत्वपूर्ण भूमिका;

च) संचार संबंधों को पुनः स्थापित करना;

छ) वर्तमान सीमाएं;

ज) संचार प्रवाह (फ्लो) में संगठनात्मक नियमितताएं–अवरोध (बैरियर);

झ) इन अवरोधों (बैरियरों) को दूर करने के तरीके;

त) आपदा, जोखिम न्यूनीकरण, प्रशमन में संचार की भूमिका;

थ) ऐसे संचार की छह प्रमुख संचार श्रेणियां

i. तकनीकी संचार प्रणालियां
ii. आपदा स्थल पर संचार
iii. संगठनात्मक संप्रेषण
iv. वैज्ञानिक विकास के लिए संचार
v. नीति तैयार करना
vi. जन–शिक्षा के लिए संचार

द) जोखिम संबंधित संप्रेषण चक्र; और

ध) अनुप्रयोग क्षेत्र– **सूचना देना, शिक्षा देना, व्यवहार परिवर्तन सूचना, आदान–प्रदान के लिए प्रेरित करना, आपदा चेतावनी को जारी करना।**

पूरक शिक्षण सहायता सामग्री

क) आपदा स्थिति की सूचना एवं रिपोर्टिंग से संबंधित हैंडआउट (आईआरसीएस) (पृष्ठ–136–137);

ख) आपदाओं में जन–संचार माध्यम के संभावित कार्य – एक मैट्रिक्स (डीसी–पृष्ठ–86); और

ग) संप्रेषण की छह प्रमुख संचार श्रेणियों पर हैंडआउट

कार्यकलाप

आपदा के दौरान सूचना एवं संचार की भूमिका का निर्वाह।

अतिरिक्त अध्ययन/संदर्भ

क) ***आपदा संबंधित संप्रेषण***

ख) ***रोल ऑफ़ आईसीटी इन अचीविंग मिलेनियम डिवेलपमेंट गोल्स,*** पॉलिसी मेकर वर्कशॉप, एम.एस. स्वामीनाथन फाउंडेशन, अक्तूबर, 2003।

ग) ***दि सोशियो–इकोनॉमिक बेनिफिट्स अर्थ साइंस एंड एप्लीकेशन रिसर्च, रे*** ए. विलियमसन, नासा, 2001

भाग–II : पूरक शिक्षण सहायता सामग्री

एसएलएस–1

स्लाइड

आपदा संबंधित संप्रेषण के लिए दिशानिर्देश

क) जनता को विभिन्न विषयों पर जानकारी दें, ताकि वह अपनी तैयारी के स्तर को बढ़ा सके।

ख) जनता को वर्तमान परिस्थिति से अवगत कराएं।

ग) जनता को क्या हुआ था, इसके बारे में बताएं।

घ) जनता को पूर्वानुमान तथा निदान के बारे में बताएं।

ड.) जनता को घटना के लिए उपयुक्त कार्रवाई करने के संबंध में परामर्श दें।

च) प्राधिकरणों तथा सहायता समूहों द्वारा की जा रही कार्रवाई के बारे में जनता को जानकारी दें।

छ) समुदाय के अंदर एकाकी समूहों, (आइसोलेटिड ग्रुप्स) के कल्याण से संबंधित संदेश प्रसारित करें।

ज) एक आश्वस्त उपस्थिति बनाए रखें।

खंड 3

खंड–4

आपदा और विकास – प्रश्न, अवधारणा स्पष्टीकरण

विषय–वस्तु

4.1 आपदा को समझना : परिभाषा एवं परिप्रेक्ष्य 49

4.2 आपदाओं के आर्थिक और सामाजिक प्रभाव 62

4.3 आपदा शब्दावली और पारिभाषिक शब्दावलियों से परिचित होना 68

पूरक शिक्षण सहायता सामग्री

हैंडआउट्स

* आपदा की परिभाषा, *पृ॰ 52*
* आपदाओं की व्यापक श्रेणियां, *पृ॰ 55*
* जोखिम और असुरक्षितता; कुछ परिभाषाएं, *पृ॰ 58*
* मानव जनित आपदाएं, *पृ॰ 59*

खंड 4

* खतरे, असुरक्षितता और आपदा, *पृ॰ 61*
* आपदाओं का आर्थिक प्रभाव, *पृ॰ 66*
* क्या आपदा निवारण, किफायती है, *पृ॰ 67*

स्लाइड

* आपदा के कटु तथ्य, *पृ॰ 54*
* आपदा के प्रकार, *पृ॰ 55*
* आपदा का स्वास्थ्य और सफाई पर प्रभाव, *पृ॰ 64*
* आपदा के दौरान आम चिकित्सा समस्याएं, *पृ॰ 65*

4.1 विषय/प्रसंग :

आपदा को समझना : परिभाषा एवं परिप्रेक्ष्य

भाग–I

परिचय एवं विहंगावलोकन

यह मॉड्यूल परिचयात्मक–विवरणात्मक है और विभिन्न प्रकार की आपदाओं को परिभाषित करने एवं उनके वर्गीकरण पर केंद्रित है। यह उनकों तीन समूहों में भी वर्गीकृत करता है और आपदा के संबंध में वर्तमान मानसिकता एवं दृष्टिकोणों में आदर्श बदलाव को प्रस्तुत करता है। यह विभिन्न पहलुओं, आपदा के प्रकारों अर्थात् प्राकृतिक, मानव जनित एवं अन्य आदि को कवर करता है और विचारोत्तेजक सत्र तथा सहभागी परिचर्चा के माध्यम से मुद्दों पर भागीदारों की समझ को बढ़ाता है।

प्राकृतिक विपत्तियां और आपदाएं मानव इतिहास जितनी, बल्कि उससे भी अधिक पुरानी हैं। लोग इन्हें विभिन्न ढंगों से देखते हैं। दक्षिण एशियाई पारंपरिक समाज के लोग प्राकृतिक आपदाओं से बचने और उनसे सुरक्षित रहने के लिए पारंपरिक निवारक तथा पुनर्बहाली संबंधी उपायों के साथ–साथ प्रकृति के देवता को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना करते हैं और समारोह आयोजित करके बलि देते हैं।

आपदा और उनके प्रबंधन के संबंध में वर्तमान मानसिकता दो प्रमुख आदर्श बदलावों के अंतर्गत आती है :

क) पारंपरिक आदर्श बदलाव (कनवेन्शल पेराडाइम)

भौगोलिक एवं जल–मौसम संबंधी (हाइड्रो–मीटिरियोलॉजिकल) प्रक्रिया पर केंद्रित होने के साथ प्राकृतिक विज्ञान एवं व्यावहारिक विज्ञान दृष्टिकोणों द्वारा प्रभावित।

ख) वैकल्पिक आदर्श बदलाव

सामाजिक विज्ञान और समग्र दृष्टिकोणों के संयोजन पर आधारित–आपदा को असुरक्षितता और अवहनीय विकास से संबद्ध करते हुए, पुनर्बहाली योजना, निवारण, प्रशमन तथा तैयारी संचालित दृष्टिकोण को बचाव, राहत एवं पुनर्बहाली संबंधी केंद्रित दृष्टिकोण के स्थान पर अपनाना।

उद्देश्य

क) आपदा के विभिन्न मुद्दों या पहलुओं / प्रकारों और परिप्रेक्ष्यों से हमारा क्या तात्पर्य है, इस संबंध में एक आम सहमति

बनाना या सहमति पर पहुंचना; और

ख) आपदा मुद्दों की जानकारी और उनके बारे में समझ को बढ़ाना।

तरीके

विषयों का परिचय और उसके बाद परिचर्चा तथा प्रश्न व उत्तर , विचारोत्तेजक, भागीदारीपूर्ण बातचीत, सर्वसम्मति बनाना तथा खुली मार्गदर्शी चर्चा।

सामग्री/सीखने के लिए सहायक जानकारी

सफेद बोर्ड, फ्लिप चार्ट, स्लाइड्स, ओएचपी, पावर प्वाइंट, मार्कर पेन, खाली कागज़, जोखिम, असुरक्षितता एवं आपदा के विभिन्न चित्र।

सत्र अवधि

चार सत्र (विवरण के लिए पृष्ठ सं॰–9 देखें)

अनुमानित शिक्षण परिणाम

ध्यानात्मक/जानकारी संबंधी :

क) आपदा पर चल रहे वाद–विवादों की अद्यतन एवं सूचित जानकारी, विषय संबंधी बेहतर स्पष्टता।

क्षमता/कुशलता संबंधी :

क) भागीदार आपदाओं की श्रेणी के बीच अंतर करने तथा परिप्रेक्ष्यों में आदर्श बदलाव में भेद करने में सक्षम हों।

ख) भागीदार विषय पर नीति तथा जनता की राय को प्रभावित करने में प्रभावशाली भूमिका निभाने के योग्य हों।

उप–प्रसंग/मुख्य शिक्षण बिंदु/विषय

क) आपदा क्या है? ;

ख) आपदा के कारण;

ग) आपदा की विभिन्न अवस्थाएं;

घ) आपदाओं के प्रकार–प्राकृतिक आपदाएं, मानव जनित आपदाएं, जैविक आपदाएं, अन्य आपदाएं;

ड.) उच्चाधिकार प्राप्त समितियों द्वारा निर्धारित आपदाएं;

च) आपदा के दौरान खतरे, असुरक्षितताएं;

छ) आपदा जोखिम न्यूनीकरण क्या है? ; और

ज) लोग जोखिमों में क्यों रहते हैं?

कार्यकलाप

आपदा की परिभाषा तथा आपदा के प्रकारों को सूचीबद्ध करने के संबंध में विचारोत्तेजक चर्चा। मददगार द्वारा परिचयात्मक टिप्पणी देने के बाद प्रशिक्षुओं/भागीदारों को जोड़ों में बांटा जाए, प्रत्येक जोड़े को सम्मत परिभाषा तथा आपदाओं की सूची देने और बोर्ड पर चिपकाने या फ्लिप चार्ट पर लिखने के लिए कहें। समूह पुनरावृत्ति को दूर करने में भाग ले। मददगार भागीदारों की सहमति के द्वारा परस्पर–विरोधों को स्पष्ट करे और समाधान करे।

पूरक शिक्षण सहायता सामग्री

आपदा की परिभाषा, आपदा के प्रकारों, एचपीसी परिभाषा, जोखिम एवं असुरक्षितता पर हैंडआउट्स एवं स्लाइड्स;

अतिरिक्त अध्ययन/संदर्भ

एचपीसी द्वारा निर्धारित आपदाएं–डी.डी. (खंड, सं॰–1, पृ–22)

मददगार के लिए टिप्पणी

क) परिभाषाओं को प्रस्तुत करने से पूर्व,

i. पता करें कि क्या भागीदारों के बीच आपदा की परिभाषाओं के संबंध में आम सर्वसम्मति थी और यदि कोई मतभेद हों, तो उनका समाधान करें।

ii. इसी प्रकार आपदाओं के प्रकार तथा उनके वर्गीकरण के संबंध में सर्वसम्मति का पता करें।

iii. उन्हें विभिन्न प्रकार की आपदाओं के चित्र दिखाएं और उन्हें वर्गीकृत करने के लिए कहें।

भाग–II : पूरक शिक्षण सहायता सामग्री

एसएलएस –1

हैंडआउट

आपदा की परिभाषा

विभिन्न एजेंसियों तथा व्यक्तियों द्वारा आपदा को अलग–अलग ढंग से परिभाषित किया गया है। कुछ परिभाषाएं यहां नीचे उद्धृत हैं :

आपदा की विभिन्न परिभाषाएं

क) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2006 के अनुसार "आपदा" से तात्पर्य किसी क्षेत्र में प्राकृतिक या मानव जनित कारणों से, या दुर्घटना द्वारा, लापरवाही के कारण हुई महाविपत्ति/अनर्थ, दुर्घटना, विपत्ति या एक बड़ी दुर्घटना से है, जिससे जीवन का भारी नुकसान, या मानवीय पीड़ा, या संपति का नुकसान और विनाश, या पर्यावरण का क्षरण हुआ हो और यह नुकसान इस प्रकृति या परिमाण का हो कि प्रभावित क्षेत्र के समुदाय की मुकाबला करने की क्षमता से बाहर हो।

ख) ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के अनुसार, आपदा से तात्पर्य एक आकस्मिक या बड़ी दुर्भाग्य विपत्ति से है।

आपदा की विभिन्न परिभाषाएं (जारी...)

ग) आकस्मिक विपत्तियां जिनसे बड़ा भौतिक नुकसान, हानि और क्षति हो (वेबस्टर का शब्दकोश)

घ) एक घटना, प्राकृतिक या मानव जनित, आकस्मिक या प्रगामी, जिसका प्रभाव इतना तीव्र हो कि प्रभावित समुदाय को विशिष्ट, असाधारण कदम उठाकर कार्रवाई करनी पड़े। (एडी डिजॉस्टर मैनेजमेंट हैंडबुक)

आपदा की विभिन्न परिभाषाएं (जारी...)

ड.) कोई प्राकृतिक या मानव जनित महाविपत्ति , जिससे समुदाय अव्यवस्था या विवशता की स्थिति में आ जाता है।

च) समाज के कार्यचालन में आई एक आकस्मिक, गंभीर विघटन की स्थिति जिससे इतनी अधिक मानवीय, भौतिक एवं पर्यावरण क्षति होती है कि प्रभावित समुदाय या /और देश अपने संसाधनों के साथ मुकाबला नहीं कर सकता।

आपदा की विभिन्न परिभाषाएं (जारी...)

छ) स्थान एवं समय को ध्यान में रखकर केंद्रित एक घटना जिससे समाज को बड़ी क्षति और मानव जीवन को भारी नुकसान या ऐसी प्रमुख भौतिक हानि होती है–कि स्थानीय सामाजिक संरचना टूट जाती है और समाज कोई भी कार्य या अपने कुछ प्रमुख कार्य करने में असमर्थ हो जाता है। यूएनडीआरओ (1987)

ज) भयंकर और ऐसे पैमाने की एक घटना, जिसका परिणाम आमतौर से मृत्यु, चोट, तथा संपत्ति का नुकसान होता है और जिसकी नेमी प्रक्रियाओं तथा सरकार के संसाधनों से भरपाई नहीं की जा सकती। यह आमतौर पर अचानक एवं अप्रत्याशित रूप से विकराल रूप लेती है तथा इससे उत्पन्न स्थिति में मानवीय ज़रूरतों को पूरा करने एवं शीघ्र बचाव के लिए सरकार व निजी क्षेत्र की संस्थाओं द्वारा तात्कालिक, समन्वित और प्रभावी कार्रवाई की आवश्यकता होती है। (उच्च अधिकार प्राप्त समिति (एचपीसी)), भारत,

आपदा की विभिन्न परिभाषाएं (जारी...)

झ) एक स्थिति या घटना जो स्थानीय क्षमता को कुप्रभावित करती है, और जिसके लिए बाहरी सहायता हेतु राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर से अनुरोध की आवश्यकता पड़ती है या एक अप्रत्याशित तथा अक्सर एक ऐसी आकस्मिक घटना जिससे बड़ी क्षति, विनाश और मानवीय पीड़ा होती है। आपदाओं के महामारी विज्ञान संबंधी अनुसंधान केंद्र (सीआरईडी)

खंड 4

आपदा की विभिन्न परिभाषाएं (जारी...)

ञ) किसी घटना को आपदा का नाम देने के लिए सीआरईडी ने पात्रता पूरी करने के लिए निम्नलिखित मानदंड निर्धारित किए हैं। ये हैं :

i) दस या उससे अधिक मारे गए लोग घटना में दर्ज हों

ii) 100 लोगों के प्रभावित होने की सूचना हो

iii) आपात स्थिति की घोषणा

iv) अंतरराष्ट्रीय सहायता के लिए मांग

एसएलएस – 2

स्लाइड 1

आपदा के कटु तथ्य

क) भारत में भूमि का 30 प्रतिशत हिस्सा मध्यम तथा 28.6 प्रतिशत उच्च से बहुत उच्च तीव्र भूकम्प प्रवण है।

ख) 40 मिलियन हैक्टेयर से अधिक(भूमि का 12 प्रतिशत) बाढ़ और नदी–क्षरण प्रवण है।

ग) 7,516 कि.मी. लम्बे तटीय क्षेत्र में से लगभग 5,700 कि.मी. चक्रवात तथा सुनामी प्रवण क्षेत्र है।

घ) कृषि योग्य भूमि का 68 प्रतिशत क्षेत्र सूखे के कारण असुरक्षित है और पहाड़ी क्षेत्रों में भू–स्खलन तथा हिम–स्खलन का जोखिम बना रहता है।

स्रोत–इंडिया टुडे, 31 मार्च, 2008

स्लाइड 2

आपदा के प्रकार

आपदाओं को तीन समूहों में वर्गीकृत किया जाता है :

क) **प्राकृतिक आपदा :** बाढ, चक्रवात, भूस्खलन, भूकम्प, तूफान, दावानल, हिम–स्खलन, सुनामी आदि।

ख) **मानव जनित आपदा :** युद्ध, झगड़े, आतंकी हमले, सड़क व ट्रेन तथा हवाई दुर्घटनाएं, नाभिकीय दुर्घटना, बम विस्फोट, ओज़ोन अवक्षयण (डिप्लीशन), जलवायु परिवर्तन।

ग) **औद्योगिकीकरण के परिणाम :** फैक्टरियों में विस्फ़ोट, उष्ण लहर (हीट वेब), शहरी बाढ़, महामारियां, बर्ड फ्लू, अन्य जैव जनित आपदाएं।

एसएलएस – 3

हैंडआउट

आपदाओं की व्यापक श्रेणियां
जल एवं जलवायु से संबंधित आपदाएं

क) बाढ़ एवं जल निकासी व्यवस्था;

ख) ग्रीष्म लहर एवं शीत लहर;

ग) चक्रवात;

घ) आंधी एवं तूफान;

ड.) ओला–वृष्टि;

च) बादल फटना;

छ) हिमस्खलन;

ज) सूखा;

झ) समुद्र कटाव; और

ञ) मेघ गर्जन एवं बिजली चमकना।

खंड 4

आपदाओं की व्यापक श्रेणियां (जारी)... भू–विज्ञान से संबंधित आपदाएं

क) भू–स्खलन तथा मिट्टी बहाव;

ख) भूकम्प;

ग) बांध में खराबी/बांध टूटना; और

घ) खदान/सुरंग की आग (माइन फायर्स)।

आपदाओं की व्यापक श्रेणियां (जारी)... रासायनिक, औद्योगिक एवं नाभिकीय आपदाएं

क) रासायनिक एवं औद्योगिक आपदाएं; और

ख) नाभिकीय आपदाएं।

आपदाओं की व्यापक श्रेणियां (जारी)... दुर्घटना से संबंधित आपदाएं

क) जंगल में लगी आग;

ख) शहरी आग;

ग) खदान की बाढ़ (माइन फ्लडिंग);

घ) तेल बिखरना;

ड.) बड़ी इमारत ढहना;

च) सीरीज़ बम विस्फोट;

छ) त्यौहार के दौरान आपदाएं एवं आग;

ज) विद्युत से संबंधित आपदाएं एवं आग;

झ) हवाई, सड़क एवं रेल दुर्घटनाएं;

ञ) नाव पलटना/डूबना; तथा

त) गांव में लगी आग;

आपदाओं की व्यापक श्रेणियां (जारी)... जैविक आपदाएं

क) जैविक आपदाएं एवं महामारियां;

ख) नाशी जीव आक्रमण (पेस्ट अटैक);

ग) पशु की महामारियां; और

घ) खाद्य पदार्थ विषाक्तता

आपदाओं की व्यापक श्रेणियां (जारी)... धीमी शुरूआत (स्लो ऑनसेट डिजास्टर्स) आपदाएं

जलवायु परिवर्तन, मरूस्थलीकरण, भू–स्खलन तथा सूखा धीमी शुरूआत वाली आपदाओं के अंतर्गत आते हैं। इनको "रिंगन आपातस्थिति (क्रीपिंग इमर्जेंसीज)" भी कहा जाता है।

{भूकम्प, चक्रवात, बाढ़, एवं सुनामी तीव्र शुरूआत आपदा (रेपिड ऑनसेट डिजास्टर्स) के अंतर्गत आएंगी।}

एसएलएस – 4

जानकारी–सामग्री (हैंडआउट)

जोखिम एवं असुरक्षितता : जोखिम कुछ परिभाषाएं

क) जोखिम में दो तत्व शामिल होते हैं–कुछ होने की संभावना और यदि हो जाए तो उसके परिणाम; और

ख) जहां पर कारक और प्रक्रियाएं संभावित परिणामों के दायरे के लिए उत्तरदायी खतरों के विश्वसनीय संभावना वितरण के लिए पर्याप्त मापने योग्य हों, वहां जोखिम होता है।

ये परिभाषाएं न केवल होने वाले जोखिम को पहचानने अपितु, उसके स्तर को मापने के योग्य भी होने के कारण महत्वपूर्ण हैं (अर्थात् गंभीर, मध्यम या मामूली)।

जोखिम एवं असुरक्षितता : जोखिम कुछ परिभाषाएं (जारी...)
असुरक्षितता

क) असुरक्षितता जोखिम में रहने वालों को हानि पहुंचने की अतिसंवेदनशीलता है;

ख) असुरक्षितता उनकी मुकाबला न कर पाने की क्षमता है, जो खतरे में है;

ग) असुरक्षितता खतरों के प्रति समुदाय एवं पर्यावरण की अतिसंवेदनशीलता और समुत्थानशीलता की सीमा है।

घ) असुरक्षितता व्यक्ति या समूह की अनुमान लगाने, मुकाबला करने, खतरे के प्रभाव को सहने तथा संभलने की क्षमता पर निर्भर करता है।

स्रोत–डिज़ॉस्टर कम्युनिकेशन–ए रिसॉर्स किट फॉर मीडिया, अमजद भट्टी, माधावी, मलालगोडा, आर्यबंधु, ए दुर्योग निर्वाण पब्लिकेशन, 2002

एसएलएस – 5

जानकारी–सामग्री (हैंडआउट)

मानव जनित आपदाएं

मानवीय कार्यकलापों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से (जान–बूझकर या अनजाने में) घटित कोई घटना जिससे आपदा हो, को मानव जनित आपदा के रूप में जाना जाता है। दूसरे शब्दों में, इसकी परिभाषा इस प्रकार भी दी जा सकती है कोई ऐसी आपदा, जो प्राकृतिक प्रक्रिया तथा प्राकृतिक घटना द्वारा जनित नहीं हो, मानव जनित आपदा है।

मानव जनित आपदाओं के प्रकार सामाजिक और राजनैतिक विवादों के कारण

क) नागरिक (सिविल) संघर्ष;

ख) युद्ध; और

ग) दंगे।

मानव जनित आपदाओं के प्रकार (जारी...) वैज्ञानिक अनुसंधानों/प्रगति के कारण

क) औद्योगिक;

ख) रासायनिक; और

ग) नाभिकीय।

मानव जनित आपदाओं के प्रकार (जारी...)
पर्यावरणिक क्षरण के कारण

क) प्रदूषण;

ख) भूमंडलीय तापन (ग्लोबल वार्मिंग) एवं जलवायु परिवर्तन;

ग) वनों की कटाई और खेती स्थानांतरण (शिफ्टिंग कल्टिवेशन)।

मानव जनित आपदाओं के प्रकार (जारी...)
जैविक प्रतिक्रिया के कारण

क) महामारियां; एवं

ख) नाशी जीव आक्रमण (पेस्ट अटैक)।

मानव जनित आपदाओं के प्रकार (जारी...)
दोषपूर्ण योजना एवं कार्यान्वयन

क) बांध का टूटना;

ख) आकस्मिक बाढ;

ग) शहरी बाढ़; और

घ) जल निकासी अवरोध।

एसएलएस – 6

जानकारी–सामग्री (हैंडआउट)

खतरे, असुरक्षितताएं एवं आपदा
खतरे (जोखिम)

एक घटना जो ऐसी स्थिति पैदा कर देती है कि, जो यदि आबादी वाले क्षेत्र में हो जाए, तो व्यक्ति या संपत्ति के लिए खतरनाक हो सकती है।

उदाहरण : चक्रवात, भूकम्प, बाढ़, सूखा आदि

खतरे, असुरक्षितताएं एवं आपदा (जारी...)
असुरक्षितता (कमजोरी)

समुदाय में ऐसी स्थितियां, जो समुदाय को आपदा के प्रभावों को झेलने के लिए निरीह छोड़ देती हैं

उदाहरण :

क) चक्रवात प्रवण क्षेत्र में समुद्र तट पर बने मकान,

ख) बाढ़ प्रवण क्षेत्र में स्थित गांव।

खतरे, असुरक्षितताएं एवं आपदा (जारी...)
आपदा

एक आकस्मिक घटना, जो सामाजिक–आर्थिक जीवन, संपत्ति में भारी विघटन का कारण बनती है और मानव जाति को आकस्मिक एवं अत्यधिक तकलीफ़ों सहित व्यापक नुकसान पहुंचाती है।

पर्यावरण के नष्ट होने से आपदा होती है, जो असाधारण प्राकृतिक घटना या मानव जनित खतरों के कारण होता है, जिससे मानवीय पीड़ा एवं दिक्कतें आती हैं, जो किसी बाहरी सहायता के न मिलने तक मुकाबला करने और पुनर्बहाली की क्षमता से बाहर होती है। आपदा की संभावना को कम करने के लिए, किसी को असुरक्षितता को कम करना होगा।

उदाहरण : भूकंप, चक्रवात आदि।

4.2 विषय/प्रसंग :

आपदाओं के आर्थिक और सामाजिक प्रभाव

भाग–I

परिचय एवं विहंगावलोकन

सांख्यिकीय रिपोर्ट का दावा है कि 1950 के दशक में पूरे विश्व में वर्ष में 50 से कम आपदाएं हुईं थी; यह संख्या अब बढ़कर लगभग 700 हो गई है। इनमें से मौसम से संबंधित आपदाएं लगभग 70 प्रतिशत थीं। इन आपदाओं का अर्थव्यवस्था पर खराब असर पड़ रहा है। 1950 के दशक में 40 बिलियन का नुकसान रहा, जो 1990 के दशक में बढ़कर 676 बिलियन हो गया। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 2050 तक लगभग 300 बिलियन अमरीकी डालर का चौंका देने वाला वार्षिक नुकसान होगा।

आपदाओं में लगभग 90 प्रतिशत मौतें विकासशील देशों में होती है, जिनकी विपत्तियों का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयारी नहीं होती। दक्षिण–एशिया में 1987–1996 के दौरान प्राकृतिक आपदाओं से हुई मौतों की संख्या 51 हजार थी, जबकि 1992–2001 के दौरान उप–महाद्वीपों में प्राकृतिक और मानव जनित आपदाओं से 96,285 मौतें हुईं। अनुमान लगाया गया है कि गुजरात में भूकम्प से लगभग 5 बिलियन अमरीकी डॉलर का नुकसान हुआ, 19,727 लोग मारे गए, 166,000 घायल हुए और 600,000 बेघर हुए। उड़ीसा में 1999 में आए "महा–चक्रवात" में 20,000 से भी अधिक लोगों की मौतें हुईं, 700,000 पशुओं की जानें गईं और 2 करोड़ लोग बेघर हुए। अर्थव्यवस्था को लगभग 7 बिलियन अमरीकी डॉलर का नुकसान हुआ।

भारत आपदाओं के लिए राहत एवं पुनर्वास कार्यों की लागत को पूरा करने के लिए अपने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का लगभग 2 प्रतिशत सालाना खर्च करता है। आमतौर पर, अर्थव्यवस्था को होने वाले मौद्रिक नुकसानों को तीन श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है :

क) **प्रत्यक्ष लागतें** (परिसंपत्तियों की पूंजीगत लागतें);

ख) **अप्रत्यक्ष लागतें** (वस्तुओं एवं सेवाओं की आवाजाही को क्षति); और

ग) **गौण प्रभाव** (समग्र आर्थिक विकास पर अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन प्रभाव)।

उद्देश्य

अर्थव्यवस्था पर आपदाओं का प्रभाव और यह किस प्रकार विकास प्रक्रिया पर असर डालती है, के संबंध में प्रशिक्षुओं के जानकारी स्तर को बढ़ाना।

तरीके

प्रस्तुतीकरण और परिचर्चा, सकारात्मक विचारोत्तेजक चर्चा

सामग्री/सीखने के लिए सहायक जानकारी

फ्लिप चार्ट, ओएचपी/एलसीडी, सफेद बोर्ड

सत्र अवधि

एक सत्र (विवरण के लिए पृष्ठ सं. 9 देखें)

अनुमानित शिक्षण परिणाम

ध्यानात्मक/जानकारी संबंधी :

क) आपदा एवं विकास के आपस में संबंध के बारे में बेहतर जानकारी होना।

क्षमता/कुशलता संबंधी :

क) इस विषय को समर्थन देने के लिए बढ़ी हुई योग्यता।

उप–प्रसंग/मुख्य शिक्षण बिंदु/विषय

क) आपदा–विकास लिंकेज (कड़ियां);

ख) आपदा के कारण हुए नुकसान तथा आपदाओं से प्रभावित लोग;

ग) राहत एवं पुनर्वास कार्यों पर खर्च;

घ) अर्थव्यवस्था पर आपदा का प्रभाव;

ड.) लागत के संबंध में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव;

च) गौण प्रभाव;

छ) क्या आपदा की रोकथाम किफ़ायती है?

ज) आपदा–पर्यावरण संबंध; और

झ) आपदा कार्रवाइयों में बड़ी बाधाएं।

पूरक शिक्षण सहायता सामग्री

स्वास्थ्य पर आपदा के प्रभाव, सामान्य चिकित्सा समस्याओं, आर्थिक प्रभाव आदि पर हैंडआउट एवं स्लाइड्स;

अतिरिक्त अध्ययन/संदर्भ

"डिज़ॉस्टर कम्युनिकेशन" – दुर्योग निवारण का एक प्रकाशन–2002

मददगार के लिए टिप्पणी

यह जानकारी केंद्रित विषय है। मददगार विचार–मंथन के तरीके से इस विषय पर प्रशिक्षुओं को लगाए रखें और इस बात को ध्यान में रखें कि आपदा रोकथाम एवं तैयारी के द्वारा उनमें से प्रत्येक व्यक्ति देश के विकास में अपना योगदान दे सकता है।

खंड 4

भाग– II : पूरक शिक्षण सहायता सामग्री

एसएलएस–7

स्लाइड

आपदा का स्वास्थ्य और सफाई पर प्रभाव

जल प्रदूषण :

इससे महामारियां, संक्रमण, तथा अन्य प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं।

खाद्य गुणवत्ता में कमी तथा संदूषण :

पोषक तत्वों की कमी संबंधी विकारों, गंभीर बीमारी और मृत्यु की ओर ले जाती है।

सफाई संबंधी प्रणालियों में रुकावट उत्पन्न होना :

संक्रमण, बीमारियां, महामारियां।

संचार व्यवस्था में रुकावट उत्पन्न होना :

अनिवार्य वस्तुओं, विशेष रूप से भोजन का उपलब्ध न होना

भारी भीड़ जमा होना (शरण–स्थलों पर) :

मानसिक तनाव, ट्रॉमा, संक्रमण आदि

एसएलएस–8

स्लाइड

आपदा प्रबंधन के दौरान आम चिकित्सा समस्याएं

क) जल जनित तथा खाद्य जनित बीमारियां : दस्त, पेचिश, हैजा, जठरांत्रशोध, खाद्य विषाक्तता, हैपेटाइटिस (पीलिया) तथा टाइफाइड बुखार।

ख) तीव्र श्वसन संक्रमण, मेनिंगोकोक्सल मेनिन्जाइटिस, जापानी इन्सेफेलाइटिस

ग) चोट, जिनमें प्रथमोपचार की आवश्यकता हो

घ) जानवरों का काटना, सांप का काटना

ड.) वेक्टर जनित बीमारियां : मलेरिया, डेंगू बुखार, सन्निपात बुखार (टाइफ़स);

च) मनोवैज्ञानिक बीमारी : आपदा–पश्चात् मानसिकता

छ) व्यावहारिक समस्याएं : शराबखोरी, अत्यधिक आक्रामकता आदि।

खंड 4

एसएलएस–9

हैंडआउट

आपदाओं का आर्थिक प्रभाव

आपदा का अर्थव्यवस्था पर होने वाले प्रभाव को तीन प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है :

- प्रत्यक्ष लागतें
- अप्रत्यक्ष लागतें
- गौण प्रभाव

आपदाओं का आर्थिक प्रभाव (जारी...)
प्रत्यक्ष लागतें

आपदा में नष्ट/क्षतिग्रस्त आस्तियों की पूंजीगत लागतें (जैसे इमारतें, अन्य भौतिक मूलभूत संरचना, कच्चा माल तथा इसी प्रकार का अन्य)। प्रायः ऐसे परिकलनों में फसल हानियों को शामिल किया जाता है।

आपदाओं का आर्थिक प्रभाव (जारी...)
अप्रत्यक्ष लागतें

वस्तुओं एवं सेवाओं की आवाजाही को नुकसान। इसमें फैक्ट्रियां, जो नष्ट एवं क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, से कम उत्पादन; क्षतिग्रस्त मूलभूत संरचनाओं जैसेः सड़कों एवं बंदरगाहों के कारण बिक्री आय का नुकसान; और अपेक्षाकृत अधिक महंगी सामग्री या अन्य निविष्टियां जहां सामान्य सस्ता आपूर्ति (सप्लाई) का स्रोत प्रभावित हो जाता है, शामिल होती हैं। इनमें बीमारी, चोट तथा मृत्यु बढ़ने के कारण चिकित्सा खर्चों की लागतें तथा नष्ट उत्पादकता की लागतें भी शामिल होती हैं।

आपदाओं का आर्थिक प्रभाव (जारी...)
गौण प्रभाव

आपदा का समग्र आर्थिक कार्यनिष्पादन पर अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है। इनमें बाहरी व्यापार तथा सरकारी बजट संतुलन की विकृति, नियोजित सरकारी खर्च का पुनर्आबंटन तथा बड़ी हुई ऋणग्रस्तता शामिल हैं। आपदाएं आय संवितरण के ढांचे या मात्रा और गरीबी के पैमाने तथा विस्तार को भी प्रभावित कर सकती हैं।

स्रोत– बेंसन सी, दि कास्ट ऑफ डिजास्टर्स इन ट्विग जे (एडीशन) डिवेलपमेंट एट रिस्क/नेचरल डिजास्टर्स एंड थर्ड वर्ल्ड। लंडन यू.के. नेशनल को–ऑर्डिनेशन कमेटी फॉर दि आइडीएनडीआर (1998)

एसएलएस–10
हैंडआउट

क्या आपदा निवारण, किफायती है?

आपदा प्रबंधन में कारगर निवारण रणनीतियां एवं निवारण संस्कृति महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि :

क) निवारण न केवल विभिन्न आपदाओं के लिए अपेक्षित बहुत बड़ी नकद राशि को बचाता है, अपितु, असंख्य जीवन, जो अन्यथा समाप्त हो जाते, को भी बचाता है।

ख) यह प्राकृतिक संसाधनों जैसेः सूखा के दौरान जल संसाधनों, बाढ़/सूखा में कृषि भूमि को होने वाले नुकसान को बचाता है।

ग) विकास योजनाओं में आपदा निवारण को शामिल करने से भावी निवेश के लिए अतिरिक्त आर्थिक स्थिरता आती है।

घ) यह कठिन श्रम को कम करने में मदद करता है, विशेष रूप से महिलाओं के लिए उनके दैनिक जीवन में जल, ईंधन, चारा आदि एकत्रित करने जैसे कार्यों में।

क्या आपदा निवारण, किफायती है? (जारी...)

ड.) आपदा निवारण सुरक्षा रणनीति कृषि उपज को काफ़ी हद तक सुरक्षित करती है;

च) आपदा की रोकथाम करके एक देश अपने लोगों की जीविका के स्त्रोत को सुरक्षित रखता है;

छ) विकास कार्यों में राष्ट्रीय, स्थानीय एवं विदेशी निवेश को आकर्षित करता है;

ज) सूक्ष्म एवं बृहत्, दोनों स्तरों पर लोगों के स्थानांतरण की दर को कम करता है;

झ) यह न केवल प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षित रखता है अपितु समुदाय की स्थानीय या स्वदेशी संस्कृति को भी सुरक्षित रखता है;

(ञ) यह आपदा के दौरान प्रभाव को न्यूनतम करता है, जोखिम एवं असुरक्षितता को कम करता है; और

त) राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को स्थिरता प्रदान करता है तथा अन्य संसाधनों को मानवीय संवेदनशीलता संबंधी कार्यक्रमों के लिए बचाता है।

4.3 विषय/प्रसंग:

आपदा शब्दावली और पारिभाषिक शब्दावलियों से परिचित होना

भाग–I

परिचय एवं विहंगावलोकन

विभिन्न प्रकार की आपदाओं की परिभाषाओं के विषय में वाद–विवाद जारी है। वैज्ञानिक एवं आपदा अनुसंधान संस्थान विभिन्न दृष्टिकोणों तथा परिप्रेक्ष्यों से नाम, शब्दों, शब्दावली, पदनामों का प्रयोग करते हैं और कई बार विशिष्ट शब्दावली को वर्णित/परिभाषित करते हैं। चूंकि, आपदा विभिन्न विषय क्षेत्रों जैसे : **परिस्थिति–विज्ञान, पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, जलवायु एवं मौसम का पूर्वानुमान, निर्माण, परिवहन, वितरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, औद्योगिकीकरण** और विकास के लगभग सभी पहलुओं को कवर करती है; इसलिए, **आपदा प्रबंधक** को इनकी जानकारी होनी चाहिए ताकि वह परिस्थितियों, एजेंसियों तथा विकास के विभिन्न क्षेत्रों में कटौती संबंधी मुद्दों पर कार्य कर सके।

उद्देश्य

क) भागीदारों/प्रशिक्षुओं की विभिन्न आपदा से संबंधित शब्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना तथा परिचित होना

तरीके

प्रश्नोत्तरी (क्विज़)–प्रशिक्षुओं की विभिन्न आपदा से संबंधित शब्दों/शब्दावली के बारे में जानकारी की दोबारा जांच (क्रॉस–चेक) करना।

सामग्री/सीखने के लिए सहायक जानकारी

शब्दकोश(डिक्शनरी), एलसीडी/सीडी, स्लाइड्स और हैंडआउट्स

सत्र अवधि

एक सत्र (विवरण के लिए पृष्ठ सं0 9 देखें)।

अनुमानित शिक्षण परिणाम

ध्यानात्मक/जानकारी संबंधी :

क) आपदा से संबंधित शब्दों की बेहतर जानकारी।

क्षमता/कुशलता संबंधी :

क) आपदा प्रबंधन के संदर्भ मे इन शब्दों का उपयुक्त प्रयोग करने की योग्यता।

उप–प्रसंग/मुख्य शिक्षण बिंदु/विषय

आपदा से संबंधित विभिन्न अवधारणाओं तथा शब्दों के बारे में परिचर्चा (अनुबंध–II देखें)

कार्यकलाप

क) प्रश्न और उनके उत्तर तैयार करें;

ख) प्रश्नोत्तरी (क्विज़) के लिए दो प्रतिस्पर्धी टीमों में बैठने के लिए यादृच्छिक रूप (एट रैंडम) से 5 से 7 प्रशिक्षुओं को चुनें;

ग) प्रत्येक टीम से बारी–बारी से आपदा शब्दावली पर प्रश्न पूछें और उन्हें एक मिनट के अंदर उत्तर देने के लिए कहें;

घ) यदि उत्तर सही हो, तो टीम को एक अंक (प्वाइंट) दें;

ड.) यदि एक टीम सही उत्तर नहीं दे पाती है, तो वही प्रश्न दूसरी टीम से पूछें। यदि सही उत्तर दें, तो दो अंक दें;

च) यदि कोई भी टीम सही उत्तर नहीं दे पाती है, तो बाकी प्रशिक्षुओं से प्रश्न पूछें; और

छ) प्रत्येक प्रश्न के अंत में व्याख्या सहित सही उत्तर दें।

पूरक शिक्षण सहायता सामग्री

आपदा से संबंधित शब्दों की सूची

अतिरिक्त अध्ययन/संदर्भ

क) ***डिज़ॉस्टर रिलीफ़ लायब्रेरी,*** **http://www.disasterrelief.org/library/dictionary**

ख) ***रिलीफ़ वेब,*** **http://reliefweb.org**

ग) **पर्यावरण पर रिपोर्टिंग : ए हैंडबुक फ़ॉर जर्नलिस्ट्स,** बैंकॉक, 1998

घ) **डिज़ॉस्टर कम्युनिकेशन : ए रिसॉर्स किट फ़ॉर मीडिया,** *ए दुर्योग निर्माण पब्लिकेशन, 2002*

मददगार के लिए टिप्पणी

क) इस प्रशिक्षण सत्र के उद्देश्यों को समझना और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रश्नोत्तरी (क्विज़) गाइड करना;

ख) प्रश्नोत्तरी सत्र के अंत में सभी प्रशिक्षुओं को प्रश्नोत्तरी के उत्तर बांटना;

ग) ऐसे प्रश्नों और जवाबों से बचें, जो विवादास्पद हों; और

घ) कृपया उस प्रश्नोत्तरी को नोट करें।

भाग–II : पूरक शिक्षण सहायता सामग्री

अनुबंध–VII में आपदा से संबंधित शब्दावलियों और पारिभाषिक शब्दावलियों को पढ़ें।

खंड 4

खंड–5

आपदा में स्वयंसेवकों के प्रबंधन से संबंधित चुनौतियां

विषय–वस्तु

5.1. आपदा में स्वयंसेवक से संबंधित प्रबंधन 73

5.2. नागरिक समाज संगठनों की सेवाएं लेना 81

5.3. युवा स्वयंसेवकों के संगठनों (ओवाईवी) को शामिल करना 86

5.4. नेतृत्व, प्रेरणा और टीम निर्माण कौशल को बढ़ावा देना 91

पूरक शिक्षण सहायता सामग्री

स्लाइड्स

* प्रभावी स्वयंसेवी प्रबंधन के लाभ, *पृ॰ 76*
* प्रभावी स्वयंसेवी प्रबंधन के संबंध में आठ कदम, *पृ॰ 77*
* युवा लोग ही क्यों स्वयंसेवक बनें?, *पृ॰ 90*

* नेतृत्व और समुदाय आधारित स्वयंसेवक संगठनों में नेतृत्व और टीम निर्माण, *पृ॰ 96*
* टीम के क्षमतापूर्ण सकारात्मक पहलू, *पृ॰ 97*
* टीम के क्षमतापूर्ण नकारात्मक पहलू, *पृ॰ 98*
* प्रभावी स्वयंसेवक टीम को बनाने के लिए कार्यनीतियां, *पृ॰ 99*
* टीम के मनोबल और उत्प्रेरण को बनाए रखने के लिए कदम, *पृ॰ 100*

जानकारी–सामग्री (हैंडआउट्स)

* स्वयंसेवकों की प्रेरणा बढ़ाने के उपाय, *पृ॰ 78*
* आपदा में स्वयंसेवकों की जिम्मेदारियां, *पृ॰ 84*
* स्वयंसेवकों की भूमिका और कार्य, *पृ॰ 88*

प्रकरण अध्ययन (केस स्टडी)

* बिहार का वीरतापूर्ण जज्बा, *पृ॰ 84*

5.1. विषय/प्रसंग :

आपदा में स्वयंसेवक से संबंधित प्रबंधन

भाग–I : विषय/प्रसंग

परिचय एवं विहंगावलोकन

आपदा में स्वयंसेवा का संबंध आपातकालीन प्रबंधन चक्र के किसी चरण के दौरान किए गए सभी स्वयंसेवी तथा स्वैच्छिक कार्यकलापों से है। पिछले अनुभव से पता चलता है कि असंबद्ध स्वयंसेवक प्रबंधन में आपदा के अंदर ही आपदा पैदा होने की संभावना बनी रहती है। इसलिए, देश के प्रत्येक जिले में स्थानीय तथा राष्ट्रीय आपातस्थिति से निपटने के लिए स्वयंसेवकों को जुटाने तथा प्रबंधन के लिए एक सम्मत कार्यसूची तैयार होनी चाहिए। तथापि, विरोधाभास यह है कि स्वयंसेवा के लिए लोगों की इच्छा और प्रणाली (सिस्टम) की इच्छा एवं उनका प्रभावी रूप से उपयोग करने की क्षमता से किस प्रकार मेल किया जाए। अक्सर, बहुत बार स्वयंसेवक प्रबंधन का मुद्दा किसी संरचित दृष्टिकोण के बिना कार्रवाई के बाद विचार में आता है।

यह कमी और अधिक स्पष्ट होती है जब त्रासदी में लोगों की पीड़ा को कम करने की इच्छा से हज़ारों स्वयंसेवक वास्तव में अभियान में जुड़ना चाहते हैं। वे अक्सर आपदा स्थान पर बिना तैयारी और अनेक मामलों में अपेक्षित कौशल के बिना तथा आपातकालीन प्रबंधन कार्रवाई पद्धति का हिस्सा न होने पर भी पहुंच जाते हैं।

इसलिए आपातकालीन प्रबंधन में, **स्वयंसेवक समन्वयन एक अनिवार्य प्रबंधन कार्य** है, और इसे सभी आपदा योजना प्रक्रियाओं में पूरी तरह से शामिल किया जाना चाहिए। यह विशेष रूप से कार्रवाई और बचाव के चरणों के दौरान अत्यधिक स्वयंसेवी ऊर्जा को उपयोग में लाने का अवसर एवं रास्ता प्रदान करने के साथ–साथ उनका सृजन भी करती है। आपदा संबंधी कार्यकलाप बहुत बड़े पैमाने के होते हैं और शीघ्र परिणाम जैसे दान दी गई वस्तुओं को छांटने, मलबा साफ़ करने व हटाने, बाढ़ के दौरान बालू की थैलियां लगाने, आवश्यकता–आधारित मदद के लिए संसाधनों को जुटाने आदि प्राप्त करने के लिए इनकी जिम्मेदारियां स्वयंसेवकों को दी जा सकती हैं।

उद्देश्य

क) स्वयंसेवकों और उनके प्रबंधन की भूमिका एवं जिम्मेदारियों को स्पष्ट करना;

ख) स्वयंसेवा से संबंधित प्रबंधन को आपदा तैयारी के महत्वपूर्ण कार्य के रूप में समझना और मान्यता देना;

ग) प्रभावी स्वयंसेवक संबंधी प्रबंधन के लाभों पर ध्यान केंद्रित करना;

घ) आपदा प्रबंधन के लिए समुदाय संसाधनों की पूरी श्रेणियों (रेंज), ऊर्जा एवं ज्ञान आधार का लाभ उठाना; और

ड.) आपदा के असर को कम करने के लिए नागरिकों की बढ़ी हुई सहभागिता को सुविधाजनक बनाना;

तरीके

व्याख्यान–सह–परिचर्चा, अनुभव बांटना, प्रकरण अध्ययन (केस स्टडी), समूह कार्य (ग्रुप वर्क) आदि।

सामग्री/सीखने के लिए सहायक जानकारी

फ्लिप चार्ट, ओएचपी/स्लाइड प्रोजेक्टर, वीडियो क्लिप्स।

सत्र अवधि

दो सत्र (विवरण के लिए पृष्ठ सं.–9 देखें)।

अनुमानित शिक्षण परिणाम

ध्यानात्मक/जानकारी संबंधी :

क) भागीदार आपदा की स्थिति में स्वयंसेवकों और उनके प्रबंधन की भूमिका एवं जिम्मेदारियों को समझने के योग्य होंगे।

क्षमता/कुशलता संबंधी :

क) आपदा के असर को कम करने में नागरिकों की बढ़ी हुई सहभागिता को सरल बनाने में कुशलताओं को बढ़ाना;

ख) नामांकित किए जाने वाले उचित प्रकार के स्वयंसेवकों को चुनने की क्षमता;

ग) स्वयंसेवकों के चयन, नामांकन और काम से संबद्ध रखने (रिटेंशन) की क्षमता; और

घ) स्वयंसेवकों की क्षमता का अभीष्टतम प्रयोग करने हेतु उन्हें व्यवस्थित करने का कौशल;

उप–प्रसंग/मुख्य शिक्षण बिंदु/विषय

क) आपदा में स्वयंसेवा–चुनौतियां एवं अवसर;

ख) स्वयंसेवकों के प्रभावी उपयोग का महत्व;

ग) प्रभावी स्वयंसेवक प्रबंधन के लिए रणनीतियों और दृष्टिकोणों को विकसित करना;

घ) प्रेरणा के स्तर को बनाए रखना;

ड.) हितधारकों के बीच अधिक से अधिक सहयोग की सुविधा;

च) मौजूदा स्वयंसेवक नेटवर्कों की संख्या में वृद्धि करना;

छ) प्रभावी आपदा स्वयंसेवक होने के लिए लोगों को शिक्षा देने एवं प्रशिक्षित करने हेतु योजना तैयार करना;

ज) सफल आपदा स्वयंसेवकों के आदर्श (मॉडल्स);

झ) आपदा स्वयंसेवक प्रबंधन अभ्यास एवं कवायद (ड्रिल्स) तैयार और संचालित करना;

ञ) योजना बनाने एवं स्वयंसेवक समन्वयन निष्पादित/कार्यान्वित करने में स्थानीय

स्वयंसेवक प्रबंधन के पेशेवर लोगों की विशेषज्ञता की मात्रा में वृद्धि करना;

ट) समुदाय को स्वयंसेवक योजना के संबंध में मार्गदर्शन उपलब्ध कराना;

ठ) स्वयंसेवक संसाधन सूचना पर डेटाबेस;

ड) स्वयंसेवा देने के अवसरों को बढ़ावा देना; और

ढ) स्वयंसेवा प्रयासों की तालमेल एवं एकत्रण (कन्वर्जेन्स)।

पूरक शिक्षण सहायता सामग्री

प्रभावी स्वयंसेवक प्रबंधन के लाभों, आठ कदमों, प्रेरणा बढ़ाने के उपायों पर हैंडआउट्स तथा स्लाइड्स

अतिरिक्त अध्ययन/संदर्भ

क) यूएन इंटरनेशनल ईयर ऑफ़ वालियंटर्स डेक्लेरेशन, 2005

ख) www.energizeinc.co.art.html

ग) www.serviceleader.org/manage

घ) www.worldvolunteerweb.org

मददगार के लिए टिप्पणी

क) स्वयंसेवक प्रबंधन की शक्तियों, और चुनौतियों को जानने के लिए सत्र अधिक भागीदारपूर्ण होना चाहिए;

ख) प्रशिक्षुओं को आपदा स्थिति में प्रभावी स्वयंसेवी प्रबंधन के महत्व की स्पष्ट समझ होनी चाहिए;

ग) स्वयंसेवक प्रबंधन की समझ सुनिश्चित करने के लिए व्यावहारिक अभ्यास/निभाई जाने वाली भूमिका पर फोकस/कृत्रिम कवायद (मॉक–ड्रिल्स) संचालित किए जाने की आवश्यकता है;

घ) प्रभावी स्वयंसेवक प्रबंधन के लिए मार्गदर्शन दिया जाए/मार्गदर्शी सिद्धांत परिचालित किए जाएं;

ड़) स्वयंसेवक प्रबंधन के लिए उपलब्ध स्थानीय संसाधनों एवं अवसरों की पहचान और पुनःअवस्थापन के लिए सुझाव (टिप्स) दें;

च) घटना प्रतिक्रिया प्रणाली संबंधी और प्रबंधन प्रणाली की अवधारणा में स्वयंसेवक कहां सही बैठते हैं, इसके बारे में उन्हें व्यापक जानकारी दें।

भाग– II : पूरक शिक्षण सहायता सामग्री

एसएलएस–1

स्लाइड

प्रभावी स्वयंसेवक प्रबंधन के लाभ

क) प्रथम प्रतिक्रियादाताओं/स्वयंसेवकों को, स्वयं को व्यवस्थित करने की बिना किसी अतिरिक्त जिम्मेदारी के, अपनी ड्यूटी करने के अधिकार प्रदान करता है।

ख) अर्थपूर्ण एवं गुणवत्तापूर्ण स्वयंसेवा से संबंधित अनुभव को सुनिश्चित करता है, लोगों को भविष्य में समुदाय सेवा का अनुभव प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है।

ग) आपदा चक्र में आवश्यकता वाले अतिरिक्त क्षेत्रों में स्वयंसेवकों को लगाया जा सकता है।

घ) समुदायों को आपदा की सभी स्थितियों में नागरिकों को प्रभावी रूप से मदद कार्य में लगाने के तरीके की जानकारी होगी।

ड़) सुव्यवस्थित स्वयंसेवकों की ऊर्जा तथा उनके प्रयासों से आपदा से हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति की प्रक्रिया में तेजी आती है।

च) लोगों के ऐसे कार्यों में भाग लेने की संस्कृति को बढ़ावा देता है।

एसएलएस–2

स्लाइड

प्रभावी स्वयंसेवक प्रबंधन के संबंध में आठ कदम

कदम 1 :	आपदा में स्वयंसेवक की तैनाती (पोजीशन) की योजना
कदम 2 :	लोगों को स्वयंसेवा करने के लिए कहना
कदम 3 :	स्वयंसेवकों का साक्षात्कार (इंटरव्यू) और तैनाती
कदम 4 :	स्वयंसेवकों का विषय–अनुकूलन (ओरिएंटेशन) और प्रशिक्षण
कदम 5 :	पर्यवेक्षण एवं संप्रेषण
कदम 6 :	रिकॉर्ड करना एवं रिपोर्ट करना
कदम 7 :	मूल्यांकन
कदम 8 :	स्वयंसेवक को उसके कार्य के अनुरूप पहचानना और उसे स्वयंसेवा के काम से जोड़े रखना

एसएलएस–3

हैंडआउट

स्वयंसेवकों में मदद करने की प्रेरणा बढ़ाने के उपाय

स्वयंसेवक कई संगठनों के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन होते हैं, विशेष रूप से उनके लिए, जो आपदा की स्थितियों में कार्य कर रहे हैं। किसी स्वयंसेवक आधारित संगठन की सफलता/कारगरता मुख्य रूप से उचित प्रकार से प्रेरित स्वयंसेवकों के पर्याप्त संख्या में नामांकन तथा उन्हें स्वयंसेवा से जोड़े रखने (रिटेंशन) पर निर्भर करती है।

स्वयंसेवकों की प्रेरणा

स्वैच्छिक प्रेरणा एक व्यक्ति/स्वयंसेवक के अंदर से आती है, जब उसे सौंपा गया कार्य भला करने वाला, रचनात्मक किस्म का हो और उसे कुछ स्तर की संतुष्टि प्रदान करता हो। स्वयंसेवकों के लिए प्रेरणा देने वाले कुछ कारक निम्नानुसार हैं :–

- उपलब्धि
- क्षमता
- आपदा में लोगों से संबद्धता
- स्वयं के मदद कार्य को मान्यता मिलना
- परोपकारिता (ऐल्ट्रूइज्म)

स्वयंसेवकों की प्रेरणा (जारी...)
उपलब्धि

उपलब्धि उन्मुख व्यक्ति/स्वयंसेवक ऐसी परिस्थितियों को खोजते हैं, जिनमें उच्च स्तर के कार्य (बड़े काम) को करने की आवश्यकता होती है और जिनमें वे किसी भी बाधा की परवाह किए बिना अपनी विशेषज्ञता को सिद्ध कर सकता/सकती है तथा दूसरों से अधिक श्रेष्ठ कार्य कर सकता/सकती हैं। ऐसे व्यक्तियों की अच्छे काम के लिए प्रेरित होने की आवश्यकताओं को नाजुक स्थितियों में उनकी सहायता मांगकर, उन्हें चुनौतीपूर्ण कार्य, जिनमें दक्षता की आवश्यकता होती है, देकर तथा नए कौशल एवं यंत्रों का इस्तेमाल सीखने की अनुमति देकर और उनके कामों पर स्पष्ट प्रतिक्रिया (फीड–बैक) देकर पूरा किया जा सकता है।

स्वयंसेवकों की प्रेरणा (जारी...)
क्षमता

आपदा की स्थितियों में अपनी क्षमता बढ़ाने वाले काम अथवा क्षमतापूर्ण व्यक्ति अधिकार उन्मुख व्यक्ति या स्वयंसेवक अपने विचारों से दूसरों पर अपनी क्षमता का प्रभाव/असर डालना चाहते हैं। वे हमेशा ऐसी परिस्थितियों पर विजय पाना चाहते हैं और दूसरों से अपने तरीकों से कार्य करवाना चाहते हैं। वे लोगों को संप्रेषण के माध्यम से प्रभावित करने के उपाय ढूंढते हैं। अपनी क्षमता पर गौरवान्वित स्वयंसेवकों को, दूसरों को निर्देश देकर, सहकर्मियों/पर्यवेक्षकों के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान करके, उनके कार्य की गति को नियंत्रित करने की अनुमति देकर, उनसे कार्य किस प्रकार कराया जा सकता था, के बारे में पूछकर, उन्हे प्रबंधकीय कौशल वाले कार्य देकर, आपदा पश्चात् मदद कार्यों हेतु अच्छी तरह से निर्देशित किया जा सकता है।

स्वयंसेवकों की प्रेरणा (जारी...)
आपदा में लोगों से संबद्धता

आपदा में लोगों से संबद्धता के उद्देश्य वाले एक व्यक्ति/स्वयंसेवक दूसरों के साथ मित्रता और संबंध बनाने पर अधिक महत्व देता है और दूसरों की भावनाओं का ध्यान रखता है। उसे स्वयंसेवा का सामाजिक पहलू अपेक्षाकृत अधिक प्रभावित करता है। ऐसे स्वयंसेवकों को लोगों के साथ कार्य करने और उनके साथ रहने, उनके सह कार्यकर्त्ताओं के साथ कार्य–समाप्ति के बाद बातचीत करने, उन्हें ऐसा कार्य देकर, जिसमें सहयोग की अपेक्षा हो, देकर आपदा के पश्चात् मदद कार्यों में सही ढंग से निर्देशित किया जा सकता है।

स्वयंसेवकों की प्रेरणा (जारी...)
स्वयं के मदद कार्य को मान्यता

स्वयं को मिली मान्यता द्वारा प्रेरित होने वाले व्यक्ति अथवा स्वयंसेवक प्रतिष्ठा–हैसियत एवं लोकप्रियता को अधिक पसंद करते हैं। ऐसे स्वयंसेवक सु–स्पष्ट अल्प–कालिक कार्यों को वरीयता देते हैं, ताकि एक कार्य का समय पर पूरा होने के बाद वे नए कार्यों को ले सकें। ऐसे स्वयंसेवकों को शीघ्र पूरा होने वाले कार्य देकर, रेडियो, टी.वी. या अन्य किसी जन–संचार माध्यम पर सब लोगों की निगाह में आने की अनुमति देकर, उन्हें फलक, प्रमाण–पत्र देकर, उनकी उपलब्धियों की सार्वजनिक घोषणा करके और उन्हें सरकारी समारोहों में आमंत्रित करके या आमंत्रित करवाकर, आपदा पश्चात् कार्यों में सही ढंग से निर्देशित कर सकते हैं।

स्वयंसेवकों की प्रेरणा (जारी...)
परोपकारिता

परोपकारी व्यक्ति या स्वयंसेवक ऊंचे आदर्श और मूल्य वाले होते हैं। वे उत्तरदायित्व की चिंता करते हैं और सामान्य उद्देश्यों के लिए उपलब्धि हासिल करने का प्रयास करते हैं। ऐसे स्वयंसेवकों को उन्हीं मूल्यों तथा लक्ष्यों वाले अन्य लोगों के साथ शामिल करके, उच्च प्रतिबद्ध लोगों के साथ कार्य करने की अनुमति देकर, उन्हें स्वयंसेवा के अवसर, जो स्वीकृत समुदाय सरोकारों और एजेंसी के मिशन के चारों ओर केंद्रित होते हैं, प्रदान करके, सही ढंग से निर्देशित कर सकते हैं।

स्रोत– नेशनल एप्रोच पेपर ऑन रिवेम्पिंग ऑफ़ सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन, के.एम.सिंह, मेम्बर, एनडीएमए

5.2. विषय/प्रसंग :

नागरिक समाज संगठनों की सेवाएं लेना

भाग–I

परिचय एवं विहंगावलोकन

नागरिक समाज संगठनों का **आपदा कार्रवाई** में दिया गया योगदान एक जाना–माना तथ्य है। नागरिक समाज सरकार से बाहर का कार्यक्षेत्र और बाजार है, जहां लोग उभयनिष्ठ उद्देश्य के लिए सहयोग करते हैं। इसमें **व्यक्तियों, कार्यकर्ताओं, समुदाय आधारित संगठनों, स्व–सहायता समूहों, धर्मार्थ संगठनों, मुद्दा आधारित समूहों** की विविधता होती हैं। उनमें से बहुत से जमीनी स्तर पर कार्य करते हैं। देश में लोकहितैषी, कल्याण और मानवाधिकार की हिमायत के कार्यकलापों में लगे लाखों की संख्या वाले मजबूत नागरिक समाज संगठन हैं। संकट में लोगों की मदद करने में ऐसे दक्ष गैर सरकारी संस्थाओं/व्यक्तियों की भागीदारी लोगों की पीड़ा कम करने के उद्देश्य से चलाई गई किसी मुहिम की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है।

भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा अन्य सरकारी एजेंसियां अग्रणी भूमिका निभाती हैं। तथापि, उनकी कुछ जिम्मेदारियां, विशेषकर आपदा में बच गए लोगों को ट्रॉमा सेवाएं प्रदान करने, परामर्श देने और राहत सुविधाएं देने के लिए उनसे बातचीत/संपर्क करना, नागरिक समाज समूहों को सौंपी जा सकती हैं।

नागरिक समाज संगठन की किसी भी आपातकालीन स्थिति में हालात के साथ तेजी और कुशलता से निपटने के लिए एक साख है। अधिकांश आपदाओं और छोटे पैमाने की आपातस्थितियों में कार्रवाई के लिए मिला समय महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा, जब दान वस्तुओं के रूप में आना शुरू होता है, तो नागरिक समाज संगठन इसका सही वितरण करने और बर्बादी एवं चोरी को रोकने में सहायक हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब गुजरात में भुज में भूकंप और उड़ीसा में महाचक्रवात के दौरान जब वस्तुओं के रूप में दान अर्थात् दवाइयां, कपड़े, पोलीथीन शीटें, कम्बल, खिलौनें, किताबें, घरेलू चीजें आनी शुरू हुईं, तो उन्हें संभालना एक समस्या बन गई थी और उसके कारण कुछ बर्बादी और चोरी हुई। विभिन्न भागीदार नागरिक समाज संगठनों में समन्वयन की आवश्यकता है। उनमें घटना प्रतिक्रिया प्रणाली (आईआरएस) की अवधारणा स्पष्ट की जाए और उन्हें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि वे कार्रवाई तंत्र में कैसे और कहां सही फिट बैठते हैं।

जन–जागरूकता पैदा करना एक दूसरा महत्वपूर्ण घटक है जहां नागरिक समाज संगठन महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। लोग तब क्या करें जब उन्हें भूकंप, चक्रवात, आतंकी हमले या बम विस्फोट का सामना करना पड़े, चाहे घर में हों, कार्यालय में या गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए गए हों/अधिकांश लोग घबरा जाते हैं और वे सभी कार्य करना बंद कर देते हैं, जो वास्तव में उन्हें नहीं करने चाहिए, इस तरह वे अपने को बड़े जोखिम में डाल देते हैं। इसलिए, **तैयार रहने के लिए** नागरिक समाज संगठन साथ में विद्यालय, क्लबों, महाविद्यालयों, गैर–सरकारी

संगठनों, धर्मार्थ संगठनों तथा धर्म–निरपेक्ष संगठनों, ट्रेड यूनियनों, दाह–संस्कार/दफन कार्य में लगी सोसायटी आदि के सभी सदस्यों को **आपदा से संबंधित सुरक्षा कवायदों (ड्रिल्स) में भाग लेना चाहिए।**

उद्देश्य

नागरिक समाज संगठनों के स्वयंसेवकों को एनडीएमए आईआरएस के दिशानिर्देशों के अनुसार किसी भी आपातकालीन स्थिति का साहस एवं सामूहिक प्रयासों से सामना करने में स्वयं को लगाने के लिए प्रेरित करना।

तरीके

एक साथ मिलकर कार्य करने के लाभों पर नेटवर्किंग की ताकत, गठबंधन के निर्माण और गहन ज्ञान, कौशल, रवैया और परिप्रेक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने पर पैनल परिचर्चा या कार्यशाला।

सामग्री/सीखने के लिए सहायक जानकारी

चित्र, वीडियो क्लिप्स, श्वेत पट्ट (वाइट बोर्ड), मार्कर, हैंडआउट्स, ओएचपी/एलसीडी।

सत्र अवधि

दो सत्र (विवरण के लिए पृष्ठ सं–9 देखें)।

अनुमानित शिक्षण परिणाम

ध्यानात्मक/जानकारी संबंधी :

क) आपदा के संबंध में नागरिक समाज के कार्यों, संगठनों, भूमिकाओं, विशेषज्ञताओं तथा अनुभव एवं संसाधन आधार को समझना।

क्षमता/कुशलता संबंधी :

क) जन–जागरूकता, प्रशिक्षण, बचाव, राहत, पुनर्वास कार्य तथा समुदाय के क्षमता निर्माण की प्रक्रिया के लिए नागरिक समाज संगठनों के साथ नेटवर्क स्थापित करने की योग्यता।

उप–प्रसंग/मुख्य शिक्षण बिंदु/विषय

क) नागरिक समाज के कार्य गति–विज्ञान (वर्क डाइनैमिक्स) को समझना;

ख) नागरिक समाज–अंतरापृष्ठ (इंटरफ़ेस), तालमेल और विवाद;

ग) आपदा प्रबंधन में गैर–राज्य सरकार की एजेंसियों की भूमिका;

घ) आपदा प्रशमन में उनका ज्ञान, अनुभव आधार तथा योगदान;

ड.) सार्वजनिक–निजी भागीदारी रूपरेखा;

च) राहत, एवं बचाव कार्य में सरकारी कार्रवाई में व्याप्त खास कमियों को दूर करना;

छ) संस्थागत स्वायतत्ता, प्रतिक्रियाशीलता, गैर–राजनीतिक निर्णय लेना;

ज) विशेषज्ञता, उपलब्धता, दृश्यता, सक्रिय, स्व–स्थाने (इन–सीटू) कार्रवाई;

झ) कार्यकलापों की विस्तृत श्रेणी जिनमें स्वयंसेवक लिप्त हों अर्थात बचाव, राहत शिविरों की स्थापना, राहत सामग्रियों का वितरण, चिकित्सा सहायता, आश्रय, मनो–सामाजिक सहायता, आवश्यक वस्तुओं का संग्रहण;

ञ) समन्वय तंत्र/मंच;

ट) ज्ञान, परिप्रेक्ष्यों, जानकारी, कौशल आदि की साझेदारी;

ठ) प्रतिक्रिया (फीडबैक) देना, बेहतर संप्रेषण को सरल बनाना तथा सामर्थ्य को अधिकतम करना;

ड) मानवाधिकारों की हिमायत, सार्वजनिक नीति को प्रभावित करने और राहत, पुनर्वास कार्यों तथा पुनर्निर्माण प्रक्रियाओं में नागरिक समाज का उपयोग करना; और

ढ) आपदा से संबंधित सुरक्षा कवायदों का आयोजन।

पूरक शिक्षण सहायता सामग्री

क) नागरिक समाज की विभिन्न श्रेणियों पर हैंडआउट्स;

ख) प्रकरण अध्ययन;

अतिरिक्त अध्ययन/संदर्भ

क) आपदा में नागरिक समाज संगठनों का योगदान, ***बेसिक सोशल सर्विसिज़ फ़ॉर ऑल*** : यूएन, 1997

ख) आपदा कार्रवाई में राज्य एवं नागरिक समाज संगठन, **पोस्ट सुनामी इन तमिलनाडु : *डिज़ॉस्टर एंड डिवेलपमेंट*** –वॉल्यूम –1, सं.–1 पीपी –77–100:

मददगार के लिए टिप्पणी

यह विषय आधारित सत्र है

क) सुनिश्चित करें कि भागीदारों को आपदा के संदर्भ में नागरिक समाज की भूमिकाओं एवं जिम्मेदारी तथा प्रासंगिकता की जानकारी मिले;

ख) पैनल परिचर्चा पर्याप्त तैयारी के साथ आयोजित की जाए;

ग) पैनल के सदस्यों की विशेषज्ञता और अनुभव को ध्यान में रखते हुए उनका सावधानीपूर्वक चयन करें;

घ) सीमित समय को देखते हुए पैनल के सदस्यों की संख्या तीन से अधिक नहीं हो; और

ड़) पैनल के सदस्यों को सत्र के शिक्षण उद्देश्यों को तय समय से काफी पहले से परिचालित करें और उन्हें अपना प्रस्तुतीकरण (प्रेजेंटेशन) अधिकतम 10 मिनट तक सीमित रखने के लिए कहा जाए जिसके बाद परिचर्चा की जाए।

भागीदारों को उनके समुदाय में अनुभव किए गए आपदा संकट से मिले ज्ञान को प्रकट करने/बांटने का अवसर दिया जाए।

भाग– II : पूरक शिक्षण सहायता सामग्री

एसएलएस–1

हैंडआउट

आपदा में स्वयंसेवकों की जिम्मेदारियां

आपदा–पूर्व एवं प्रशमन

क) जन जागरूकता; और

ख) निम्नलिखित का क्षमता निर्माण;

i) समुदाय;

ii) सरकारी विभाग;

iii) नगरपालिकाएं; और

iv) स्वयंसेवा से संबंधित अन्य संगठन/सहायक आपातकालीन प्रतिक्रियादाता संगठन जैसे : एनसीसी, एनवाईकेएस, एनएसएस, रेड क्रॉस, आदि।

आपदा–पश्चात् कार्रवाई एवं राहत

क) आपातकालीन बचाव राहत, और पुनर्वास कार्य।

एसएलएस–2

प्रकरण अध्ययन (केस स्टडी)

बिहार का वीरतापूर्ण जज्बा!

विपत्ति के समय के दौरान बहादुरी के कई ऐसे वास्तविक साहसिक कार्य/कारनामे हमारे सामने आते हैं, जो हमें मानवता की भावना को सलाम करने और मानव जाति पर गर्व का अनुभव करने के लिए प्रेरित करता है। ऐसा एक उदाहरण **झूलन राय**, 36–वर्षीय–वृद्ध, पूर्णिया, बिहार के अभयराम, गांव के मुखिया का है। कोसी नदी में आई दुःखद बाढ़ के दौरान, उसने अकेले ही और आरंभ में सरकार की किसी सहायता के बिना, सबसे बड़ा शरणार्थी शिविर (कैंप) लगाया, जो भारत में इससे पहले कभी नहीं लगाया गया–इसमें **21,830** ग्रामीणों को शरण दी गई, जिनमें लगभग **11,000** बच्चे थे!

"सुबह पौ फटते ही, झूलन राय जाग जाता है और अपनी मिट्टी की झोंपड़ी के बाहर खाट पर बैठ जाता है। अभयराम, गांव का 36–वर्षीय–वृद्ध मुखिया खुले आसमान के नीचे सोता है, ताकि लोगों को यदि उसकी मदद की ज़रूरत पड़े, तो वे उसे जगा सकें।

बहुत जल्दी ही, वह सीधे आम के बाग की तरफ बढ़ता है, जहां उसने लगभग 22,000 ग्रामीणों जिन्होंने 22 अगस्त को, जब कोसी नदी लगभग बेल्ज़ियम के आकार वाले क्षेत्र को डुबाने के लिए ऊपर उठ रही थी, आस–पास के इलाकों से धीरे–धीरे आना शुरू कर दिया था, के लिए राहत कैंप लगाया। उसका पहला काम शिविर में 11,000 बच्चों को नाश्ता मिलना सुनिश्चित करना है। राय, एक भूतपूर्व जीप चालक (ड्राइवर) जो पिछले वर्ष गांव परिषद के लिए चुना गया था, ने कहा "मुझे नहीं लगता कि मुझे जीवन में कभी भी इससे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा।" वह जनता की भलाई के काम करना जारी रखने की आशा रखता है।

वहां किसी सरकारी अधिकारी को नहीं देखा गया। प्रशासन की उदासीनता ने राय को अपना साहस दिखाने का अवसर दिया है। जैसे–जैसे शरणार्थियों ने आना शुरू किया, अभयराम गांव के 18,000 निवासियों ने नए आने वाले इन लोगों के लिए अपने अनाज के भंडारों को उदारतापूर्वक खोल दिया। उन्होंने यह कार्य दस दिन तक किया। राय ने बताया कि उसके बाद सरकार से धीर–धीरे स्टॉक आना शुरू हुआ। अब भी, एक महीने के बाद सरकार के स्टॉक सभी शरणार्थियों के लिए पर्याप्त नहीं हैं।

साहसिक झूलन शांत रहता है। ह्रष्ट–पुष्ट दाढ़ी वाले व्यक्ति ने कहा "यह एक बहुत बड़ा कार्य है," परंतु हम निश्चित रूप से इन लोगों को छोड़कर जाने के लिए नहीं कह सकते। ये लोग कहां जाएंगे?"

केवल आधे शरणार्थियों को ही सरकार की ओर से तम्बू मिले हैं। लेकिन, अभयराम गांव से लगभग 60 किलोमीटर दूर पूर्णिया शहर में, जहां प्रशासन ने बहुत बड़ा शिविर लगाया है, मांगने पर तम्बू जा रहे हैं।

बाढ़ के बाद, पूर्व की ओर में लोगों का तांता नजदीकी सूखे (बाढ़ से अप्रभावित) स्थान–अभयराम की ओर बढ़ा। गांव के सबसे बड़े आम के बाग में खड़े ग्रामीण भीम ने कहा "यह 2,000 लोगों" से शुरू हुआ, उसके बाद 5,000, फिर 10,000, 12,000, 17,000 तक संख्या जा पहुंची। "लोग अभी भी आ रहे हैं।"

जैसे ही, उस सुबह राय ने तम्बुओं की कतारों में घूमना शुरू किया, शरणार्थियों ने जोशपूर्वक उसे घेर लिया।

जयकिशन यादव, जिसका दस सदस्यों वाला परिवार अभयराम गांव में रहता है, ने कहा "हम मुखिया के कारण जीवित हैं। यहां पर हम आत्मीयता का अनुभव करते हैं।"

चित्रांगदा चौधरी, ईमेल लेखक, हिन्दुस्तान टाइम्स, 18 सितम्बर, 2008

झूलन राय

5.3. विषय/प्रसंग:

युवा स्वयंसेवकों के संगठनों (ओवाईवी) को शामिल करना

भाग–I

प्रस्तावना एवं विहंगावलोकन

भारत में दो करोड़ दस लाख (21 मिलियन) विद्यार्थियों एवं गैर–विद्यार्थियों के साथ युवा स्वयंसेवकों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। भारतीय रेड क्रॉस सोसायटी (आईआरसीएस) के ही साठ लाख (छह मिलियन) से भी अधिक स्वयंसेवक जूनियर और युवा रेड क्रॉस से संबंध रखते हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) से जुड़े करीबन 30 लाख (तीन मिलियन) छात्र स्वयंसेवक 30 हज़ार महाविद्यालयों एवं विद्यालयों में फैले हुए हैं। भारत स्कॉउट एवं गाइड एवं राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) के लगभग 50 लाख (5 मिलियन) विद्यार्थी स्वयंसेवक हैं। नेहरू युवा केंद्र संगठन (एनवाईकेएस) के अस्सी लाख (आठ मिलियन) गैर–विद्यार्थी युवा स्वयंसेवक हैं, जो दो लाख युवा क्लबों के माध्यम से गांवों में कार्य कर रहे हैं। यह एक ऐसा बहुत बड़ा मानव संसाधन है, जो आपदा के दौरान बुनियादी प्रशिक्षण देकर जुटाया जा सकता है। वास्तव में, युवा रेड क्रॉस, एनएसएस, एनवाईकेएस और एनएसएस जैसे संगठनों ने विगत में अनेक आपदाओं एवं आपातस्थितियों में बहुत बड़े–बड़े कार्य किए हैं। नागरिक सुरक्षा और युवा स्वयंसेवकों के संगठन (ओवाईवी) के बीच उद्देश्यों में समानता है। अतः उभयनिष्ठ उद्देश्य के लिए अर्थपूर्ण नेटवर्किंग की आवश्यकता होगी।

उद्देश्य

क) **युवा स्वयंसेवक संगठन (ओवाईवी)** की भूमिका एवं जिम्मेदारियों के बारे में संक्षिप्त जानकारी देना;

ख) आपदा प्रबंधन गतिविधियों में युवा एवं छात्र स्वयंसेवक संगठन के सामर्थ्य को समझना; और

ग) आपदा से पूर्व, दौरान एवं आपदा के पश्चात् की स्थितियों के दौरान उनकी सेवाओं का उपयोग किस प्रकार किया जाए।

तरीके

प्रस्तुतीकरण (प्रेजेंटेशन) और परिचर्चा, पैनल, सेमिनार

सामग्री/सीखने के लिए सहायक जानकारी

संगठनात्मक चार्ट, स्लाइड्स, ओएचपी/एलसीडी।

सत्र अवधि

एक सत्र (विवरण के लिए पृष्ठ सं.–9 देखें)।

अनुमानित शिक्षण परिणाम

ध्यानात्मक/जानकारी संबंधी :

क) युवा स्वयंसेवकों के संगठन (ओवाईवी) के कार्यक्रमों तथा कार्यकलापों, ढांचों और कार्य के पीछे मूल दर्शन/सिद्धांत के बारे में सीखना।

क्षमता/कुशलता संबंधी :

क) युवा स्वयंसेवकों के संगठन (ओवाईवी) के साथ अच्छे संबंध बनाने, समान विचारों के क्षेत्रों की पहचान करने, पारस्परिक सहयोग तंत्र को स्थापित करने और

आपदा कार्रवाई के लिए सामान्य कार्य क्षेत्रों का पता लगाने की क्षमता–संचार, संपर्क एवं नेटवर्किंग व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाना।

उप–प्रसंग/मुख्य शिक्षण बिंदु/विषय

क) भारतीय रेड क्रॉस सोसायटी (आईआरसीएस), उसके उद्देश्य, प्रयोजनों, परिचालनात्मक संरचना, उसके स्वयंसेवकों के प्रोफाइल, शक्तियों एवं कमजोरियों, कार्य–क्षेत्रों, कार्यक्रम तथा कार्यकलापों, आपदा तैयारी एवं कार्रवाई में उसकी भूमिका तथा उसके साथ किस प्रकार मिलकर कार्य किया जा सकता है, को समझना एवं साथ कार्य करना;

ख) राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी), आपदा के दौरान उसके कार्य करने की क्षमता को समझना एवं उनके साथ कार्य करना;

ग) राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस), उसके कार्यक्रमों तथा कार्यकलापों को समझना एवं उनके साथ कार्य करना;

घ) भारत स्कॉउट्स तथा गाइडों को समझना एवं उनके साथ कार्य करना और इसे आपदा प्रशमन प्रयासों के साथ कैसे जोड़ा जाए;

ड.) आपदा तैयारी व प्रशमन के कार्यों को बढ़ावा देने में नेहरू युवा केंद्र संगठन (एनवाईकेएस) तथा उसके 2,00,000 से अधिक युवा क्लबों के नेटवर्क को समझना एवं साथ कार्य करना;

च) नोडल मंत्रालयों, जो विद्यार्थियों एवं युवा स्वयंसेवकों (ओवाईवी) को सहायता प्रदान करते हैं, को समझना एवं कार्य करना; और

छ) युवा स्वयंसेवक के संगठनों के साथ नेटवर्किंग और उनकी प्रशिक्षण सुविधाएं।

पूरक शिक्षण सहायता सामग्री

निम्नलिखित पर हैंडआउट्स जारी करना

क) युवा स्वयंसेवकों के संगठन (ओवाईवी) का परिचय एवं कार्यक्षमता;

ख) युवा स्वयंसेवकों के संगठन (ओवाईवी) की सेवाएं लेने के संबंध में दिशानिर्देश;

ग) आपदा में स्वयंसेवकों की भूमिका एवं जिम्मेदारियां; और

घ) युवा लोग ही स्वयंसेवक क्यों बनें, विषय पर स्लाइड।

अतिरिक्त अध्ययन/संदर्भ

संगठनों, उनके नोडल मंत्रालयों की वेबसाइट, इन संगठनों के मैन्युअल एवं परिचालनात्मक दिशानिर्देश।

प्रशिक्षक/मददगार के लिए टिप्पणी

क) सत्र का मुख्य उद्देश्य है कि युवा स्वयंसेवकों के संगठन और उनके नोडल मंत्रालयों के साथ किस प्रकार कारगर नेटवर्क बनाया जाए; और

ख) ये संगठन पूरे भारतवर्ष में मौजूद हैं। इन संगठनों के वरिष्ठ पेशेवर सदस्य, प्रशासक तथा नीति निर्माता/कार्यक्रम सलाहकार इस सत्र के लिए संसाधन उपलब्धकर्ता (रिसोर्स पर्सन) के रूप में कार्य करने के लिए अधिक उपयुक्त रहेंगे।

खंड 5

भाग– II : पूरक शिक्षण सहायता सामग्री

एसएलएस–1

हैंडआउट

स्वयंसेवकों की भूमिका एवं कार्य
स्वयंसेवा वह गतिविधि है, जो

i) स्वयंसेवा करने वाले व्यक्ति की स्वेच्छा से **प्रेरित** हो, भौतिक या वित्तीय लाभ की इच्छा या बाहरी सामाजिक, आर्थिक या राजनैतिक दबाव के कारण नहीं;

ii) असुरक्षित व्यक्ति या उनके समुदायों को लाभ पहुंचाने का **इरादा** रखती हो; और

iii) संगठन के मान्यता प्राप्त प्रतिनिधियों द्वारा **संगठित** होती हो।

स्वयंसेवकों की भूमिका एवं कार्य (जारी...)
स्वयंसेवकों की भूमिका एवं श्रेणी

i) प्रबंधन स्वयंसेवक;

ii) टीम लीडर–स्वयंसेवक;

iii) सेवा वितरित करने वाले स्वयंसेवक;

iv) संसाधन जुटाने वाले स्वयंसेवक;

v) विशेषज्ञ या सलाहदाता स्वयंसेवक;

vi) आपदा राहत स्वयंसेवक; और

vii) प्रथमोपचार (फर्स्ट एड) और स्वास्थ्य स्वयंसेवक।

स्वयंसेवकों की भूमिका एवं कार्य (जारी...)
स्वयंसेवकों की विशेषताएं

i) स्वयंसेवक संगठन में स्वेच्छा से शामिल होते हैं;

ii) स्वयंसेवकों को कोई वेतन नहीं दिया जाता;

iii) सभी स्वयंसेवक एक बराबर होते हैं;

स्वयंसेवकों की भूमिका एवं कार्य (जारी...)
स्वयंसेवकों की विशेषताएं

iv) स्वयंसेवकों का सही रुझान होता है;

v) स्वयंसेवकों के पास "दूसरों का ध्यान रखने का सुख" रहता है;

vi) स्वयंसेवक गुणवत्ता के सर्वोच्च मानकों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत एवं कार्य करते हैं;

vii) स्वयंसेवक आपातस्थिति में उपलब्ध रहते हैं;

viii) स्वयंसेवक हिताधिकारियों की आवश्यकताओं पर कार्रवाई करते हैं और स्वयं–सहायता तथा सक्रिय स्वयंसेवा के लिए अपनी क्षमता को मजबूत करते हैं;

iX) स्वयंसेवक स्थानीय व्यक्ति हो सकते हैं;

X) स्वयंसेवक समुदाय के बीच में से आए होते हैं;

Xi) स्वयंसेवक अंशकालिक/पूर्णकालिक रूप में कार्य कर सकते हैं;

Xii) स्वयंसेवक संगठन में विविधता एवं विशेष योग्यताएं लाते हैं; और

Xiii) स्वयंसेवक किफ़ायती स्वभाव के होते हैं।

खंड 5

एसएलएस–2

स्लाइड

युवा लोग ही स्वयंसेवक क्यों?

क) वे लोगों के साथ कार्य करके सीखना चाहते हैं
ख) वे समुदाय की परवाह करते हैं
ग) वे सामाजिक सरोकार के बारे में चिन्तित होते हैं
घ) वे संगठन में दूसरों के लिए कार्य करने के माध्यम बनने में विश्वास करते हैं
ड.) वे व्यक्तिगत रिश्तों और संपर्कों को विकसित करना चाहते हैं
च) वे अपनी दक्षता एवं विशेषज्ञता में बेहतरी लाने के लिए उत्सुक रहते हैं
छ) वे विशेष कार्य करके आम लोगों से अलग दिखना चाहते हैं
ज) वे एक पहचान बनाने के अवसर की खोज में रहते हैं
झ) आपदा की घड़ी में उनसे मदद के लिए पूछा जाता है
ञ) दूसरों की मदद करने की तीव्र इच्छा अर्थात् परोपकारिता
ट) सामाजिक उत्प्रेरणा एवं आंतरिक प्रेरणा
ठ) सामाजिक दायित्व, लोगों के लिए कुछ करने की इच्छा
ड) पारस्परिक लाभ तथा पारस्परिक सहयोग के लिए जीने और कार्य करने की चाह
ढ) उनमें मजबूत सामाजिकता भाव होता है
ण) वे सामाजिक संबंधों एवं रिश्तों में विश्वास रखते हैं

5.4. विषय/प्रसंग :

नेतृत्व, प्रेरणा और टीम निर्माण कौशल को बढ़ावा देना

भाग–I

प्रस्तावना एवं विहंगावलोकन

स्वयंसेवक लोगों को जोखिमों एवं खतरों के बारे में शिक्षित करने तथा लोगों और संपत्तियों को नुकसान एवं क्षति होने से बचाने, पूर्वानुमानों तथा चेतावनियों के बारे में सूचित करने, राहत वितरित करने, पुनर्वास के लिए कार्य करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन सभी के लिए नेतृत्व और टीम निर्माण कौशल की आवश्यकता होती है क्योंकि किसी भी आपदा से अकेले नहीं निपटा जा सकता। इसलिए, स्वयंसेवकों को नेतृत्व कला, सामाजिक कार्य में निपुणता, निर्णय लेने में दक्षता तथा मुख्य रूप से व्यक्तित्व विकास, संप्रेषण एवं स्थिति प्रबंधन में प्रशिक्षित किए जाने की आवश्यकता होती है।

इससे वे जोखिम, खतरों एवं आपदाओं से संबंधित विभिन्न समस्याओं एवं चुनौतियों को समझने, विश्लेषण करने के योग्य बनते हैं। उन्हें विभिन्न **नेतृत्व अवधारणाओं** एवं **शैलियों, समूह में कार्य करने की कला, टीम का निर्माण एवं नेतृत्व, समुदाय एवं आस–पड़ोस में नई समस्याओं/स्थितियों का सामना करने तथा आपसी संघर्षों को सुलझाने के तरीकों के बारे में भी समझना चाहिए।** वे **अपनी शक्तियों एवं कमजोरियों को समझने, योजना बनाने एवं प्राथमिकताओं को स्पष्ट करने, लोगों तथा संसाधनों को जुटाने, दूसरों के साथ उचित तालमेल से कार्य करने, अच्छे टीम सदस्य बनने, सकारात्मक होने, ध्यानपूर्वक सुनने, संबंधों को कायम रखने तथा अपनी सकारात्मक छवि बनाने** के भी अनिवार्य रूप से योग्य हों।

उद्देश्य

समुदाय में लोगों के साथ कार्य करने में स्वयं की एवं नेतृत्व की चुनौतियों और दक्षता की जानकारी प्राप्त करना।

तरीके

व्याख्यान (लेक्चर) ,परिचर्चा, वैयक्तिक कार्य, समूह कार्य, कार्यकलाप, खेल तथा अभ्यास।

सामग्री/सीखने के लिए सहायक जानकारी

फ्लिप चार्ट्स, ओएचपी, एलसीडी, मार्कर, श्वेत पट्ट (वाइट बोर्ड)

सत्र अवधि

दो सत्र (विवरण के लिए पृष्ठ सं. – 9 देखें)।

अनुमानित शिक्षण परिणाम

ध्यानात्मक/जानकारी संबंधी :

क) विभिन्न प्रकार के नेतृत्वों में अंतर करना, नेतृत्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कारकों की सूची बनाना;

ख) अपने व्यक्तित्व को और अधिक निखारने के उद्देश्य से स्वयं को समझना;

ग) कठिन परिस्थितियों एवं आपदा परिदृश्यों में नेतृत्व संबंधी चुनौतियों को समझना

क्षमता/कुशलता संबंधी :

क) विश्लेषण करें कि नेतृत्व से संबंधित अध्ययन किस प्रकार दूसरों को बेहतर ढंग से समझने में सहायक होता है;

ख) समूहों एवं टीमों के महत्व की प्रशंसा/सराहना करें;

ग) टीम का निर्माण करने, प्रेरित करने और लोगों को इकट्ठा करने की योग्यता;

घ) विभिन्न नेतृत्व कलाओं के संबंध में स्वयं को विषय–अनुकूल (ओरियंटेशन) बनाएं;

ड.) कठिन परिस्थितियों का मुकाबला करने और लोगों को व्यवस्थित करने की बेहतर क्षमता; और

च) दूसरों को नेतृत्व एवं टीम निर्माण का हुनर प्रदान करें;

उप–प्रसंग/मुख्य शिक्षण बिंदु/विषय

क) नेतृत्व क्या है;

ख) नेतृत्व के प्रकार, शैलियां और विशेषताएं;

ग) कौशल–तकनीकी कौशल, प्रबंधन कौशल, टीम सदस्य कौशल, परियोजना कौशल, क्षेत्र कार्य कौशल आदि;

घ) आपदा में नेतृत्व संबंधी चुनौतियां;

ड.) स्वयंसेवक संगठन में टीम निर्माण की आवश्यकता;

च) प्रभावी स्वयंसेवक टीम बनाने के लिए रणनीतियां;

छ) स्वयं को जानना, अपने मूल्यों को निर्धारित करना, अपनी स्थिति को समझना;

ज) आपातस्थितियों से निपटने के लिए योजना बनाना;

झ) प्रेरणा, लोगों को इकट्ठा करना, संगठन;

ञ) समुदाय के साथ कार्य करना;

ट) नेटवर्क स्थापित करना; और

ठ) प्राथमिकताएं निर्धारित करना, निर्णय लेना।

अभ्यास/कार्यकलाप

कार्यकलाप I

स्वस्थ व्यक्तित्व का निर्माण करना

भागीदारों को पांच के समूहों में बांटा जाता है, तीन प्रकार की डेटा शीट (स्व–विश्लेषण के लिए फीड बैक शीट, स्व–ज्ञान शीट, जोहरी विंडो स्कैच) दिया जाता है उसके बाद पूर्णरूप से चर्चा की जाती है।

जौहरी विंडो *एक ध्यानात्मक मनोवैज्ञानिक साधन (टूल) है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से स्व–सहायता समूहों और कारपोरेट में स्व–शिक्षण अभ्यास के रूप में किया जाता है।*

अभ्यास करते समय, समूह के एक भागीदार को 55 विशेषणों की एक सूची दी जाती है और उन पांच या छह विशेषणों जिनसे लगता है कि वह अपने व्यक्तित्व के बारे में बता सकता/सकती है, को चुनने के लिए कहा जाता है। समूह के दूसरों लोगों को भी तब वही सूची दी जाती है, और उनमें से प्रत्येक पांच या छह विशेषण चुनता है जो सदस्य विशेष के बारे में बताता है। उसके बाद ये विशेषण ग्रिड पर रखे जाते हैं।

विंडो का चतुर्थांश (क्वॉड्रेंट्स)

दोनों भागीदारों और उसके समूह के सदस्यों द्वारा विशेषण चुने जाते हैं और एरेना (क्वॉड्रेंट) में रखे जाते हैं। यह चतुर्थांश (क्वॉड्रेंट) भागीदारों की विशेषताओं को दर्शाता है जिसके बारे में उन दोनों और उनके समकक्षों को जानकारी है।

विशेषणों का चयन केवल भागीदारों द्वारा किया जाता है, न कि उनके किसी समकक्ष (पिअर) द्वारा और ***अग्रभाग (फॅसाड) एरेना क्वॉड्रेंट*** *में रखे जाते हैं, जो भागीदारों के बारे में जानकारी, जिससे उनके समकक्ष अनभिज्ञ हैं, को दर्शाता है। यह भागीदारों पर निर्भर करता है कि वे यह जानकारी अपने समकक्षों के सामने प्रकट करे या नहीं।*

जो विशेषण भागीदार द्वारा नहीं, बल्कि उनके समकक्षों द्वारा चुने जाते हैं, को ***"ब्लाइंड स्पॉट"*** *क्वॉड्रेंट में रखा जाता है। ये विशेषण वह जानकारी देते हैं जिससे भागीदार परिचित नहीं होता, लेकिन बाकी होते हैं, और वे यह फैसला कर सकते हैं कि किसी एक को इन "ब्लाइंड स्पॉट" के बारे में क्या सूचना देते हैं, यदि हां, तो कैसे दी जाए।*

जो विशेषण न तो भागीदार और न ही उनके समकक्षों द्वारा चुने जाते हैं, को अज्ञात क्वॉड्रेंट, जो भागीदार के व्यवहारों या उद्देश्यों को दर्शाता है, में रखा जाता है। यह इसलिए किया जाता है क्योंकि ये इन पर लागू नहीं होते, या उक्त विशेषता के बारे में सामूहिक अज्ञानता होती है।

जौहरी विशेषण

भागीदार को वर्णित करने के लिए जौहरी विंडो में अंग्रेजी वर्णानुक्रम में 55 विशेषणों का प्रयोग किया गया है:

* योग्य	* बहिर्मुखी	* परिपक्व	* स्वाग्रही
* ग्राही	* मित्रवत्	* विनम्र	* आत्म–चेतन
* अनुकूलनीय	* समर्पण	* भयभीत	* समझदार
* निडर	* प्रसन्न	* अनुपालक	* भावुक
* बहादुर	* सहायक	* व्यवस्थित	* शर्मीला
* शांत	* आदर्शवादी	* धैर्यवान	* मूर्ख
* ध्यान रखने वाला	* स्वावलम्बी	* शक्तिशाली	* सहज
* प्रसन्नचित्त	* प्रवीण	* स्वाभिमानी	* सहानुभूतिपूर्ण
* चतुर	* बुद्धिमान	* आडम्बरहीन	* बैचेन
* जटिल	* अंतर्मुखी	* विचारशील	* भरोसेमंद
* विश्वासी	* दयालु	* तनावमुक्त	* उत्साही
* विश्वसनीय	* सुशिक्षित	* धार्मिक	* बुद्धिमान
* सम्मानित	* तार्किक	* प्रतिक्रियाशील	* विनोदपूर्ण
* ऊर्जावान	* स्नेही	* खोजी	

जौहरी विंडो

	स्वयं को मालूम	स्वयं को मालूम नहीं
अन्यों को मालूम	एरेना	ब्लाइंड स्पाट
अन्यों को मालूम नहीं	फसाड	अज्ञात

कार्यकलाप II

वैयक्तिक कार्य

भागीदार नेतृत्व अंक पत्रक (स्कोर शीट) तैयार करें, नेतृत्व स्कोर/मान स्कोर शीट को भरें और परिचर्चा करें।

कार्यकलाप III

मैं कौन हूं ?

प्रत्येक भागीदार अपनी कम से कम दस विशेषताओं के बारे में लिखे–इन्हें छुपा कर रखे–बाद में अपनी छाती पर कागज पर पिन लगाकर इनको प्रदर्शित करे (अर्थात् मैं ईर्ष्यालु, शर्मीला, अनिर्णायक आदि हूं।)

(स्रोत – स्टीव स्मिथ की पुस्तक "बी योर बेस्ट")

कार्यकलाप IV

समूह कार्य

(मददगार के साथ अनुशंसित)

क) आपदा संदर्भ में विभिन्न नेतृत्व भूमिकाओं पर चर्चा की जाती है;

ख) प्रत्येक समूह वरीय भूमिकाओं का निर्णय करता है;

ग) पूर्णरूप में समूह का प्रस्तुतीकरण; और

घ) इसके बाद परिचर्चा।

मददगार के लिए टिप्पणी

क) यह कौशल आधारित मॉड्यूल है और इसलिए अभ्यास पर ध्यान होना चाहिए;

ख) भागीदारों को अपने व्यवहार को समझने और परखने के लिए बढ़ावा दिया जाता है अर्थात् क्या वह आक्रामक, निष्क्रिय या सकारात्मक आदि है;

ग) जौहरी विंडो पर अभ्यास चरण–दर–चरण (स्टेप–बाई–स्टेप) किया जाए। भागीदारों के बीच जौहरी विंडो के स्कैच की प्रतियां वितरित करें;

घ) इसी प्रकार **"मैं कौन हूं"** क्रियाकलाप के संबंध में मार्गदर्शन दिया जाए और भागीदारों को अपनी विशेषताओं को परखने के लिए प्रोत्साहित किया जाए; और

ड.) सभी अभ्यासों को संदर्भ के साथ किया जाए।

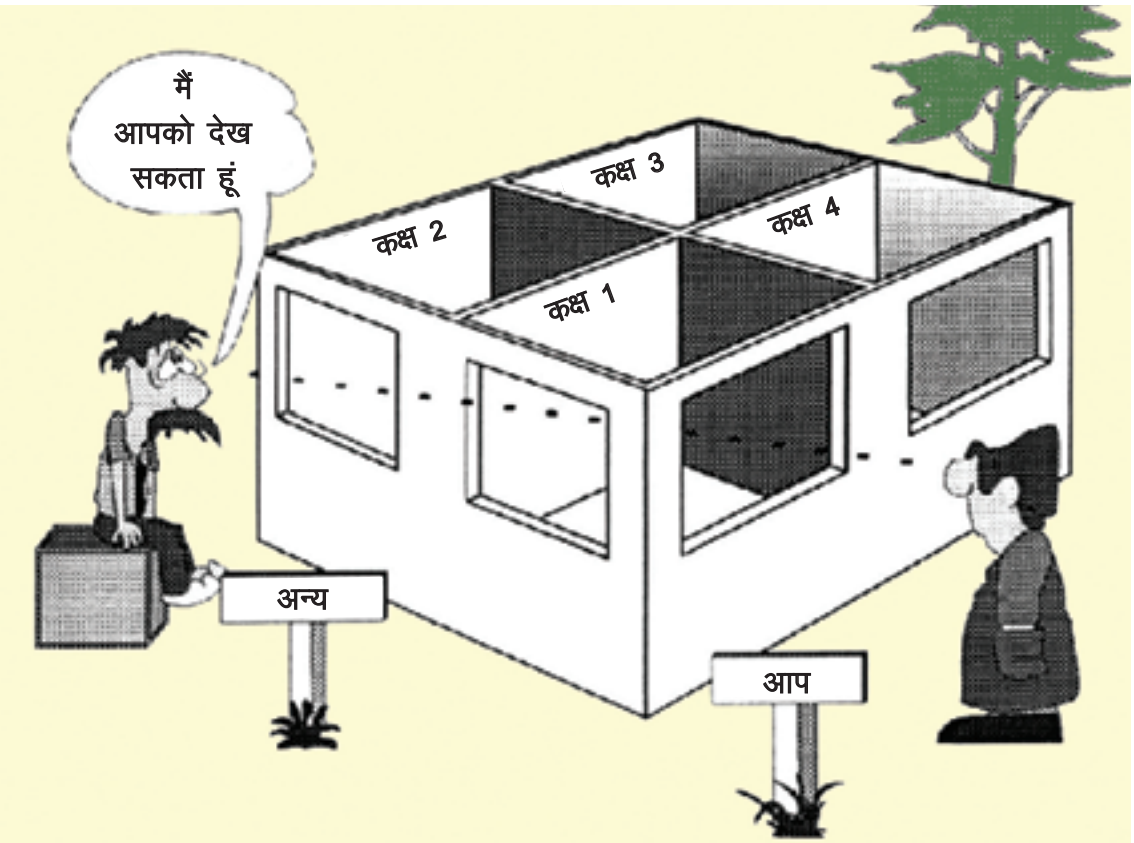

भाग– II : पूरक शिक्षण सहायता सामग्री

एसएलएस–1

स्लाइड

नेतृत्व और समुदाय आधारित स्वयंसेवी संगठनों में टीम निर्माण

क) स्वयंसेवक संबंधी क्षेत्र द्वारा अच्छे पेशेवर और स्वयंसेवकों तथा/या बोर्ड एवं स्टाफ के संबंध के महत्व पर काफ़ी जोर देते हुए देखा गया है।

ख) एक "टीम" को सम्मत उद्देश्यों तथा कार्यों से जुड़े लोगों के एक समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।

ग) टीम निर्माण एक विचारित, कलापूर्ण कार्य है, जो **संबंधित लक्ष्यों, समय सीमाओं, निर्धारित तिथि** और **विशिष्ट कार्यों** के साथ कार्य कर रहे व्यक्तियों के विशेष संयोजन का परिणाम है। कार्यकलाप के सकारात्मक एवं नकारात्मक, दोनों पहलू हो सकते हैं।

घ) कुल समूह में उपसमूह या उन व्यक्तियों द्वारा, जिनके पास समूह के समर्थन और संसाधन उपलब्ध हों, द्वारा टीम का कार्य किया जा सकता है।

एसएलएस–2

स्लाइड

टीम के क्षमतापूर्ण सकारात्मक पहलू

क) विभिन्न प्रकार के संसाधन उपलब्ध हो जाते हैं

ख) भागीदार प्रशिक्षण लेने और एक साथ मिल कर विकास करने के लिए इच्छुक हो जाते हैं

ग) संगठन के विभिन्न भागों के व्यक्ति परियोजना पर कार्य कर सकते हैं

घ) संगठन के अंदर और बाहर, दोनों से व्यक्ति भाग ले सकते हैं

ड.) व्यक्ति नेता तथा अनुयायी बनने के अवसरों को पाते हैं

च) व्यक्तियों को विचार–विनिमय एवं सहयोग के लिए निजी आवश्यकताओं को पूरा करने का अवसर मिल सकता है

छ) टीम सदस्य अपने से बड़ी हस्तियों से जुड़ सकते हैं। स्वयंसेवक तथा वैतनिक कार्मिक/कर्मचारी सामान्य उद्देश्य के लिए एक साथ मिलकर कार्य कर सकते हैं

ज) व्यक्तियों को एक समय–सीमा में परियोजना पर कार्य करने, परियोजना पूरी करने, अपने प्रयासों के लिए प्रतिफल पाने और आनंद पाने का अवसर मिलता है

झ) व्यक्ति सफल, उत्पादक टीम से जुड़कर विशेष भाईचारे का अनुभव उठा सकता है

ञ) सर्वोच्च प्रबंधन अपना सहयोग देता है

एसएलएस–3

स्लाइड

टीम के क्षमतापूर्ण सकारात्मक पहलू

क) टीम सदस्यों की प्रतिबद्धताएं परस्पर–विरोधी हो सकती हैं

ख) टीम सदस्यों की अपनी गुप्त कार्यसूची (एजेंडा) हो सकती है, जो प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर सकती है

ग) खराब कार्य या अनुवर्ती कार्रवाई की कमी के कारण प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है

घ) कोई टीम सदस्य के रूप में कार्य करने में असमर्थ हो सकता है

ड.) टीम में स्पष्ट निर्देश या प्रयोजन–भाव की कमी हो सकती है

च) नेताओं का रवैया हस्तक्षेप न करने वाला हो सकता है

छ) कर्मचारी–स्वयंसेवी पद्धतियां, भूमिकाएं, और/या संबंध संतोषजनक नहीं हो सकते

ज) नौकरी के महत्व पर कोई अपना परिप्रेक्ष्य खो सकता है

झ) संगठनात्मक अनुभव न होने के कारण प्रक्रिया में बाधा आ सकती है

ञ) संगठन टीम को उतना समर्थन नहीं दे पाता जितना उसे देना चाहिए

ट) उपस्थिति में निरंतरता न होने से बैठक पर असर पड़ सकता है

ठ) प्रतिनिधिमंडल खराब कार्यनिष्पादन से प्रभावित हो सकते हैं

ड) उपेक्षित तथा असमर्थित टीमें अक्सर बिखर जाती हैं

एसएलएस–4

स्लाइड

प्रभावी स्वयंसेवी टीम को बनाने के लिए रणनीतियां

स्वयंसेवा प्रणाली संरचित एवं विकसित करने में, समूह जिसकी एक टीम बनने की आशा की जाती है, के लिए निम्नलिखित मानदंड पूरे किए जाने चाहिए :

क) स्पष्ट, "प्राप्त किए जा सकने वाले" लक्ष्य या वांछित परिणाम

ख) ऐसे मानदंड बनाना जिससे टीम के कार्य प्रभावित हों, और उन मानदंडों का टीम में पूर्ण उपयोग हो

ग) टीम सदस्यों की संख्या 3 से 13 व्यक्ति तक सीमित रखना क्योंकि यदि संख्या बहुत अधिक या बहुत कम हो, तो उनमें आपसी निकटता कठिन हो जाती है

घ) अकेले व टीम में कार्य करने के अंतर के लाभ को पहचानना क्योंकि, टीम के एक सदस्य द्वारा अकेले कार्य किए जाने की तुलना में आमतौर पर एक टीम बेहतर कार्यक्रम, उत्पाद, विचार, या सेवा प्रस्तुत करती है

ड.) कार्यों तथा संबंधों को संतुलित करना

च) टीम लक्ष्यों के लिए विभिन्न मानसिकताओं का एकीकरण करना

छ) परिचालनात्मक–प्रतिक्रियात्मक सोच की तुलना में कार्यनीतिक–रचनात्मक सोच विकसित करना

ज) टीम को परिणामोन्मुखी बनाना–इसके लिए एक दूसरे को समर्थन/सहयोग देने का शिक्षण

झ) "आंतरिक सहयोग (टर्फ डाम)" से बाहरी सहयोग की ओर जाना

ञ) टीम के संसाधनों को समृद्ध बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के अनुभवों को बांटना

ट) टीम सशक्तिकरण के लिए विषय अनुकूलन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करना

ठ) टीम सदस्यों के नामांकन और उनकी तैनाती के लिए गंभीरता से सोच–विचार करना

ड) टीम के मनोबल को बनाए रखने के लिए मान्यता, प्रशंसा, उनको लोगों की नजरों में मीडिया के द्वारा लाना और पुरस्कार–समारोह आयोजित करना

एसएलएस–5

स्लाइड

टीम के मनोबल और उत्प्रेरण को बनाए रखने के लिए कदम

क) प्रगति रिपोर्टों और समारोहों की समय–सारणी बनाना

ख) प्रतिक्रियाओं (फीड–बैक) का निरंतर आदान–प्रदान

ग) हर टीम को समग्र संगठन के अभिन्न अंग के रूप में समर्थन देना, क्योंकि सुचारू रूप से कार्य करने वाली, बेहतर तालमेल वाली (कोहीसिव) टीमें कभी–कभी दूसरों की तुलना में कुछ खास टीमें बनकर सर्वेसर्वा हो जाती हैं

घ) अनुकूल वातावरण बनाना और एक साथ कार्य करने के लिए स्वस्थ तथा नए दृष्टिकोणों को बढ़ावा देना

ड.) टीम के कार्य की प्रक्रिया तथा उत्पाद (उत्पादों) का ध्यानपूर्वक प्रलेखीकरण (डॉक्युमेंटेशन)

च) एक से अधिक टीम सदस्यों को नेतृत्व के अवसर उपलब्ध कराने हेतु भागीदारी वाली, कार्यात्मक, अस्थायी या अन्य नेतृत्व पद्धति (पैटर्न) पर विचार करना

छ) निरंतर सहयोगी रूपरेखा और स्टाफ सेवाएं प्रदान करना

ज) आश्वस्त हों कि टीम के पास संपर्क हेतु जाने वाली और आने वाली संचार सेवा की लाइनें बाधा–रहित (ठीक) हैं

झ) संगठन में परिवर्तन के अनुरूप निरंतर टीम प्रशिक्षण प्रदान करना

ञ) नियमित बैठक के समय और उपयुक्त बैठक स्थानों पर सहमति बनाना

ट) टीम सदस्यों को उपयुक्त सदस्यों के रूप में स्वीकार करना तथा मान्यता देना

खंड–6

महिलाएं, असुरक्षित समूह, मनोसामाजिक समर्थन

विषय–वस्तु

6.1. आपदा में महिला संबंधी मुद्दे : असुरक्षितता संबंधी समाधान 103

6.2. आपातकालीन चिकित्सा देखभाल : असुरक्षित समूहों की आवश्यकताएं 108

6.3. आपदा में मनो–सामाजिक समर्थन 112

पूरक शिक्षण सहायता सामग्री

जानकारी–सामग्री

* आपदाओं में महिलाओं की स्थिति, *पृ॰ 106*
* आपदा का स्वास्थ्य, सफाई पर प्रभाव, *पृ॰ 110*
* व्यक्तिगत स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित निवारण गाइड, *पृ॰ 111*

* आपदा संबंधित ट्रॉमा को समझना, *पृ॰ 115*
* मनो–सामाजिक समर्थन–व्यथा सुनने का कौशल : क्या करें और क्या न करें, *पृ॰ 116*

स्लाइड

* आपदा प्रबंधन में महिला संबंधी मुद्दों को शामिल करना, *पृ॰ 107*

6.1 विषय/प्रसंग :

आपदा में महिला संबंधी मुद्दे : असुरक्षितता संबंधी समाधान

भाग–I

परिचय एवं विहंगावलोकन

आपदा की प्रमुख अवधारणाएं प्रायः भिन्न–भिन्न सामाजिक–आर्थिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्यों की अनदेखी कर देती हैं। इसी प्रकार आपदाओं के **"पीड़ितों"** को भी उनके विभिन्न सामर्थ्य और असुरक्षितताओं की अनदेखी करते हुए एक समरूप समूह के रूप में माना जाता है। **'लिंग'** संबंधी मुद्दा (पुरुष तथा महिला का) ऐसा ही एक क्षेत्र है। आपदाओं में लिंग से जुड़े मामलों को समझना कई कारणों से महत्वपूर्ण है। क्योंकि आपदा के प्रति **संवेदनशीलता** की मात्रा भिन्न–भिन्न सामाजिक–आर्थिक और सांस्कृतिक कारकों पर निर्भर करती हैं, आपदा संबंधित योजना सहित कोई भी घटनाक्रम की कार्रवाई लिंग संबंधी पहलुओं के विश्लेषण और उसकी समझ के बिना पूरा नहीं हो सकती। आपदा प्रशमन और प्रबंधन की कार्रवाई के दौरान और नीति निर्माण, दोनों के स्तर पर **इस मुद्दे पर जागरूकता की स्पष्ट कमी है**।

आपदाओं का सामना कर रही महिलाओं और पुरुषों की विभिन्न प्रकृति और आवश्यकताओं को अब बड़े रूप में पहचाना जा रहा है। वास्तव में, आपदा की स्थितियों में लिंग संबद्ध अंतर महिलाओं और पुरुषों की विभिन्न भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों के कारण उत्पन्न होते हैं। बारम्बार आपदाओं से प्रभावित दक्षिण एशियाई/भारतीय उप–महाद्वीप में आपदा द्वारा होने वाली क्षति और ट्रॉमा से प्रभावित होने के बावजूद घर के रख–रखाव का पूरा उत्तरदायित्व महिलाएं ही उठाती हैं। परिवार की उत्तरजीविता के लिए भोजन और जल प्रदान करने और बीमार तथा वृद्धों की देखभाल करने के लिए महिलाएं उत्तरदायी हैं। महिलाएं और पुरुष कुछ विशिष्ट आपदा तैयारी कार्यकलापों को भी देखते हैं। जनता की धारणा के विपरीत महिलाएं शक्तिहीन और असुरक्षित और आपदा की असहाय पीड़ित नहीं हैं, परन्तु वे किसी आपदा में **अत्यधिक कठिन और चुनौतीपूर्ण स्थितियों में अत्यधिक साहस, कुशलता, समुत्थानशीलता, ज्ञान और सामना** करने की क्षमताएं प्रदर्शित करती हैं। इस परिप्रेक्ष्य में, वे सभी के लाभ के लिए एक परिसंपत्ति तथा साथ ही उपयोग में लाए जाने वाले संसाधन की भूमिका में होती हैं।

खंड 6

उद्देश्य :

आपदा में जोखिमों और असुरक्षितता के लिंग (महिला तथा पुरुष) संबंधी पहलुओं को समझना और उपयुक्त जवाबी कार्रवाई करना।

तरीके :

विचारोत्तेजक चर्चा/ध्यान–केंद्रित समूह चर्चा, भूमिका निवर्हन

सामग्री/सीखने के लिए सहायक जानकारी

एलसीडी, श्रव्य दृश्य, सफेद (वाइट) बोर्ड, फ्लिप चार्ट

सत्र अवधि

दो घंटे (विवरण के लिए पृष्ठ सं. – 9 देखें)

अनुमानित शिक्षण परिणाम

ध्यानात्मक/जानकारी संबंधी :

क) आपदा में लिंग संबंद्ध अंतर की जागरूकता की कमी को दूर करना

क्षमता/कुशलता संबंधी :

क) योजना बनाने और भोजन, दवाइयां, राहत और प्रशमन कार्य प्रदान करने में महिलाओं की प्रबंधकीय, तकनीकी और सामाजिक कुशलताओं का उपयोग करना।

उप–प्रसंग/मुख्य शिक्षण बिंदु/विषय

क) विकास कार्यक्रमों में लिंग (महिला तथा पुरुष की भूमिका) का महत्व;

ख) आपदा में महिला संबंधी मुद्दे महत्वपूर्ण क्यों हैं;

ग) आपदा योजना में महिलाओं से संबंधित उत्तरदायित्व विश्लेषण;

घ) आपदा की स्थिति का सामना कर रहीं महिलाओं की विभिन्न प्रकृति, आवश्यकताएं और सरोकार;

ङ) आपातस्थिति से निपटने की तैयारी, संपर्क कड़ियां बचाने, आजीविका की पुनर्बहाली में महिलाओं का योगदान;

च) आपातस्थिति के बाद के हालात में महिलाओं की भूमिका; और

छ) आपदा से निपटने की जवाबी कार्रवाई में घरों और परिवारों को जोड़ना।

पूरक शिक्षण सहायता सामग्री :

क) दक्षिण एशियाई महिलाओं पर वीडियो : आपदा का सामना कर रही महिलाएं; और

ख) हैंडआउट : आपदा, संबंधित बल में लिंग संबंधी मुद्दे, क्षेत्र विश्लेषण।

अतिरिक्त अध्ययन/संदर्भ :

क) **आपदाओं को पराजित करना : कार्रवाई के लिए विचार,** *आईटीडीजी, दक्षिण एशिया/दुर्योग निवारण, कोलम्बो, 1999।*

ख) **दक्षिण एशियाई महिलाएं : आपदा का सामना कर रही, जीवन सुरक्षित कर रही महिलाएं,** *आईटीडीजी/दुर्योग निवारण, कोलम्बो, 1997।*

ग) **लिंग, असुरक्षितता और आपदा : नीति और व्यवहार के लिए मुख्य चिंताएं,** *सारा अहमद द्वारा शोध–पत्र, आपदा और विकास, खण्ड–1, नवम्बर, 2006 (एनडीएमए.)।*

घ) **आपदा में महिलाओं की आवश्यकताओं से महिलाओं के अधिकारों तक :** *एनर्सन ई और एम. फोर्डहाम, पर्यावरणीय खतरे ग्रीनवुड पब्लिकेशन्स, 2001।*

ङ) **तदैव, आपदा के क्षेत्र में लिंग की भूमिका : महिलाओं की नजर से,** *वेस्टपोस्ट, ग्रीनवुड पब्लिकेशन्स।*

प्रशिक्षक/मददगार के लिए टिप्पणी

क) यह एक विषय–आधारित तथा संवेदी सत्र है, जो भागीदारों की प्रवृत्ति पर ध्यान–केंद्रित करता है;

ख) सत्र को वास्तविक जीवन का पर्याप्त अनुभव रखने वाले लिंग संबंधी मुद्दों के प्रति संवेदी संसाधन उपलब्धकर्ता/विशेषज्ञ द्वारा संचालित करना चाहिए;

ग) भागीदारों को महिला संबंधी मुद्दों के प्रति जागरूक बनाना सुनिश्चित करें और लिंग आधारित दृष्टिकोण से आपदा की समिति का विश्लेषण करें;

घ) विभिन्न स्थितियों के संबंध में विचार किए जाने तथा चर्चा किए जाने के लिए आवश्यक सांस्कृतिक पद्धतियां;

ङ) आपदा के लिंग संबद्ध विभेदक को बेहतर ढंग से समझने के लिए समूह–कार्य संचालित करना; और

च) आपदा की स्थिति में महिलाओं और बच्चों की विशेष आवश्यकता पर ध्यान देने के लिए उनकी प्रवृत्ति और मानसिकता को परिवर्तित करने में समर्थ बनाना।

भाग– II : पूरक शिक्षण सहायता सामग्री

एसएलएस–1

जानकारी–सामग्री (हैंडआउट)

आपदाओं में महिलाएं

आपदाओं द्वारा विशेषकर महिलाएं और बच्चे प्रभावित होते हैं, जो विस्थापित व्यक्तियों के पचहत्तर प्रतिशत से अधिक होते हैं। प्राकृतिक आपदा और स्वास्थ्य परिचर्या की कमी के सामान्य प्रभावों के अतिरिक्त, महिलाएं प्रजनन और यौन स्वास्थ्य समस्याओं, यौन तथा घरेलू हिंसा के प्रति संवेदनशील होती हैं। इसके अलावा, लिंग आधारित नियम यह वर्णन करते हैं कि महिलाएं बच्चों, घायलों और बीमार तथा वृद्धों सहित आपदाओं से प्रभावित लोगों की प्राथमिक पारिचारिका (देखभाल करने वाली) बनती है, जिनसे उनके भावनात्मक, मानसिक और शारीरिक कार्य भार में वृद्धि होती है। महिलाओं की असुरक्षितता पुरुषों और/अथवा आजीविका की हानि द्वारा और बढ़ जाती है, विशेषकर जब घर के पुरुष मुखिया की मृत्यु हो गई हो, महिलाओं को स्वयं और अपने परिवार के लिए भरण–पोषण की व्यवस्था करनी होती है। आपदा–पश्च तनाव के संलक्षण प्रायः दिखाई देते हैं परन्तु दुनिया में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में उनके संलक्षणों की अधिक सूचना नहीं मिलती।

इसके अतिरिक्त, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में लिंग असमानता से आपातकालीन संप्रेषण; राहत परिसंपत्तियों के प्रयोग के बारे में, घर के निर्णय; स्वैच्छिक राहत और पुनर्बहाली कार्य; सुरक्षित निकासी के शरण–केंद्र तक पहुंच; राहत सामग्रियों और आपदा योजना में रोजगार; राहत और पुनर्बहाली कार्यक्रमों में पुरुषों और महिलाओं के बीच भारी वैचारिक असमानता पैदा होती है।

महिलाओं को आपदा के पीड़ित के रूप में प्रदर्शित किया जाता है और आपदा के प्रत्युत्तर में उनकी केंद्रीय भूमिका की प्रायः अनदेखी की जाती है। किसी महिला का आपदा–पूर्व पारिवारिक उत्तरदायित्व पर्याप्त रूप से कम सहायता और संसाधनों सहित आपदा या आपातकाल के घटने पर कई गुना बढ़ता और विस्तारित होता है। महिलाएं आपातकालीन प्राधिकारियों से राहत प्राप्त करके, परिवार के सदस्यों की तात्कालिक उत्तरजीविता आवश्यकताओं को पूरा करने तथा अस्थायी पुनःस्थापन का प्रबंधन करके परिवार में एक केंद्रीय भूमिका निभाती है।

प्रभावी रूप से दुर्लभ संसाधनों को लक्षित करने के लिए आपदा संबंधित कार्यकर्ताओं को आपदा में लिंग पैटर्न (महिला/पुरुष पर आपदा के असर) से अवगत होना चाहिए और उपयुक्त रूप से प्रत्युत्तर देना चाहिए। लिंग के दृष्टिकोण से आपदा को देखने से नीति–निर्माताओं, योजनाकारों और कार्यकर्ताओं के लिए मुख्य मुद्दों की पहचान करने, प्रणाली की महत्वपूर्ण कमियों को उजागर करने और आपदा प्रशासन तथा प्रत्युत्तर के विश्लेषण में लिंग संबंधी मुद्दों पर ध्यान–केंद्रित करने में सहायता मिल सकती है।

स्रोत : बल क्षेत्र विश्लेषण (फोर्स फील्ड एनालिसिस)

एसएलएस – 2

स्लाइड

आपदा प्रबंधन में महिला संबंधी मुद्दों को शामिल करना

इसके लिए निम्नलिखित अपेक्षित हैं :

क) **समुदाय की असुरक्षितता के लिए लिंग आधारित वर्गीकृत आंकड़े सृजित करना** *और क्षमता आकलन* (लिंग आधारित असुरक्षितता का मानचित्रण)

ख) उन महिलाओं की **पहचान करना,** जो सीमांतिक (लाचार) और विशेषकर जोखिम में हैं जिनमें निम्नलिखित प्रकार की शामिल हैं :

i) आर्थिक रूप से निस्सहाय महिलाएं;

ii) जातीय और नृजातीय अल्पसंख्यकों से संबंधित महिलाएं;

iii) चिरकालिक अपंगताओं या स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं वाली महिलाए;

iv) लिंग आधारित भेदभाव के चलते हिंसा से ग्रस्त महिलाएं; और

v) आश्रय स्थलों में अपर्याप्त सुरक्षा ओर एकांतता वाली महिलाएं।

ग) समुदाय आधारित आपदा प्रशमन और योजनाओं में **पूर्ण और समान भागीदारों के रूप में महिलाओं** को संलग्न करना।

घ) शिविर के वातावरण (विशेषकर प्रजनन संबंधी स्वास्थ्य सेवाओं सहित महिलाओं की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं के संबंध में) में योजना और निर्णय लेने के उच्चतम स्तरों पर महिलाओं को साथ संबद्ध करना।

ङ) आपातकालीन राशन और चिकित्सा आपूर्तियों के प्राथमिक वितरकों के रूप में महिलाओं को नियोजित करना।

स्रोत : ह्यूमेनिटेरियन चार्टर एण्ड मिनिमम स्टैंडर्ड, दि स्फेयर प्रोजेक्ट, 2004, जेनेवा 19, स्विटजरलैंड

6.2 विषय/प्रसंग

आपातकालीन चिकित्सा देखभाल : असुरक्षित समूहों की आवश्यकताएं

भाग–I

प्रस्तावना एवं विहंगावलोकन

विभिन्न किस्मों की आपदाएं पराचिकित्सकों और स्वयंसेवकों सहित स्वास्थ्य परिचर्या कार्मिकों के लिए विभिन्न किस्मों की चुनौतियां उत्पन्न करती है। भूकम्प, बाढ़ और चक्रवात जैसी बड़ी आपदाओं के अतिरिक्त, सड़क, रेल और विमान दुर्घटनाएं, आग लगने, डूबने, भगदड़, जिनकी आपातकालीन चिकित्सा सहायता के अभाव रहने से बड़ी दुर्घटना जैसी घटनाओं (एम.सी.ई.) में परिवर्तित होने की अंतर्निहित आशंका होती है, जैसी कई बाह्य आपातस्थितियां होती हैं। आपातकाल की किस्म आपदा की किस्म और यह कैसे और कब होती है, के अनुसार भिन्न–भिन्न होती है। उदाहरणार्थ, भूकम्प सर्वाधिक विध्वंसकारी होता है जब यह बिना चेतावनी के और रात्रि के समय जब लोग सोते रहते हैं, आता है। जो लोग उत्तरजीवी होते हैं (बच जाते हैं), वे श्रेणि (पेल्विस), वक्ष और मेरूदंड भंग (फ्रेक्चर) से पीड़ित होते हैं। जब यह दिन के समय होता है तब बांह और सिर की चोट लगना आम होता है। चूंकि बच्चे और महिलाएं अधिकांशतः घर के भीतर होते हैं अतः वे सबसे बुरी तरह प्रभावित होते हैं। इसी प्रकार बाढ़ के दौरान, रूग्णता और मृत्यु–दर में अचानक वृद्धि हो जाती है। अत्यधिक ठंड में मौसम में आकस्मिक हाइपोथर्मिया अधिकांशतः युवा बच्चों और वृद्ध व्यक्तियों को प्रभावित करता है। सूखे और अकाल के दौरान, कुपोषण, अतिसार, शरीर में जल अल्पता शिशुओं और बच्चों की रूग्णता और मृत्यु–संख्या में वृद्धि करती है।

आपदा की किसी भी स्थिति में लोगों के कतिपय समूह अन्यों की अपेक्षा बहुत बुरी तरह पीड़ित होते हैं। ये असुरक्षित समूह हैं: किशोर वय की बालिकाओं सहित महिलाएं, नवजातों सहित बच्चे, वृद्ध व्यक्ति, अपंग व्यक्ति और पुरानी बीमारी से पीड़ित लोग। उनकी आपातकालीन स्वास्थ्य परिचर्या की आवश्यकताओं पर प्राथमिकता से ध्यान दिया जाना होगा।

उद्देश्य :

आपदा के पीड़ितों की आपातकालीन स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं का प्रभावी रूप से प्रबंध करने के लिए तत्पर रहने हेतु पराचिकित्सकों सहित स्वास्थ्य परिचर्या कार्मिकों को प्रशिक्षित करना।

तरीके

जानकारीपूर्ण और भागीदारीपूर्ण प्रस्तुतीकरण–सह–चर्चा, अनुरूपण खेल (सिमुलेशन गेम्स), क्षेत्र के दौरे

सामग्री/सीखने के लिए सहायक जानकारी

आपातकालीन चिकित्सा देखभाल पर दिशानिर्देश, हैंडआउट, विषय पर वीडियो

सत्र अवधि

दो सत्र (विवरण के लिए कृपया पृष्ठ सं.–9 देखें)।

अनुमानित शिक्षण परिणाम

ध्यानात्मक/जानकारी संबंधी :

क) भागीदार जानते हैं कि आपदा द्वारा हुई आपातस्थिति के दौरान क्या करना है

क्षमता/कुशलता संबंधी :

क) किसी आपदा के पीड़ितों को तत्काल और प्रभावी स्वास्थ्य संबद्ध सहायता प्रदान करने के लिए उपयुक्त योग्यता और कुशलता।

उप–प्रसंग/मुख्य शिक्षण बिन्दु/विषय

क) स्वास्थ्य, स्वच्छता और साफ–सफाई पर आपदा का असर;

ख) असुरक्षित लोगों/समूहों की आपातकालीन स्वास्थ्य परिचर्या आवश्यकताएं;

ग) किसी आपदा के दौरान आम चिकित्सा संबंधी समस्याएं;

घ) कुछ लोग अन्य (महिलाओं, बच्चों, वृद्ध और चिरकालिक बीमार, अपंग व्यक्ति और निर्धन) की अपेक्षा अधिक असुरक्षित क्यों होते हैं;

ङ) इन समूहों की विशेष स्वास्थ्य परिचर्या आवश्यकताएं;

च) असुरक्षितता की किस्में;

छ) प्रतिकूल मनोवैज्ञानिक प्रभावों के प्रति असुरक्षितता;

ज) भावी माताएं;

झ) प्रसव–पश्च पूर्व परिचर्या;

ञ) महिलाओं के विरुद्ध शोषणात्मक हिंसा;

ट) आपदा संबद्ध बच्चों की बीमारियां;

ठ) बाल्यावस्था की आम बीमारियों का प्रबंधन;

ड) अपंगों की देखभाल;

ढ) वृद्ध लोगों की देखभाल;

ण) चिरकालिक बीमारियों वाले लोगों की देखभाल;

त) पोषण, खाद्य, स्वच्छता के पहलू;

थ) जल और पर्यावरणीय स्वच्छता के दौरान

द) मलबा का निपटान; और

ध) दुःख, आघात और अभिघात (ट्रॉमा) पर ध्यान देना

पूरक शिक्षण सहायता सामग्री

क) स्वास्थ्य, स्वच्छता और साफ–सफाई पर आपदा के असर पर हैंडआउट; और

ख) वैयक्तिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए एक निवारण गाइड

अतिरिक्त अध्ययन/संदर्भ

क) असुरक्षित समूहों की आपदा संबद्ध आपाताकालीन स्वास्थ्य परिचर्या: पराचिकित्सा कर्मियों के लिए एक पुस्तिका, ओएसडीएमए, उड़ीसा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च एण्ड हेल्थ सर्विसेज, 2004

ख) चिकित्सा तैयारी और बड़ी दुर्घटना प्रबंधन, (एनडीएमए), भारत सरकार, 2007

मददगार के लिए टिप्पणी :

क) यह सत्र प्रकृति में तकनीकी है और इसके लिए क्षेत्र अनुभव और उद्भासन (एक्सपोजर) अपेक्षित हैं;

ख) प्रशिक्षणार्थियों को उस क्षेत्र, जहां ये तकनीकी सुविधाएं प्रचालनाधीन हैं, में ले जाएं।

ग) यह सुनिश्चित करें कि प्रशिक्षणार्थी आपातकालीन स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को पहचानने और उनकी प्राथमिकता तैयार करने में दक्ष हैं; और

घ) स्थानीय संसाधनों और स्वदेशी स्वास्थ्य परिचर्या उपायों के प्रयोग पर विचार किया जाना चाहिए।

भाग– II : पूरक शिक्षण सहायता सामग्री

एसएलएस–1

जानकारी–सामग्री

आपदा का स्वास्थ्य, सफाई पर प्रभाव

प्राकृतिक आपदाओं (बाढ़–भारत में सबसे अधिक बार आने वाली आपदा भूकम्प आदि) का प्रभावित क्षेत्र/समुदाय के स्वास्थ्य और साफ–सफाई पर अत्यधिक असर पड़ता है। सर्वाधिक पड़ने वाले आम असर निम्नानुसार हैं:

क) चिकित्सीय, भेषजीय और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता की बाधाएं;

ख) अग्नि शमन सेवाओं की बाधा;

ग) सार्वजनिक मल–जल प्रणाली का अवरुद्ध हो जाना ;

घ) ठोस अपशिष्ट संग्रहण में अथवा निपटान प्रयास में अस्तव्यस्तता;

ङ) सार्वजनिक जल प्रणाली के बाधित प्रचालन;

च) पेय जल स्रोतों में सीवर के पानी के मिलने का खतरा;

छ) पेय जल में विषैले खतरनाक रसायनों की उपस्थिति की संभावना; और

ज) रोगवाहकों (अर्थात्, कृन्तक, मच्छर, अन्य काटने वाले कीट) की संख्या में वृद्धि।

संभव चिकित्सा संबंधी समस्याएं

क) कालरा, अतिसार (दस्त) आदि जैसी अतिक्षारीय बीमारियों का फैलना;

ख) बाढ़–संबद्ध बीमारियां अथवा चोट;

ग) कार्बन मोनोआक्साइड विषाक्तता (गैसोलीन–चालित जेनरेटरों के आंतरिक प्रयोग से संबद्ध), हाइपोथर्मिया, बिजली का झटका लगाना, घाव का संक्रमण और पुरानी बीमारियों द्वारा अत्यधिक परेशान होना;

घ) प्लेग, मलेरिया, डेंगू, रेबीज रोग जैसी रोगवाहक (वेक्टर) जनित महामारियां;

ङ) सांप का काटना;

च) खराब साफ–सफाई के कारण त्वचा की बीमारियां;

संभव चिकित्सा संबंधी समस्याएं (जारी...)

छ) मानसिक स्वास्थ्य में गिरावट;

ज) बाढ़ के जन स्वास्थ्य प्रभाव में घरों की क्षति या विनाश और कब्जाधारियों का विस्थापन भी शामिल होता है, जिससे भीड़भाड़ के रहने की दशाओं और संकटग्रस्त वैयक्तिक स्वच्छता के कारण कुछ संक्रामक बीमारियों का फैलना आसान होता है; और

झ) किसी आपदा के बाद मलबे की साफ–सफाई की पहल के दौरान चोट लगने की घटना बढ़ सकती है।

एसएलएस – 2

जानकारी–सामग्री

वैयक्तिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए निवारण गाइड

क) पेय और भोजन बनाने के जल का शुद्धिकरण;

ख) कुंओं का विसंक्रमण;

ग) बाढ़ से सुरक्षा (अर्थात्, उस खाद्य पदार्थ, जो बाढ़ के जल के सम्पर्क में आ सकता है अथवा विद्युत की बाधा के बाद प्रशीतित खाद्य पदार्थ का इस्तेमाल);

घ) साफ–सफाई और वैयक्तिक स्वच्छता;

ङ) बाढ़ग्रस्त घरों में लौटने और उसकी सफाई के दौरान किए जाने वाले चोट–निवारण उपाय;

च) संचारी रोग और टीकाकरण;

छ) मच्छर नियंत्रण; और

ज) पशुओं, रसायनों और तीव्र–प्रवाहित जल के खतरे जैसे अन्य खतरे।

6.3 विषय/प्रसंग

आपदा में मनो–सामाजिक समर्थन

भाग–I

परिचय एवं विहंगावलोकन

आपदाएं अपने पीछे अभिघात (ट्रॉमा) और पीड़ा का लंबा दौर छोड़ती हैं, जिससे उसमें जीवित बचे लोगों पर शारीरिक और भावनात्मक, दोनों तरह का प्रभाव पड़ता है और इससे सामाजिक विकास में रुकावट होती है और समुदाय की पूर्ण भलाई में कमी आती है। बचाव और राहत की अवधि के दौरान उपयुक्त मनो–सामाजिक हस्तक्षेप पर्याप्त रूप से उत्तरजीवियों में विपत्ति और असहायता को कम करता है, जिससे जीवन स्तर में समग्र सुधार होता है। इसलिए, आपदाओं के दीर्घावधिक प्रभावों को कम करने के लिए सुरक्षा घेरों को तैयार करने हेतु मनो–सामाजिक समर्थन सृजित करने की आवश्यकता है। आपदा के बाद मनो–सामाजिक प्रभाव उत्तरजीवियों की सामान्य राहत प्रक्रिया को गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं, जिससे सुधार के लिए काफी ज्यादा समय लगता है। इसलिए, उत्तरजीवियों को उनकी क्षति तथा आपदा–आघात के असर को दूर करने में सहायता करने के लिए तत्काल मनो–सामाजिक समर्थन प्रदान किया जाना होता है। सुप्रशिक्षित समुदाय स्तर के कार्यकर्त्ताओं को उत्तरजीवियों की मनो–सामाजिक आवश्यकताओं का पता लगाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में जाना चाहिए और तब शीघ्रतापूर्वक बचाव और राहत चरण के दौरान ही राहत प्रक्रिया प्रारंभ करने की कार्य योजना विकसित करनी चाहिए।

यह निम्नलिखित कार्यों के साथ प्रारंभ होना चाहिए :

क) **मनो–सामाजिक प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करना;**

ख) **उस क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न कर्मियों को सुग्राही बनाना;**

ग) प्रभावित लोगों तक पहुंचने के लिए **सामुदायिक संसाधनों का क्षमता निर्माण;**

घ) **भावी अनुवीक्षण के लिए डेटाबेस स्थापित करना** (के. शेखर डीडी खण्ड–1, सं. ओ–1); और

ङ) असुरक्षितता संबंधी मानचित्रण **के बाद मनो–सामाजिक परिचर्या** और उच्च जोखिम वाले समूहों की पहचान के बाद।

उद्देश्य :

आपदा क्षेत्र के कामगारों, स्वयंसेवकों और सामुदायिक समूहों को मनो–सामाजिक समर्थन तकनीकों में ज्ञान और कुशलता तथा बुनियादी परामर्शी प्रक्रिया से सज्जित करना ताकि वे प्रभावित लोगों को अत्यधिक आवश्यक समर्थन और परिचर्या प्रदान करने में समर्थ हो सकें।

अनुमानित शिक्षण परिणाम

ध्यानात्मक/जानकारी संबंधी :

क) कार्यकर्त्ता/स्वयंसेवक आपदा द्वारा प्रभावित लोगों की मनो–सामाजिक आवश्यकताओं और ऐसा समर्थन प्रदान करने के विभिन्न पहलुओं को समझने में समर्थ हैं।

क्षमता/कुशलता संबंधी :

क) मनो–सामाजिक परिचर्या की बुनियादी कुशलताएं;

ख) प्रभावित के साथ परिपक्वतापूर्वक बातचीत करने और उन्हें सुनने, उनकी भावनाओं की भागीदारी करने का सामर्थ्य विकसित करना;

ग) उत्तरजीवियों की तात्कालिक आवश्यकताएं पूरी करना;

घ) मनो–सामाजिक प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करना; और

ङ) वर्तमान और भावी परिचर्या संबंधी आवश्यकताओं के अनुवीक्षण के लिए असुरक्षितता संबंधी मानचित्रण।

तरीके

मददगार/प्रशिक्षण द्वारा प्रस्तुतीकरण, विचारोत्तजक चर्चा, समूह चर्चा और बातचीत संबंधी समूह कार्यकलाप, कुशलता–आधारित पाठ, भागीदारी वाले पूर्ण सत्र।

सत्र अवधि/सत्र

चार सत्र (विवरण के लिए पृष्ठ सं.–9 देखें)।

उप–प्रसंग/मुख्य शिक्षण बिंदु/विषय

क) मनो–सामाजिक समर्थन और परिचर्या क्या हैं;

ख) आपदा में इसकी आवश्यकता क्यों है;

ग) मनो–सामाजिक आवश्यकता–आकलन;

घ) बचाव और राहत चरण के दौरान आवश्यकताएं;

ङ) असर, कष्ट, असहायता, दुःख को समझना;

च) मनो–सामाजिक परिचर्या की आवश्यकताओं और बुनियादी बातों के समाधान के लिए आवश्यक कुशलताएं;

छ) असुरक्षितता संबंधी मानचित्रण;

ज) मनो–सामाजिक परिचर्या मॉडल, सामान्यीकरण बनाम विसामान्यता मॉडल;

झ) अपरदित समर्थन प्रणाली पुनःनिर्मित करना;

ञ) मनो–सामाजिक प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करना;

ट) सामुदायिक संसाधन जुटाना;

ठ) संकट और जवाबी कार्रवाई के लिए स्थानीय स्वयंसेवकों, स्व–सहायता समूहों को प्रशिक्षित करना;

ड) परिचर्या कार्मिकों, स्वास्थ्य कर्मियों की क्षमता विकसित करना;

ढ) उत्तरजीवी जनसंख्या में हौसला पैदा करना;

ण) एक–दूसरे का ध्यान रखने वाले समुदाय का संवर्धन; और

त) आपदा की तैयारी के मनो–सामाजिक पहलू।

कार्यकलाप

क) लघु–चित्र और विभिन्न स्थितियों को लक्षित करते हुए नमूना कार्य योजना बनाने के लिए सौंपा गया कार्य;

ख) आपदा से निपटने के लिए तैयारी करना;

ग) आपदा पीड़ितों का हाल सुनना और परामर्श देना, उनकी भावनाओं की भागीदारी;

घ) सूचना और संदर्भ प्राप्त करना; और

ङ) तनाव संबंधी प्रबंधन और स्व–परिचर्या

पूरक शिक्षण सहायता सामग्री

क) संकट का जवाब देने के लिए नमूना तकनीकों के साथ नमूना दिशानिर्देश;

ख) आपदा संबद्ध मनो–सामाजिक परिचर्या और समर्थन पर हैंडआउट;

ग) असुरक्षितता और क्षमता संबंधी मानचित्रण;

घ) परामर्श देने संबंधी सुझाव; और

ङ) आपदा–विपत्ति–असहायता–समुदाय स्तर के कर्मियों की भूमिका।

अतिरिक्त अध्ययन

क) **मनोवैज्ञानिक समर्थन नीति;** *आईएफआरसी, जेनेवा, 2003*

ख) ***आपदा के मनो–सामाजिक परिणाम, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू.एच.ओ.) 1992;***

ग) ***दंगे : उत्तरजीवियों के लिए समुदाय स्तर कर्मियों द्वारा मनोवैज्ञानिक परिचर्या; एक्शन एड***

घ) ***सुनामी के उत्तरजीवियों के लिए मनो–सामाजिक परिचर्या की तकनीक; निमहान्स, 2005***

प्रशिक्षक/मददगार के लिए टिप्पणी

क) यह सत्र विषय पर कुशल और मुद्दे को समझाने के लिए पर्याप्त संवेदी संसाधन उपलब्धकर्ताओं की अपेक्षा करता है; और

ख) यह सुनिश्चित करने के लिए कि सीखने के कार्य को आत्मसात कर लिया गया है, भूमिका अदा करने की व्यवस्था।

भाग–II : पूरक शिक्षण सहायता सामग्री

एसएलएस–1

जानकारी–सामग्री

आपदा संबद्ध अभिघात (ट्रॉमा) को समझना

यहां तक कि आपदा के कई सप्ताहों के बाद भी पीड़ित/उत्तरजीवी चालू और बार–बार आने वाले दुःस्वप्न का अनुभव करते हैं। ऐसे अभिघात के संलक्षण मुख्यतः चार श्रेणियों में आते हैं, जिनमें से प्रत्येक में कई संलक्षण शामिल होते हैं।

आपदा संबद्ध अभिघात को समझना (जारी....) पहली श्रेणी

क) घटनाओं के दिल तोड़ने वाले और दुःखद पुनःस्मरण, पूर्व–दृश्य ऐसा महसूस होना कि घटना आंखों के सामने बार–बार घटित हो रही है;

ख) दुःस्वप्न (घटना अथवा अन्य डरावने दृश्य स्वप्न में बारम्बार आते हैं);

ग) बढ़ी हुई भावनात्मक और शारीरिक प्रतिक्रियाएं; और

घ) उत्तरजीवी का संबंधी को खोने का अपराध बोध।

आपदा संबद्ध अभिघात को समझना (जारी....) दूसरी श्रेणी

क) लोगों से कटते रहने का व्यवहार;

ख) अपने संबंधियों से कट जाना; और

ग) अभिघात से संबद्ध कार्यकलापों, स्थानों, विचारों अथवा बातचीत से बचने का प्रयास करना।

आपदा संबंधित ट्रॉमा को समझना (जारी....)
तीसरी श्रेणी

क) भावनात्मक जड़ता (दिलचस्पी की हानि, अन्यों से अलग–थलग महसूस करना, सीमित भावनाएं)

आपदा संबद्ध अभिघात को समझना (जारी....)
चौथी श्रेणी

क) अति उत्तेजना;

ख) नींद की बाधा;

ग) चिड़चिड़ापन अथवा क्रोध करना;

घ) किसी बात पर ध्यान–केंद्रित करने में कठिनाई;

ङ) अति–सतर्कता; और

च) अत्यधिक चौंकाने वाली प्रतिक्रिया देना।

सदमे की ऐसी स्थिति में पीड़ितों को सामान्य जीवन में वापस लाने के लिए चिकित्सकीय और मनोवैज्ञानिक मदद एवं सलाह देना महत्वपूर्ण है।

मनो–सामाजिक समर्थन–दूसरों की व्यथा सुनने की कुशलता : क्या करें और क्या न करें

क्या करें

क) उस व्यक्ति, जिसकी आप सहायता करने का प्रयास कर रहे हैं, में दिलचस्पी दर्शाना;

ख) उस पुरुष/स्त्री की समस्याओं को समझने का प्रयास करना;

ग) समानुभूति (हमदर्दी) व्यक्त करना;

घ) बड़ी समस्या, अगर कोई हो, पर अलग से विचार करना;

ङ) समस्या के कारणों के समाधान हेतु उन्हें ध्यान से सुनना;

च) कारण के साथ समस्या को संबद्ध करने के लिए व्यक्ति की सहायता करना;

छ) पीड़ित पुरुष/महिला को समस्या का समाधान करने के लिए प्रोत्साहित करना; और

ज) जब शांति की आवश्यकता हो तब शांत रहने की योग्यता अर्जित करना।

मनो–सामाजिक समर्थन–दूसरों की व्यथा सुनने की कुशलता : क्या करें और क्या न करें

क्या न करें

क) बहस;

ख) टोका–टाकी;

ग) अतिशीघ्र अथवा अग्रिम तौर पर फैसला सुनाना;

घ) जब तक अनुरोध न किया जाए तब तक सलाह न देना;

ङ) निष्कर्ष पर तुरन्त आना; और

च) व्यक्ति की भावना को स्वयं ही प्रत्यक्षतः प्रकट होने दें।

(स्रोत : बदलाव लाने के लिए प्रशिक्षण)

एसएलएस – 3

चिकित्सा संबंधी तैयारी और बड़ी दुर्घटना का प्रबंधन

–अस्पताल आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने के लिए महत्वपूर्ण बातें

(एनडीएमए दिशानिर्देश, अक्तूबर, 2007, पृष्ठ 104)

एसएलएस – 4

अस्पताल ले जाने की तैयारी

(एनडीएमए दिशानिर्देश, अक्तूबर, 2007, पृष्ठ 40)

एसएलएस – 5

हताहतों का परिवहन और सुरक्षित निकासी

(एनडीएमए दिशानिर्देश, अक्तूबर, 2007, पृष्ठ 34)

एसएलएस – 6

संचार और नेटवर्किंग

(एनडीएमए दिशानिर्देश, अक्तूबर, 2007, पृष्ठ 36)

खंड–7

नागरिक सुरक्षा के लिए प्रशिक्षण सेवा

विषय–वस्तु

7.1. नागरिक सुरक्षा में प्रशिक्षण 121

पूरक शिक्षण सहायता सामग्री

जानकारी–सामग्री

* आपदा प्रबंधन में प्रशिक्षण क्या और क्यों दिया जाए, *पृ॰ 124*
* प्रशिक्षण आवश्यकताओं का आकलन, *पृ॰ 125*
* उपयुक्त प्रशिक्षण कार्यनीति का विकास, *पृ॰ 126*
* मददगार की अनेक भूमिकाएं और कौशल, *पृ॰ 127*
* अतिरिक्त कौशल : क्या करें और क्या न करें, *पृ॰ 128*
* स्लाइड–सुविधा संबंधित कौशल, *पृ॰ 130*
* पावर प्वाइंट–कौशल विकास के तरीके, *पृ॰ 131*

* प्रशिक्षण में खेल और कार्यकलापों की भूमिका, *पृ॰ 135*
* प्रशिक्षण में क्या करें और क्या न करें, *पृ॰ 136*

7.1 विषय/प्रसंग :

नागरिक सुरक्षा में प्रशिक्षण

भाग–I

परिचय एवं विहंगावलोकन

देश को आपदा पूर्व, आपदा के दौरान और उसके बाद में चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रभावी रूप से जवाबी कार्रवाई हेतु सुप्रशिक्षित पेशेवर व्यक्तियों की आवश्यकता है। **मास्टर प्रशिक्षकों** के रूप में वे पदानुक्रम में अन्य (अपने मातहत कर्मचारियों) को प्रशिक्षण के हुनर प्रदान कर सकते हैं। चूंकि किसी आपातकालीन स्थिति का सामना करने के लिए देश में जनसंख्या के कम से कम एक प्रतिशत को मुस्तैद रखने के लिए इस प्रशिक्षण की योजना बनाई गई है, अतः नागरिक सुरक्षा संगठन में प्रशिक्षण सेवाओं के निरंतर सुदृढ़ीकरण और विस्तार की अपेक्षा होगी। स्वयंसेवक आधारित संगठन केवल सृजनात्मक, कल्पनात्मक, अभिनव और कार्योन्मुखी प्रशिक्षण के माध्यम से ही सतत आधार पर अपने कामगारों को प्रेरित कर सकता है।

चूंकि उन्हें **प्रशिक्षणार्थी** के रूप में अपनी कुशलताएं **अद्यतन** करनी होती हैं और तब प्रशिक्षकों के रूप में अन्य को उसे प्रदान करना होता है, इसलिए उन्हें आपदा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर ज्ञान और दक्षताएं दोनों होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, उन्हें अच्छे प्रशिक्षकों के रूप में कार्य करने के लिए नवीनतम प्रशिक्षण तकनीकों और तरीकों से भी परिचित होना आवश्यक है। जब किसी विषय पर शिक्षा को व्यवहार (प्रयोग) में लाना होता है तब इस प्रक्रिया को प्रशिक्षण कहा जाता है। इसमें सीखना तथा साथ ही अनुपयोगी बातों को भुलाना शामिल हैं, जो व्यक्ति को दिए गए कार्य के लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नया ज्ञान और कुशलताएं हासिल करने हेतु उसकी सहायता करता है। यह लोगों को अपनी समर्थता को पहचानने अपनी क्षमता विकसित करने और क्षेत्र में अपनी सृजनात्मक ऊर्जा का इष्टतम उपयोग करने में भी लोगों की सहायता करता है। निरंतर प्रशिक्षण, पुनः प्रशिक्षण, पुनश्चर्या और विषय अनुकूलन के माध्यम से कोई भी संगठन सक्षम और प्रभावी कामगारों की संख्या (पूल) सृजित कर सकता है। ऐसा होने के लिए, प्रशिक्षण प्रणाली, कार्यनीति, वातावरण, विषय–वस्तु और प्रक्रिया की जांच करने और उसका अद्यतन करने की आवश्यकता है।

उद्देश्य :

आपदा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ करने के लिए मास्टर प्रशिक्षकों की महत्वपूर्ण संख्या को सृजित करना।

तरीके :

इस खण्ड में दिए गए प्रशिक्षण के तरीकों की सूची का संदर्भ देना और विषयगत सत्रों की आवश्यकतानुसार उन्हें अपनाना।

सामग्री/सीखने के लिए सहायक जानकारी

30 व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण सुविधा, दृश्य–श्रव्य उपकरणों, ओएचडी/एलसीडी, फ्लिप चार्ट, मार्कर युक्त वाइट बोर्ड, चित्र, पोस्टर, कागज की शीट और खेलकूद, व्यायाम, प्रदर्शन आदि के लिए अन्य सामग्री।

सत्र अवधि

आठ सत्र (विस्तृत विवरण के लिए कृपया पेज सं. – 9 देखें)

अनुमानित शिक्षण परिणाम

ध्यानात्मक/जानकारी संबंधी :

क) भागीदारों और अपने कार्यों को देखना;

ख) प्रशिक्षण के विभिन्न तरीकों और प्रशिक्षुओं की जरूरतों को समझना;

ग) आपदा परिदृश्य, हालात और सम्भावित कार्रवाइयों का पूर्ण ज्ञान; और

घ) आचार–विचार में परिवर्तन।

क्षमता/कुशलता संबंधी :

क) प्रशिक्षण की जरूरतों का आकलन करने और समुचित प्रशिक्षण रूपरेखा तैयार करने की योग्यता;

ख) प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों के बीच दक्षता और सामर्थ्य विकसित करने की योग्यता;

ग) प्रशिक्षण के विभिन्न तरीकों और कार्यनीतियों का अनुप्रयोग करने की क्षमता;

घ) अपनी कार्य–स्थितियों में समस्याएं पहचानना;

ङ) उद्देश्यों की योजना बनाना और कार्रवाई हेतु कार्यक्रम तैयार करना;

च) प्रशिक्षण के लिए लक्षित श्रोताओं की पहचान करना;

छ) कार्रवाई हेतु प्रशिक्षण देने में कौशलों को विकसित करना।

उप–प्रसंग/मुख्य शिक्षण बिन्दु

क) आपदा प्रबंधन में प्रशिक्षण क्या और क्यों दिया जाए;

ख) प्रशिक्षण की जरूरतों का आकलन;

ग) ठीक–ठाक प्रशिक्षण कार्यनीति तैयार करना;

घ) प्रशिक्षण के उद्देश्य निर्धारित करना;

ङ) समुदाय के क्षमता निर्माण की जरूरत;

च) जिन श्रोताओं को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य बनाया गया था, उनके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रकार;

छ) प्रशिक्षण की विषय–वस्तु का निर्धारण करना;

ज) प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कैसे किया जाए;

झ) प्रशिक्षण कार्यक्रम को ऐसा कैसे बनाया जाए जिससे कि उसमें अधिक से अधिक व्यक्ति भाग लें;

ञ) क्षमता और सामर्थ्य का विकास कैसे किया जाए;

ट) शिक्षण में सहायक सामग्री को कैसे तैयार किया जाए;

ठ) नागरिक सुरक्षा के संदर्भ में सुझाई गई प्रशिक्षण की प्रक्रियाविधियां;

ड) प्रशिक्षण के तरीकों का चयन और उनका उपयोग;

ढ) प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए अनुभव से अर्जित ज्ञान का महत्व;

ण) प्रशिक्षण में खेलकूद तथा अन्य गतिविधियों की भूमिका;

त) एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का मूल्यांकन; और

थ) क्या करें और क्या न करें।

पूरक शिक्षा सहायता (एसएलएस)

जानकारी–सामग्री स्लाइड्स, मानचित्र, फिल्में/वीडियो, सन्दर्भ सामग्री, आकलन प्रपत्र, प्रश्नावलियां आदि।

अतिरिक्त अध्ययन संदर्भ

क) ***विकास के लिए भागीदारी पूर्ण प्रशिक्षण*** लेखिका–कमला भसीन, एफ. ए. ओ., बैंकाक

ख) ***प्रशिक्षण का मूल्यांकन और नियन्त्रण*** लेखक–ए.सी. हैम्बलिन, मैकग्रा–हिल, लन्दन

ग) ***सहायक पेशों के लिए प्रशिक्षण नियम–पुस्तिका*** लेखिका–किरन वढेरा, विश्व युवक केन्द्र, नई दिल्ली

घ) ***प्रशिक्षण एवं अभिरुचि परिवर्तन*** लेखक–कुलदीप माथुर, भावी परिदृश्य, नई दिल्ली

ङ) ***संयुक्त राष्ट्र द्वारा लोकप्रिय भागीदारी पूर्ण प्रशिक्षण के लिए नियम–पुस्तिका एवं संसाधन पुस्तक*** खण्ड–I, II, III और IV न्यूयार्क

मददगार के लिए टिप्पणी

क) इन तरीकों का प्रशिक्षण सत्र के दौरान उदारतापूर्वक प्रयोग करें ताकि प्रशिक्षुओं को हुनरों को आत्मसात करने में सहयोग मिल सके;

ख) यह सुनिश्चित किया जाए कि संसाधन उपलब्धकर्ता प्रशिक्षण के लक्ष्यों और उद्देश्यों को पूरा करें;

ग) किसी भी विषय पर एक बार बोलने की समय सीमा 20 मिनट से ज्यादा न हो;

घ) सही माहौल और मित्रवत् परिवेश को तैयार किया जाएं ताकि उसमें अधिकाधिक लोग भाग लें;

ड.) समय रहते पूरक सहायता सामग्री को तैयार किया जाए;

च) यह देखा जाए कि प्रशिक्षण की विषय–वस्तु में शिक्षण की जरूरत के सभी पांच भाग शामिल हों अर्थात् जागरूकता, ज्ञान, दक्षता, व्यवहार और अभ्यास;

छ) इस संबंध में उपयुक्त कई तरीके आजमाएं जाएं;

ज) भागीदारों के अर्जित ज्ञान और हुनर का समय–समय पर परीक्षण किया जाए;

झ) कुछ प्रशिक्षुओं को इन तरीकों का प्रयोग करते हुए कृत्रिम सत्र (मॉक सेशन) आयोजित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए;

ञ) संसाधन उपलब्धकर्ताओं को सत्र से पहले गाइड किया जाए;

ट) सत्र के पश्चात् मूल्यांकन में सहायता की जाए; और

ठ) प्रशिक्षण पश्चात् मूल्यांकन संचालित किया जाए;

*इस सत्र को **प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम** के एक पूर्ण सत्र के रूप में विकसित किया जा सकता है।*

भाग– II : पूरक शिक्षण सहायता सामग्री

एसएलएस–1

जानकारी–सामग्री

आपदा प्रबंधन में प्रशिक्षण क्या और क्यों दिया जाए

नागरिक सुरक्षा को फिर से तत्काल तैयार करने की संशोधित नीति के अनुसार अब नागरिक सुरक्षा वार्डनों को जिला और भौगोलिक इकाइयों से जोड़ा जाएगा। पुनर्गठन रिपोर्ट के अनुसार प्रत्येक जिले को 800 वार्डन चाहिए, इस प्रकार देश को कुल 4,80,000 वार्डनों की जरूरत पड़ेगी। उनमें से सभी को स्वयंसेवकों के प्रशिक्षक के रूप में प्रशिक्षण देने की जरूरत है जो प्रथम प्रतिक्रियादाता के रूप में समुदाय को प्रशिक्षित करेंगे। इसके मद्देनजर नागरिक सुरक्षा में प्रशिक्षण सेवाएं मुख्य संघटक के रूप में उभरेंगी क्योंकि अब प्रमुख ध्यान समुदाय में जागरूकता वृद्धि करने और आपदा आने से पहले उससे निपटने की क्षमता पर होगा। वार्डनों की भारी संख्या को 3 से 5 वर्षों की समय–सीमा में प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से प्रत्येक राज्य को प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करनी होगी जिसकी वार्षिक प्रशिक्षण क्षमता 3000 से 5000 प्रशिक्षु होगी। इसके अतिरिक्त, उन्हें नागरिक सुरक्षा कर्मचारियों / कार्यकर्ताओं, नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों, युवक संगठनों, पीआरआई के पदाधिकारियों, शहरी स्थानीय निकायों, गैर सरकारी संगठनों, नेहरू युवा केन्द्र संगठनों, एनसीसी, राष्ट्रीय सेवा योजना, स्काउट्स और गाइड, युवक रेड क्रॉस आदि को प्रशिक्षित करना होगा। अतः वार्डनों तथा अन्य संगठनों के प्रमुख अधिकारियों का क्षमता निर्माण करना एक प्राथमिकता बनी रहेगी। मौजूदा प्रशिक्षण पुस्तिका की रूपरेखा इस प्राथमिकता तथा परिणामी जरूरतों पर ध्यान देते हुए प्रशिक्षण आवश्यकता आकलन के आधार पर तैयार की गई है। (कृपया अनुबंध–I पर टीएनए प्रश्नावली देखें)। राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा विद्यालय तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, आपदा प्रबंधन में लगे संगठनों की विशिष्ट जरूरतों को ध्यान में रखते हुए संगत प्रशिक्षण सहायता उपकरण/ सामग्री और संबंधित पठन–सामग्री के साथ आपदा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं के सम्बंध में विशिष्ट मॉड्यूल का डिजाइन बनाएगा तथा उन्हें विकसित करेगा।

एसएलएस – 2

जानकारी–सामग्री

प्रशिक्षण आवश्यकता आकलन (टीएनए)

प्रशिक्षण एवं विकसित कार्य के लिए प्रशिक्षण आवश्यकता आकलन एक महत्त्वपूर्ण क्रियाकलाप है। प्रशिक्षण आवश्यकता आकलन का उद्देश्य सर्वाधिक जरूरत वाले उन क्षेत्रों में, जो संगठनात्मक लक्ष्यों एवं प्रयोजनों को पूरा करने, उत्पादकता में सुधार करने और गुणवत्तापूर्ण उत्पाद एवं सेवाएं प्रदान करने से निकट रूप से जुड़े हों, प्रत्यक्ष संसाधनों को सहायता देने के उद्देश्य से निष्पादन अपेक्षाओं एवं आवश्यकताओं को अभिज्ञात करना है।

टीएनए किसी प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने के लिए प्रमुख सहायता (इनपुट) प्रदान करता है। किसी प्रशिक्षण एवं विकास कार्यक्रम स्थापित करने के लिए **आवश्यकता आकलन** प्रथम कदम है। यह अनुदेशात्मक उद्देश्यों का निर्धारण करने, अनुदेशात्मक कार्यक्रम का चयन करने और उसकी रूपरेखा बनाने, कार्यक्रम का कार्यान्वयन करने और प्रदान किए गए प्रशिक्षण का मूल्यांकन करने के लिए आधारशिला के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये प्रक्रियाएं एक सतत चक्र को बनाती हैं जो हमेशा जरूरत आकलन से शुरू होता है।

इसलिए, वास्तविक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू होने से काफी पहले प्रत्येक प्रभावकारी एवं कार्यकुशल प्रशिक्षण कार्यक्रम **आवश्यकता आकलन** से शुरू होना चाहिए। यह आकलन आवश्यकता पड़ने से शुरू होता है। जिसे कई तरीकों से पहचाना जा सकता है परन्तु इसे सामान्यतः **इस समय क्या मौजूद है और अब और भविष्य में क्या चाहिए, के बीच अन्तर के रूप** में वर्णित किया जाता है। इस अन्तर में निम्नलिखित के बीच विसंगतियां/भिन्नताएं शामिल हो सकती हैं।

क) संगठन क्या घटित होने की उम्मीद करता है और संगठन में वास्तव में क्या घटित होता है;

ख) वर्तमान एवं वांछित कार्य निष्पादन; और

ग) मौजूदा एवं वांछित समर्थताएं और दक्षताएं।

आवश्यकता आकलन का प्रयोग कार्य दल की समर्थताएं बढ़ाने और कार्य–निष्पादन में सहायता देने के लिए भी किया जा सकता है।

सही प्रशिक्षण जरूरत आकलन निम्नानुसार **W**[5] और प्रशिक्षण आवश्यकता आकलन, **H** का पता लगाएगी और उनका निर्धारण करेगी।

कौन	**(कोई भी जिसे प्रशिक्षण की जरूरत हो)**
क्या	**(प्रशिक्षण की बल विषय–वस्तु/बल दिए जाने वाला क्षेत्र)**
कब	**(वह समयावधि जब प्रशिक्षण आदर्श रूप में संचालित करना चाहिए)**
कहां	**(प्रशिक्षण स्थल/अवस्थिति जहां अधिकतम लाभ मिल सके)**
क्यों	**(भविष्य में होने वाले परिवर्तनों के लिए और उन पर जवाबी कार्रवाई करने के लिए तैयार रहने की जरूरत)**
कैसे	**(अपनाए गए प्रशिक्षण का प्रणाली–विज्ञान)**

आवश्यकता आकलन के तीन स्तर हैं : संगठनात्मक विश्लेषण, कार्य विश्लेषण और व्यक्तिगत विश्लेषण। आवश्यकता विश्लेषण के सभी तीन स्तर आपस में एक–दूसरे से जुड़े हुए हैं और प्रत्येक स्तर से संग्रहित आंकड़े सम्पूर्ण एवं प्रभावकारी आवश्यकता आकलन के लिए महत्त्वपूर्ण हैं।

यह मानते हुए कि आवश्यकता आकलन एक से अधिक प्रशिक्षण आवश्यकता को अभिज्ञात करता है, प्रबंधन वर्ग के साथ कार्य कर रहे प्रशिक्षण प्रबंधक आवश्यकता (समयबद्धता) की तात्कालिकता के आधार पर प्रशिक्षण, आवश्यकता की सीमा (कितने कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने की जरूरत है) और उपलब्ध संसाधनों की प्राथमिकता तैयार करता है।

एसएलएस–3

जानकारी–सामग्री

उपयुक्त प्रशिक्षण कार्यनीति का विकास

किसी प्रशिक्षण कार्यक्रम के लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सावधानीपूर्वक तैयार की गई प्रभावी योजना ही प्रशिक्षण की कार्यनीति है। प्रशिक्षण का कार्यान्वयन अधिक सरल बनाने, क्षमता निर्माण को अधिक प्रभावकारी बनाने तथा इसका अनुवीक्षण एवं मूल्यांकन सरल बनाने के उद्देश्य से प्रशिक्षण का एक व्यापक कार्यनीति द्वारा हमेशा मार्गदर्शन किया जाना चाहिए। ऐसी कार्यनीति के बिना प्रशिक्षण कार्यक्रम सामान्यतः प्रतिक्रियावादी (रिएक्टिव) रहते हैं अर्थात् उभरती समस्याओं का खंडशः और असमन्वित प्रत्युत्तर मिलता है।

कार्यनीतिक रूप से विचारा गया दिशानिर्देशित प्रशिक्षण कार्यक्रम सकारात्मक होता है। यह इस कारण होता है क्योंकि सावधानीपूर्वक सुनियोजित कार्यनीति प्रशिक्षण को कार्यक्रम और परियोजना लाभ तथा प्रत्याशित परिणाम से जोड़ती है। यह कार्यनीति सुनिश्चित करती है कि किसी कार्यक्रम में प्रशिक्षण पर काफी पहले ध्यान दिया जाए ताकि टीएनए के सही स्तर उसकी रूप–रेखा तथा विकास को सही परिप्रेक्ष्य में रखा जा सके।

कुछ तथ्य जो प्रशिक्षण कार्यनीति की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, वे निम्नलिखित हैं;

क) विभिन्न कार्मिक समूहों, जिन्हें प्रशिक्षण की जरूरत है (लक्षित प्रशिक्षु), की पहचान करना और उनको प्राथमिकता प्रदान करना;

ख) टीएनए का सावधानीपूर्वक विश्लेषण;

ग) कुशलता की कमियां पहचानना–कमियां कहां हो सकती हैं, इसकी समझ से आपको आपकी जरूरत के मुताबिक प्रशिक्षण के प्रकार को तय करने में सहायता मिलेगी;

घ) प्रबंध वर्ग का सुनिश्चित समर्थन और स्टाफ की वचनबद्धता (प्रशिक्षण कार्यक्रम लागू करने से पहले योजना के निर्धारित लक्ष्य, लागत, प्रशिक्षण की तारीख और अन्य वितरण योग्य सामग्री के सम्बंध में मेजबान या वरिष्ठ स्तर के कर्मचारियों का समर्थन प्राप्त करने की जरूरत होती है);

ङ) इन कार्यों (प्रशिक्षण तरीकों) को करने के लिए विभिन्न रास्तों और अपेक्षित विशेषज्ञता अर्जित करने हेतु डिलीवरी तकनीकों का निर्धारण करना;

च) इस प्रशिक्षण कार्यनीति और कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सहयोग देने के लिए अभिकरणों एवं समूहों का निर्धारण करना;

छ) प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु अर्थोपाय तैयार करना। अपनी आवश्यकता को विकासशील कर्मचारियों के दीर्घावधि लाभ के साथ संतुलित करना महत्वपूर्ण है। खर्च के लिए मिली राशि में उपलब्ध सर्वोत्तम प्रकार के प्रशिक्षण का निर्धारण करने का प्रयास करना; और

ज) अन्तिम, परन्तु अति महत्वपूर्ण, प्रशिक्षण कार्यनीति तैयार करते समय प्रशिक्षण प्रयासों और उनके प्रभाव के विश्लेषण पर विचार किया जाना चाहिए।

एसएलएस–4

जानकारी–सामग्री

मददगार की अनेक भूमिकाएं और कौशल

क) **सर्वतोमुखी मददगार के लिए विकल्पः** एक अध्यापक/प्रशिक्षक/मददगार को विभिन्न भूमिकाएं निभाने और उनका प्रभावी ढंग से प्रयोग करने में सर्वतोमुखी (वर्सेटाइल) होना चाहिए। उसको समूह डायनैमिक्स (कार्यप्रणाली) का भी अच्छा ज्ञान एवं समझ होनी चाहिए;

ख) **नेता/अनुदेशक :** वह कार्यवाहियां शुरू करता/करती है, प्रशिक्षण की विषय–वस्तु और प्रक्रिया पर अपना नियंत्रण प्रदर्शित करता/करती है। तथापि, इस विधि में, सीखने वाले दूसरों पर अधिक निर्भर हो जाते हैं। इसे 'मुर्गियां (मदर हेन)' और उसके 'छोटे चूजे (लिटिल चिक्स)' संलक्षण कहा जाता है;

ग) **तटस्थ मार्गदर्शकः** एक तटस्थ मार्गदर्शक के रूप में प्रशिक्षक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है, परन्तु किसी निर्धारक ढंग से विषय–वस्तु में अपना योगदान नहीं देता है, लोकतांत्रिक माहौल पैदा करता है – अपना कोई निर्णय नहीं देता है;

घ) **मददगार :** अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने के बजाय सावधानीपूर्वक सुनना और निष्कर्ष निकालना, मिलकर ज्ञानार्जन करने की भावना सृजित करता है। यह अपने ज्ञान को भागीदार पर केन्द्रित करता है;

ङ) **परामर्शक :** भागीदार की सामाजिक एवं भावनात्मक जरूरतों की देखरेख करता है। नकारात्मक सोच, यदि उनकी अनदेखी कर दी जाए तो वे विनाशकारी हो सकती हैं और वे चुगली करने और अन्य नकारात्मक व्यवहार के रूप में प्रकट हो सकती हैं;

च) **सलाहकार :** समूह की परिधि से बाहर बैठता है, समूह की परस्पर वार्ता में सहयोग हेतु मित्रवत सलाह देता है;

छ) **गैर–निदेशात्मक :** सृजनात्मक पूछताछ, सीखने में स्वायत्तता की स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है, परामर्शदाता के रूप में कार्य करता है;

ज) **संपर्क मित्र (मोबाइल फ्रेंड):** जब कोई बड़ा समूह किसी कार्य/मुद्दे पर चर्चा करने के लिए उप–समूहों में विभाजित किया जाता है तो प्रशिक्षक एक समूह से दूसरे समूह में निम्नलिखित कार्यों के लिए आता जाता रहता है :

i) विषय पर समूह वार्ता की योजना बनाने के लिए;

ii) समूह को अपने विचार द्वारा मदद देने के लिए;

iii) महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर ध्यान देने के लिए;

iv) कार्य की परिपूर्णता पर चर्चा करने के लिए;

झ) **संचारक :** संचारण शिक्षण को बढ़ावा देने एवं परिवर्तन लाने में अहम भूमिका अदा करता है। एक अध्यापक/प्रशिक्षक/मददगार एक शिक्षण संबंधी प्रबंधक होता है और वह जो भी करता/करती है उससे भागीदार को एक संदेश एवं आशय मिलता है। अच्छी संचारण (अपनी बात को दूसरे तक अच्छी तरह पहुंचाने का हुनर) क्षमता एक उपयोगी संसाधन के रूप में होती है और यदि सिखाने वाला यह बताता है कि वह स्वयं क्या करता/करती है तो इससे उसके संचारण में चार चांद लग जाते हैं। यह सीखने के प्रत्येक स्तर पर किया जा सकता है अर्थात्;

i) जागरूकता सृजन
ii) विषय की समझ
iii) समर्थन एवं प्रबलीकरण
iv) अन्तर्ग्रस्तता एवं भागीदारी
v) आन्तरिकीकरण

प्रशिक्षण को संचारण के कौशल पर निर्भर रहना पड़ता है।

ञ) **मूल्यांकक :** सौंपे गए कार्य पर फीडबैक देता है, कार्यनीति की रूपरेखा प्रदान करता है, परीक्षा से सम्बंधित मामलों पर अद्यतन जानकारी देता है और परियोजना कार्य के सम्बंध में परामर्श एवं दिशानिर्देश प्रदान करता है; और

ट) **सह–सुविधाकरण :** शिक्षण कार्य में भागीदार : सह–सुविधाकरण ट्यूटर के जरिए की जाने वाली वह प्रक्रिया है जिसमें शिक्षण समूह के चुनिन्दा सदस्यों को शामिल किया जाता है जिससे कि शिक्षण को सुदृढ़ करने में उसकी सहायता की जा सके।

*स्रोत : **लर्नर सेण्टर लर्निंग**, लेखक डॉ. भगवान प्रकाश, कॉमनवेल्थ यूथ प्रोग्राम, वर्ष 2003;*

एसएलएस – 5

जानकारी–सामग्री

अतिरिक्त कौशल : क्या करें और क्या न करें

क) अपने समूह का ख्याल रखना, जब आप और भागीदार बात कर रहे हों तो अपने समूह का अवलोकन करना न भूलें;

ख) एक भागीदार की बात समाप्त होते ही, किसी अन्य कम बोलने वाले व्यक्ति की ओर मुखरित हो जाएं;

ग) एक के साथ एक के वार्तालाप के बजाय सामूहिक चर्चा को प्रोत्साहित करें;

घ) समूह सदस्यों के सिगनल्स (संकेतों) पर ध्यान दें चिन्ता ? चकित क्या वह बीच में हस्तक्षेप करना चाहता है या कुछ बोलना चाहता है?

ङ) भागीदारों को चर्चा में भाग लेने के लिए या शंकाओं का स्पष्टीकरण करने के लिए प्रश्न पूछने को प्रोत्साहित/आमंत्रित करना;

च) गैर–मौखिक सम्प्रेषण का प्रयोग : जब आप यह सोचते हैं कि मौखिक हस्तक्षेप उपयुक्त नहीं होगा या जब आप यह सोचते हैं कि बोले गए शब्द भ्रामक होंगे तो गैर–मौखिक सम्प्रेषण बहुत अच्छी तरह काम करता है;

छ) कभी–कभार गैर–शाब्दिक सम्प्रेषण की जगह मौखिक–सम्प्रेषण की जरूरत पड़ती है। उदाहरणार्थ, जब भागीदार (शिक्षार्थी) मुस्कराता है या असमंजस में होता है तो सिखाने वाला हस्तक्षेप कर सकता है और उसको यह कहकर चर्चा में शामिल कर सकता है कि ''आपका क्या विचार है मोनिका'' या ''आप क्यों मुस्कराए, रजा'';

ज) **प्रश्नों पर पुनः विचार करना :**

i) प्रशिक्षु/भागीदार : महोदय/मैडम, ''क्या आप मुझे बता सकते/सकती हैं कि आपदा का आशय क्या है?'';

ii) प्रशिक्षक/मददगार : ''अच्छा, यह बताइये कि आप इस सम्बंध में क्या सोचते हैं'' और

iii) इससे प्रशिक्षु को प्रश्न पर अपने विचार व्यक्त करने में सहायता मिलती है।

झ) **समर्थनकारी हस्तक्षेप :**

i) एक प्रभावोत्पादक शिक्षक/प्रशिक्षक सुरक्षा और आत्मीयता की भावना और विश्वास और उन्मुक्तता का ऐसा माहौल सृजित करता है जहां शिक्षार्थियों को उनका मजाक बनाए जाने का कोई डर न लगता हो और वह यह महसूस करें कि उनके विचार भी मूल्यवान हैं;

ii) समूह चर्चा में यदि कोई शिक्षार्थी अपना प्रथम या साधारण विचार व्यक्त करना चाहता है तो उसे अस्वीकार न करें या उसमें सुधार करने की चेष्टा न करें। यह अभिव्यक्ति में बाधक बनता है।

ञ) और यदि कोई सुधारात्मक कार्रवाई आवश्यक समझी जाए तो यह ''कम निषेधकारी एवं अधिक प्रोत्साहक ढंग से'' की जा सकती है जैसेः

i) **पुनः जांच (क्रॉस–चेक) और पुनर्निर्माण :** सभी भागीदार स्पष्टवादी नहीं होते हैं। समूह में भ्रम से बचने के लिए ट्यूटर यह कहकर विनम्र हस्तक्षेप कर सकता है किः''ओ.के. आओ यह देखें क्या मैं आपकी बात को अच्छी तरह से समझ पाया हूं। क्या आप यह कह रहे हैं कि...?; और

ii) **पुनर्निदेशित करना :** जैसे ही प्रशिक्षक/मददगार यह महसूस करता है कि चर्चा का विषय बदलने की आवश्यकता है तो वह समूह को यह कह कर विश्वास में ले सकता/सकती है कि, ''क्या आप सोचते हैं कि हमने इस विषय पर पर्याप्त चर्चा कर ली है? क्या आप सोचते हैं कि अब हमें वर्तमान शीर्षक में परिवर्तन कर देना चाहिए और दूसरा विषय चुन लेना चाहिए?''

*स्रोत : **लर्नर सेण्टर लर्निंग**–लेखक डॉ. भगवान प्रकाश, कॉमनवेल्थ युवा कार्यक्रम, वर्ष 2003;*

खंड 7

एसएलएस – 6

स्लाइड

सुविधा संबंधी कौशल

क) इस पुस्तिका का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों में भागीदारी प्रशिक्षण का हुनर होना चाहिए;

ख) उनसे प्रत्याशा की जाती है कि उन्हें प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित करने पूर्व अनुभव होंगे;

ग) मददगारों में बात को सुनने की अच्छी कला और समूह कार्यप्रणाली (डाइनैमिक्स) की अच्छी समझ होनी चाहिए;

घ) परस्पर सम्मान एवं समझ–बूझ प्रोत्साहित करने में सक्षम होना चाहिए;

ङ) मददगार का व्यवहार प्रशिक्षण के उद्देश्यों, मूल्यों और सिद्धांतों के आड़े नहीं आना चाहिए;

च) मददगार को अपने निजी पूर्वाग्रहों और पूर्वधारणाओं की स्वयं जांच करने की जरूरत है;

छ) विकलांग, निरक्षर या किसी अन्य अलाभकारी समूह के लोगों के साथ जानबूझकर या अज्ञानतावश भेदभाव नहीं करना चाहिए।

कौशल विकास के तरीके

निम्नलिखित सूची उन तरीकों की है जिससे आपदा सम्बंधी प्रशिक्षण अधिक प्रभावकारी बन सकता है :

क) **विचारोत्तेजक चर्चा –** यह आपदा सम्बंधी मुद्दों पर वाद–विवाद एवं मूल्यांकन करने के लिए नए विचारों एवं नए कोणों से युक्त ज्ञानवर्धक एवं उत्साहवर्धक तकनीक है;

ख) **चर्चा समूह (बज ग्रुप्स) –** शिक्षण के दौरान अल्पावधि जिसमें कई छोटे समूह किसी एक मुद्दे पर सघन चर्चा करते हैं, तदुपरान्त उस पर परिचर्चा होती है;

ग) **प्रकरण अध्ययन –** समस्या का गहन विश्लेषण करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कोई समस्या – वास्तविक या काल्पनिक गहन विश्लेषण करने के लिए प्रस्तुत की जाती है। शिक्षार्थी चर्चा करते हैं और समस्या का हल सुझाते हैं। इनका प्रयोग अक्सर किसी ऐसी स्थिति या घटना का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो चर्चा एवं शिक्षण हेतु आधार के रूप में प्रयोग होते हैं;

कौशल विकास के तरीके (जारी...)

घ) **संयमित चर्चा –** वह चर्चा जिसमें भागीदार प्रश्न पूछ सकते हैं या टिप्पणी कर सकते हैं परन्तु ट्यूटर/प्रशिक्षक रचनात्मक हस्तक्षेप के जरिए सामान्य निदेश (जनरल डाइरेक्शन) को नियंत्रित करता है;

ङ) **फिशबाउल –** शान्त ''पर्यवेक्षण'' समूह द्वारा घिरा आन्तरिक घेरे का एक चर्चा समूह जिसमें अक्सर भूमिका की अदला–बदली कर दी जाती है एवं परिपूर्ण सत्र में चर्चा होती है;

च) **मुक्त–समूह (फ्री ग्रुप) चर्चा –** एक समूह चर्चा जिसमें विषय और निदेश पर अधिकतर सदस्यों का नियंत्रण रहता है, न कि ट्यूटर/प्रशिक्षक का;

कौशल विकास के तरीके (जारी...)

छ) **समस्या–केन्द्रित –** एक समूह जिसका कार्य एक विशिष्ट प्रकट उद्देश्य के लिए होता है, जिस पर परिपूर्ण सत्र में चर्चा होती है, उस पर निष्कर्ष निकाला जाता है या पोस्टर पर उसका सारांश दिया जाता है;

ज) **समूह परियोजनाएं –** एक व्यावहारिक समूह कार्य या कोई व्यक्तिगत क्रियाकलाप जिसमें समस्या की जांच शामिल होती है और जो अक्सर क्षेत्र में संचालित किया जाता है;

कौशल विकास के तरीके (जारी...)

झ) **घटना आधारित तरीका** – प्रकरण अध्ययन का संशोधित रूप, यह तरीका किसी ऐसी घटना या स्थिति की पहचान करता है जिसके एक से अधिक हल हो सकते हैं। वह व्यक्ति जो इस घटना को जानता है, उसका प्रस्तुतीकरण करता है। प्रशिक्षुओं से पूछा जाता है कि वे उप–समूहों में इस समस्या का हल/रास्ता कैसे निकालेंगे। यह समूह परिपूर्ण सत्र में रिपोर्ट करता है। तब मददगार समूह को यह जानकारी देता है कि उक्त मुद्दे का हल/रास्ता वास्तव में कैसे निकाला गया और फिर तत्पश्चात् उस पर चर्चा होती है, उसका सार निकाला जाता है;

ञ) **पिरामिड** – एक विचार सृजक तकनीक, जिसके द्वारा दो लोगों का समूह किसी समस्या पर संक्षेप में विचार करता है और फिर इसकी सूचना देने से पूर्व आगे चर्चा करने के लिए चार लोगों का समूह और आठ लोगों का समूह बनाता है;

ट) **प्रश्न** – अनुशिक्षक/प्रशिक्षक एक प्रश्न प्रदर्शित करता है और तब समूह द्वारा चर्चा एवं विस्तृत विवरण के लिए उत्तर दिखाता है। इसे प्रश्नोत्तरी (क्विज) के रूप में भी प्रयोग किया जाता है;

कौशल विकास के तरीके (जारी...)

ठ) **भूमिका अदा करना (रोल प्ले)** – एक अनुरूपण जिसमें भागीदार किसी मुद्दे का गहन विश्लेषण करने के लिए काल्पनिक या वास्तविक स्थितियों में भूमिका अदा करते हैं। यह शिक्षार्थी को सामाजिक संसारों के अन्तर्गत निजी अर्थ निकालने और सामाजिक समूह की सहायता के द्वारा व्यक्तिगत दुविधाओं का हल करने में सहायता करता है;

ड) **संगोष्ठी** – परिपूर्ण सत्र/समूह चर्चा, फिर चुनिन्दा/प्रमुख भागीदारों द्वारा प्रस्तुतीकरण;

ढ) **अनुरूपण खेल (सिमुलेशन गेम्स)** – यह एक अभिनव शैक्षणिक पहल है, एक ऐसा अभ्यास है जिसमें विशिष्ट एवं वास्तविक स्थिति के सभी अनिवार्य गुणधर्म शामिल होते हैं जहां भागीदार विशिष्ट भूमिकाएं अदा करते हैं;

कौशल विकास के तरीके (जारी...)

ण) **कदम–दर–कदम चर्चा** – भागीदारों/शिक्षार्थियों से अपेक्षित जानकारी प्राप्त करने के लिए मुद्दों के सावधानीपूर्वक तैयार अनुक्रम और प्रश्नों पर चर्चा आयोजित की जाती है;

त) **क्षेत्र दौरा/अभिकरण (एजेंसी) दौरा** – प्रशिक्षुओं की विशिष्ट परियोजना या संस्थान में ले जाया जाता है। इसका उद्देश्य प्रशिक्षुओं के व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करने और यथार्थपरक परिप्रेक्ष्य विकसित करने के लिए चल रही परियोजनाओं का प्रदर्शन करना है। दौरे के उपरान्त प्रशिक्षार्थियों से शिक्षण बिन्दुओं पर चर्चा एवं उनका मूल्यांकन करने के लिए कहा जाता है;

कौशल विकास के तरीके (जारी...)

थ) **फोकस समूह चर्चा (एफजीडी) –** इसमें विकासात्मक मुद्दों से संगत विशिष्ट गुणधर्मो वाले 10–15 लोगों को इकट्ठा किया जाता है और किसी दिए गए मुद्दे/विषय पर ध्यानकेंद्रित चर्चा कराई जाती है। एफजीडी समूह कार्यप्रणाली का अध्ययन करने और क्षेत्र आधारित सर्वाधिक उपयुक्त परियोजना कार्य में मानव विकास को प्रभावित करने वाले व्यवहारों और अवधारणा के विश्वास पर फीडबैक प्राप्त करने का एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान करता है;

द) **सिण्डीकेट –** बड़े समूह का भाग बनने वाले कई उप–समूह जो किसी समस्या पर एक निर्धारित समय के लिए कार्य करते हैं और बाद में पूरे समूह को इसकी रिपोर्ट करते हैं;

ध) **ट्यूटोरियल (शिक्षण संबंधी) –** यह अक्सर वर्तमान विषय या पिछले से संबंधित विषय पर आधारित लघु समूह की एक बैठक होती है। अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में ट्यूटोरियल पत्रों का प्रयोग करना। शिक्षार्थियों को कार्य देना/कार्य सौंपना और उनसे ट्यूटोरियल सत्रों के दौरान लिखित/मौखिक प्रस्तुतीकरण करने के लिए कहना;

कौशल विकास के तरीके (जारी...)

न) **कार्यशाला –** कई तरीके शामिल करते हुए एक 'उपयोगी' भागीदारी अनुभव और कौशलों या रवैयों का विकास करना। यह प्रशिक्षुओं को काम करने और कुछ ठोस अर्थात् कोई दस्तावेज, कोई योजना पर कार्य करने के लिए प्रेरित करती है;

प) **प्रयोगशाला –** किसी ऐसे मुद्दे जिसमें संबंध, रवैया और विश्वास शामिल हों, पर गहन विश्लेषण और समीक्षा करना;

फ) **पोस्टर्स –** आपदा, खोज, बचाव, राहत, कौशल और प्रचालनों के विभिन्न पहलुओं पर सशक्त एवं प्रभावशाली पोस्टर जिनका कौशल–गहन विषयों पर चर्चा करने के लिए प्रयोग किया जाता हो;

कौशल विकास के तरीके (जारी...)

ब) **फ्लैश कार्ड –** पोस्टर्स की तरह ही फ्लैश कार्डों का प्रयोग भी प्रशिक्षुओं के बीच ज्ञान और सूचना वितरित करने के लिए किया जा सकता है। इन्हें विषय–वस्तु पर आधारित तस्वीरों या शब्दों में तैयार किया जा सकता है। प्रत्येक कार्ड का प्रदर्शन पृथक रूप से किया जाता है जिसमें कोई शाब्दिक टिप्पणी होती है और जो चर्चा हेतु मुक्त होती है;

भ) **प्रौद्योगिकी का प्रयोग –** उदाहरणार्थ ई–मेल, ई–ग्रुप, रेडियो प्रसारण। इससे शिक्षार्थी अपने ज्ञान को एक–दूसरे के साथ और अनुशिक्षक के साथ बाँटने में सक्षम बनते हैं;

कौशल विकास के तरीके (जारी...)

म) **समकक्ष द्वारा समालोचना का तरीका –** इस तरीके में एक शिक्षार्थी को अध्ययन के एक विषय की व्याख्या करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और सह–शिक्षार्थी फीडबैक देते हैं। अनुशिक्षक (ट्यूटर) चर्चा को सार रूप में प्रस्तुत करता है।

य) **लाक्षणिक (मेटाफोरिक) गतिविधि –** इसमें रूपक के माध्यम से शिक्षार्थी और उद्देश्य या विषय–वस्तु के बीच संकल्पनात्मक दूरी प्रस्तुत करते हैं और वे सृजनात्मक रूप से एक जागरूक प्रक्रिया बन जाते हैं। यह शिक्षार्थियों को किसी बात को नए ढंग से जोड़ने और सीखने तथा उस पर बल देने में सहायता करता है। उदाहरणार्थ शिक्षार्थियों से यह पूछा जा सकता है–मान लो कि आप सड़क पर एक पेड़ हो और बताइए कि जब एक भारी चक्रवात आता है या बाढ़ आती है तब आप बाढ़ पीड़ित के रूप में कैसा महसूस करेंगे और उनसे कहा जाएगा कि वे अपनी भावनाओं का वर्णन करें। किसी सजीव या सामाजिक मुद्दे से जोरदार समानता करने से शिक्षार्थियों की चेतना तीव्र होती है तथा यह उसकी समझ व्यापक बनाती हैं।

कौशल विकास के तरीके (जारी...)

र) **मस्तिष्क तेज करने का अभ्यास (स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज) :** रूपकों का प्रयोग शिक्षण समूहों में सृजन प्रक्रिया को उत्प्रेरित करने के लिए भी किया जा सकता है। इसे **(1) प्रत्यक्ष (सदृश लोगों के उदाहरण द्वारा)** अर्थात् आपके प्रिय रोल मॉडल व्यक्ति कौन हैं और क्यों हैं? **(2) व्यक्तिगत सदृश चीजों जैसे प्रकृति, पशु आदि के उदाहरण द्वारा** अर्थात् मान लो कि एक चिड़िया, बादल या नदी है, इस समय आप कहां हैं; क्या कर रहे हैं? आप कैसा महसूस करते हैं? **(3) संक्षिप्त विरोधाभास** अर्थात् आपके घर में कितनी फैट एवं स्लिम मशीनें है आदि। बताइए कि कितने सजीव जैसे लगते हैं;

ल) **शृंखलाबद्धता (सामाजिक मुद्दों की जानकारी इकट्ठा करना) –** यह कौशल–निर्माण का एक उपयोगी तरीका है। शिक्षार्थियों से सामाजिक मुद्दों जैसे लिंग–भेदभाव, प्रजनन संबंधी स्वास्थ्य, पर्यावरण, बाढ़, सूखा, भूस्खलन आदि के सम्बंध में अपने क्षेत्रों से जानकारी एकत्र करने और जहन में उससे सम्बंधित तस्वीरें तैयार करने के लिए कहा जाता है कि वे कैसे जनसांख्यिकीय और अर्थव्यवस्था से जुड़े हैं;

व) **तरीके का चयन एवं प्रयोग –** किसी तरीके से अधिकतम लाभ और कारगरता सुनिश्चित करने के लिए यह सुनिश्चित करें कि यह विषय–वस्तु विशिष्ट है और ज्ञान को प्रबल करने का एक साधन है। इसमें विषय के मामले से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों को फोकस में लाना चाहिए।

कौशल विकास के तरीके (जारी...)

श) **प्रशिक्षण तकनीकें –** सभी प्रशिक्षण तरीकों और तकनीकों को दो भागों में वर्णित किया जा सकता है–''खुली (सार्वजनिक)'' या 'बन्द (कार्यक्रमबद्ध)' / खुली तकनीक जैसे विचारोत्तेजक चर्चा, कहानी सुनाना, पोस्टर तैयार करना का उद्देश्य होता है–सृजनात्मकता का उत्प्रेरण करना, जागरूकता बढ़ाना। बंद तकनीकें जैसे मॉक–ड्रिल्स, अभ्यास का प्रयोग, तथ्यों को जानने और दक्षता का प्रयोग करने के लिए किया जाता है; और

स) **मोजर एवं हार्वर्ड विश्लेषणात्मक रूपरेखा कार्य –** इस तकनीक के चार पहलू हैं (i) **सृजनात्मक / जांच–परख** (पीआरए, सुनना, सर्वेक्षण) (ii) **विश्लेषण** (प्रकरण–अध्ययन, परियोजना विश्लेषण) (iii) **योजना बनाना** (कार्य योजनाएं) और (iv) **सूचना–परक** (प्रस्तुतीकरण, प्रश्नोत्तरी आदि);

*स्रोत : **लर्नर सेण्टर लर्निंग,** लेखक डॉ. भगवान प्रकाश, कॉमनवेल्थ युवा कार्यक्रम, वर्ष 2003।*

एसएलएस–8

जानकारी–सामग्री

प्रशिक्षण में खेल और कार्यकलापों की भूमिका

खेलकूद, अभ्यास, क्रियाकलाप, प्रदर्शन, मॉक–ड्रिल्स आदि आनंददायक, मनोरंजक–अनुभवपरक शिक्षण के भाग हैं।

क) प्रशिक्षु ऐसे हालात का अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं जहां प्रत्येक व्यक्ति को विषय की नई अन्तरदृष्टि प्राप्त करने का मौका मिले। खेलकूद सक्रिय भागीदारी–पूर्ण शिक्षण का सृजन करते हैं।

ख) किसी खेल के मनोरंजक पहलू सीखने की प्रक्रिया में शिक्षार्थी की अन्तर्ग्रस्तता को बढ़ाते हैं;

ग) शिक्षादाताओं का विचार है कि सीखने का सर्वाधिक प्रभावकारी तरीका है सक्रिय शिक्षण या कार्य के माध्यम से करके सीखना। खेलकूद किसी स्थिति या किसी मुद्दे के सम्बंध में तत्काल सूचना और फीडबैक प्रदान करते हैं;

घ) कौशल अभ्यास खेलों में, प्रयास की शुद्धता तत्काल पता लग जाती है। किसी स्थिति में सम्भावित भूल या गम्भीर चूक का तुरन्त पता लग जाता है और उनमें सुधार कर लिया जाता है;

ङ) खेलों का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू है कि वे प्रकृति से गैर–जोखिमकारी होते हैं। खेल सतत् कार्य और भारी सत्रों से उत्पन्न बोरियत और नीरसता को तोड़ते हैं। खेलकूद से सीखना रुचिकर हो जाता है;

च) खेलकूद वास्तविक सेटिंग और भूमिका के अनुप्रयोगों को बढ़ावा देते हैं। ये एक मुक्त रूपरेखा प्रदान करते हैं जिससे एक शिक्षार्थी को वास्तविकता का पता लगता है। खेल सृजित करने और दोहराए जाने में बहुत आसान होते हैं;

छ) हमने खेलों को तीन श्रेणियों में बांटा है नामतः दक्षता **अभ्यास खेल, भूमिका अदा करने वाले खेल** और **अनुसरण**; और

ज) आपदा प्रबंधन के संदर्भ में, दक्षता अभ्यास खेल काफी प्रासंगिक हैं क्योंकि वे शिक्षार्थी को तब तक अभ्यास कराते हैं जब तक वे उनके सम्बंध में अपने माहिर होने के प्रति आश्वस्त नहीं हो जाते और इन्हें वास्तविक जीवन के हालात में प्रयोग करने के इच्छुक नहीं हो जाते।

अनुरूपण खेलों में, शिक्षण की विषय–वस्तु सीखने वालों के जीवन को प्रत्यक्ष प्रासंगिकता प्रदान करती है।

एलएलएस – 9

जानकारी–सामग्री

प्रशिक्षण में 'क्या करें' और 'क्या न करें'

क) प्रशिक्षण एक माध्यम है–न कि एक संपूर्ण कार्रवाई (एंड);

ख) एक प्रशिक्षण कार्यक्रम के बिना, किसी संगठन की समस्याओं और कमियों को दूर करने का प्रयास न करें;

ग) प्रशिक्षण को क्रियान्वित किए जाने वाले कार्यक्रम की संरचना का एक अंग बनाएं;

घ) अपनाई जाने वाली, अनुसरण की जाने वाली नीति, प्रक्रियाएं और अभ्यास तैयार करें तथा प्रशिक्षण के परिणामों का समाकलन करें;

ङ) बिना उचित तैयारी के किसी प्रशिक्षण का सिर्फ नाम के लिए आयोजन न करें;

च) प्रशिक्षण की विषय–वस्तु की रूपरेखा तैयार करते समय सदैव एक **प्रशिक्षण आवश्यकता विश्लेषण** करें;

छ) याद रखें, संस्थानों द्वारा प्रशिक्षण का प्रयोग अन्य कुछ भी न करने के बहाने के रूप में किया जा सकता है;

ज) संसाधन उपलब्धकर्ता का चयन करने में अत्यधिक सावधानी बरतें, खासकर उन लोगों से दूर रहें जो सत्रों को भागीदारी–पूर्ण रूप से नहीं चला सकते हैं;

झ) प्रयोक्ताओं/प्रायोजक संस्थानों को उन व्यक्तियों की तैनाती करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए जिनके हुनर का इस क्षेत्र में प्रयोग किया जा सकता है;

ञ) किसी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में बहुत अधिक लोगों को शामिल न करें, **आदर्श संख्या 25** है जिसे बढ़ाकर 35 किया जा सकता है;

ट) सत्र में औपचारिकताओं/प्रथाओं को कम से कम करें ताकि वास्तविक जानकारी को अधिक समय दिया जा सके; और

ठ) सबकों को याद करने के लिए प्रशिक्षण के प्रभाव का सदैव मूल्यांकन करें।

खंड–8

आपदा पर कार्रवाई और अभ्यास/प्रशिक्षण

विषय–वस्तु

8.1 आपदा में खोज और बचाव का महत्व 139

8.2 आपदा में प्रथमोपचार (फर्स्ट एड) से संबंधित बुनियादी बातों को सीखना 152

8.3 व्यावहारिक, कृत्रिम कवायद, अभ्यास एवं क्षेत्र में प्रदर्शन 157

पूरक शिक्षण सहायता सामग्री

जानकारी–सामग्री

* खोज और बचाव के महत्वपूर्ण अवयवों पर जानकारी–सामग्री, *पृ॰ 142*
* खोज और बचाव से संबंधित 'क्या करें' और 'क्या न करें', *पृ॰ 143*
* बेल्लारी (कर्नाटक) में एक क्षतिग्रस्त भवन का खोज और बचाव अभियान, *पृ॰ 144*

सुरक्षित समुदाय
सुदृढ़ देश

* पहाड़गंज में बम विस्फोट : अस्पताल की कार्रवाई एक प्रकरण–अध्ययन (केस–स्टडी), *पृ॰ 149*
* प्रथमोपचार की जानकारी–सबके लिए अनिवार्य, *पृ॰ 154*
* आपातस्थिति देखभाल का अधिकार पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, सम्बंधी जानकारी–सामग्री, *पृ॰ 156*
* रस्सियों और गांठों और कोड़ों के उपयोग पर दृश्य–सामग्री (विजुअल्स), *पृ॰ 159*
* बचाव तकनीकों पर दृश्य–सामग्री, *पृ॰ 161*
* प्रथमोपचार ट्रायज प्रक्रिया पर आरेख, *पृ॰ 165*
* प्रथमोपचार पर दृश्य–सामग्र, *पृ॰ 166*

8.1 विषय/प्रसंग :

आपदा में खोज और बचाव का महत्व

भाग–I

परिचय एवं विहंगावलोकन

आपदा के दौरान तलाशी एवं बचाव महत्वपूर्ण जीवन–रक्षक क्रियाकलाप है। ये विशिष्ट, तकनीकी और दक्षता आधारित राहत–कार्य सुप्रशिक्षित व्यक्तियों के समूहों द्वारा किए जाते हैं। पिछले अनुभव से यह सीख मिली है कि लगभग प्रत्येक बड़ी आपदा आने के तत्काल पश्चात् फंसे एवं जख्मी लोगों की खोज और बचाव का काम सर्वप्रथम स्वतः–स्फूर्त, सदाशयतापूर्ण परंतु अप्रशिक्षित लोगों द्वारा किया जाता है जो व्यक्तिगत सुरक्षा पर बहुत कम ध्यान देते हैं और पीड़ित को खतरे में डाल देते हैं। इस स्वतः–स्फूर्त कार्रवाई से जुड़ी समस्याओं से बचने के लिए खोज और बचाव क्रियाकलाप सुनियोजित और समुचित रूप से क्रियान्वित करे जाने की आवश्यकता होती है।

खोज और बचाव कार्य दो स्तरों पर किए जाते हैं, अर्थात्

i) समुदाय एवं स्थानीय स्तर, और ii) समुदाय के बाहर। बचाव कार्य करने का निर्णय दो तथ्यों पर आधारित होता है अर्थात् **i) अन्तर्ग्रस्त वास्तविक जोखिम** और **ii)** ज्यादा से ज्यादा **प्रभावित व्यक्तियों की सहायता** करने का समग्र लक्ष्य। इसी तरह तलाशी एवं बचाव के कार्य में लगे व्यक्तियों/स्वयंसेवकों को प्रभावकारी बनने के लिए कुछ औजारों की आवश्यकता होती है। ये उपकरण अलग–अलग परिस्थितियों में अलग–अलग हो सकते है। उदाहरणार्थ तूफान और भूकम्प से होने वाली क्षति में उपयुक्त समय पर नावों, रस्सों और जीवन–रक्षक जैकेटों की आवश्यकता होती है। समय के हिसाब से पहले 24 घण्टों को ***स्वर्णिम अवधि*** (अति महत्त्वपूर्ण) कहा जाता है क्योंकि इस अवधि के दौरान जख्मी और फंसे लोगों के जीवित बचने का अवसर 80 प्रतिशत होता है।

उद्देश्य :

क) विभिन्न आपदाओं में फंसे लोगों के लिए बचाव कार्य करने हेतु प्रशिक्षुओं को सक्षम बनाना;

ख) जीवित बचे आपदा से घिरे लोगों को प्राथमिक चिकित्सा सेवा मुहैय्या कराना;

ग) मृत व्यक्तियों के शव ढूंढ निकालना और उनकी अंत्येष्टि करना और;

घ) जोखिम में फंसी, ढही बिल्डिंगों और संरचनाओं को संरक्षण और सहायता देना; मलबा हटाना।

प्रणाली–विज्ञान

प्रदर्शन, मॉक अभ्यास, ड्रिल्स, क्षेत्र के दौरे, प्रायोगिक और अनुरूपण खेल

सामग्री/सीखने के लिए सहायक जानकारी

क) खोज और बचाव उपकरण (अर्थात् मानव क्रच, पिक–ए–बैक, फायरमैन की लिफ्ट, बोलाइन ड्रैग, आदि); और

ख) रस्से, सीढ़ियां, गांठें और बंधन–सामग्री (लैशिंग्स), स्ट्रेचर्स, और दुर्घटना–ग्रस्त को ले जाने संबंधी परिवहन, जल बचाव यंत्र, अपने हाथों का इस्तेमाल (दो/तीन/चार हाथों वाली सीट बनाने में दक्षता), पॉकेट टार्च, दस्ताने, मोटा कपड़ा, कुदाल, कुल्हाड़ी, कम्बल, लकड़ी के तख्ते, बाल्टियां, बचाव उपकरण तथा मॉक ड्रिल्स के लिए अन्य टूल्स आदि।

सत्र–अवधि

आठ सत्र (विस्तृत विवरण के लिए पृष्ठ सं.–9 देखें)। प्रशिक्षुओं की जरूरत के आधार पर सत्रों की संख्या बढ़ाई जा सकती है।

अनुमानित शिक्षण परिणाम

ध्यानात्मक/जानकारी संबंधी :

क) आपातकालीन खोज और बचाव, इसके विभिन्न स्तरों के लिए अपेक्षित सुरक्षा उपायों तथा भूमिका एवं उत्तरदायित्वों का पूर्ण ज्ञान; और

ख) तीन प्रमुख सिद्धान्त, अर्थात् हालात का आकलन करने के लिए देखो, सुनो और महसूस करो।

क्षमता/कुशलता संबंधी :

क) विपरीत परिस्थितियों में काम करने की संवर्धित क्षमता;

ख) तत्काल निर्णय लेने और कार्रवाई करने की क्षमता;

ग) आपदा में फंसे जीवित लोगों को प्राथमिक चिकित्सा देने की क्षमता;

घ) आपातकालीन बचाव हेतु दक्षता, बचाव हेतु घंटी बजाने और उपकरणों का प्रयोग करने की दक्षता;

ङ) टीम कार्य और नेतृत्व कुशलताएं;

च) बचाव कार्य की योजना बनाने (जन–शक्ति, उपकरण, प्रणाली) की क्षमता; और

छ) समुदाय आधारित खोज और बचाव कार्य का समन्वय करने और उन्हें तत्पर करने की क्षमता।

उप–प्रसंग/मुख्य शिक्षण बिन्दु

क) खोज और बचाव कार्य क्या हैं;

ख) योजना बनाने, हालात और संसाधनों का आकलन करने की जरूरत;

ग) खोज और बचाव दल बनाना;

घ) बचावकर्त्ताओं के कर्त्तव्य, सीमाएं जानना;

ङ) बचाव के स्तर – आपातकालीन बचाव, तत्काल बचाव;

च) विशेषीकृत बचाव;

छ) निष्क्रमण सीढ़ी, लिफ्ट्स एवं ड्रैग्स;

ज) सुरक्षा सम्बंधी विचारणाएं, प्राथमिक चिकित्सा की जरूरत;

झ) क्षतिग्रस्त भवनों से बचाव;

ञ) जल से बचाव;

ट) बचाव उपकरण एवं हथियार, अन्य प्रयोग;

ठ) रस्से, गांठों और बन्धनों का प्रयोग; और

ड) हताहतों संबंधी परिवहन

पूरक शिक्षण सहायता सामग्री

क) खोज और बचाव कार्यों सम्बंधी हैंडआउट्स;

ख) खोज और बचाव के समय क्या करें और क्या न करें;

ग) बचावकर्त्ता के कर्त्तव्य, बचाव के स्तर;

घ) बचाव के औजार एवं उपकरण;

ङ) पहाड़गंज में हुए विस्फोट के बाद अस्पताल की कार्रवाई का प्रकरण अध्ययन;

च) आपातकालीन बचाव पर हैंडआउट;

छ) क्षतिग्रस्त भवनों से बचाव के लिए हैंडआउट;

ज) रस्सों, गांठ और बन्धनों का प्रयोग करने सम्बंधी हैंडआउट;

झ) खोज और बचाव के लिए मार्गदर्शी टिप्पणियां।

अतिरिक्त अध्ययन/संदर्भ

क) ***समुदाय आधारित आपदा तैयारी – संकल्पना एवं तकनीक पुस्तिका;*** अध्याय–8, खोज और बचाव, पृष्ठ 24–31, विकास एवं सहयोग के लिए स्विस एजेंसी (सुनील भगवानी);

ख) ***समुदाय आधारित खोज और बचाव, चक्रवात आश्रय स्थल कार्यक्रम सम्बंधी पुस्तिका,*** भारतीय रेड क्रॉस सोसायटी, उड़ीसा राज्य शाखा और स्पैनिश रेड क्रॉस।

मददगार के लिए टिप्पणी

क) यह सत्र भारी क्रियाकलापोन्मुख है और तदनुसार मददगार को व्यावहारिक अनुभव के लिए क्षेत्र क्रियाकलापों की एक श्रृंखला आयोजित करने के योग्य होना चाहिए;

ख) मददगार/प्रशिक्षक यह सुनिश्चित करे कि प्रशिक्षुओं ने खोज और बचाव कार्यों के लिए उपकरणों को प्रयोग करने के तरीकों का अभ्यास (रिहर्सल) अच्छी तरह से कर लिया है;

ग) यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रत्येक प्रशिक्षु खोज और बचाव कार्य के आधार पर नियमों और सिद्धान्तों को समझने के योग्य है तथा उसका अनुकरण करता है;

घ) सत्र की अवधि घट–बढ़ सकती है। इसे स्थानीय जरूरतों, प्रशिक्षुओं के विगत अनुभव और चुनौतियों की प्रवृत्ति के आधार पर घटाया–बढ़ाया जा सकता है।

भाग– II : पूरक शिक्षण सहायता सामग्री

एसएलएस–1

हैंडआउट

खोज और बचाव के महत्वपूर्ण संघटक

क) आपदा में फंसे या अलग–थलग पड़ गए पीड़ितों के स्थान का पता लगाना;

ख) आपदा पीड़ितों को सुरक्षित स्थान पर लाकर उनकी जान बचाना;

ग) उन्हें चिकित्सा उपचार देना;

घ) यह सुनिश्चित करना कि अधिकाधिक संभव संख्या में पीड़ित बच जाएं;

ङ) 'क्या करें' और 'क्या न करें';

च) विशेषज्ञों की सहायता द्वारा खोज और बचाव कार्य सुलभ बनाना;

छ) स्थानीय लोगों के साथ मिलकर खोज और बचाव योजना तैयार करना;

ज) उपयुक्त कार्यों के लिए विभिन्न दलों को शामिल करना;

झ) समुदाय से ऐसे लोगों को शामिल करना जिन्हें उस क्षेत्र की पूरी जानकारी हो और जो तलाशी कार्य में सहायता दे सकें;

ञ) समुदाय मानचित्रण के जरिए पीड़ितों को सुरक्षित स्थान पर ले जाना;

ट) आश्रय तथा अन्य राहत सामग्री प्रदान करना;

ठ) भय, अफवाह, असमंजस को नियंत्रित करना;

ड) पीड़ितों को नैतिक समर्थन देना;

ढ) प्रभावित स्थानों के पीड़ितों तथा ऐसे असहाय लोगों को भी जिनका जीवन खतरे में हो और जो बचाव की प्रतीक्षा में हो, भोजन, पेय जल, प्राथमिक चिकित्सा और मनोसामाजिक देखभाल मुहैया कराना;

ण) निष्क्रमण के उपरान्त आपातकालीन आपूर्ति एवं सेवाओं के माध्यम से राहत दिलवाना;

त) क्षतिग्रस्त भवनों और सुविधाओं तक पहुंच यथापेक्षित ऐसी जगह से बनाना जहां खतरा न्यूनतम हो;

थ) भवनों के खण्डहरों पर बड़ी सावधानीपूर्वक (केवल तभी जब बहुत जरूरी हो) चलें क्योंकि वे कमजोर, टूटे–फूटे टुकड़ों के अस्थिर ढेर हैं;

खोज और बचाव के महत्वपूर्ण संघटक (जारी...)

द) खण्डहरों को गिराते या साफ करते समय पहले दूर हट जाओ तथा जलती या सुलगती वस्तु को बुझा दें;

ध) जिन कमरों में आग लगी हो उन्हें बड़ी सावधानीपूर्वक खोलें; सम्भावित लपटों या गर्म गैस के भभके के प्रति सावधान रहें;

न) जली हुई जगहों पर सिर झुकाकर या अपने घुटनों के बल चलें;

प) आग में जल रहे स्थानों में कोशिश करें कि आप खिड़की के नजदीक ही रहें, ताकि जरूरत पड़ने पर खतरे के क्षेत्र से तुरन्त बाहर निकल सके;

फ) जले हुए भवनों के भूमिगत तल में केवल तभी जाएं जब वहां हवा का आवागमन खूब हो जाए क्योंकि कार्बन मोनो ऑक्साइड गैस का सर्वाधिक संकेन्द्रण (एकत्रण) भूमिगत तल में ही होता है;

ब) क्षतिग्रस्त भवनों में सभी पाइप लाइनों (जल/गैस) और बिजली की तारों के मेन्स के बटनों को बंद कर दें/ स्विच ऑफ कर दें।

भ) यदि उत्खनन स्थल पर बिजली के तार हैं तो धातु के बने फावड़ों और गैंती (पिक्स) का प्रयोग करने से पहले अपने हाथों को इन्सुलेशन से ढक लें ताकि आपको बिजली का झटका न लगे।

एसएलएस – 2

हैंडआउट

खोज और बचाव कार्य के सम्बंध में 'क्या करें' और 'क्या न करें'

क) तलाशी करते समय कंकड़–पत्थर पर, यदि जरूरी न हो तो, **न चलें;**

ख) ढहे भवनों एवं सुविधाओं वाले स्थानों में प्रवेश **न करें;**

ग) बुरी तरह से क्षतिग्रस्त या ढहे भवनों/निर्माण/सुविधाओं के पास न जाएं या वहां **न रुकें;**

घ) भवनों के अन्दर के स्थान की निगरानी करते समय रोशनी के लिए ओपन लाइट्स जैसे टार्च/मिट्टी के तेल के लैम्प आदि का इस्तेमाल **न करें;**

ङ) एक ही जगह पर, शाफ़्ट में या फर्श पर ज्यादा लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति **न दें;**

च) यदि बिजली का कोई तार ढका हुआ न हो तो तार पर पैर **न रखें**–अतिरिक्त क्षति या तोड़फोड़ से बचें।

एसएलएस – 3

प्रकरण अध्ययन

बेल्लारी (कर्नाटक) में एक क्षतिग्रस्त भवन का खोज और अभियान

भवन

यह एक पांच मंजिला भवन था जिसमें 2 बीएचके (बेडरूम हाल किचन) के तीस अपार्टमेन्ट्स थे। 26 जनवरी, 2010 को प्रातः 18.30 बजे इस भवन के प्रथम, द्वितीय और भूतल पूरी तरह से गिर गए और उनका आकार पैन केक (तश्तरी पर रखे केक अर्थात् मलबे की तरह) की तरह हो गया जबकि तृतीय, चतुर्थ और पंचम तल इस गिरे हुए भवन के खण्डहर पर किसी तरह टिका था। तृतीय, चतुर्थ और पंचम तल की अन्दरूनी दीवारें भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गईं थीं। इस भवन का कुछ भाग पास स्थित एक मंजिला छात्रावास पर गिर पड़ा और इसमें एक विद्यार्थी मारा गए।

भवन गिरने के सम्भावित कारण

- पांचवीं मंजिल के लिए अनुमति नहीं ली गई थी;
- यह भवन कृषि योग्य बना दी गई दलदली भूमि पर स्थित था;
- भवन की रूपरेखा की योजना गलत ढंग से बनाई गई थी;
- भवन के पिछले और पार्श्व भाग पर पहुंचने के मार्ग का अभाव था;
- खराब निर्माण सामग्री;
- भूमि/प्रथम तल पर 40 टन सीमेंट और 42 टन ग्रेनाइट स्लैब्स का असमतल भण्डारण;

संकट की सूचना पर कार्रवाई (डिस्ट्रेस कॉल)

26 और 27 जनवरी, 2010 की मध्यवर्ती रात को लगभग 23.45 बजे 5वीं बटालियन, एनडीआरएफ को श्री के.एम. सिंह, माननीय सदस्य, एनडीएमए, राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल मुख्यालय और कर्नाटक राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए) से यह जानकारी मिली कि बेल्लारी, कर्नाटक स्थित एक पांच मंजिला निर्माणाधीन रिहायशी भवन गिर गया है। एसडीएमए, कर्नाटक ने इस यूनिट से एक विशेषज्ञ खोज बचाव दल को खोज और बचाव कार्य के लिए भेजने का अनुरोध किया। श्री आलोक अवस्थी, कमाण्डेंट ने बिना कोई समय गंवाये तत्काल दो तलाशी एवं बचाव दलों को, अत्याधुनिक खोज और बचाव उपकरणों सहित, भेजने का आदेश दिया। तदनुसार एनडीआरएफ मुख्यालय की सहायता से भारतीय वायु सेना के दो एएन–32 परिवहन एयरक्राफ्टों की भी व्यवस्था की गई।

दलों का गठन

श्री आर.एस. राजेश, सहायक कमाण्डेंट और श्री संजय गोसांई सहायक कमाण्डेंट की कमान में दो बचाव दल जिनमें प्रत्येक में 50 सदस्य थे, और जिनके साथ 1500 कि.ग्रा. का खोज और बचाव, पावर लाइटिंग, जनरेटर और सुरक्षा उपकरणों का भार था, दो बचाव–कार्य प्रशिक्षित कुत्तों के साथ 27/01/2010 को प्रातः 05.00 बजे बेल्लारी के लिए रवाना किए गए जो घटनास्थल पर उसी दिन 10.45 बजे पहुंच गए।

विशेष उपकरण

घूर्णन (रोटरी) बचाव–कार्य आरियां, एन्गिल कटर्स, चिपिंग हैमर्स, पीड़ित अवस्थिति खोजी

कैमरा, धूल/धुंआ वातायन (वैण्टीलेटर्स), विभिन्न आकार के हथौड़े, विभिन्न आकार की छेनियां, पावर जनरेटर्स, आस्का आपातकालीन लाइटिंग प्रणाली, चिकित्सक प्रथम कार्रवाई किट्स का पूरा सेट, ऊंची बिल्डिंग के लिए बचाव उपकरण।

बचाव

क्षतिग्रस्त स्थल पर पहुंचने के उपरान्त टीम के कमाण्डरों ने भवन का सर्वेक्षण किया। घटना कमाण्डर तथा बचाव कार्य में लगी अन्य एजेन्सियों के साथ परामर्श करने के पश्चात् यह पता चला कि इस 05 मंजिला इमारत के मलबे के नीचे कुल 40–50 कार्मिकों के फंसे होने की संभावना है।

कार्यनीति

टीम कमाण्डर ने अपनी टीम को 3 छोटे समूहों में विभाजित किया। वे थे–एक कार्यकारी समूह, स्टैण्ड बाई समूह और विश्राम समूह (रेस्ट ग्रुप)। प्रत्येक समूह लगातार तीन घण्टों के लिए कार्य करेगा और फिर दूसरा समूह कार्य करेगा। आपातकाल की स्थिति में स्टैण्ड बाई ग्रुप भी कार्यशील समूह को सहयोग देगा।

प्रचालन की प्रगति

(i) 27 जनवरी, 2010 को :

सेना, अग्नि सेवा, एनडीआरएफ दल जैसी अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर प्रथम दो घण्टे के अन्दर मलबे (मूल रूप से सतह पर पड़े पीड़ित) में फंसे तेरह व्यक्तियों और चार मृतकों को ढूंढ़ निकाला। इसके पश्चात् बचाव कार्य शुरू करने की जिम्मेदारी एनडीआरएफ को सौंप दी गई। टीम कमाण्डर ने भवन के अग्रभाग से बचाव कार्य प्रारम्भ करने का निश्चय किया। प्रथम आधा घण्टे के अन्दर टीम ने एक मृत शरीर ढूंढ़ निकाला। उस मृत शरीर को हटाने के बाद टीम ने खोजी कैमरे का प्रयोग किया जिसके परिणाम सामने आए और उन्हें बचाव दल से दस फुट की दूरी पर एक शरीर पड़ा मिला।

बचाव कार्य बंद करने के पश्चात् बचाव दल ने पीड़ित की स्थिति का पता लगाने के लिए हेलिंग विधि का प्रयोग किया जिसका पीड़ित ने कराह कर जवाब दिया। इस दल ने तुरन्त ही ईंट/कंक्रीट की दीवार को तोड़ना शुरू कर दिया और इस दल के दो सदस्य रेंगकर भवन के भूतल में प्रवेश कर गए जहां उन्हें एक दस वर्ष का जीवित बच्चा मिला। वह बच्चा ईएमएस दल को सौंप देने के बाद उन्हें अन्दर तीन मृत शरीर पड़े मिले फिर उन्होंने चिपिंग हथौड़े (हैमर), एन्गल कटर और क्रोबार का प्रयोग करते हुए अन्य पीड़ितों की तलाश करने का अभियान शुरू कर दिया। इसी बीच स्टैण्ड बाई समूह पर भी भवन के बायें चतुर्थांश में तलाश–कार्य में लगाया गया जिसे प्रथम तल के बीम के नीचे फंसा एक जीवित पीड़ित मिला। इस स्टैण्ड बाई ग्रुप ने फंसे लोगों को निकालने का अभियान शुरू कर दिया। वे द्वितीय तल का फर्श काटकर उस पीड़ित व्यक्ति तक पहुंचने में सफल रहे।

उसी समय रेस्ट ग्रुप ने भी 'ग' चतुर्थांश से कार्य करना शुरू कर दिया जिसे 3 मृत शरीर मिले और वे उन्हें आरसीसी बीम काटकर बाहर निकाल लाए। दूसरे जीवित पीड़ित को बेल्लारी अस्पताल के डाक्टरों के दल द्वारा उसका दायां हाथ और दायां पैर काटकर बाहर निकालने का निश्चय किया गया। अंत में उसे लगभग 20.00 बजे निकाल लिया गया तथा उसे अस्पताल भेज

दिया गया। सभी बचाव दल को रात्रि 00.30 बजे अवकाश दिया गया।

(ii) 28 जनवरी, 2010

बचाए गए एक पीड़ित का साक्षात्कार लेने के पश्चात् टीम कमाण्डर ने भवन का खाका तैयार किया जिससे उस ढहे भवन के अन्दर फंसे पीड़ितों की अनुमानित अवस्थिति पता लगी। 02.00 बजे बायीं ओर खड़े पास के छात्रावास भवन को खनित्रों (एक्सकैवेटर्स) की सहायता से गिराया गया तथा लगभग 03.00 बजे भवन के बायीं ओर से ('क' चतुर्थांश से) वास्तविक बचाव कार्य शुरू करने के लिए जगह बनाई गई। छात्रावास भवन को पूरी तरह से गिरा दिया गया, और तदुपरान्त दो समूहों ने बचाव कार्य शुरू किया। सर्च कैमरे की सहायता से ईंट/आरसीसी से बनी दीवार तोड़ने के बाद दल के मलबे में अर्थात् भूतल पर फंसे 4 जिन्दा पीड़ित मिले। लगभग एक घण्टे की कठिन मशक्कत के पश्चात् सभी चारों जिन्दा पीड़ितों को भवन से सफलतापूर्वक निकाला गया और ईएमएस को सौंप दिया गया। उसी दिन भवन के सामने की ओर से 3 अन्य मृत शरीर निकाले गए। तृतीय तल से फर्श काट कर भवन के 'ग' चतुर्थांश से एक ऊर्ध्वाधर पहुंच मार्ग बनाया गया। फिर भी यह टीम किसी तरह भूतल पर पहुंच गई तथा वहां उसे कुछ घरेलू सामान मिला; ढहे भवन का पैन केक आकार होने के कारण वे दायें या बायें बढ़ने में अक्षम थे (प्रथम तल और द्वितीय तल के फर्श के बीच की दूरी एक फीट से कम थी) तथापि, खोजी कुत्तों (ट्रेकर डॉग्स) ने सूंघ कर सम्पुष्टि की कि कुछ शव उनके पहुंच मार्ग के बिल्कुल निकट पड़े हैं। दो समूहों को रात्रिकालीन चौकसी के लिए रखा गया और शेष को रात्रि में अवकाश प्रदान किया गया।

(iii) 29 जनवरी, 2010 को :

इसी बीच बिल्डिंग को विधिवत् ढहाने के लिए कॉम्बीकटर लाने का निश्चय किया गया। सभी 3 समूहों को सेवा में लगाया गया। 'घ' चतुर्थांश में एक अन्य ऊर्ध्वाधर पहुंच बनाई गई परन्तु इसमें सफलता नहीं मिली (यहां स्थिति पहले की ऊर्ध्वाधर पहुंच के समान ही थी)।

(iv) 29 जनवरी, 2010 को :

कॉम्बीकटर ने एनडीआरएफ दल के पर्यवेक्षण के अन्तर्गत भवन को ढहाने का कार्य 'ख' चतुर्थांश के बाईं ओर से शुरू किया।

दिन के समय उस भाग से 8 मृत शरीर निकाले गए।

(v) 31 जनवरी 2010 को :

'ख' चतुर्थांश को पूरी तरह से ढहा दिया गया और भवन से 3 मृत शरीर और निकाले गए।

(vi) 1 फरवरी, 2010 :

'क' चतुर्थांश को भी ढहा दिया गया और उसी दिन 2 अन्य मृत शरीर निकाले गए। इस दल को 18.30 बजे तक एक अन्य मृत शरीर मिला और दल ने शव को निकालना शुरू कर दिया। टीम कमाण्डर, जो सुरक्षा अधिकारी की ड्यूटी भी निभा रहा था, ने देखा कि भवन से धुआं बाहर निकल रहा है और कंक्रीट का एक लूज पोर्शन झुक गया है। इस क्षेत्र को तुरन्त खाली कर दिया गया और कॉम्बीकटर मंगा लिया गया। जैसे ही कॉम्बीकटर से काटना शुरू किया गया, पूरा भवन बायीं तरफ झुक कर गिर गया। टीम द्वारा समय रहते भवन को खाली करने का फैसला सही साबित हुआ। एनडीआरएफ

के पर्यवेक्षण में मशीन सारी रात मलबा हटाती रही।

(vii) 2 फरवरी, 2010 को

कंकड़–पत्थर हटाते समय टीम को एक और मृत शरीर मिला।

(viii) 3 फरवरी, 2010 को

मशीन ने एनडीआरएफ दल के पर्यवेक्षण में बड़ी सावधानी–पूर्वक कार्य करना जारी रखा। कंक्रीट के प्रत्येक स्लैब/कॉलम/बीम को हटाने के पश्चात् टीम ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि मलबे में कोई मृत शरीर तो नहीं फंसा है, उस क्षेत्र का निरीक्षण किया। कंक्रीट का स्लैब हटाते समय इस दल को लगभग 11.40 बजे एक रिक्त स्थान मिला और उन्होंने मशीन को रोक दिया। खोजी कैमरे से उस खाली जगह की जांच करते समय टीम ने देखा कि एक आदमी वहां पड़ा हुआ है। पुकारने पर उस आदमी ने जवाब दिया और टीम ने अपने हाथों से कंकड़–पत्थर/मलबे को हटाया और पीड़ित को बचाया जो ढहकर गिरे भवन के मलबे में पिछले 09 दिनों से फंसा था।

एनडीआरएफ दल के पर्यवेक्षण में विधिवत् जांच और सावधानीपूर्वक कंकड़–पत्थर हटाने से एक मूल्यवान जीवन की रक्षा हुई। इस सफलता से प्रोत्साहित होकर टीम ने अंतिम 'ग' चतुर्थांश को ढहाये जाने के कार्य का बड़ी निकटता से पर्यवेक्षण किया। उसी दिन उन्होंने 2 अन्य मृत शरीरों को निकाला। समस्त अभियान रात्रि 23.30 बजे तक पूरा हो गया। 04.02.2010 को प्रातः 10.40 बजे यह टीम पुणे के लिए रवाना हो गई।

पीड़ित

इस बचाव कार्य के दौरान 20 जानें बचायी गईं और 27 मृत शरीर निकाले गए।

घटना कमान

जिलाधिकारी के अलावा निम्नलिखित कार्मिकों ने इस सम्पूर्ण बचाव कार्य अभियान का पर्यवेक्षण किया।

1. राजस्व मंत्री — कर्नाटक
2. पर्यटन मंत्री — कर्नाटक
3. विधायक एवं मेयर — बेल्लारी
4. महानिदेशक, अग्नि सेवा
5. अपर महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था
6. महानिरीक्षक, कानून एवं व्यवस्था
7. सचिव, आपदा प्रबंधन एवं एसडीएमए के प्रतिनिधि

सकारात्मक बिन्दु

- अच्छी योजना और जन–शक्ति का इष्टतम उपयोग
- 24×7 लगातार काम
- हड़बड़ी करने के बजाय विधिवत् काम
- अत्याधुनिक उपकरण
- ऊँचा मनोबल और अच्छा प्रशिक्षण
- योजना एवं कार्य–निष्पादन स्तर पर संबद्ध एजेंसियों के साथ बेहतर समन्वयन

काम में बाधा बनी मुख्य समस्याएं

- अस्थिर ढांचा और आस–पास की दीवारें (साइडवाल्स)

- दक्षिणी भाग में पहुंचने में दिक्कत (भवन के ग और घ चतुर्थांश)
- कंकड़–पत्थरों का उच्च लोड
- भवन के अन्दर जाने के लिए 1/2 फीट से केवल 2 फीट ऊंचा सीमित स्थान
- सड़ रहे शव
- बाहर निकली स्टील की छड़ें
- आपदा स्थल पर भीड़ लगाने वाले लोग/तमाशाई (डिजास्टर टूरिजम)

स्थानीय स्तर पर प्रतिक्रिया

मुख्यमंत्री जी ने स्वयं घटना–स्थल का दौरा किया और एनडीआरएफ कार्मिकों की प्रशंसा की। स्थानीय मीडिया और टी.वी. चैनलों ने सम्पूर्ण बचाव कार्य के दौरान एनडीआरएफ कार्मिकों की कार्रवाई को कवर किया और उनकी भूमिका को सराहा। स्थानीय एनजीओ ने एनडीआरएफ कार्मिकों को धन्यवाद–कार्ड वितरित किए।

घटना का उद्धरण

काम पूरा होने के बाद टीम की विदाई वाले दिन इसके सभी कार्मिकों का जिला प्रशासन एवं स्थानीय जनता ने अभिनंदन किया। स्थानीय विधायक के शब्दों में **"एनडीआरएफ टीम केवल अच्छी ही नहीं, बल्कि भगवान जैसी है।"**

एसएलएस – 4

प्रकरण अध्ययन

पहाड़गंज में बम विस्फोट : अस्पताल की कार्रवाई–एक प्रकरण अध्ययन *(केस–स्टडी)*

क) घटना का प्रस्तुतीकरण :

दीवाली के त्यौहार के अवसर पर 29 फरवरी, 2005, दिन–शनिवार को सायं 5.45 बजे के आस–पास देश की राजधानी, नई दिल्ली का पहाड़गंज क्षेत्र श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोटों का निशाना बना। 30 मिनट की अल्पावधि में एक–दूसरे के निकट लगातार तीन विस्फोट हुए। इसमें 62 लोग मारे गए, 200 से अधिक लोग घायल हुए, जिससे शहर में अत्यधिक दुःख एवं भय का वातावरण छा गया। इसका प्रभाव बहुत अधिक था क्योंकि यह अत्यधिक भीड़–भाड़ वाले क्षेत्र में हुआ था। अस्पताल प्रशासन के नियंत्रण कक्ष में लगे टेलीविजन स्क्रीन, जो विस्फोट स्थल से मात्र 10 किमी की दूरी पर था, पर घटना का प्रसारण दर्शाया गया। इसके तुरन्त पश्चात् अस्पताल के प्राधिकारियों द्वारा इस दुर्घटना तथा घायल पीड़ितों के आने की संभावना से आपातकालीन विभाग को सतर्क कर दिया गया। लगभग 5.49 बजे सायं को अस्पताल में स्थित पुलिस नियंत्रण कक्ष ने भी उसी दुर्घटना के बारे में अस्पताल प्रशासन को सतर्क किया। इसके कुछ मिनट पश्चात् ही गोविन्द पुरी, जो अस्पताल से लगभग 7 किमी की दूरी पर है, में एक परिवहन बस के अन्दर एक–दूसरे बम विस्फोट की खबर टी.वी. स्क्रीन पर दिखाई गई। उसी वक्त ड्यूटी पर तैनात प्रशासक ने अस्पताल की आपदा प्रबंधन योजना को सक्रिय किया। इसके कुछ मिनट पश्चात् ही सरोजिनी नगर बाजार क्षेत्र में, जो अस्पताल से 3 किमी. की दूरी पर है, एक–तीसरे बम विस्फोट की दुर्घटना का समाचार दूरदर्शन (टी. वी.) पर फ्लैश हुआ। अस्पताल ने तुरन्त एक घटना कमान केन्द्र की स्थापना कर दी। इस अस्पताल में पहला पीड़ित सायं 6.15 बजे के करीब पहुंचा। 75% घायलों को चार सरकारी अस्पतालों में पहुंचाया गया और मृतकों में से 68% को निर्दिष्ट सरकारी अस्पतालों में पहुंचाया गया। यह एक प्रकरण–रिपोर्ट है जिसमें पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाने से पहले की देखभाल और तृतीयक देखभाल अस्पतालों में से एक में पीड़ितों के इलाज के पुख्ता इंतजाम पर प्रकाश डालते हुए बड़ी दुर्घटना (एमसीआई) प्रबंधन का वर्णन किया गया है। इसमें पीड़ितों को अस्पताल में लाए जाने की पद्धति, परिवहन का साधन, उन पीड़ितों की स्थिति जिन्हें अस्पताल में भर्ती करना अपेक्षित था, मीडिया प्रबंधन और भीड़ के नियंत्रण पर फोकस किया गया है।

ख) प्रक्रिया :

i) इस प्रस्तुतीकरण के पश्चात् ऊपर दर्शाई गई घटना के संबंध में कोई जानकारी प्राप्त करने या कोई स्पष्टीकरण लेने के लिए प्रशिक्षुओं को आमंत्रित करना। कोई हल आधारित उत्तर नहीं दिया गया; और

ii) प्रशिक्षुओं से पूछा जाए कि इस विशिष्ट आपदा से निपटने के लिए उनकी राय में अस्पताल को क्या करना चाहिए, वे पीड़ितों का इलाज हेतु किस प्रकार प्रबंध

करेंगे और हालात का किस तरह प्रबंधन करेंगे, नेमी (रूटीन) भर्ती और आन्तरिक सम्प्रेषण, संसाधन का इंतजाम, मरीज की पहचान का काम, पुलिस और जनता, अस्पताल में देखभाल और सुरक्षा, मीडिया के बीच समन्वय किस तरह बिठाएंगे।

ग) सार्वजनिक जानकारी एवं प्रबंधन तथा अस्पताल में सामान्य स्थिति बहाल करना

i) ये प्रश्न पूछने के पश्चात् प्रशिक्षुओं से कहें कि वे उप–समूह में जाकर 25 मिनट तक रहें, इन प्रश्नों पर चर्चा करें और इनका तर्क सहित उत्तर जानने की कोशिश करें;

ii) प्रत्येक समूह को अपना उत्तर परिपूर्णता में देने के लिए आमंत्रित करें;

iii) प्रस्तुत विभिन्न विकल्पों एवं उत्तरों पर चर्चा की जाए; और

iv) तब प्रशिक्षुओं को यह बताया जाए कि इस दुर्घटना और इससे उत्पन्न चुनौतियों का अस्पताल प्रशासन द्वारा किस तरह सामना किया गया।

घ) इस घटना से वास्तव में कैसे निपटा गया?

i) टी.वी. स्क्रीन पर घटना की जानकारी मिलते ही अस्पताल के प्राधिकारियों ने अस्पताल में पीड़ितों एवं मृतकों के आने की संभावना से दुर्घटना एवं आपातकालीन विभाग को सचेत कर दिया;

ii) इस घटना के 4 मिनट के अन्दर ही, अस्पताल परिसर में मौजूद पुलिस नियंत्रण कक्ष ने भी उसी घटना के बारे में अस्पताल प्रशासन को सचेत कर दिया;

iii) जब गोविंद पुरी में हुए द्वितीय विस्फोट की खबर टी.वी. स्क्रीन पर प्रसारित की गई तो ड्यूटी पर तैनात अस्पताल प्रशासन ने अस्पताल के आपदा प्रबंधन प्लान को सक्रिय कर दिया;

iv) जब सरोजिनी नगर की तीसरी घटना की खबर का प्रसारण हुआ तो अस्पताल ने तुरन्त ही एक घटना कमान केन्द्र की स्थापना कर दी;

v) पहला पीड़ित व्यक्ति सायं 6.15 बजे अस्पताल लाया गया और उसके बाद अन्य पीड़ित आए। अधिकांश को उनके परिवार–जनों (43%) द्वारा या घटना–स्थल के पास मौजूद लोगों (37%) द्वारा और बाकी (20%) को पुलिस द्वारा लाया गया;

vi) आधे से अधिक पीड़ित, पहले पीड़ित के आने के एक घण्टे के अन्दर लाए गए और पहला पीड़ित आने के 1 घण्टे के बाद 40% पीड़ित लाए गए;

vii) कैट्स केन्द्रीयकृत दुर्घटना और ट्रॉमा सेवाओं द्वारा एक भी पीड़ित अस्पताल नहीं लाया गया;

viii) मरीजों को आपातकालीन विभाग में भर्ती एवं उनका इलाज (ट्रायज एंड रिससिटेशन) किया गया;

ix) मरीजों से संबंधित व्यक्तिगत जानकारी समाज सेवा गाइडों/अस्पताल स्टाफ द्वारा एकत्र की गई, बाद में उनका अस्पताल में पंजीकरण किया गया तथा चिकित्सा/कानूनी औपचारिकताएं पूरी की गईं। तथापि, नाम एवं पता के संबंध में त्रुटियां हुईं जिसमें इनका दोहराव भी शामिल है;

x) अस्पताल में लाए गए 75% मामलों में महिलाएं थीं, इनमें से अधिकांश को भर्ती और उपचार की जरूरत थी;

xi) 30–40 मिनट के अन्दर एक समाचार आया कि लगभग 30 डॉक्टरों, 15 नर्सों, और 5 अर्धचिकित्सा कर्मचारियों ने, आपातकालीन ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों के अलावा, अपनी इच्छा से अपनी सेवाएं देने का प्रस्ताव किया;

xii) यह उच्च श्रेणी की अनुक्रिया अस्पताल के आस–पास चिकित्सा स्टाफ के रिहायशी परिसर की मौजूदगी के कारण हुई;

xiii) मेडिकल एवं सर्जिकल स्टोर, ब्लड बैंक, चिकित्सा–सामाजिक सेवा यूनिट और अन्य विभागीय कार्मिकों ने आपदा प्रबंधन योजना के अनुसार ड्यूटी पर रिपोर्ट किया;

xiv) अस्पताल के सुरक्षा स्टाफ और पुलिस ने भीड़, मीडिया और वीआईपी के दौरों का प्रबंधन किया;

xv) अस्पताल में सभी नेमी भर्ती रोक दी गई, केवल मरीजों की आपातकालीन भर्ती जारी रही;

xvi) कुछ चुनिंदा मरीजों, ऑपरेशन से पहले के मामले के मरीजों और स्थिर हालत वाले रोगियों को डिस्चार्ज करके सर्जिकल वार्ड में मरीजों की बढ़ी हुई संख्या को खपाने के लिए बिस्तर खाली कराए गए;

xvii) अस्पताल में भर्ती चाहने वाले अन्य सभी मरीजों को आपदा प्रबंधन योजना के अनुसार पर्यवेक्षण एवं होल्डिंग एरिया में रोक दिया गया तथा बाद में उन्हें अन्य वार्डों में शिफ्ट कर दिया गया;

xviii) बम विस्फोट के कारण कुल 35 हताहत पंजीकृत किए गए। भर्ती किए गए 94% मरीजों में से अधिकांश का परम्परागत रूप से इलाज किया गया और इनमें से केवल 6% को ऑपरेशन की जरूरत पड़ी;

xix) लगभग आधे (49%) मरीजों को मामूली चोटग्रस्त, 'चल–फिर सकने वाले घायल मरीज' के रूप में श्रेणीबद्ध किया गया और उन्हें उपचार देकर अस्पताल से छुट्टी दे दी गई;

xx) विस्फोट पीड़ितों की सूची को तुरन्त प्रदर्शित किया गया और पीड़ितों के चिन्तित सम्बंधियों तथा आम जनता को इसकी नियमित अद्यतन जानकारी दी जाती रही जिससे कि बेहतर भीड़ नियंत्रण में सहायता मिल सके;

xxi) इस दुर्घटना के 12 घण्टे के अन्दर ही 87 स्वैच्छिक रक्तदान करने वाले लोगों से अनुरोध प्राप्त हुआ;

xxii) इस घटना के एक दिन बाद ही अस्पताल के सामान्य कामकाज की स्थिति बहाल हो गई। इस दुर्घटना के पीड़ित व्यक्ति अस्पताल में औसतन 3–4 दिन तक रुके; और

xxiii) इस मामले का प्रभावी प्रबंधन सतर्क प्रशासन, लिखित आपदा प्रबंधन योजनाओं, घटना कमान केन्द्र की स्थापना, स्टाफ की चौकसी, आन्तरिक एवं बाह्य सम्प्रेषण, पुलिस, सिविल एजेंसियों के बीच समन्वयन तथा मीडिया प्रबंधन के कारण सम्भव हो पाया।

स्रोत : दिल्ली शृंखलाबद्ध बम विस्फोट एक अस्पताल की कार्रवाई डीडी खण्ड–1, सं. 2 (आरटी आनन्द, एस. सत्पथी, जे.पी. प्रसाद) पीपी–119–123, डीडी खण्ड–1 सं. 2 पी–126–127।

8.2 विषय/प्रसंग

आपदा में प्रथमोपचार (फर्स्ट एड) से संबंधित बुनियादी बातों को सीखना

भाग–I

परिचय एवं विहंगावलोकन

भूकम्प, चक्रवात, बाढ़, आग लगने या बम विस्फोट जैसी आपदा के कारण हुई आपातस्थिति के पहले कुछ नाजुक मिनटों और घंटों में, सभी सामान्य बचाव संबंधी चिकित्सा आपातकालीन सेवाओं में हड़बड़ी मच जाती है। जिनको तत्काल सहायता की जरूरत है, उन्हें यह सहायता नहीं मिल पाती है। बाहर से मंगाई जाने वाली अतिरिक्त सहायता में घण्टों और कभी–कभार कई दिन लग जाते हैं। इसलिए आपदा कार्यकर्ताओं संबंधी कर्मियों, स्वयंसेवकों और प्रबंधकों को यह जानना जरूरी है कि यदि सहायता आने में देरी हो तो क्या किया जाए। इस अल्पावधि में कई सामान्य परन्तु प्राणघातक घटनाएं हो सकती हैं जैसे सांस लेने में अवरोध या किसी व्यक्ति की सांस लेने में अक्षमता/ऑक्सीजन के अभाव में हमारा हृदय 90 से 120 सेकेण्ड के अन्दर रक्त संचरण बंद कर देता है, दिमाग को अपूरणीय क्षति हो जाती है। कई आपदा पीड़ित मरीजों की इस स्थिति में मौत हो जाती है, जबकि अन्य शारीरिक चोटें इतनी गंभीर नहीं होती हैं कि उनसे मौत हो सके।

यह महत्त्वपूर्ण बात है कि श्वसन मार्ग का अवरोध खोलने के लिए मात्र दो सेकेण्ड का समय लगता है और यह जीवन रक्षा करता है और इसे थोड़े से प्रशिक्षण से, कोई भी कर सकता है। अन्य सामान्य परन्तु उपचार योग्य बातें हैं–खून बहना, सदमा लगना आदि। **आपदा प्राथमिक चिकित्सा** का ज्ञान और दक्षता कामगारों और स्वयंसेवकों को जोखिम की पहचान करने और इसका तुरन्त इलाज करने का मार्गदर्शन करता है। यह भ्रम या गलती के भय को भी दूर करता है, **स्टार्ट ट्रायज सिस्टम** का प्रयोग करके त्वरित एवं उपयुक्त कार्रवाई करने में सहायता करता है, इसका प्रयोग आग बुझाने वालों एवं अर्ध चिकित्सकों द्वारा पूरे संसार में किया जाता है।

आपदा प्राथमिक चिकित्सा (प्रथमोपचार)–सबसे पहले क्या करें, उसके बाद क्या करें – के बारे में बताती है और सर्वोत्तम कैसे करें – पर केन्द्रित होती है और उपयुक्त होती है। यह कार्य एक दिन से अधिक समय नहीं लेता है।

उद्देश्य

साधारण एवं सामाजिक जीवन रक्षा की कुशलताओं अर्थात् **प्रथमोपचार** (प्राथमिक चिकित्सा) का प्रयोग करके आपदा के दौरान तथा आपदा के तत्काल पश्चात लोगों के जीवन की रक्षा करना।

तरीके

प्रस्तुतीकरण, अनुभव के आधार पर अर्जित ज्ञान और अभ्यास सत्र

सामग्री/सीखने के लिए सहायक जानकारी

क) प्रकरण अध्ययन–प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान : प्रत्येक के लिए जरूरी; और

ख) प्राथमिक चिकित्सा के कुछ उपकरण और औजार

सत्र अवधि

चार सत्र (विस्तृत विवरण के लिए पृष्ठ सं.–9 देखें)

अनुमानित शिक्षण परिणाम

ध्यानात्मक/जानकारी संबंधी :

प्रशिक्षुओं मानव शरीर प्रणाली के सम्बंधों में समस्त 4 सैद्धांतिक ज्ञान अर्जित करेगा और

आपातस्थिति/दुर्घटनाओं के होने पर सबसे पहले निपटाए जाने वाली प्रमुख समस्याओं की पहचान करने और उसका समाधान करने में सक्षम होगा।

क्षमता/कुशलता संबंधी :

प्रशिक्षु विभिन्न जीवन रक्षक हुनरों और क्रियाविधियों जैसे पट्टी बांधना, मरीज को उठाना, शिफ्टिंग, कृत्रिम श्वसन और सीपीआर (कार्डियो, धमनी सम्बंधी पुनरुज्जीवन कार्य) आदि के जरिए व्यावहारिक ज्ञानार्जन करेगा जिसका वह आसानी से प्रयोग कर सकता/सकती है और इस पर त्वरित कार्रवाई कर सकता/सकती है।

उप प्रसंग/शिक्षण बिन्दु

क) आपदा प्राथमिक चिकित्सा क्या है;
ख) आपदा–ट्रायज क्या है;
ग) प्रथमोपचार देने वाले की भूमिका और उत्तरदायित्व;
घ) प्रथमोपचार के सिद्धांत;
ङ) डी.आर.ए.वी.सी (खतरा अनुक्रिया श्वसन मार्ग, सांस लेने और रक्त परिसंचरण के बारे में पहचान);
च) **स्टार्ट** रैपिड ट्रायज क्या है;
छ) चोट के बारे में तात्कालिकता की प्राथमिकता कैसे बनाई जाए;
ज) प्राणघातक संकेत कैसे पहचाने/जाने और उपचारी उपाय कैसे करें;
झ) प्रारंभिक स्तर वाले सदमे और ट्रॉमा का अनुमान कैसे लगाएं और उपचार कैसे करें;
ञ) चोट का प्रबंधन कैसे करें, रक्त बहने से कैसे रोकें;
ट) हड्डी टूटने, स्प्रेन और जोड़ों में लगी चोट को सुस्थिर (ठीक) कैसे करें;
ठ) शरीर में जहर जाने (प्वाइजनिंग), सदमे, ब्राउनिंग, लू लगने और आग से जलने के घावों आदि का प्रबंधन;
ड) प्रभावित क्षेत्र को आपदा कार्रवाई नेटवर्क से किस प्रकार जोड़ें;
ढ) पहले 24 घण्टों के लिए मुख्य योजना (मास्टर प्लान) क्या होना चाहिए;
ण) घायलों को सुरक्षित उठाने और सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की तकनीक क्या होनी चाहिए;
त) बचाव के उपरान्त संक्रमण से कैसे बचा जाए;
थ) ऐसी स्थिति में खुद को कैसे बचाया जाए;
छ) प्राथमिक चिकित्सा औजारों के विकल्प के रूप में उपलब्ध स्थानीय सामग्री का कैसे प्रयोग किया जाए;
ध) क्या करें और क्या न करें।

अतिरिक्त अध्ययन/संदर्भ

***राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश – चिकित्सा संबंधी तैयारी और बड़ी दुर्घटना प्रबंधन* – राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, 2007**

मददगार के लिए टिप्पणी

क) इस प्रकार के शिक्षण हेतु सक्रिय व्यावहारिक ज्ञान की आवश्यकता होती है। समूह में मिलकर प्राथमिक चिकित्सा तकनीक अपनाना जैसे सिर–नख जांच, रक्त के बहने को नियंत्रित करना और एक दूसरे की 'टूटी हड्डियों' पर खपच्ची लगाने की तकनीकें। विद्यार्थियों को केवल ज्ञान के बजाय अन्य हुनर को भी सीखना चाहिए;
ख) शरीर को चलाने–फिराने के क्रियाकलाप जिसमें ज्ञान शरीर के न्यूरो मोटर पाथवेज में इकट्ठा होता है;
ग) नोट करें कि जब जागरूक दिमाग भूल जाता है, हमारा शरीर उसे तब भी याद रखता है। किसी संकट में जैसे ही शरीर हिलाना शुरू करता है, यह जान जाता है कि क्या करना है और दिमाग तुरन्त इसे आत्मसात कर लेता है; और
घ) इस अभ्यास प्रशिक्षण को पूर्ण आत्मसात् करना सुनिश्चित करें।

भाग– II : पूरक शिक्षण सहायता सामग्री

एसएलएस–1

प्रकरण अध्ययन

प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान – सबके लिए अनिवार्य

अभी हाल के विस्फोट–स्थलों पर तैयारी का अभाव :

13 सितम्बर, 2008, शनिवार को नई दिल्ली में विस्फोट के आधा घण्टे पश्चात् एनडीटीवी 24×7 चैनल ने विस्फोट–स्थल के सारे दृश्यों का टेलीकास्ट किया जिसने तैयारी के अभाव की सारी कहानी बयां कर दी। हम यह जानते ही नहीं हैं कि किसी आतंकी हमले या दुर्घटना के बाद की स्थिति से कैसे निपटा जाए।

उदाहरण के लिए, कनाट प्लेस के सेंट्रल पार्क में हुए एक बम विस्फोट में काली पतलून और पीला टॉप पहने एक युवती घायल हो गई। दिखाया गया कि चार व्यक्ति उसके हाथ–पैरों को पकड़े कनाट प्लेस में कई गज दूरी पर खड़े एक पुलिस वाहन की ओर ले जा रहे हैं। उसके शरीर से खून टपक रहा था, उसका सिर जमीन की ओर लटक गया और वह बदहाल थी।

वहां न तो कोई स्ट्रेचर था और न ही मीलों दूर तक कोई एम्बुलेंस थी, वहां थी तो केवल भीड़, जिसे वहां नहीं होना चाहिए था जिससे कि पुलिस अपना काम कर सकती। ऐसे हादसों में पीड़ितों में मौत का भय अपनी चोटों से कम होता है परन्तु सदाशयतापूर्ण लेकिन अप्रशिक्षित लोगों द्वारा उन्हें बुरी तरह से उठाए जाने के कारण उन्हें ज्यादा भय लगता है। इससे वास्तविकता में मौतों की संख्या बढ़ सकती है और आंतकियों के मंसूबों को हौसला मिलता है।

मुम्बई में 11 जुलाई, 2006 को ट्रेन में हुए बम विस्फोट के दौरान हालात को देखा जाए। हादसे में घायलों को बीसियों लोग और उत्साही बचावकर्त्ता रेलवे ट्रैक के किनारे–किनारे अपने घरों से लाई चादरों में घसीटकर ले जाते हुए देखे गए। जिनके शरीर के अंग विस्फोट में फट गए थे; उन्हें नेक लोगों द्वारा ऑटो रिक्शा में ले जाए जाते देखा गया और ऑटो–रिक्शा वालों ने इसके लिए कोई पैसा नहीं लिया।

प्रत्येक व्यक्ति यह स्वीकार करता है कि ऐसे नाजुक समय में तेजी दिखाना अनिवार्य है। परन्तु घायलों को ले जाने के तरीके/साधन सही होना चाहिए ताकि यह नेकी मृत्यु या अन्य किसी गड़बड़ी में न बदल जाए। सबको यह जानना चाहिए कि **स्वर्णिम समय** वह समय है जब व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने से पहले, सर्वोत्तम सहायता देना आवश्यक होता है।

घायलों, मृतकों और मर रहे पीड़ितों की इस तरह की त्वरित परन्तु नौसिखियों द्वारा उनको अस्पतालों तक ले जाने की गतिविधि हर एक स्थल पर, परन्तु खासकर वहां जहां आतंकी

हमलों में विस्फोट किए गए जैसे हैदराबाद, बंगलौर, जयपुर, अहमदाबाद और दिल्ली, में देखी गई। ऐसी दुर्व्यवस्था और अस्पताल पहुंचने पर उनके इलाज में हुए विलम्ब के कारण कई लोगों की मौतें हो जाती हैं या शरीर को स्थायी अपंगता हो जाती है।

क्यों?

क्योंकि एक राष्ट्र के रूप में हमने कार्यों को मिल–जुलकर करना नहीं सीखा है। हमें स्वयं संवेदनशील होना चाहिए और नागरिक के रूप में हमें यह जानना चाहिए कि हम लोगों की जीवन रक्षा कैसे करें ताकि समुचित प्रथमोपचार और फिर समुचित चिकित्सा उपचार से मूल्यवान जीवन की रक्षा की जा सके।

भारत के केवल संवदेनशील और समर्पित लोग/आम व्यक्ति ही इस स्थिति में वास्तविक परिवर्तन ला सकते हैं।

स्रोत : महेश वीजापुरकर, रेडिफ कॉम, 14 सितम्बर, 2008

एसएलएस – 2

हैंडआउट

आपातस्थिति में देखभाल का अधिकार पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

आज भी दुर्घटना के कई मामलों में दर्शक और राहगीर पीड़ित की सहायता करने से झिझकते हैं क्योंकि ज्यादातर लोग पुलिस के झंझट और अस्पताल के खर्चे से बचना चाहते हैं। यहां 2007 में सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय का उल्लेख किया जाता है जिसने अब यह उत्तरदायित्व अस्पतालों पर डाल दिया है।

भारतीय जीवन बीमा निगम
Life Insurance Corporation of India

रोहित एन. धनानी
Rohit N. Dhanani
Member C. M.'s Club for Agents

आपातस्थिति देखभाल का अधिकार

निर्णय की तारीख : **23.02.2007**

मुकदमा सं. : **2007 की अपील (सिविल) 919**

सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि सड़क यातायात दुर्घटनाओं, हमलों आदि के मामलों में विशेष रूप से घायलों को अस्पताल/चिकित्सा केन्द्र पर लाए जाने पर पहले उन्हें प्राथमिक चिकित्सा दी जाए, उनका इलाज किया जाए तथा यदि जरूरत पड़े तो उच्चतर चिकित्सा केन्द्र/सरकारी चिकित्सा केन्द्र में भेज दिया जाए। इसके बाद ही, अस्पताल भुगतान या पुलिस औपचारिकताएं पूरी करने की मांग कर सकते हैं। यदि आप राहगीर हैं और किसी दुर्घटना में घायल की सहायता करना चाहते हैं तो आप बढ़कर आगे आएं और ऐसा करें। आपका दायित्व घायल को अस्पताल पहुंचाते ही समाप्त हो जाता है।

अस्पताल की यह जिम्मेदारी है कि वह पुलिस को सूचित करे और प्राथमिक चिकित्सा आदि मुहैय्या कराएं।

कृपया इन बुनियादी अधिकारों के बारे में अपने परिवारजनों एवं मित्रों को सूचित कर दे ताकि हम सब यह जान सकें कि जरूरत के समय पर हमसे क्या उम्मीद है और संकट की घड़ी में क्या करना चाहिए।

कृपया यह प्रति ज्यादा से ज्यादा लोगों को भेज दी जाए। .....

कार्यालय : 2, नंदा दीप, 26, बेसेंट रोड, संताक्रुज (प.) 400 054 दूरभाष : 2615 4493
निवास : कृष्ण निवास, 24, बेसेंट रोड, संताक्रुज (प.) 400 054 दूरभाष : 2604 0847

8.3 विषय/प्रसंग

व्यावहारिक, कृत्रिम कवायद, अभ्यास और क्षेत्र में प्रदर्शन

भाग–I

परिचय एवं विहंगावलोकन

आपदा तैयारी के प्रशिक्षण में, प्रभावी खोज और बचाव कार्य एवं प्राथमिक चिकित्सा के लिए कृत्रिम कवायद (मॉक ड्रिल्स)/अभ्यास एवं क्षेत्र में प्रदर्शन आवश्यक होता है। **आपदा प्रशिक्षण एक प्रक्रिया है** जिसमें प्रशिक्षुओं को सभी परिस्थितियों में **तैयार रहने की स्थिति में रखा जाता है** और तैयारी की कार्यकुशलता का आकलन **केवल मॉक ड्रिल्स करके ही** किया जा सकता है। अनुप्रयोग, प्रयोग न करने से कुशलता में कमी आने की सम्भावना से भी उपर्युक्त के अभ्यास द्वारा बचा जा सकता है। जिलाधिकारी के अधीन स्थापित नागरिक सुरक्षा के जिला प्रभारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सम्बंधित वार्डन मॉक अभ्यास करना सुनिश्चित करे।

मॉक ड्रिल आयोजित करने का ढंग **आपदा की प्रकृति,** सम्भावित खतरों की प्रकृति **संस्थान की अनुक्रिया** प्रणाली और **लक्षित समुदाय** के आधार पर अलग–अलग हो सकती है। इसलिए मॉक ड्रिल्स/क्षेत्र प्रदर्शन कार्यक्रम का समुचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सम्बंधित कार्मिकों, विभागों, संगठनों, हितधारकों की भूमिका और उत्तरदायित्व तथा ड्रिल आयोजित करने के लिए तंत्र की रूपरेखा स्पष्टतः बना लेनी चाहिए। **घटना प्रतिक्रिया प्रणाली** की संकल्पना पर पहले ही चर्चा कर लेनी चाहिए और अभ्यास में लाया जाना चाहिए।

उद्देश्य

क) आपदा प्रबंधन प्रणाली की तैयारी का आकलन करना जिसमें विस्तृत योजना तथा सभी उपकरण अच्छी स्थिति में रखना शामिल हैं;

ख) ड्रिल/अभ्यास के समग्र कार्य–निष्पादन का मापन करने के लिए प्रचालनात्मक अनुक्रिया को एकीकृत करना;

ग) आपदा अनुक्रिया के सम्बंध में निष्पादन एवं समग्र क्षमताओं को मापना; और

घ) कुशलता को कम होने से रोकना।

तरीके

प्रयोग, सिमुलेशन गेम, क्षेत्र में प्रदर्शन।

सामग्री/सीखने के लिए सहायक जानकारी

रस्सियां, सीढ़ियां, छड़े, लकड़ी के तख्ते, कम्बल, ट्यूब्स, टीन, बोतलें, बाल्टियां, पाइप, प्राथमिक चिकित्सा सामग्री आदि।

सत्र अवधि

आठ सत्र (विस्तृत विवरण के लिए पृष्ठ – 9 देखें)।

प्रत्याशित शिक्षण परिणाम

ध्यानात्मक/जानकारी संबंधी :

मॉक ड्रिल्स में भाग लेने के उपरान्त प्रशिक्षुओं से उम्मीद की जाती है कि उन्हें अमुक ड्रिल और इसकी प्रक्रियाओं के बारे में पूर्ण एवं सम्पूर्ण ज्ञान होगा।

क्षमता/कुशलता संबंधी :

मास्टर प्रशिक्षक के रूप में ऐसे ही ड्रिल्स करने के लिए सम्बंधित क्षमता

उप–प्रसंग/शिक्षण बिन्दु

क) मॉक ड्रिल्स का आपदा प्रबंधन में व्यावहारिक प्रशिक्षण के तरीके के रूप में प्रयोग करना;

ख) खोज, बचाव और प्राथमिक चिकित्सा अभियानों के लिए विभिन्न प्रकार की मॉक ड्रिल्स;

ग) विभिन्न आपातकालीन स्थितियों के लिए विभिन्न प्रकार के मॉक ड्रिल्स की तैयारी एवं उनका आयोजन कैसे करें; और

घ) मॉक ड्रिल्स उपकरणों का प्रयोग करने की दक्षता की समझ।

कार्यकलाप

किसी विशेषज्ञ के दिशानिर्देश में प्रयोग के अभ्यास।

क्या करें और क्या न करें संबंधी दिशानिर्देश

क) व्यक्ति द्वारा स्वेच्छा से नागरिक सुरक्षा संगठन में शामिल होने के 3 महीने के अन्दर पहली मॉक ड्रिल का आयोजन करना चाहिए;

ख) द्वितीय मॉक ड्रिल का आयोजन पहली मॉक ड्रिल के 3 माह बाद करना चाहिए ताकि पहली मॉक ड्रिल के दौरान नोटिस में आई सभी कमियों को दूर किया जा सके;

ग) तत्पश्चात् 2 वर्ष में एक बार मॉक ड्रिल्स का आयोजन करना चाहिए ताकि अर्जित कुशलता में कभी ढीलापन न आए;

घ) मॉक ड्रिल दिन के समय किया जाना चाहिए;

ङ) भागीदारों को पहुंचने वाली क्षति को रोकने और नियमित यातायात में व्यवधान आने से बचने के लिए सुरक्षा के सभी उपाय किए जाने चाहिए।

च) मॉक ड्रिल में भाग ले रहे प्रशिक्षुओं को शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ (फिट) होना चाहिए।

पूरक शिक्षण सहायता सामग्री

कृपया 'खोज और बचाव' खंड देखें।

अतिरिक्त अध्ययन/संदर्भ

www.ncr.railnet.gov.in/disaster/jhs/training_and_mock_drill.htm
cuddalore.nic.in/drmp/mockdrill.htm,
www.ndma.in/irs (आईआरएस दिशानिर्देश)

मददगार के लिए टिप्पणी

क) प्रशिक्षक/मददगार को चाहिए कि वह मॉक ड्रिल्स में सम्भावित जोखिमों और उनसे बचने के तरीके बताएं; और

ख) यह सुनिश्चित करें कि दक्षता ड्रिल का ज्ञान पूर्ण है और प्रशिक्षु इसे ऐसी या अनुरूपित स्थिति में पूरे विश्वास के साथ कर सकें।

भाग– II : पूरक शिक्षण सहायता सामग्री

एसएलएस–1

प्रकरण अध्ययन

दृश्य–सामग्री

रस्सों, गांठों और बन्धनों का प्रयोग

1. ***गांठें***

अंगूठा गांठ
रस्सी को खुलने से रोकती है

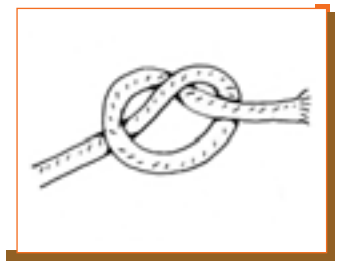

आधी गांठ :

दोहरी आधी गांठ :

लौंगिया (क्लोव) गांठ :

किसी वस्तु को फिसलने से रोकने के लिए वस्तु को खूब तेजी से खींचें

कर्षण गांठ :

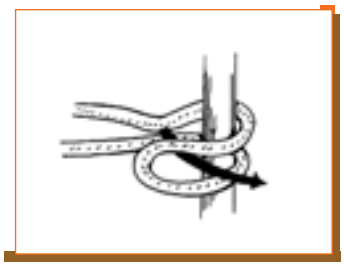

चरण 1

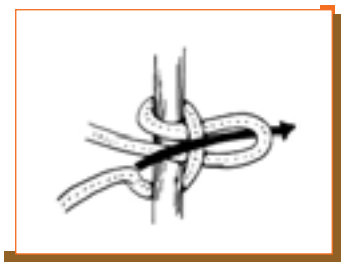

चरण 2

चरण 3

स्वयं के बचाव के लिए बांधें और तब रस्सी को बड़ी आसानी से पकड़े जाने के लिए बांधी जाने वाली गांठ

रीफ गांठ :

समान सामग्री एवं मोटाई की बनी दो शुष्क रस्सियों को जोड़ने के लिए।

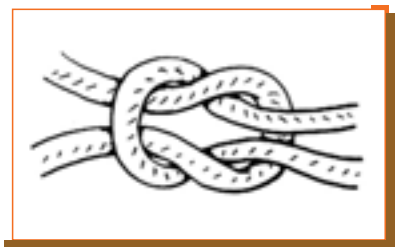

एकल शीट–बेण्ड (मोड़)

असमान मोटाई : दो सूखी रस्सियों/नम रस्सियों को जोड़ने के लिए

दोहरी शीट–बेण्ड

विभिन्न पदार्थ और विभिन्न आकार वाली दो रस्सियों को जोड़ने के लिए

कुर्सी गांठ :

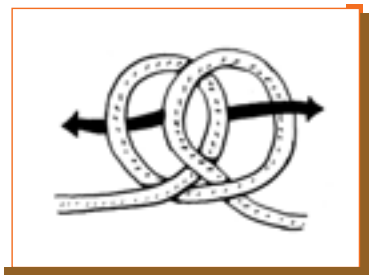

चरण–1

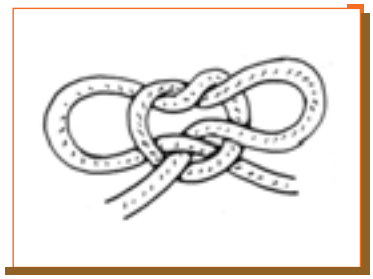

चरण–2

चरण–3

चरण

जब किसी व्यक्ति को ऊंचाई से नीचे की ओर लाना हो तब इसका प्रयोग किया जाता है और फिर रस्सी को बड़ी आसानी से संभाला जा सकता है।

2. ***बन्धन***

वर्गाकार बन्धन :

ऐसे दो लट्ठों (पोल) को बांधने के लिए प्रयोग किया जाता है जो एक दूसरे को समकोण पर छूते हैं और क्रॉस करते हैं

विकर्णी बन्धन :

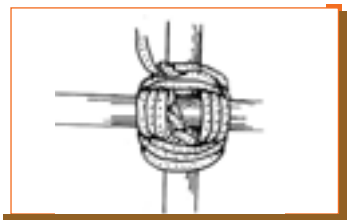

ऐसे दो लट्ठों को बांधने के लिए प्रयोग किया जाता है जब वे एक कोण पर एक दूसरे को स्पर्श करें और वे लट्ठे जब उन पर जोर या दबाव डाला जाए तो उनके उछलने की सम्भावना होती है।

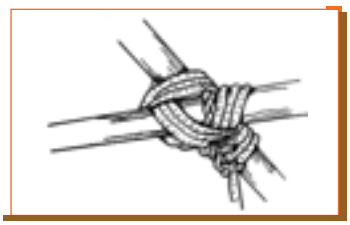

आठ की आकृति का बन्धन :

एक तिकड़ी (ट्राइपोड) बनाने के लिए तीन लट्ठों को एक साथ बांधने हेतु

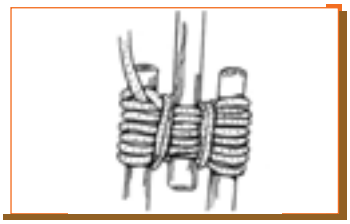

गोल बन्धन :

दो समानान्तर लट्ठों को एक साथ बांधने के लिए जिससे कि वे दोनों नकली टांगों की तरह बन जाएं।

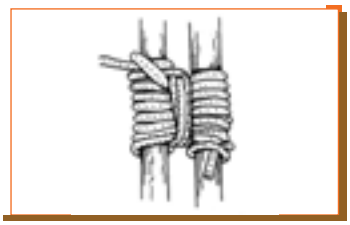

बचाव तकनीकें

1. ***एकल बचाव***

मानव–क्रच (बैसाखी) :

हताहत (कैजुअल्टी) ऐसी स्थिति में है कि उसकी सहायता की जाए

खंड 8

पीठ पर बिठाना :

हताहत व्यक्ति को कोई चोट नहीं लगी है वह होश में है पर चलने की स्थिति में नहीं है

पीठ पर बिठाना (पीठ के बल) :
(बचावकर्त्ता और हताहत दोनों पीठ के बल खड़े होते हैं)

हताहत किसी चोट जैसे पेट या सीने पर जलने, गर्दन या चेहरे पर या शरीर के ऊपरी हिस्से पर घाव होने के कारण होश में तो है परन्तु चलने में असमर्थ है

फायरमैन्स लिफ्ट :

जब हताहत को कोई चोट न लगी हो परन्तु वह बेहोश हो

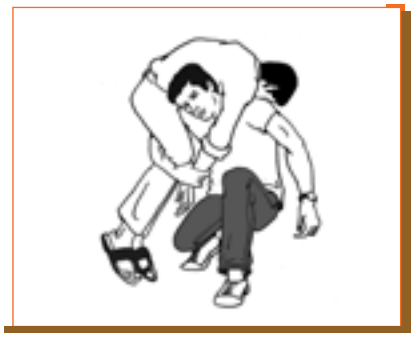

चरण–1

चरण–2

बचाव के लिए घसीटना :

हताहत बेहोश है, बहुत भारी है या धुएं से भरे कमरे में मिलता है या ऐसे तंग स्थान पर मिलता है जहां चलना सम्भव न हो

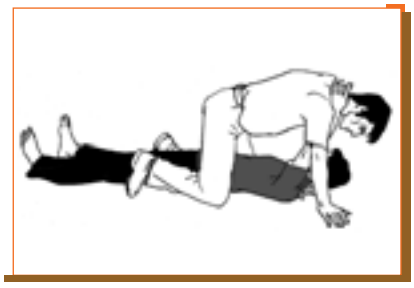

बोलाइन ड्रैग :

हताहत किसी संकरी जगह/तंग क्षेत्र में मिला हो

पैर के अंगूठे से खींचना :

हताहत किसी संकरी जगह/तंग क्षेत्र में मिला हो जहां बचावकर्त्ता को प्रवेश करने में दिक्कत हो रही हो।

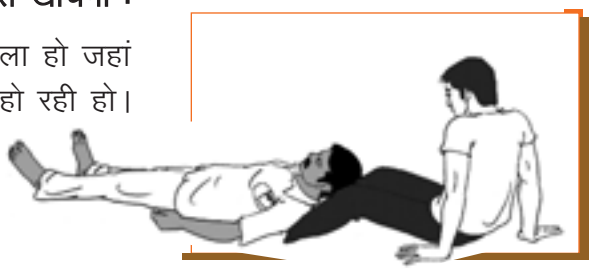

2. *विविध बचाव तरीके*

दो–हाथ (हैण्डेड) की सीट :

जब हताहत होश में हो परन्तु चलने में असमर्थ हो

तीन–हाथ (थ्री–हैण्डेड) की सीट :

हताहत होश में है, भारी है और/या रक्त बह रहा हो या उसके एक पैर में चोट लगी हो

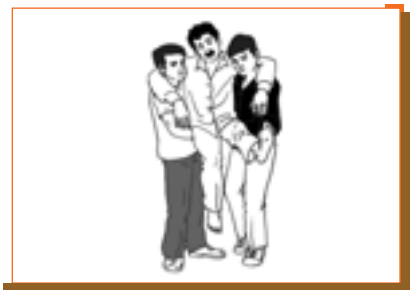

चार–हाथ (फोर–हैण्डेड) की सीट :

हताहत भारी हो परन्तु कोई चोट न लगी हो

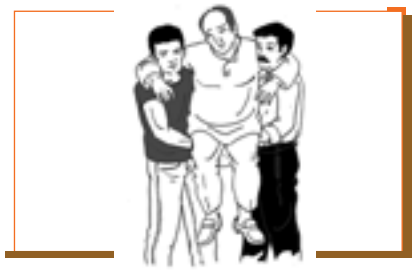

आगे और पीछे से पकड़ कर ले जाने की विधि :

हताहत के पेट में चोट लगी हो और चलने में असमर्थ हो

कम्बल से उठाना :

जब हताहत की हालत गम्भीर हो और उसे सीधी स्थिति (लेटे हुए) में शिफ्ट करने की जरूरत हो, परन्तु बचावकर्त्ता के पास हताहत को ले जाने के लिए स्ट्रेचर न हो।

चरण–1

चरण–2

स्टैण्डर्ड एम्बुलेन्स स्ट्रेचर :

एसएलएस – 3

आरेख

प्रथमोपचार में ट्रायज प्रक्रिया

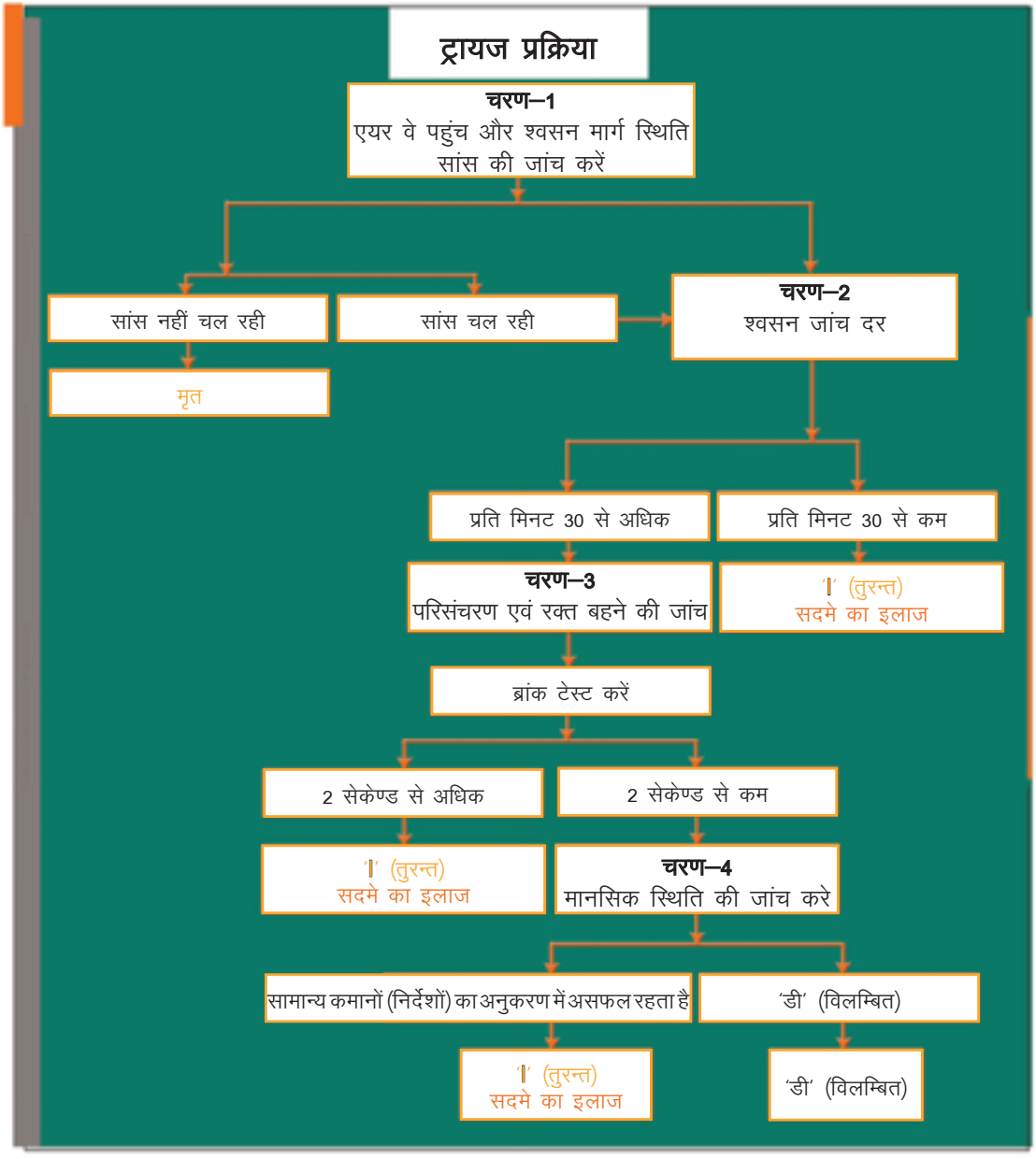

एसएलएस – 4

प्रथमोपचार पर दृश्य–सामग्री

संदिग्ध सिर, गर्दन और मेरूदंड की चोट वाले किसी रोगी को ले जाएं :

रिकवरी पोजीशन :

पेट पर दबाव देना :

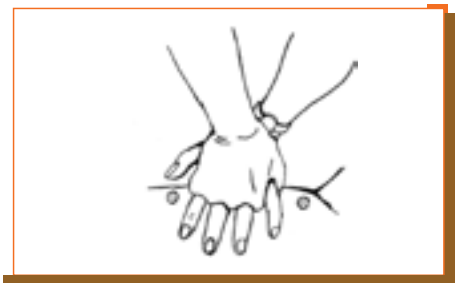

कृत्रिम श्वसन :

बंद श्वसन मार्ग को खोलने का ढंग :

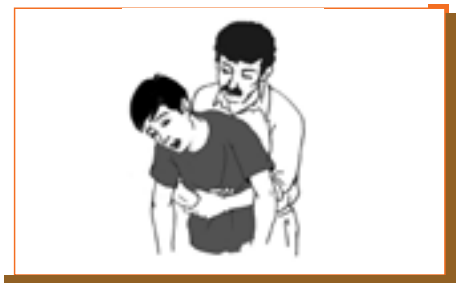

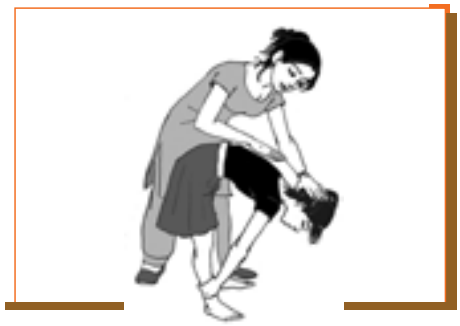

गर्दन का सुस्थिरीकरण (इमोबलाइजेशन) :

चरण–1

चरण–2

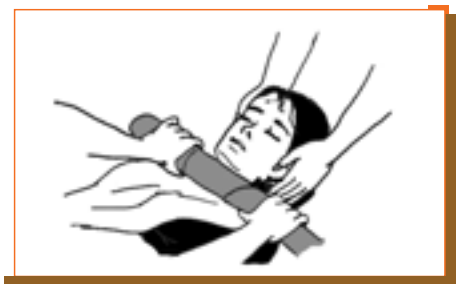

चरण–3

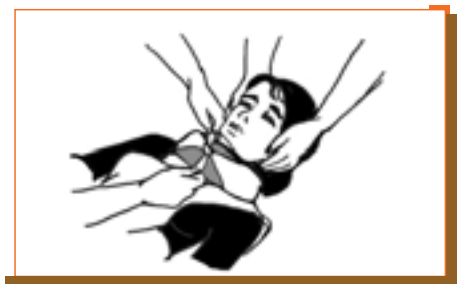

चरण–4

पट्टी बांधने की प्रक्रिया :

चरण–1

चरण–2

चरण–3

अस्थि भंग :

ऊपरी बांह का भाग

निचली बांह का भाग

टांग का ऊपरी भाग

टांग का निचला भाग

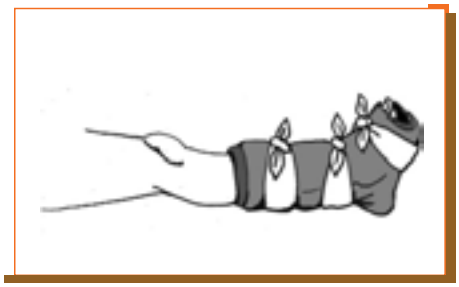

डूबने वाले व्यक्ति को पलटना :

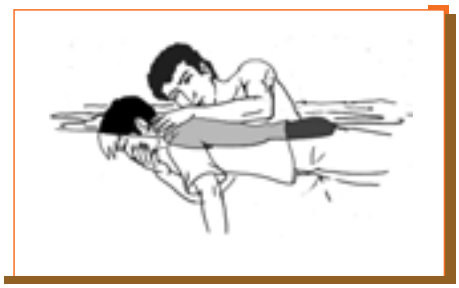

चरण–1

चरण–2

चरण–3

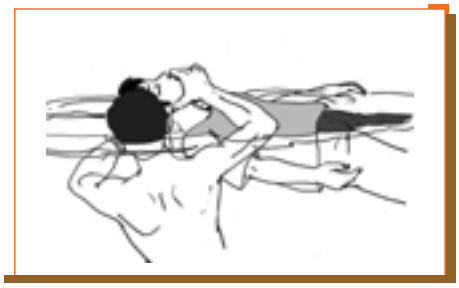

चरण–4

डूबने की स्थिति से बचाना (2) :

चरण–1

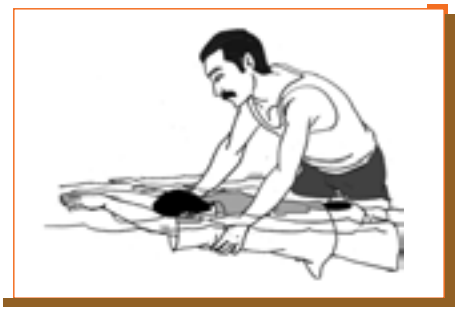

चरण–2

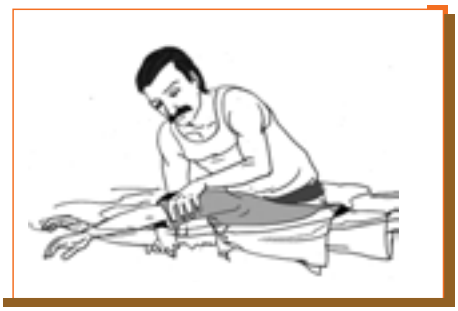

चरण–3

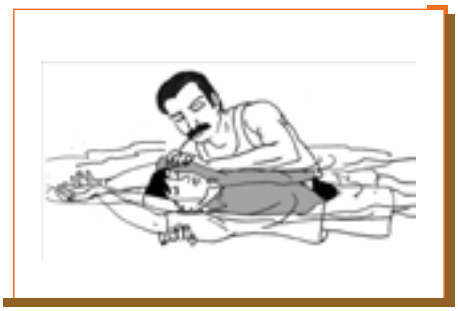

चरण–4

जले हुए भाग को ठंडा करने की विधि :

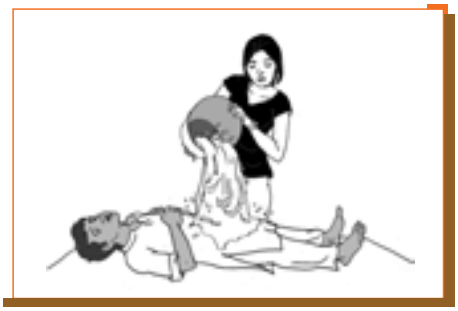

चरण–1

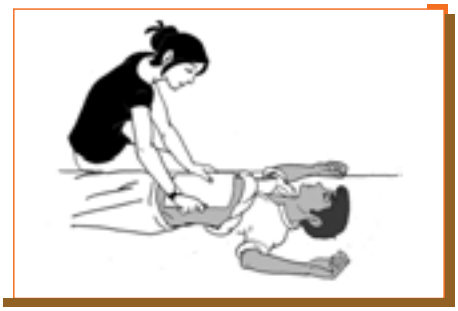

चरण–2

"हैण्डबुक ऑफ कम्युनिटी बेस्ड सर्च एवं रेस्क्यू" *से मुख्यतः रूपांतरित, लेखक इण्डियन रेड क्रॉस सोसायटी उड़ीसा राज्य शाखा 2003; चित्रण : प्रदीप नायक*

खंड 8

खंड–9

नागरिक सुरक्षा संगठन को समझना

विषय–वस्तु

9.1 नागरिक सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन–एक नया परिप्रेक्ष्य 173

पूरक शिक्षण सहायता सामग्री

स्लाइड्स

* भारत नागरिक सुरक्षा अधिनियम, *पृ॰ 176*
* नागरिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन में इसकी नई भूमिका, *पृ॰ 178*
* नागरिक सुरक्षा के मुख्य कार्यकलाप, *पृ॰ 180*
* मौजूदा नागरिक सुरक्षा सेवाएं, *पृ॰ 181*

सुरक्षित समुदाय
सुदृढ़ देश

खंड 9

9.1. विषय/प्रसंग :

नागरिक सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन – एक नया परिप्रेक्ष्य

भाग–I : विषय/प्रसंग

परिचय एवं मॉड्यूल विहंगावलोकन

भारत सरकार की नागरिक सुरक्षा नीति, वर्ष 1962 में आपातस्थिति की घोषणा तक, राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को आपातकालीन राहत संगठन (ईआरओ) स्कीम के अंतर्गत नागरिक संरक्षण उपायों की आवश्यकता के लिए जागरूक रहने तथा उन्हें प्रमुख शहरों एवं नगरों में नागरिक संरक्षण योजनाओं को तैयार रखने के लिए कहने तक ही सीमित रही। तथापि, 1962 में चीन के आक्रमण और 1965 में भारत–पाक युद्ध के बाद, नीति और नागरिक सुरक्षा की गुंजाइश पर काफ़ी पुनर्विचार हुआ जिसके परिणामस्वरूप नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 1968 का अधिनियमन हुआ। उसके बाद से संगठन ने अधिनियम में वर्णित पैरामीटरों के अंतर्गत एक समुदाय आधारित स्वयंसेवी संगठन के रूप में कार्य किया। यह संगठन मुख्यतः युद्धकालीन गतिविधियों तक सीमित था।

तथापि, पिछले कई वर्षों में, युद्ध की आशंकाओं के कम होने के साथ, नागरिक सुरक्षा संगठन धीरे–धीरे अपना महत्व खो रहा था। यह अहसास करने पर कि नागरिक सुरक्षा एक समुदाय आधारित संगठन है और आपदा की सभी घटनाओं में हमेशा सबसे पहले कार्रवाई समुदाय करते हैं, सरकार ने बाद में आपदा प्रबंधन की भूमिका को भी जोड़ा और नागरिक सुरक्षा अधिनियम को भी तदनुसार संशोधित किया गया। यह संगठन बचाव, राहत एवं पुनर्वास कार्य के अतिरिक्त, जन–जागरूकता बढ़ाने और समुदाय क्षमता विकसित करने का भी कार्य कर रहा है, ताकि लोग बेहतर ज्ञान एवं कौशल से आपदा की स्थितियों का सामना कर सकें। राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा महाविद्यालय नागरिक सुरक्षा कार्मिकों/नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों के क्षमता निर्माण में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। श्री के.एम.सिंह, सदस्य, एनडीएमए द्वारा देश में नागरिक सुरक्षा के पुनर्गठन के संबंध में एक राष्ट्रीय नीति दृष्टिकोण–पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें इस स्वयंसेवक आधारित संगठन के समक्ष नई चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया।

तथापि, पिछले कई वर्षों में, युद्ध की आशंकाओं के कम होने के साथ, नागरिक सुरक्षा संगठन ने स्वयं को प्राकृतिक और मानव जनित आपदाओं और आपातस्थितियों से जूझने के लिए लगाया

हुआ है। यह संगठन अब एक समुदाय आधारित स्वयंसेवक संगठन के रूप में उभरा है। यह बचाव, राहत एवं पुनर्वास कार्य के अतिरिक्त, जन–जागरूकता बढ़ाने और समुदाय क्षमता विकसित करने का भी कार्य कर रहा है, ताकि लोग बेहतर ज्ञान एवं कौशल से आपदा की स्थितियों का सामना कर सकें। राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा महाविद्यालय नागरिक सुरक्षा कार्मिकों/नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों के क्षमता निर्माण में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। श्री के.एम. सिंह, सदस्य, एनडीएमए द्वारा देश में नागरिक सुरक्षा में सुधार लाने के संबंध में एक राष्ट्रीय नीति दृष्टिकोण–पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें इस स्वयंसेवक आधारित संगठन के समक्ष नई चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया।

उद्देश्य

नए नामांकित नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों और अन्य स्वयंसेवक–आधारित संगठनों के पदाधिकारियों/अधिकारियों को नागरिक सुरक्षा संगठन, उसके ढांचे, नई भूमिकाओं और कार्य के तरीकों के बारे में समझने में मदद करना।

तरीके

व्याख्यान–सह–परिचर्चा

सामग्री/सीखने के लिए सहायक जानकारी

ओएचपी, फ्लिप चार्ट, एलसीडी, चित्र, सीडी के ओरगैनोग्राम, वीडियो।

सत्र अवधि

एक सत्र (विवरण के लिए पृष्ठ सं. 9 देखें)।

अनुमानित शिक्षण परिणाम

ध्यानात्मक/जानकारी संबंधी :

क) प्रशिक्षुओं को नागरिक सुरक्षा संगठन, उनकी भूमिकाओं, ड्यूटी, संरचना और कार्यों की बेहतर जानकारी हो जाए।

क्षमता/कुशलता संबंधी :

क) प्रशिक्षु नागरिक सुरक्षा की क्षमता, उसकी शक्तियों, सीमाओं और आपदा तैयारियों में किस प्रकार और प्रभावी ढंग से इनका प्रयोग किया जा सकता है, आदि की पहचान करने में सक्षम हों।

उप–प्रसंग/मुख्य शिक्षण बिंदु

क) नागरिक सुरक्षा–प्रारंभ और संदर्भ। मौजूदा प्रास्थिति;

ख) नागरिक सुरक्षा और आपदा–एक नया परिप्रेक्ष्य;

ग) संगठन, संरचना, कार्य, चिंताजनक क्षेत्र;

घ) नागरिक सुरक्षा के लिए परिकल्पित नई भूमिकाएं और चुनौतियां–भूमिकाएं एवं ज़िम्मेदारियां;

ड.) नागरिक सुरक्षा सेवाओं का पुनर्गठन करने के बाद नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों के सामने चुनौतियां;

च) जन–जागरूकता, समुदाय क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण;

छ) नागरिक सुरक्षा सेवाओं का पुनर्गठन;

ज) शिक्षण संस्थाओं में नागरिक सुरक्षा के संबंध में जागरूकता;

झ) नागरिक सुरक्षा की तुलना में होम गार्ड्स और अन्य स्वयंसेवक संगठन;

ञ) नेटवर्किंग, गठबंधन बनाना, अभिमुख होने और एकीकरण संबंधी मुद्दे;

ट) प्रयासों और संसाधनों की सामंजस्यता;

कार्यकलाप

प्रश्न—उत्तर, भागीदारीपूर्ण परिचर्चा के माध्यम से स्पष्टीकरण

पूरक शिक्षण सहायता सामग्री

क) नागरिक सुरक्षा पर हैंडआउट्स; और

ख) नागरिक सुरक्षा संगठनात्मक चार्ट पर स्लाइड;

अतिरिक्त अध्ययन/संदर्भ

क) उच्च अधिकार प्राप्त समितियों की सिफारिशें;

ख) एनआईडीएम और एनसीडीसी के समाचार—पत्र (जर्नल); और

ग) गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्टें।

मददगार के लिए टिप्पणी

क) नोट करें कि यह सत्र उनके लिए है जिन्हें नागरिक सुरक्षा के संबंध में **बहुत थोड़ी जानकारी** है;

ख) इस सत्र को तभी छोड़ा जा सकता है जब इसे आवश्यक न समझा जाए अर्थात् वरिष्ठ नागरिक सुरक्षा कार्मिकों और अनुभवी स्वयंसेवकों के लिए इसमें भाग न लेने की छूट है;

ग) हैंडआउट्स वितरित करें और सत्र के दूसरे भाग का इस्तेमाल बिंदुओं को स्पष्ट करने के लिए प्रश्न—उत्तर में करें;

भाग– II : पूरक शिक्षण सहायता सामग्री

एसएलएस–1

स्लाइड

भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम
कुछ प्रमुख लक्षण

क) संसद द्वारा 1968 में अधिनियमित किया गया और उसके बाद संशोधित किया गया, नागरिक सुरक्षा अधिनियम संपूर्ण भारत पर लागू होता है

ख) अधिनियम में नागरिक सुरक्षा में किसी शत्रुतापूर्ण हमले (हॉस्टाइल अटैक) के दौरान भारत या इसके भू–भाग के किसी भाग में व्यक्ति, संपत्ति, स्थान या वस्तु को संरक्षण देने के लिए किए जाने वाला कोई उपाय (वास्तविक युद्ध को छोड़कर) शामिल है।

ग) अधिनियम में नागरिक सुरक्षा में भारत या इसके भू–भाग के किसी भाग में किसी व्यक्ति, संपत्ति, स्थान या वस्तु को संरक्षण देने के लिए किए जाने वाला कोई भी उपाय (वास्तविक युद्ध को छोड़कर) शामिल है।

भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम (जारी...)
कुछ प्रमुख लक्षण

घ) अधिनियम केंद्रीय सरकार को जान और संपत्ति को होने वाले खतरों की रोकथाम के लिए विस्फोटकों के निपटान, ज्वलनशील पदार्थों या वस्तुओं, शस्त्र और गोला–बारूद आदि के लिए नियम बनाने का अधिकार प्रदान करता है।

ड.) नागरिक सुरक्षा अधिनियम को आपदा प्रबंधन की भूमिका में नागरिक सुरक्षा की भागीदारी के लिए कानूनी निर्देश देते हुए संशोधित किया गया है;

च) क्षतिग्रस्त इमारतों, ढांचों, मकानों के मलबे को हटाने के कार्य और मृतक जीवों के निपटान आदि के लिए कार्य करना;

छ) बंदरगाहों, रेलवे, सड़कों, पुलों और नहरों, जल के स्रोतों, बिजली की आपूर्ति, खदानों, तेल क्षेत्रों, फैक्टरियों, वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुसंधान करने वाली प्रयोगशालाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना;

भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम (जारी...)
कुछ प्रमुख लक्षण

ज) आग के प्रकोप से निपटने के लिए विशेष कदम उठाना;

झ) नागरिक सुरक्षा के किसी क्षेत्र का अनुपालन करने के लिए किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग की आवश्यकता;

ञ) इस अधिनियम के अनुसार नागरिक सुरक्षा दलों (कोर्प्स) का गठन करना;

ट) राज्य सरकारें नागरिक सुरक्षा गतिविधियों का समन्वय करने के लिए, अपने राज्यों के लिए निदेशक, नागरिक सुरक्षा को नियुक्त कर सकती हैं;

ठ) केंद्र सरकार अधिसूचना के द्वारा नागरिक सुरक्षा गतिविधियों, नागरिक सुरक्षा कोर्प्स के सदस्यों के लिए कार्य निर्धारण, संगठन, नियुक्ति, सेवा की शर्तों, अनुशासन और उत्तरदायित्वों के नियंत्रण के लिए विनियम बना सकती है।

भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम (जारी...)
कुछ प्रमुख लक्षण

ड) यह किसी या सभी कोर्प्स के लिए सदस्यता प्रमाण–पत्र का आरूप निर्धारित कर सकता है।

ढ) व्यक्तिगत चोट अधिनियम, 1962 और उसके तहत बनाई गई प्रत्येक स्कीम के प्रावधान दल के सदस्य के रूप में नियुक्त किसी व्यक्ति को आई चोट पर लागू होंगे।

ण) इस अधिनियम द्वारा या इसके अंतर्गत/तहत प्रदत्त किसी अधिकार के प्रयोग द्वारा किए गए किसी आदेश पर किसी न्यायालय में प्रश्न चिह्न नहीं लगाया जाएगा।

त) राज्य सरकारें, अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकती हैं कि अधिनियम में सभी या किसी एक अधिकार का प्रयोग ऐसे अधिकारी, जो उप–मंडलीय मजिस्ट्रेट के स्तर से कम का न हो, द्वारा भी किया जा सकता है।

थ) इस अधिनियम के तहत नियंत्रक या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति और दल के प्रत्येक सदस्य को, इस प्रकार कार्य करते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थ के दायरे में सरकारी कर्मचारी के रूप में माना जाएगा।

खंड 9

एसएलएस–2

स्लाइड

नागरिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन में इसकी नई भूमिका

नागरिक सुरक्षा संगठनों के मौजूदा चार्टर के अतिरिक्त, आपदा प्रबंधन के संबंध में इसके लिए निम्नलिखित भूमिकाएं एवं कार्य जोड़े गए हैं :

आपदा–पूर्व चरण :

क) आपदा के विभिन्न प्रकारों और संभव सामुदायिक कार्रवाइयों के संबंध में जन–जागरूकता फैलाना

ख) किसी आपदा की स्थिति में कार्रवाई करने के लिए समुदाय क्षमता निर्माण के एक भाग के रूप में असुरक्षित क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर लोगों को शिक्षित एवं प्रशिक्षित करना

ग) नागरिक सुरक्षा पर परिचर्चाएं, वाद–विवाद आदि आयोजित करने के लिए मीडिया के साथ संपर्क करना

नागरिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन में इसकी नई भूमिका (जारी...)

घ) नियमित कृत्रिम–कवायद, अभ्यास और पूर्वाभ्यास (रिहर्सल) आयोजित करना

ड.) आपदा प्रबंधन के कौशल में मूल (बेसिक) प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए छात्रों के लिए शिविर (कैम्प) लगाना

च) सरकारी तंत्रों में उपयुक्त कार्मिकों का चयन करना और उन्हें मुद्दों पर सुग्राही बनाना

छ) आपदा प्रशिक्षण में स्व–संचालित और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के स्टाफ़ को शामिल करना

ज) जिला, राज्य एवं क्षेत्रीय स्तर पर प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराना

झ) आपदा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर कौशल अर्जित करना

ञ) अंशकालिक आधार पर सुरक्षा नागरिक कार्य के लिए दूसरों को स्वयंसेवा के लिए प्रेरित करना

नागरिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन में इसकी नई भूमिका

आपदा के दौरान :

क) जब भी किसी प्राकृतिक आपदा के बारे में अग्रिम चेतावनी प्राप्त हो, तो एहतियाती उपाय करने में मदद करना

ख) लोगों को कम असुरक्षित क्षेत्रों में पहुंचाने में मदद करना

ग) खोज और बचाव अभियान आरंभ करना

घ) घायलों को प्रथमोपचार उपलब्ध कराना तथा उन्हें चिकित्सा केंद्रों में ले जाना

ड.) लापता लोगों के लिए "सूचना एवं मार्गदर्शन केंद्र" स्थापित करना

च) प्रभावित लोगों को राहत सामग्री वितरित करने के कार्य में भाग लेना

छ) प्रभावित क्षेत्रों में आपातकालीन वाहनों की सुचारु आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए पुलिस/ट्रैफिक की सहायता करना।

ज) जान एवं माल के नुकसान का आकलन करने में स्थानीय प्रशासन की मदद करना

एसएलएस–3

स्लाइड

नागरिक सुरक्षा के मुख्य कार्यकलाप

तैयारी चरण

क) प्रशिक्षण;

ख) कृत्रिम कवायद (मॉक–ड्रिल्स);

ग) अभ्यास;

घ) आकस्मिक योजना;

ड.) जन–जागरूकता;

च) कल्याण; और

छ) सेवाओं का संचारण (सर्विसेज कम्युनिकेशन)।

कार्रवाई चरण

क) चिकित्सा/प्रथमोपचार सेवा;

ख) कमान एवं नियंत्रण; और

ग) खोज एवं बचाव।

एसएलएस–4

स्लाइड

मौजूदा नागरिक सुरक्षा सेवाएं

उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने नागरिक सुरक्षा के लिए निम्नलिखित सेवाओं की सिफारिश की है :

क) मुख्यालय एवं संचार सेवा
ख) संरक्षक (वार्डन) सेवा
ग) आपात सेवा
घ) अग्नि शमन सेवा
ड.) प्रशिक्षण सेवा
च) बचाव एवं रक्षा सेवा
छ) कल्याण सेवा
ज) जन जागरूकता
झ) समुदाय का क्षमता निर्माण

*स्रोत– **रिवेम्पिंग ऑफ़ सिविल डिफेंस इन दि कन्ट्री, नेशनल पॉलिसी अप्रोच पेपर, एचपीसी रिपोर्ट, दिसम्बर, 2006** – श्री के.एम. सिंह, सदस्य, एनडीएमए, भारत सरकार*

खंड 9

खंड—10

प्रयास, तरीके और रणनीतियाँ

विषय–वस्तु

10.1 मानवतावादी चार्टर और आपदा कार्रवाई के न्यूनतम मानक 185

10.2 आपदा कार्रवाई के प्रबंधन के लिए आपदा प्रतिक्रिया प्रणाली (आईआरएस) 191

10.3 पूर्व चेतावनी तंत्र और सुरक्षित निकासी 196

10.4 रूढ़ आपदा, आपदा संबंधी छवि तथा संबंधी विषय (एथिक्स) 201

पूरक शिक्षण सहायता सामग्री

जानकारी–सामग्री (हैंडआउट्स)

* मानवतावादी चार्टर के सिद्धांत, *पृ॰ 187*
* मानवतावादी मुद्दों से संबंधित अभिकरणों की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां, *पृ॰ 188*
* आईआरएस डिजाइन मानदंड, *पृ॰ 194*

सुरक्षित समुदाय
सुदृढ़ देश

* खतरे की पूर्व चेतावनी के लिए पशु / पक्षी / कीट के व्यवहार को समझना, *पृ॰ 199*
* आपदा आकलन, *पृ॰ 203*
* एक आपदा संबंधित रिपोर्ट "क्या" है और इसे "कैसे" लिखें, *पृ॰ 205*

स्लाइड्स

* मानवतावादी राहत के न्यूनतम मानक, *पृ॰ 190*
* कार्रवाई के पारंपरिक दृष्टिकोण में समस्या के क्षेत्र, *पृ॰ 195*
* आईआरएस में योजना उत्तरदायित्व, *पृ॰ 195*
* आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए प्रौद्योगिकी का संघटन, *पृ॰ 198*

10.1. विषय/प्रसंग :

मानवतावादी चार्टर और आपदा कार्रवाई के न्यूनतम मानक

भाग–I

परिचय एवं विहंगावलोकन

आपदा परिस्थितियों मे हम अक्सर न्यूनतम मानकों को या तो भूल जाते हैं या अनदेखा कर देते हैं। हमारी कार्रवाई को सही करने के लिए हम यहां **"स्फ़िअर"** द्वारा विकसित कुछ मानकों की चर्चा कर रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय कानूनों पर तैयार किया गया और 1997 में आरंभ किया गया **स्फ़िअर** एक अंतरराष्ट्रीय पहल है जिसका उद्देश्य मानवतावादी सहायता की कारगरता और उत्तरदायित्व को बढ़ाना है। 50 देशों से चार हज़ार लोग, बीस अंतरराष्ट्रीय और 400 स्थानीय गैर–सरकारी संगठन संकेतकों एवं मार्गदर्शी टिप्पणियों के साथ इस मानवीय चार्टर और आपदा कार्रवाई के न्यूनतम मानकों को तैयार करने में शामिल थे। 2004 में संशोधित की जा चुकी **स्फ़िअर हैंडबुक** में अब खाद्य सुरक्षा मानक भी शामिल हैं। इस पहल का आपदा वातावरण की व्यापक विविधता में आपदा राहत की कार्यप्रणाली पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ रहा है।

स्फ़िअर परियोजना में निम्नलिखित के लिए न्यूनतम मानक शामिल हैं :

क) जल, सफाई व्यवस्था और सफाई रखने को प्रोत्साहन देना;

ख) खाद्य सुरक्षा, पोषण तथा खाद्य सहायता;

ग) आश्रय, बंदोबस्त तथा गैर–खाद्य मदें और स्वास्थ्य सेवाएं; और

घ) सहायक कर्मचारी क्षमताएं और जिम्मेदारियां।

स्फ़िअर परियोजना भिन्न प्रकार के मुद्दों और आजीविका परिसंपत्तियों, पशुधन की रक्षा करने की आवश्यकता, प्रमुख उत्पादन परिसंपत्तियों की सुरक्षा, बाजारों मे पहुंच, पशुधन के लिए जल, और मौजूदा मुकाबला करने के तंत्र के निर्माण पर भी जोर देती है।

उद्देश्य

क) आपदा से उत्पन्न होने वाली मानवीय पीड़ा को कम करने के लिए उपयुक्त कदम उठाना;

ख) आपदा के दौरान मानवतावादी सहायता में गुणवत्ता, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना; और

ग) सम्मान के साथ जीने के अधिकार के सिद्धांतों का सम्मान करना और इसलिए सहायता का अधिकार होना।

तरीके

पैनल चर्चा, विचारोत्तेजक चर्चा, स्लाइड शो, प्रस्तुतीकरण (प्रेजेंटेशन), प्रकरण अध्ययन (केस स्टडी), और प्रश्नोत्तरी (क्विज़)।

सत्र अवधि

एक सत्र (विवरण के लिए पृष्ठ सं.–9 देखें)।

सीखने के लिए सहायक जानकारी

हैंडआउट्स, स्लाइड्स, मानवतावादी चार्टर एवं न्यूनतम मानकों (दि स्फ़िअर प्रोजेक्ट) पर काम्पैक्ट डिस्क(सीडी)

अनुमानित शिक्षण परिणाम

ध्यानात्मक/जानकारी संबंधी :

क) मानवतावादी चार्टर के विभिन्न पहलुओं, सिद्धांतों तथा न्यूनतम मानकों के प्रमुख लक्षणों और उनके महत्व के बारे में पूरी समझ;

क्षमता/कुशलता संबंधी :

क) मानवतावादी सहायता की गुणवत्ता के बारे में सहायक–कर्मचारियों के रवैये एवं व्यवहार में परिवर्तन;

ख) आपदा के दौरान मानवतावादी चार्टर का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने की क्षमता; और

ग) उत्तरदायित्व और न्यूनतम मानकों को आपदा कार्रवाई के अभिन्न हिस्से के रूप में बढ़ावा देने की जानकारी।

उप–प्रसंग/मुख्य शिक्षण बिंदु/विषय

क) मानवतावादी चार्टर क्या है;

ख) मानवतावादी चार्टर के सिद्धांत;

ग) न्यूनतम मानक के प्रमुख लक्षण;

घ) सभी क्षेत्रों के लिए उभयनिष्ठ मानकों का महत्व;

पूरक शिक्षण सहायता सामग्री

एसडीआरएफ दिशानिर्देश

"स्फ़िअर हैंडबुक" 2004

अतिरिक्त अध्ययन/संदर्भ

क) ***स्फ़िअर प्रोजेक्ट :*** *दि ह्यूमैनिटिरियन चार्टर एंड मिनिमम स्टैंडर्डस* **www.blackwell-synergy.com**

ख) ***दि स्फ़िअर हैंडबुक,*** **www.sphereproject.org**

ग) **info@sphereproject.org Web; http://www.sphereproject.org**

मददगार के लिए टिप्पणी

क) यह मूलतः विषय आधारित सत्र है;

ख) सुनिश्चित करें कि भागीदार मानवतावादी चार्टर की अवधारणा को समझते हों;

ग) भागीदारों को आपदा स्थिति में चार्टर और न्यूनतम स्तर की आवश्यकता को संदर्भित करने के योग्य बनाने के संबंध में पर्याप्त समय लें;

घ) मानवतावादी चार्टर के सिद्धांतों और प्रमुख लक्षणों पर हैंडआउट्स वितरित करें; और

ड.) सुनिश्चित करें कि प्रशिक्षु आपदा की स्थिति में सेवा की गुणवत्ता बनाए रखने में विश्वस्त हों।

भाग– II : पूरक शिक्षण सहायता सामग्री

एसएलएस–1

हैंडआउट

मानवतावादी चार्टर के सिद्धांत

इस चार्टर के निम्नलिखित तीन मूल सिद्धांत हैं।

I. सम्मान के साथ जीने का अधिकार

क) यह अधिकार जीवन के अधिकार, पर्याप्त जीवन स्तर, क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या दंड से संबंधित कानूनी उपायों में परिलक्षित होता है;

ख) हम जीवन की, जहां भी खतरा हो, रक्षा के लिए उपाय करने के अधिकार सहित एक व्यक्ति के जीने के अधिकार, और ऐसे उपाय करने के लिए दूसरों पर संगत कर्त्तव्य को समझते हैं;

ग) इसमें यह अंतर्निहित है कि कर्त्तव्य (ड्यूटी) जीवन रक्षक सहायता के प्रावधान को बाधित या बर्बाद न करें; और

घ) इसके अतिरिक्त, अंतरराष्ट्रीय मानवतावादी कानून युद्ध के दौरान नागरिकों को सहायता प्रदान करने, सहायता देने वाले देशों तथा अन्य पार्टियों को, जब नागरिकों के लिए अनिवार्य वस्तुओं की आपूर्ति कम हो जाती है, मानवतावादी और निष्पक्ष सहायता के प्रावधान से सहमत होने के लिए विशिष्ट प्रावधान करता है।

II. लड़ाकू सैनिकों और गैर–लड़ाकू सैनिकों में स्पष्ट अंतर

क) यह वह स्पष्ट अंतर है, जो 1949 के जेनेवा सम्मेलनों और 1977 के उनके अतिरिक्त प्रोटोकॉल को नया आधार प्रदान करता है;

ख) यह मौलिक सिद्धांत तेजी से खत्म हो रहा है, जैसाकि बीसवीं सदी के दूसरे अर्द्ध वर्ष के दौरान नागरिकों के हताहत होने के बहुत अधिक बढ़े हुए अनुपात से परिलक्षित होता है;

II. लड़ाकू सैनिकों और गैर–लड़ाकू सैनिकों में स्पष्ट अंतर (जारी...)

ग) यह कि आंतरिक युद्ध को अक्सर "गृह युद्ध" के रूप में दर्शाया जाता है, हमें वास्तव में युद्ध में लगे हुए लोगों, और नागरिकों तथा अन्य (बीमार, घायल तथा कैदियों सहित), जो कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं निभाते हैं, के बीच भेद करने की आवश्यकता से मुंह नहीं फेरना चाहिए।

घ) अंतरराष्ट्रीय मानवतावादी कानून के अंतर्गत गैर–लड़ाकू सैनिक की रक्षा की जाती है और वे आक्रमण से प्रतिरक्षा करने के हकदार हैं।

III. अप्रत्यावर्तन के सिद्धांत

यह सिद्धांत है कि किसी भी शरणार्थी को उस देश में वापस नहीं भेजा जाएगा जहां जाति, धर्म, राष्ट्रीयता, किसी विशेष सामाजिक समूह या राजनैतिक राय के कारण उसकी जान या स्वतंत्रता को जोखिम हो सकता है; और जहां इस बात का पर्याप्त आधार हो कि वह उत्पीड़न के कारण खतरे में हो सकता है/सकती है।

स्रोत–हयूमैनिटेरियन चार्टर एंड मिनिमम स्टैंडर्ड्स, दि स्फ़िअर प्रोजेक्ट, 2004, जेनेवा 19, स्विट्ज़रलैंड

एसएलएस – 2

हैंडआउट

मानवतावादी अभिकरणों की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां

क) अंतरराष्ट्रीय कानून मान्यता देता है कि युद्ध में प्रभावित लोग सुरक्षा और सहायता के पात्र हैं। यह देशों या युद्धरत गुटों को इस प्रकार की सहायता देने या दिए जाने की अनुमति देकर, तथा व्यवहार जिससे मौलिक मानवीय अधिकारों का उल्लंघन होता है, से बचने और रोकने के लिए, कानूनी दायित्वों को परिभाषित करता है। ये अधिकार और दायित्व अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार कानून, अंतरराष्ट्रीय मानवतावादी कानून एवं शरणार्थी कानून के अन्दर निहित हैं।

ख) मानवतावादी एजेंसियों के रूप में, वे अपनी प्रमुख भूमिकाओं एवं जिम्मेदारियों के संबंध में अपनी भूमिकाओं को परिभाषित करती हैं। मानवतावादी सहायता प्रदान करने में उनकी भूमिका से परिलक्षित होता है कि प्रमुख जिम्मेदारियों वाले अभिकरण अपनी इस भूमिका को हमेशा स्वयं निभाने में समर्थ या इच्छुक नहीं होते हैं। यह कई बार क्षमता का मामला होता है। कभी–कभी मौलिक कानूनों और नैतिक दायित्वों की जान–बूझ कर उपेक्षा की जाती है जिसके कारण अधिक वर्जनीय मानवीय पीड़ा होती है।

ग) मध्यस्थता के मानवतावादी उद्देश्य का सम्मान करने में बार–बार होने वाली युद्धरत दलों की असफलता से पता चलता है कि युद्ध की स्थिति में सहायता प्रदान करने के प्रयास से नागरिक आक्रमण से और अधिक असुरक्षित हो जाते हैं, या एक या अधिक युद्धरत दलों को अनायास लाभ के अवसर दे देते हैं। ये अब तक हमारी मध्यस्थताओं के किसी भी ऐसे प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं क्योंकि यह ऊपर उल्लिखित दायित्वों के अनुरूप हैं। यह युद्धरत दलों का दायित्व है कि वे ऐसे हस्तक्षेपों के मानवतावादी स्वरूप का सम्मान करें; और

घ) ऊपर और अधिक व्यापक रूप से निर्धारित किए गए सिद्धांतों के संबंध में, वे रेड क्रॉस की अंतरराष्ट्रीय समिति और अंतरराष्ट्रीय कानून के अंतर्गत शरणार्थियों के संयुक्त राष्ट्र संघ उच्चायुक्त के सुरक्षा एवं सहायता के अधिदेश को मान्यता एवं समर्थन देते हैं।

स्रोत– ह्यूमैनिटेरियन चार्टर एंड मिनिमम स्टैंडर्ड्स, दि स्फ़िअर प्रोजेक्ट, 2004, जेनेवा 19, स्विट्ज़रलैंड

एसएलएस–3

स्लाइड

मानवतावादी राहत के न्यूनतम मानक

इसमें मूल रूप से आठ महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं और लोगों के लिए अपेक्षित मानक हैं, जो प्रत्येक तकनीकी क्षेत्र से संबंधित हैं। ये मानक इस प्रकार हैं :

क) भागीदारी
ख) प्रारंभिक आकलन
ग) कार्रवाई
घ) लक्ष्य निर्धारण
ड.) निगरानी
च) मूल्यांकन
छ) सहायक कर्मचारी की क्षमताएं और जिम्मेदारियां
ज) पर्यवेक्षण, प्रबंधन और कार्मिकों का समर्थन

स्रोत– हयूमैनिटेरियन चार्टर एंड मिनिमम स्टैंडर्ड्स, दि स्फ़िअर प्रोजेक्ट, 2004, जेनेवा 19, स्विट्ज़रलैंड

10.2. विषय/प्रसंग :

आपदा कार्रवाई के प्रबंधन के लिए आपदा प्रतिक्रिया प्रणाली (आईआरएस)

भाग–I : विषय/प्रसंग

परिचय एवं विहंगावलोकन

आपदा कार्रवाई में तदर्थ उपायों की गुंजाइश को कम करने के लिए आपदा प्रतिक्रिया प्रणाली (आईआरएस) एक प्रभावी तंत्र है। इसमें वे सभी काम (ड्यूटियां) शामिल होते हैं, जो आपदाओं अथवा किसी प्रकार या पैमाने की घटना के प्रबंधन के लिए आवश्यक हो सकते हैं। यह प्रणाली चार प्रमुख कार्यों के साथ आपदा प्रबंधन के लिए एक व्यापक दल की परिकल्पना करती है :

क) कमान;

ख) प्रचालन;

ग) योजना; और

घ) संभार–तंत्र और वित्त।

इन सभी प्रत्येक कार्यों के लिए उपयुक्त दिशानिर्देश उपलब्ध हैं और, यदि इनको उचित रूप से उपयोग में लाया जाए और लोग प्रशिक्षित हों, तो प्रत्येक को निम्नलिखित के बारे में जानकारी होगी कि

क्या किया जाना चाहिए ?

इसे कौन करेगा ? और

कमान में कौन है?

आपदाओं के प्रबंधन के लिए की गई आकस्मिक एवं तदर्थ व्यवस्थाओं के कारण, पूर्व में बहुत सी कमियां देखी गईं :

क) उत्तरदायित्व की कमी;

ख) व्यवस्थित क्रमबद्ध योजना प्रक्रिया की कमी थी;

ग) कमान और पर्यवेक्षण की अस्पष्ट कार्य–व्यवस्था थी; और

घ) उचित संचार योजना की कमी, उपलब्ध प्रणालियों के अकुशल प्रयोग और परस्पर–विरोधी कोडों तथा शब्दावलियों के प्रयोग के कारण संचार की स्थिति खराब थी;

ड.) आपदा प्रबंधन ढांचों और योजना प्रक्रिया में आंतरिक एजेंसी आवश्यकताओं को प्रभावशाली ढंग से एकीकृत करने के लिए कोई पूर्व–निर्धारित तरीके/प्रणाली नहीं;

च) घटनाओं के दौरान प्रथम प्रतिक्रियादाताओं और विशिष्ट कौशल वाले स्वतंत्र (फ्रीलांसिंग) व्यक्तियों / गैर–सरकारी संगठन के बीच समन्वय की कमी; और

छ) विभिन्न संसाधनों के लिए आम शब्दावली के प्रयोग की कमी जिसके परिणामस्वरुप अनुचित मांग करना और अनुचित संसाधन आदि का जुटाया जाना।

आपदा प्रतिक्रिया प्रणाली (आईआरएस) में निम्नलिखित व्यवस्था है :

क) कार्रवाई दल के प्रत्येक सदस्य के लिए सुविचारित पूर्व–निर्धारित भूमिका;

ख) क्रमबद्ध और पूर्ण योजना प्रक्रिया;

ग) कमान की स्पष्ट शृंखला;

घ) उचित एवं समन्वित संचार व्यवस्था; और

ड.) संबंधित एजेंसियों की स्वतंत्रता के अतिक्रमण के बिना स्वतंत्र एजेंसियों को योजना और कमान ढांचे में प्रभावी ढंग से जोड़े जाने की प्रणाली।

इस पृष्ठभूमि में जो अवधारणा मूल रूप से अमेरिका में आपदा कमान पद्धति के रूप में विकसित हुई थी, को भारत में उपयुक्त ढंग से संशोधित किया गया और आईआरएस के रूप में रूपान्तरित किया गया। एनडीएमए द्वारा आईआरएस के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

उद्देश्य

प्रशिक्षुओं को घटना कमान प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं और उसके कार्यचालन के बारे में जानकारी देना।

तरीके

व्याख्यान–सह–परिचर्चा, बातचीत आधारित समूह कार्य, पैनल चर्चा, अनुभव बांटना, भूमिका निभाना (रोल प्ले), कृत्रिम अभ्यास, क्षेत्र–कार्य सामग्री।

सामग्री/सीखने के लिए सहायक जानकारी

हैंडआउट्स, स्लाइड्स, रिपोर्ट, चार्ट, अन्य सहायक सामग्री।

सत्र अवधि

दो सत्र (विवरण के लिए पृष्ठ सं. – 9 देखें)। एक सत्र विषय की समझ/जानकारी पर और दूसरा कृत्रिम अभ्यासों पर।

अनुमानित शिक्षण परिणाम

ध्यानात्मक/जानकारी संबंधी :

क) घटना प्रतिक्रिया के प्रमुख लक्षणों, प्राथमिक प्रबंधन कार्य प्रणाली, संगठनात्मक समस्या संबंधित क्षेत्रों, कमजोरियों एवं सीमाओं, आपदा स्थिति में चुनौतियों का सामना करने के तरीकों को समझना।

क्षमता/कुशलता संबंधी :

क) प्राथमिक प्रबंधन कार्यों, एकता तथा कमान की शृंखला, संसाधन प्रबंधन, एकीकृत संचार सहित आईआरएस की प्रक्रियाओं का उपयोग/लागू करने और घटना कार्रवाई योजना विकसित करने की योजना।

उप–प्रसंग/मुख्य शिक्षण बिंदु/विषय

क) घटना प्रतिक्रिया प्रणाली (आईआरएस) क्या है;

ख) मुख्य आईआरएस कार्य (कमांड, संचालन/परिचालन, प्रचालन–तंत्र, योजना और वित्त/प्रशासन);

ग) मौजूदा त्रुटियां/दोष कमियां और अपर्याप्तताएं/कमियां;

घ) आईआरएस डिजाइन मानदंड और दिशानिर्देश; (बहु – एजेंसी संगठन, शब्दावली, प्रचालन प्रक्रिया);

ड.) डिजाइन प्रणाली की आवश्यकता;

च) प्रबंधन अवधारणा और प्रणाली की विशेषताएं (अभिकरण स्वायत्तता, उद्देश्यों द्वारा प्रबंधन, इकाई की अखंडता, कार्यात्मक स्पष्टता);

छ) विशेषताएं (नियंत्रण की प्रभावी अवधि, मॉड्युलर संगठन);

ज) संगठनात्मक स्थिति, संसाधन, सुविधाएं, संभार–तंत्र; और

झ) घटना कार्रवाई योजना प्रक्रिया।

पूरक शिक्षण सहायता सामग्री

हैंडआउट्स और स्लाइड्स

मददगार के लिए टिप्पणी

क) यह सत्र अत्यधिक तकनीकी प्रकृति का है और इसलिए इस सत्र की बार–बार अभ्यास की आवश्यकता होती है; और

ख) शिक्षण को सुदृढ़ बनाने के लिए कृत्रिम–अभ्यास विकसित एवं आयोजित करें।

भाग– II : पूरक शिक्षण सहायता सामग्री

एसएलएस–1

हैंडआउट

आईआरएस डिजाइन मानदंड

आईआरएस डिजाइन दिशानिर्देशों का सेट निर्धारित करते हैं जिनमें **बहु–अभिकरण संगठन, शब्दावली, परिचालन प्रक्रिया, और संचार एकीकरण** शामिल हैं। प्रणाली के डिज़ाइन में सात अपेक्षाएं रखी गई हैं :

क) इसमें घटना के स्वरूप के तीन स्तरों पर प्रभावी संचालन के लिए व्यवस्था होनी चाहिए;

- i) एकल क्षेत्राधिकार और/या एकल एजेंसी;
- ii) बहुविध एजेंसी समर्थन के साथ एकल क्षेत्राधिकार; और
- iii) बहु क्षेत्राधिकार और/या बहु–अभिकरण समर्थन।

ख) संगठनात्मक ढांचा आपातस्थितियों की अनेक किस्मों (अर्थात् आग, बाढ़, भूकंप, और बचाव) के अनुकूल होना चाहिए;

ग) यह नई प्रौद्योगिकियों, जो आपातकालीन कार्रवाई और प्रबंधन की सहायता करने के लिए उपलब्ध हो जाएंगी, के अनुकूल होना चाहिए;

घ) यह सामान्य, दैनिक घटनाओं, संगठनात्मक आवश्यकताओं से लेकर प्रमुख आपात स्थिति तक विस्तार करने में सक्षम हों;

ड.) इसके संगठन, शब्दावली, और प्रक्रियाओं में मूलभूत उभयनिष्ठ तत्व होने चाहिंए;

च) प्रणाली के कार्यान्वयन से मौजूदा एजेंसी प्रक्रियाओं में व्यवधान की कम से कम संभावना हो; और

छ) यह इतना सरल होना चाहिए कि नए प्रयोक्ता तत्काल प्रवीणता प्राप्त कर सकें और निम्न कम परिचालनगत लागतें सुनिश्चित की जा सकें।

एसएलएस–2

स्लाइड

कार्रवाई के पारंपरिक दृष्टिकोण में समस्या वाले क्षेत्र

क) एक उभयनिष्ठ संगठन की कमी
ख) आपदा–पीड़ित और अंतर अभिकरण संचार/संप्रेषण
ग) अपर्याप्त संयुक्त योजना
घ) वैध और समयोचित आसूचना की कमी
ड.) अपर्याप्त संसाधन प्रबंधन
च) अनुमान लगाने की सीमित क्षमता

एसएलएस–3

स्लाइड

आपदा प्रतिक्रिया प्रणाली (आईआरएस) में योजना उत्तरदायित्व

क) सही संसाधन प्रास्थिति को बनाए रखना
ख) स्थिति आंकड़ों (डेटा) का संग्रहण और विश्लेषण
ग) हालात के विवरण को प्रदर्शित करना
घ) भावी संभावनाओं का आकलन
ड.) वैकल्पिक रणनीतियों को तैयार करना
च) योजना के लिए बैठकें आयोजित करना
छ) अनुमोदित कार्य योजनाओं का संकलन और वितरण

10.3. विषय/प्रसंग :

पूर्व चेतावनी तंत्र और सुरक्षित निकासी

भाग–I

परिचय एवं विहंगावलोकन

यह एक लोकप्रिय लोकोक्ति है कि **"पूर्व सचेत पहले से ही तैयार होता है"**। प्रभावी पूर्व चेतावनी प्रणाली आपदाओं से असुरक्षित दलों की सुरक्षित निकासी करके लाखों लोगों का जीवन बचाने, पशुधन को सुरक्षित स्थानों में स्थानांतरित करने तथा संसाधन और आपातकालीन सेवाएं जुटाने में काफी कारगर रही हैं। पूर्व चेतावनी की सफलता तीन योग्यताओं पर निर्भर करती है। ये हैं :

क) **मूल्यवान लोगों की आबादी को होने वाले किसी आपदा के संभावित खतरों या जोखिम के होने की संभावना की पहचान करने** की योग्यता;

ख) **लोगों की असुरक्षितता जिसके लिए चेतावनी का निर्देश दिया जाना है, की सही ढंग से पहचान करने** की योग्यता;

ग) **नकारात्मक परिणामों को टालने के लिए पर्याप्त सामाजिक और सांस्कृतिक जागरूकता होने** की योग्यता;

चेतावनी से पूर्व यह **आवश्यक** है कि चेतावनी की अंतर्वस्तु को **सुनें एवं समझें,** दूसरों के साथ उनकी **व्याख्या की पुष्टि करें और प्रति जांच (क्रॉस–चैक) करें** तथा जान एवं संपत्ति को बचाने के लिए स्थिति में कार्रवाई या प्रतिक्रिया करें। प्राकृतिक आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए रणनीतियां उन स्थितियों तथा घटनाओं को देखने पर आधारित हो सकता है जिन्हें चेतावनी संकेत के रूप में समझा जाता है। सर्वाधिक आम चेतावनी संकेत पशु के व्यवहार और आकाश (बादल, चन्द्रमा, सूर्य आदि) के दिखाई देने के ढंग से संबंधित हो सकता है।

उद्देश्य

प्रशिक्षुओं को होने वाली संभावित आपदा के संबंध में पारंपरिक और आधुनिक चेतावनी प्रणालियों एवं संकेतों और जान की हानि, संपत्ति के नुकसान और पर्यावरण के विनाश को रोकने में पूर्व चेतावनी का किस प्रकार प्रयोग किया जाए, के बारे में जानकारी देना।

तरीके

व्याख्यान–सह–परिचर्चा, समूह कार्य, पैनल चर्चा, अनुकरण अभ्यास, प्रकरण अध्ययन (केस स्टडी)

सामग्री/सीखने के लिए सहायक जानकारी

फ्लिप चार्ट, ओएचपी, वीडियो क्लिप्स।

सत्र अवधि

चार सत्र (विवरण के लिए पृष्ठ सं.–9 देखें)।

अनुमानित शिक्षण परिणाम

ध्यानात्मक/जानकारी संबंधी :

क) प्रशिक्षुओं को चेतावनी प्रणाली और संकेतों तथा सुरक्षित निकासी की चुनौतियों के संबंध में बेहतर जानकारी होना

क्षमता/कुशलता संबंधी :

क) आपदा से पूर्व चेतावनी का उपयोग करने और जोखिम वाले लोगों की सुरक्षित निकासी में मदद करने की योग्यता

उप–प्रसंग/मुख्य शिक्षण बिंदु/विषय

क) पूर्व चेतावनी और लोगों की सुरक्षित निकासी की आवश्यकता;

ख) संभावित खतरे की आशंका वाले क्षेत्रों और असुरक्षित आबादी की पहचान;

ग) चेतावनी के स्रोत और विषय–वस्तु को समझना;

घ) पारंपरिक और आधुनिक चेतावनी संकेतों के संबंध में जानकारी;

ड.) चेतावनी पद्धति और सुरक्षित निकासी के लिए तैयारी;

च) समुदाय स्तर पर पूर्व चेतावनी पद्धति;

छ) कौन क्या करता है और किसे चेतावनी देता है;

ज) चेतावनी का प्रसार, प्राप्ति और पुष्टि;

झ) आपदा जोखिम न्यूनीकरण में तकनीकी हस्तक्षेपों को शामिल करनाः प्रसार मुद्दे;

ञ) सुरक्षित स्थानों या शरण–स्थल को जाना;

ट) विपदा और जोखिमों का विश्लेषण करना; और

ठ) आकस्मिक योजनाओं की तैयारी करना।

कार्यकलाप

कृत्रिम कवायद, खेल

पूरक शिक्षण सहायता सामग्री

पारंपरिक और आधुनिक चेतावनी संकेतों पर हैंडआउट्स, चेतावनी संकेतों और सुरक्षित निकासी के संबंध में दृश्य सामग्री (विज़्युअल), क्या करें और क्या न करें पर स्लाइड्स, सुरक्षित निकासी पर स्लाइड्स।

अतिरिक्त अध्ययन/संदर्भ

क) ***समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन के लिए प्रशिक्षकों की प्रशिक्षण पुस्तिका*** आईआरसीएस

ख) ***कम्युनिटी बेस्ड डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनस,*** *रेड क्रॉस, भुवनेश्वर*

ग) ***ए हैंड बुक ऑफ़ कन्सैप्ट्स एंड टैकनिक्स,*** *लिपिस्कैन एसएडीसी, सुनील भगवानी*

घ) ***डिज़ास्टर एंड डिवेलपमेंट,*** *खंड–1,सं.–2 पृष्ठ सं.–111–117*

मददगार के लिए टिप्पणी

क) यह सत्र अभ्यास पर केंद्रित होना चाहिए, इसलिए कृत्रिम अभ्यास (मॉक–ड्रिल्स) और अभ्यास संचालित करने वाले अच्छे अनुभवी विशेषज्ञों को शामिल किया जाए; और

ख) समुदाय सिमुलेशन एक्सरसाइज को कल्पना की सहायता से करें और कौशल के संपूर्ण एवं सही अंतर्ग्रहण को सुनिश्चित करने के लिए जहां आवश्यक हो, दोहराया जाए।

भाग– II : पूरक शिक्षण सहायता सामग्री

एसएलएस–1

स्लाइड

कार्रवाई के पारंपरिक दृष्टिकोण में समस्या वाले क्षेत्र

- ★ सूचना संचार प्रौद्योगिकी विभिन्न परस्पर संबद्ध संचार प्रणालियों को एकीकृत करने के लिए नए साधनों के रूप में उभरी है।
- ★ मछुआरा समुदायों सहित लोगों के एक बड़े वर्ग तक तेजी से पहुंचने के लिए इसके समान अन्य संचार प्रणालियां जैसेः इंटरनेट, मोबाइल फोन, फैक्स, ई–मेल रेडियो और टी.वी (हैम रेडियो सहित) हैं।
- ★ अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एक दूसरा महत्वपूर्ण घटक है, जो इंटरनेट और कॉन्डिट दोनों प्रदान करती है।
- ★ दूर संवेदी तकनीक, सेटेलाइट मौसम विज्ञान (मीटिरियोलॉजी) (सैट मेट) समर्थित उत्पाद जोखिम न्यूनीकरण में काफ़ी मूल्यवान सिद्ध हुए हैं।
- ★ ये चक्रवातों की निगरानी करने (मॉनीटरिंग) तथा पूर्व–अनुमान लगाने मे भी बहुमूल्य हैं।
- ★ इनसेट इमेज्स का उपयोग महासागरों के ऊपर बादल पद्धति, जहां कोई प्रेक्षण आंकड़ा उपलब्ध नहीं होता है, को पहचानने में भी किया जा सकता है।
- ★ वर्षा का सही आकलन करने के लिए धरातल (ग्राउंड) के मौसम विज्ञान संबंधी प्रेक्षण और रेडार डेटा के साथ पूरक व्यवस्था होनी चाहिए।
- ★ तटीय गांवों को चेतावनी देने के लिए चक्रवात चेतावनी प्रसार प्रणाली (सीडब्ल्यूडीएस) में इनसेट का अभिनव प्रयोग जिसमें देश के चक्रवात प्रवण क्षेत्रों में स्थापित 250 से अधिक आपदा चेतावनी रिसीवर शामिल हैं।
- ★ डेटा रिले और संचार सेटेलाइट में पूर्व चेतावनी देने और अपेक्षित जानकारी प्रसारित करने की क्षमता होती है।
- ★ बहुत छोटे एपर्चर टर्मिनल (वीसेट), अत्यधिक छोटे एपर्चर टर्मिनल (यूसेट) और फेज्ड ॲरे एंटीनों के आगमन ने कम लागत, व्यवहार्य प्रौद्योगिकीय समाधान (सॉल्यूशन) प्रदान कर आपदाओं के प्रबंधन और प्रशमन के प्रति क्षमता को और बढ़ाया है।
- ★ सेटेलाइट संचार, क्षमताएं आंकड़ों के संग्रहण, विपत्ति की चेतावनी, स्थिति का स्थान और क्षेत्र में वास्तविक राहत के समन्वयन में बहुत मदद कर सकती है।

एसएलएस–2

हैंडआउट

खतरे की पूर्व चेतावनी के लिए पशु/पक्षी/कीट के व्यवहार को समझना

किसी भी आपदा की पारंपरिक निगरानी और अन्य मानव भविष्यवाणियों के अलावा, पशु एवं पक्षी भी हमें पृथ्वी की होने वाली हलचल का संकेत दे सकते हैं। इतिहास और प्राकृतिक विज्ञान दोनों के द्वारा ही पशुओं के व्यवहार को पूर्व चेतावनी प्रणाली के भाग के रूप में समझने के महत्व का समर्थन दिया गया है। ईसा पूर्व सन् 373 में इतिहासकारों ने दर्ज किया है कि यूनान के हेलिस नगर में चूहे, सांप और नेवलों सहित पशु भूकंप से होने वाली तबाही से ठीक पहले स्थान छोड़कर चले गए थे। ऊपरी तौर पर जंगली पशु और ग्रामीण क्षेत्रों के घरेलू पशु विभिन्न स्थितियों और कोलाहलों के प्रति अभ्यस्त पशुओं की तुलना में प्राकृतिक आपदाओं के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। कोई भी आमतौर पर पृथ्वी की किसी हलचल से 24 से 48 घंटे पूर्व, पशुओं में सबसे अधिक संकेत को देख सकता है। तथापि, कुछ मामलों में वैज्ञानिकों ने आपदा से 30 दिन पहले तक पशुओं में संकेत देखें हैं। पशु व्यवहार वैज्ञानिकों द्वारा किए गए अध्ययन के आधार पर कुछ निष्कर्षों को सूचीबद्ध किया गया है। तथापि, वैज्ञानिक तरीके से किए गए परीक्षण तथा तकनीकी रूप से सुदृढ़ आधुनिक पूर्व चेतावनी प्रणालियों के प्रमुख महत्व को नकारा नहीं जा सकता। आपदा चेतावनी से संबंधित पशु व्यवहार को और अधिक समझने के लिए बहुत से देशों में अनुसंधान चल रहा है।

कुछ पूर्व–चेतावनी संकेतों को नीचे सूचीबद्ध किया गया है:

बिल्लियां :

भूकंप से पहले बिल्लियां उछल–कूद करेंगी। बिल्लियों में छिपना, बाहर भागने की कोशिश करना, पर्दों (स्क्रीन) पर लटकना और या असामान्य व्यवहार करना जैसे चेतावनी संकेत देखे जा सकते हैं। कई बार वे आक्रामक हो जाएंगी या आपके साथ चिपकेंगी या आपके ऊपर होंगी। बैचेनी से टहलना, फुफकारना, या गुर्राहट भी लक्षण हो सकते हैं। अधिकांश बिल्लियां छुप जाएंगी, इसलिए उनके पसंदीदा छुपने के स्थान को देखें।

कुत्ते :

भूकंप की हलचल से पहले दिखाए गए उनके व्यवहार में चिल्लाना, रिरियाना, बहुत अधिक भौंकना या काटना, बेचैनी, आक्रामकता और मालिकों के प्रति बढ़ी हुई निष्ठा देखी जा सकती हैं। वे आमतौर पर चारों ओर भागेगें, और फाटकों (गेटों) दरवाजों, खिड़कियों या दरवाज़ों से फांदेंगे और रिरियांगे या आपके साथ गोंद की तरह चिपक जाएंगे। कुछ कुत्ते अधिक सुरक्षित या आक्रामक हो जाएंगे जबकि दूसरे भयभीत या उदास हो जाएंगे। खोए हुए कुत्तों के विज्ञापनों की संख्या और जानवरों के आश्रय–स्थलों में उनकी भरमार को देखते हुए किसी विशिष्ट क्षेत्र में पहले से भूकंप संबंधी सावधानियां की जा सकती हैं। इन संख्याओं में भारी बढ़ोतरी आपको पृथ्वी की आगामी हलचलों का संकेत दे सकती हैं।

मछली :
मछली कम–आवृत्ति के कंपन के प्रति संवेदनशील होती हैं और ये मनुष्य से काफ़ी समय पहले ही कंपनों का पता लगा लेती हैं।

कैटफिश : वे उग्र ढंग से इधर–उधर घूमेंगी। बुलहैड कैटफिश तीव्रता–2 के स्तर के भूकंप का पता लगा लेती हैं जिसे कमजोर मनुष्य 10 मंजिला इमारत की छत पर भी महसूस नहीं कर सकते।

डॉल्फिन और छिपकलियां : डॉल्फिन और छिपकलियां भी भूकंप से पहले असामान्य व्यवहार दिखलाती हैं।

शार्क : शार्क केवल तूफान (हरीकेन) जैसी आपदा के पूर्व गहरे पानी में चली जाती हैं।

मुर्गियां :
मुर्गियां अंडे देना बंद कर देती हैं।

मधुमक्खियां :
वे घबराहट में अपने छत्ते छोड़ देती हैं।

हाथी :
विशाल सुनामी द्वारा तट को तबाह करने से पहले हाथी पागलों के समान चिंघाड़ते हैं, पेड़ से बंधी जंजीर को तोड़ देते हैं, तथा ऊंचे स्थान पर भाग जाते हैं।

घोड़े और पशुधन :
खुर वाले जानवर अक्सर अपने खत्तों (बार्न्स) या बाड़ों में प्रवेश से इंकार कर देते हैं और अक्सर खुद को बांधे जाने से इंकार कर देते हैं। वे खुले क्षेत्रों में इकट्ठा रहना चाहते हैं, भयभीत रहते हैं, या इधर–उधर बेचैनी से टहलते हैं।

मेंढक :
मेंढक हालांकि, प्रकृति में रात्रिचर हैं, तथापि, दिन की रोशनी में दिखाई देते हैं और अपने ठिकानों से दूर चले जाते हैं।

जंगली जानवर :
जंगली जानवर अक्सर जगह खाली कर देते हैं, अजीब ढंग से समूह में एकत्रित हो जाते हैं, यहां तक कि मानवीय आवासों (अर्थात् घरों या खत्तों) जिनसें वे सामान्य रूप से बचते थे, में प्रवेश कर जाते हैं।

जंगली पक्षी : वे शांत हो जाते हैं या दिखाई नहीं देते हैं।

सुप्तावस्था में रहने वाले पशु :
सांप, भालू और सुप्तावस्था में अन्य रहने वाले पशु जल्दी बाहर निकल आएंगे।

पिंजरे में पक्षी :
वे अक्सर अपने पिंजरे पर लटकते हैं। वे कई बार पागलपन में फड़फड़ाएंगे, या वे असामान्य रूप से शांत हो जाएंगे। प्रजनन वाले पक्षी अपने अंडे छोड़ देंगे या घोंसले से निकल जाएंगे।

कौएं :
कौएं झुंड में चक्कर लगाते हैं और फिर छिप जाते हैं।

मकड़ियां और चीटियां :
घरों के अंदर की ओर जाती हैं।

चूहा, गिलहरी आदि कुतरने वाले जानवर : घर में घुस जाएंगे या यदि वे बिल में होंगे तो गायब हो जाएंगे।

पुराने बारहसींगे : वे शाम को भागते हैं।

स्रोत :

क) जॉन केप्रियो, लुईसिआना स्टेट यूनिवर्सिटी में मछली–विशेषज्ञ बॉयोलोजिकल साइंसिज के एक प्रोफेसर;

ख) ए सेंस ऑफ़ डूम : ऐनिमल इंस्टिक्ट फॉर डिज़ास्टर, साइंटिस्ट इंवेस्टिगेट वाइल्डलाइफ्स पॉर्सिबल वार्निंग सिस्टम्स डोन ओल्डनबर्ग/वाशिंगटन पोस्ट स्टाफ राइटर; और

ग) गुएरेरो की लिखित एनिमल डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस बुकलेट।

10.4. विषय/संदर्भ :

रूढ़ आपदा, आपदा कल्पना तथा संबंधी विषय (एथिक्स)

भाग– I

परिचय एवं विहंगावलोकन

जब लिस्बन 1755 में हिला, तो वॉल्टेअर ने पूछा था, यदि भगवान पूर्ण न्याय करता होता, तो उसने पृथ्वी को लंदन और पेरिस, जहां अधिक पापी थे, में क्यों नहीं भूकंप से हिलाया? यह धारणा हालांकि अब कमजोर है, परंतु अभी भी जारी है। जब बिहार में भूकंप आया तो बहुत अधिक शिक्षित लोगों ने इसे राज्य की असामाजिकता की सज़ा के रूप में लिया। विश्व भर में पूर्व–औद्योगिक समाज में आपदा को मानव जाति के पापों और स्वच्छंद व्यवहार के प्रति भगवान की नाराज़गी के प्रमाण के रूप में समझा जाता था। जब चीन के सिचुआन प्रांत में मई, 2008 में भूकंप आया, तो कई चीनियों को आश्चर्य हुआ कि यह दैवीय क्रूरता तो नहीं है। पाक–अधिकृत कश्मीर में भूकंप, बाढ़, चक्रवातों के दौरान चटगांव, म्यांमार, भुज, उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्रों में कैटरीना, चक्रवात आदि पर **ऐसे सामाजिक पूर्वाग्रह और भाग्यवादी स्पष्टीकरण** तुरंत प्रस्तुत किए जाते थे। इसके अतिरिक्त कुछ आपत्तिजनक प्रथाएं हैं कि **भावनाओं को उकसाने** और **प्रतिक्रिया उत्तेजित** करने के लिए आपदा पीड़ितों को चित्रित करके मीडिया और अंतरराष्ट्रीय राहत संगठन / दाता एजेंसियां जिन्हें अपनाती हैं।

वस्तुतः आपदा के लगभग सभी परिदृश्यों में पीड़ितों को असहाय, निष्क्रिय व्यक्तियों के रूप में चित्रित करके संरक्षण दिया जाता है और बचाने, मदद करने वाले दूसरे लोगों को उनके वीर उद्धारक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। पीड़ितों के इन परिदृश्यों को यदि असंवेदनशील ढंग से पेश किया जाए, तो अक्सर सारे तथ्य साधारण ढंग से अति सरलीकृत, तोड़–मरोड़कर या बंधे–बंधाए ढर्रे पर प्रस्तुत किए जाते हैं। वे लोगों को उनके आत्म–सम्मान को देने के दावे को नकारते हैं, जनता की राय को गुमराह करते हैं और गलत तथा शर्मनाक प्रभाव डालते हैं। अप्रैल 1989 में, यूरोपीय गैर–सरकारी संगठनों की महासभा ने "तीसरे विश्व" से संबंधित छवियों (ईमेज्स) के बारे में एक आचार–संहिता को अपनाया था। ऑक्सफॉम रिपोर्ट ने सुझाव दिया है कि छवियों में निम्नलिखित होना चाहिए :

क) हर व्यक्ति की गरिमा का सम्मान;

ख) पूर्वाग्रहों को मानते रहने की बजाय उन्हें चुनौती दें; और

ग) ऐसी छवियों को प्रस्तुत करें जो लोगों की आवश्यकता को दर्शाती हों, न कि पीड़ितों को मदद लेने वाले प्राप्तकर्ताओं के रूप में दर्शाया जाए।

उद्देश्य

आपदा रूढ़िवादिता और नकारात्मक आपदा संबंधी छवियों को दूर करना।

तरीके

विचारोत्तजेक सत्र और सामूहिक परिचर्चा।

सामग्री/सीखने के लिए सहायक सामग्री

फ्लिप चार्ट, पोस्टर, चित्र, वीडियो क्लिप्स।

सत्र अवधि

एक सत्र (विवरण के लिए पृष्ठ सं.–9 देखें)।

अनुमानित शिक्षण परिणाम

ध्यानात्मक/जानकारी संबंधी :

क) नकारात्मक रूढ़िवादिता, आपदा छवियां तथा आपदा छवियों का अनैतिक चित्रण लोगों की गरिमा को कैसे नुकसान पहुंचाता है, के बारे में अधिक जानकारी।

क्षमता/कुशलता संबंधी :

क) पूर्वाग्रहों को चुनौती, प्रभावित लोगों की सांस्कृतिक पहचान तथा गरिमा का सम्मान, वास्तविक, सच्ची, उद्देश्यपरक तथा पूरी जानकारी देने की योग्यता।

उप–प्रसंग/मुख्य शिक्षण बिंदु/विषय

क) रूढ़िवादिता क्या है ?;
ख) रूढ़ आपदा;
ग) छवि (इमेज) क्या है ?;
घ) मौजूदा आपदा से संबंधित छवियां (इमेज्स); और
ड.) आपदा संबंधी विषय (एथिक्स) तथा उसकी आचार संहिता;
च) उदाहरण, उद्देश्यपरक तथ्यों को चित्रित करने के तरीके।

कार्यकलाप

क) बिंदुओं पर क्रमशः (स्टेप–बाई–स्टेप) चर्चा : सभी रूढ़ विश्वासों, छवियों (इमेज्स), संदेशों को अनुक्रम में सूची में रखा जाता है। भागीदारों/प्रशिक्षुओं से राय, टिप्पणियां एवं जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं।

पूरक शिक्षण सहायता सामग्री

क) ऑक्सफैम 1991 की रिपोर्ट;
ख) यूरोपीय गैर–सरकारी संगठनों की तीसरी महासभा द्वारा तीसरे विश्व के संबंध में आपदा छवियों (इमेज्स) तथा संदेशों से संबंधित आचार संहिता पर हैंडआउट; और
ग) "सेव द चिल्ड्रन" का एक पोस्टर तथा आपदा कल्पनाओं पर ध्यान–केंद्रण (फोकस)।

अतिरिक्त अध्ययन/संदर्भ

क) ***इमेजरी एंड एथिक्स इन डिज़ास्टर रिपोर्टिंग,*** *अध्याय–V, डिज़ास्टर कम्युनिकेशन–ए रिसॉर्स किट फॉर मीडिया, 2002.*

मददगार के लिए टिप्पणी

क) मददगार आपदा की विभिन्न मान्यताओं, मिथकों, रूढ़िवादिता और छवियों के संबंध में संक्षिप्त परिचय दें;

ख) भागीदारों के समक्ष यदि ऐसी आपदा संबंधी छवियां/रूढ़िवादिता सामने आई हों, तो उन्हें उल्लेख/रिपोर्ट करने के लिए कहें;

ग) क्रमवार तरीके का प्रयोग करके, प्रत्येक छवि (इमेज)/रूढ़िवादिता की समूह द्वारा "टोन फॉल्स" जिन प्रश्नों को नहीं जानते, के माध्यम से जांच की जाती है; और

घ) मुद्दे के बारे में चर्चा और मददगार द्वारा संक्षेप में प्रस्तुतीकरण;

भाग– II : पूरक शिक्षण सहायता सामग्री

एसएलएस–1

हैंडआउट

आपदा आकलन

यह क्या है?

आकलन का अर्थ है अनुमान लगाना। **आपदा आकलन विशेष रूप से प्रभावित लोगों/क्षेत्र की आवश्यकताओं का तेजी से या तुरंत और दीर्घकालिक आकलन दोनों के लिए एक प्रभावी तरीका है।** इस प्रकार, यह उचित योजना और कार्यक्रम को डिजाइन करने में मदद करता है। यह आपदा से पहले और बाद की स्थिति, आवश्यकता आदि के आकलन के लिए भी उपयोगी उपकरण है। आकलन तब सफलतापूर्वक किया जा सकता है जब स्थानीय समुदाय से सदस्य प्रक्रिया में शामिल होते हैं, अपने स्थानीय संसाधनों के उपयोग द्वारा उनके कार्यक्रमों को डिजाइन करने में भाग लेते हैं। इस प्रक्रिया में कार्यक्रम का स्वामित्व समुदाय के पास रहता है।

सामुदायिक स्तर का आकलन समुदाय पर खतरे के प्रभाव का निर्धारण करने, जीवित बचे लोगों की जान को बचाने के लिए तात्कालिक आपातकालीन उपायों के लिए आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं की पहचान करने, समुदाय के भीतर उपलब्ध संसाधनों की गणना करने, दीर्घावधिक पुनर्बहाली को सुकर बनाने और उसमें तेज गति लाने की संभावना का पता लगाने की प्रक्रिया है। सामुदायिक स्तर पर आकलन करने की प्रक्रिया है।

इसमें क्या शामिल है?

इसमे आवश्यक जानकारी का निर्धारण, सर्वाधिक असुरक्षित समुदाय की तात्कालिक आवश्यकता और डेटा संग्रहण के जरिए संसाधनों की अपेक्षा (नए और पुराने दोनों) डेटा का विश्लेषण और व्याख्या शामिल है ताकि आपदा कार्रवाई योजना और कार्यक्रम को डिजाइन किया जा सके।

आपदा प्रबंधन में यह क्या भूमिका निभाता है?

क) आपदा के होने, पहचान करने, लक्षणों और जोखिम में आने वाली आबादियों के परिमाण की पुष्टि करता है;

ख) कार्यों और संसाधनों को परिभाषित एवं प्राथमिकता देने, तात्कालिक जोखिमों को कम करने, स्थानीय, संगठनात्मक, चिकित्सा तथा संभार–तंत्र संसाधनों की पहचान करने में मदद करता है;

ग) भावी गंभीर समस्याओं के अनुमान लगाने में सहायता करता है;

घ) तात्कालिक प्रतिक्रिया को व्यवस्थित और नियंत्रित करने में सहायता करता है;

ड.) आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए समुदाय द्वारा की जाने वाली तात्कालिक कार्रवाई की पहचान करता है;

च) प्रभावित क्षेत्रों में परिवहन तथा संचार नेटवर्क की स्थिति ठीक रखता है; और

छ) तात्कालिक आवश्यकताओं जैसेः खाद्य, जल, आश्रय, स्वास्थ्य, सफाई आदि की पहचान करता है और आपदा कार्रवाई के संबंध में सरकार द्वारा दिए गए प्रोत्साहनों का लेखा–जोखा रखता है।

आकलन के लिए दिशानिर्देश

क) आंकड़ों के संग्रहण और आकलन की गुणवत्ता एवं सटीकता का सत्यापन/ दोबारा जांच (क्रॉस–चैक) करना;

ख) मौजूदा सूचना प्रणालियों का उपयोग करना;

ग) डेटा का जल्द संसाधन (प्रोसेस) करना जब वे उपयोगी हों, देरी न करें;

घ) स्थान, समस्याओं की गंभीरता के परिमाण का निर्धारण;

ड.) तात्कालिक आवश्यकताओं को प्राथमिकता देना; स्थानीय दबाव में न आना; और

च) सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों (स्वास्थ्य, खोज एवं बचाव, सार्वजनिक सुविधाएं, आश्रय एवं आवास, घरेलू आवश्यकताएं, कृषि एवं आर्थिक आवश्यकताएं, जल एवं सफ़ाई और सुरक्षा आदि) का उद्देश्यपरक आकलन और आपदा–कार्य में उनके आपसी संबंधों की पहचान।

एसएलएस–3

हैंडआउट

एक आपदा संबंधित रिपोर्ट "क्या" है और इसे "कैसे" लिखें

क्या	घटना अर्थात् बाढ़, चक्रवात, भूकंप, आग, बम ब्लास्ट आदि के बारे में लिखें
कौन	पीड़ित, जीवित, क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचा, पुरुष, महिलाएं, बच्चे, गरीब, बीमार, वयोवृद्ध आदि पर खास असर
कहां	घटना का स्थान, असर की सीमा
कब	घटना का समय एवं अवधि, अनुमानित परिणाम
क्यों	स्पष्ट करें कि यह क्यों होता है, कारक संबंधी घटक, असुरक्षितता, हितधारकों के विभिन्न विचार
कैसे	घटना का सामना करने के लिए सरकार और लोग कैसे तैयारी कर रहे हैं, कौन से संसाधन अपेक्षित हैं
असर	समाचारों से कौन प्रभावित हुए/ क्या रिपोर्ट नीति पर असर डालेगी या जनता को सूचना देगी, क्या रिपोर्ट पर जनता की तरफ से कार्रवाई होगी
मार्गदर्शन	लोगों को क्या करना चाहिए, कौन सी सावधानी आवश्यक है, लोगों की कौन कमान देखेगा, वे स्थिति में सुधार लाने के लिए कैसे कार्य कर सकते हैं
बचें	असंयत लेखन, सनसनी फैलाना, अशुद्धियां, गौण मुद्दे, अप्रासंगिक जानकारी, अत्यधिक तकनीकी विवरण, फिजूल शब्द, लम्बे वाक्य
एकत्रित करना	निष्कर्षों पर पहुंचने के लिए कई स्रोतों/हितधारकों से जानकारी एकत्रित करें
प्रति–जांच (क्रॉस–चेक)	आंकड़ों की सटीकता और स्थिति की वास्तविकता जानने के लिए विभिन्न स्रोतों से प्राप्त की गई जानकारी की प्रति–जांच करें।
टिप्पणी	इसी प्रकार की किसी घटना से तुलना करते हुए संक्षिप्त एवं जानकारी–पूर्ण टिप्पणी दें

(आपदा संप्रेषण–भारत के लिए संसाधन किट, 2002 से रूपान्तरित)

खंड–11

अतिरिक्त सहायता सामग्री

अनुबंध

अनुबंध–I 209

प्रशिक्षुओं के तीन विभिन्न प्रकारों के लिए प्रस्तावित प्रशिक्षण और अनुकूलन कार्यक्रम (ओरियंटेशन प्रोग्राम) :

(क) आपदा प्रबंधन मुद्दों/विषयों पर कार्य कर रहे वरिष्ठ स्तर के नागरिक सुरक्षा, होम गार्ड के अधिकारी एवं अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी, *पृ॰ 209*

(ख) वरिष्ठ और मध्यम–स्तर के अधिकारी और प्रशिक्षकों सहित प्रमुख कार्यक्रम कर्मी/कार्मिक, *पृ॰ 212*

(ग) नागरिक सुरक्षा, राष्ट्रीय कैडेट कोर, नेहरू युवा केंद्र, एनएसएस, स्काउट और गाइड, रेड क्रॉस आदि के प्रमुख स्वयंसेवक, *पृ॰ 220*

अनुबंध–II 236

पंजीकरण फार्म

अनुबंध–III 238

सत्र मूल्यांकन आरूप (फार्मेट)

अनुबंध

अनुबंध–IV 240
क्षेत्र दौरा मूल्यांकन आरूप

अनुबंध–V 241
प्रशिक्षण मूल्यांकन आरूप

अनुबंध–VI 243
प्रशिक्षण पश्चात् मूल्यांकन प्रश्नावली

अनुबंध–VII 245
आपदा शब्दावली और पारिभाषिक शब्दावली,पृष्ठ

संपर्क करें 256

अनुबंध – I (क)

वरिष्ठ नागरिक सुरक्षा एवं अन्य पदाधिकारियों, योजनाकारों, नीति संबंधी कार्मिकों का प्रशिक्षण और विषय अनुकूलन संबंधी कार्यक्रम

उद्देश्य : नागरिक सुरक्षा संगठन, होम गार्डों तथा अन्य सहयोगी संगठनों के नीति योजनाकारों तथा वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों को आपदा तैयारी, नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों तथा कार्यान्वयन रणनीतियों/कार्यनीतियों के क्षेत्र में हुए नवीनतम विकासों की जानकारी देना/अद्यतन कराना /अवगत कराना।

सत्र अवधि : एक दिन

समय	विषय/शीर्षक	उपप्रसंग/प्रमुख शिक्षण बिंदु	तरीके/सामग्री	उपकरण/ साधन
प्रातः 08.30 बजे – प्रातः 09.00 बजे	पंजीकरण	स्वागत	संसाधन किट (रिसॉर्स किट)	पंजीकरण फॉर्म, प्रशिक्षण – पूर्व प्रश्नावलियां आदि।
प्रातः 09.00 बजे – प्रातः 09.15 बजे	स्वागत एवं उद्घाटन उद्बोधन	मुख्य उद्देश्य, प्रचालन–तंत्र (लॉजिस्टिक्स) गृह अनुरक्षण/रख–रखाव व्यवस्थाएं आदि	पाठ्यक्रम (कोर्स) निदेशक, मददगार द्वारा प्रतिनिधियों का स्वागत।	
प्रातः 09.15 बजे– प्रातः 09.45 बजे	स्वयं का परिचय और कार्यक्रम का परिचय, कार्यसूची (एजेंडा) बनाना	एक दूसरे को समझना, कार्यक्रम को समझना, अपेक्षाओं को आपस में बांटना और दिन की कार्यसूची पर सहमति बनाना	प्रस्तुतीकरण (प्रेजेंटेशन), आपस में चर्चा	कार्यक्रम सूची/तालिका, पेपर शीट, ओएचपी, एलसीडी
प्रातः 09.45 बजे– प्रातः 10.30 बजे	भारत में आपदा प्रबंधन पद्धतियों में नवीनतम विकास – आदर्श बदलाव (पेराडाइम शिफ्ट), नीतियां तथा नए दृष्टिकोण, मुख्य मुद्दे	पारंपरिक आदर्श बदलाव (कनवेन्शल पेराडाइम), प्रमुख परिप्रेक्ष्य, नीतियां एवं वैकल्पिक दृष्टिकोण, आपदा प्रबंधन तंत्र एवं संस्थाएं, आपदा प्रबंधन कार्य योजनाएं तथा मार्गदर्शी सिद्धांत	हैंडआउट्स, स्लाइड शो, व्याख्यान (लेक्चर) – सह–परिचर्चा, सह–सुविधा	ओएचपी, एलसीडी, श्रव्य–दृश्य (ऑडियो–विज़्युअल) उपकरण, वरिष्ठ तथा अनुभवी भागीदार या एनसीडीसी / एनडीएम संकाय (फैक्ल्टी) द्वारा सह–मदद की जाए।

अनुबंध

समय	विषय/शीर्षक	उपप्रसंग/प्रमुख शिक्षण बिंदु	तरीके/सामग्री	उपकरण/ साधन
प्रातः 10.30 बजे– प्रातः 11.30 बजे	अंतरराष्ट्रीय प्रयास और प्रतिबद्धताएं, नीतियां एवं कार्य योजनाएं, घटना प्रतिक्रिया प्रणाली (आईआरएस) मानवीय चार्टर आदि। आपदा कल्पना (इमेजरी), रूढ़ तथा संबंधी विषय (एथिक्स)	प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण के लिए अंतरराष्ट्रीय दशक (आईडीएनडीआर), आपदाओं पर संयुक्त राष्ट्र संघ का संकल्प। सावर्जनिक निजी भागीदारी पर अंतरराष्ट्रीय आपदा प्रबंधन सम्मेलन (कॉन्फ्रेंस), आपदा न्यूनीकरण पर जेनेवा अधिदेश। दक्षिण एशिया में आपदाएं – असर, मुद्दे एवं देश परिचय (प्रोफाइल), आपदा कार्रवाई के न्यूनतम मानदंड, घटना प्रतिक्रिया प्रणाली (आईआरएस) के विभिन्न पहलू	हैंडआउट्स, स्लाइड शो	ओएचपी, एलसीडी, श्रव्य–दृश्य (ऑडियो–विज़्युअल) उपकरण
प्रातः 11.30 बजे – प्रातः 11.45 बजे	हेल्थ ब्रेक			
प्रातः 11.45 बजे – दोपहरः 01.00 बजे	नागरिक सुरक्षा (सीडी) के लिए परिकल्पित नई भूमिकाएं एवं चुनौतियां, कार्यान्वयन मुद्दे	नागरिक सुरक्षा (सीडी) अधिनियम एवं संरचनाएं, नई भूमिकाओं एवं जिम्मेदारियों की पुनरीक्षा, उच्च अधिकार प्राप्त समिति (एचपीसी) की सिफारिशें, नागरिक सुरक्षा (सीडी) सेवाओं की पुनसंरचना, नई भूमिकाएं, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण	हैंडआउट्स, स्लाइड शो I. हैंडआउट – मौजूदा नागरिक सुरक्षा (सीडी) सेवाएं एवं बढ़े हुए/उन्नत प्रोफाइल के साथ बनाए रखी जाने वाली सेवाएं (पृ 26, 31), 16	ओएचपी, एलसीडी, श्रव्य–दृश्य (ऑडियो–विज़्युअल) उपकरण
दोपहरः 01.00 बजे – दोपहरः 02.00 बजे	भोजनावकाश (लंच ब्रेक)			
दोपहरः 02.00 बजे – दोपहरः 02.45 बजे	नागरिक समाज की सेवाएं लेना, युवा स्वयंसेवकों के संगठनों (ओवाईवी) को शामिल करना, स्वयंसेवा की भावना, स्वयंसेवा संबंधी प्रबंधन की चुनौतियां।	नागरिक समाज के कार्यों, युवा स्वयंसेवी संगठन, संबंध निर्माण, तालमेल, आपदा प्रबंधन में गैर–राज्यीय एजेंसियों की भूमिका, उनका ज्ञान एवं अनुभव आधार तथा आपदा प्रशमन में योगदान, सार्वजनिक–निजी रूपरेखा (फ्रेमवर्क), जन–जागरुकता व शिक्षा, आदि को समझना	सह–सुविधा, विचारोत्तेजक सत्र	ओएचपी, एलसीडी, श्रव्य–दृश्य (ऑडियो–विज़्युअल) उपकरण

समय	विषय/शीर्षक	उपप्रसंग/प्रमुख शिक्षण बिंदु	तरीके/सामग्री	उपकरण/ साधन
दोपहरः 02.45 बजे – दोपहरः 03.30 बजे	असुरक्षितता एवं विशेष समूहों पर संबोधित करना, जोखिम आकलन एवं जोखिम प्रबंधन के तत्व, जोखिम प्रशमन योजना	असुरक्षितता, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनैतिक पहलुओं, वर्ग, जाति, जातीयता, लिंग, महिलाओं, बच्चों एवं युवकों, वयोवृद्धों, विकलांगों एवं गरीब को स्पष्ट करना, जोखिम या घटना के बारे में मूलभूत जानकारी, उसके स्वरूप, प्रबलता, बारम्बारता, परिणामों, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित वातावरण की असुरक्षितता, प्रौद्योगिकी एवं व्यवहार जिससे जोखिम कम होते हैं, की पहचान को परिभाषित करना।	परिचर्चा, विचारोत्तेजक सत्र, हैंडआउट्स– गरीबी एवं आपदा पर प्रकरण अध्ययन (केस स्टडी) (पृष्ठ 20)	श्रव्य–दृश्य (ऑडियो – विज़्युअल) उपकरण
दोपहरः 03.30 बजे – दोपहरः 03.45 बजे	हेल्थ ब्रेक			
दोपहरः 03.45 बजे – सायंः 04.30 बजे	हितधारक (स्टेक होल्डर) समन्वयन	संबंध कड़ियां (लिंकेज्स्) एवं नेटवर्किंग, आपदा कार्रवाई में प्रमुख असंबद्धताएं	सह–सुविधा, पैनल, सेमिनार, परिचर्चा	ओएचपी, एलसीडी
सायंः 04.30 बजे – सायंः 05.15 बजे	आपदाओं से जूझना – सीखे गए सबक, भविष्य के लिए योजना	सुरक्षित भावी नीति के संबंध में कार्रवाई करने हेतु विचार, कार्यक्रम से संबंधित चुनौतियां, नागरिक सुरक्षा (सीडी) तथा अन्य हितधारकों का क्षमता निर्माण, प्रमुख आपदाओं से सीखे गए सबक, पूर्व चेतावनी पद्धति, प्रशमन और जोखिम न्यूनीकरण के संबंध में नवीनतम विकास	विचारोत्तेजक सत्र	फ्लिप चार्ट, मार्कर ड्राइंग शीट, स्कैच पैन
सायंः 05.15 बजे – सायंः 05.30 बजे	मूल्यांकन, सार प्रस्तुत (समिंग अप) करना	पाठ्यक्रम (कोर्स) मूल्यांकन, नई चुनौतियों के लिए उचित कार्रवाइयां विकसित करना	समापन, उपसंहार सत्र	

मददगार के लिए टिप्पणीः *कृपया नोट करें कि यह लचीला (परिवर्तनशील) डिजाइन है। नए महत्वपूर्ण मुद्दों को समय–समय पर जोड़ा जा सकता है। केवल राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों को ही संसाधन उपलब्धकर्ता व्यक्तियों (रिसॉर्स पर्सन) के रूप में चुना जाए।*

अनुबंध

अनुबंध – I (ख)

वरिष्ठ और मध्यम स्तर के अधिकारियों और प्रशिक्षकों सहित प्रमुख कार्यक्रम कार्मिक

उद्देश्यः नागरिक सुरक्षा संगठन, होम गार्डों, तथा अन्य सहयोगी संगठनों के मध्यम स्तर के अधिकारियों को आपदाओं के विभिन्न पहलुओं तथा प्रकारों, उनके प्रबंधन, तैयारी, दृष्टिकोणों तथा रणनीतियों, क्षमता निर्माण के तरीकों तथा प्रयासों, ज्ञान तथा आपदा के संदर्भ में प्रशिक्षण के तरीकों का प्रयोग, मास्टर प्रशिक्षकों के रूप में कार्य करने की दक्षता एवं क्षमता के बारे में अनुकूलन।

सत्र अवधि : सात दिन

समय	विषय/शीर्षक	उपप्रसंग/प्रमुख शिक्षण बिंदु	तरीके/सामग्री	उपकरण/ साधन
दिन–I				
प्रातः 09.00 बजे – प्रातः 09.30 बजे	पंजीकरण	संसाधन किट (रिसॉर्स किट), प्रतिनिधियों का स्वागत		पंजीकरण फार्म, प्रशिक्षण–पूर्व मूल्यांकन प्रश्नावलियां
प्रातः 09.30 बजे – प्रातः 10.00 बजे	स्वागत एवं उद्घाटन उद्बोधन	मुख्य उद्देश्य, प्रचालन–तंत्र (लॉजिस्टिक्स) गृह अनुरक्षण /रख–रखाव व्यवस्थाएं, आदि	पाठ्यक्रम (कोर्स) निदेशक, मददगार द्वारा प्रतिनिधियों का स्वागत।	
प्रातः 10.00 बजे– प्रातः 11.00 बजे	आरंभ करना/तैयार करना, चुप्पी तोड़ना और भागीदारों द्वारा स्वयं परिचय देना	एक दूसरे को समझना	जोड़े बनाना/राय एकत्रित करना /इंटरव्यू लेना	चिट्स, फ्लैश कार्ड
प्रातः 11.00 बजे– प्रातः 11.15 बजे	हेल्थ ब्रेक			
प्रातः 11.15 बजे– प्रातः 11.45 बजे	अपेक्षाओं को आपस में बांटना	कार्यक्रम को समझना, अपेक्षाओं को आपस में बांटना	प्रतिक्रियाएं एकत्रित करना, समूह चर्चा तथा प्रस्तुतीकरण	फ्लिप चार्ट, ड्राइंग शीट/मार्कर
प्रातः 11.45 बजे– प्रातः 12.00 बजे	प्रशिक्षण के लिए आधारभूत नियम बनाना, दिन के लिए रिपोर्टर का चयन	सहमति बनाना	मददगार द्वारा संयत पारस्परिक चर्चा	फ्लिप चार्ट, मार्कर

समय	विषय/शीर्षक	उपप्रसंग/प्रमुख शिक्षण बिंदु	तरीके/सामग्री	उपकरण/ साधन
प्रातः 12.00 बजे– प्रातः 01.00 बजे	आपदा क्या है–परिभाषा एवं वाद–विवाद, अवधारणा स्पष्टीकरण	विभिन्न संकल्पनाएं, आपदा शब्दावली एवं शब्द/पद, प्रकार, आपदा की अवस्था एवं चरण	क्विज, ज्ञान एवं अवधारणा का मूल्यांकन, परिचर्चा	फ्लिप चार्ट, मार्कर, प्रश्नोत्तरी (क्विज) के लिए प्रश्न
दोपहरः 01.00 बजे– दोपहरः 02.00 बजे	भोजनावकाश (लंच ब्रेक)			
दोपहरः 02.00 बजे– दोपहरः 03.30 बजे	आपदा–कारण, लक्षण एवं परिणाम	कारकों का विश्लेषण, जोखिम, असुरक्षितताएं, क्षमताएं एवं जोखिम	घटना/प्रकरण अध्ययन (केस स्टडी) को आपस में बांटना	वीडियो, सीडी, हैंडआउट्स
दोपहरः 03.30 बजे– दोपहरः 03.45 बजे	हेल्थ ब्रेक			
दोपहरः 03.45 बजे– सायंः 04.45 बजे	आपदा–विकास संपर्क कड़ियां (लिंकेज)	विकास क्या है, आपदाओं का आर्थिक एवं सामाजिक प्रभाव, आपदाओं के कारण नुकसान और आपदा द्वारा प्रभावित लोग	आपस में अनुभव बांटना/ समूह कार्य	ओएचपी, पीपीपी हैंडआउट्स
सायंः 04.45 बजे– सायंः 05.00 बजे	आपदा में लिंग आधारित मुद्दे एवं अन्य विशेष समूह	विशेष समूह : महिलाएं, बच्चे, वयोवृद्ध, वृद्ध, अन्यथा समर्थ आदि	आपस में अनुभव बांटना/ समूह कार्य	फ्लिप चार्ट, स्केच पैन, स्वैलो टेप
दिन–II				
प्रातः 09.00 बजे – प्रातः 09.30 बजे	दिन–I की प्रस्तुति के सार को दोहराना, दिन के लिए रिपोर्टर का चयन			
प्रातः 09.30 बजे – प्रातः 11.00 बजे	आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रयास	राष्ट्रीय आपदा नीति, आईडीएनडीआर, एचएफए, आपदा संचार/संप्रेषण पर टामपेरे घोषणा निजी एवं सार्वजनिक भागीदारी पर अंतरराष्ट्रीय आपदा प्रबंधन सम्मेलन, जेनेवा अधिदेश	प्रस्तुतीकरण (प्रेजेंटेशन) एवं परिचर्चा	फ्लिप चार्ट, मार्कर, हैंडआउट्स, मानचित्र (नक्शे), बोर्ड
प्रातः 11.00 बजे– प्रातः 11.30 बजे	हेल्थ ब्रेक			

अनुबंध

अनुबंध

समय	विषय/शीर्षक	उपप्रसंग/प्रमुख शिक्षण बिंदु	तरीके/सामग्री	उपकरण/ साधन
प्रातः 11.30 बजे– दोपहरः 01.00 बजे	आपदा संचार/संप्रेषण	सूचना, संचार एवं पूर्व चेतावनी प्रणाली	आपस में अनुभव बांटना/ समूह कार्य	फ्लिप चार्ट, मार्कर, हैंडआउट्स, मानचित्र (नक्शे), बोर्ड
दोपहरः 01.00 बजे– दोपहरः 02.00 बजे	भोजनावकाश (लंच ब्रेक)			
दोपहरः 02.00 बजे– दोपहरः 03.30 बजे	आपदा प्रबंधन	आपदा प्रबंधन चक्र (कार्रवाई, पुनर्वास कार्य, बचाव, पुनर्निर्माण, प्रशमन, तैयारी) जोखिम आकलन एवं प्रबंधन	समस्या केंद्रित एवं समकक्ष–आलोचना तकनीक	फ्लिप चार्ट, मार्कर
दोपहरः 03.30 बजे– दोपहरः 04.00 बजे	हेल्थ ब्रेक			
दोपहरः 04.00 बजे– सायंः 05.30 बजे	समुदाय आधारित आपदा तैयारी (सीबीडीपी)	समुदाय आधारित आपदा तैयारी क्या है, समुदाय क्यों महत्वपूर्ण है, सीबीडीपी की दिक्कतें एवं सीमाएं, स्थानीय मुकाबला करने के तंत्र को सुदृढ़ बनाना, टीम निर्माण, सुरक्षा प्रक्रिया, क्या करें और क्या न करें, सीखे गए सबक, आदि	भूमिका निभाना (रोल प्ले), कवायद अभ्यास (मॉक ड्रिल्स), समूह कार्य	फ्लिप चार्ट, मार्कर, हैंडआउट, चार्ट, मानचित्र (नक्शे), बोर्ड
दिन–III				
प्रातः 09.00 बजे – प्रातः 09.30 बजे	दिन–II की प्रस्तुति के सार को दोहराना, दिन के लिए रिपोर्टर का चयन			
प्रातः 09.30 बजे– प्रातः 11.00 बजे	बाढ़ एवं अन्य जल से संबंधित आपदा	परिभाषाएं, प्रकार (आकस्मिक बाढ़, नदी बाढ़, लवणयुक्त बाढ़, रुकाव, कुप्रबंध के कारण बाढ़ आदि)– कारण एवं असर	आपस में अनुभव बांटना/ समूह कार्य	फ्लिप चार्ट, मार्कर, हैंडआउट, मानचित्र (नक्शे), बोर्ड
प्रातः 11.00 बजे– प्रातः 11.30 बजे	हेल्थ ब्रेक			

समय	विषय/शीर्षक	उपप्रसंग/प्रमुख शिक्षण बिंदु	तरीके/सामग्री	उपकरण/ साधन
प्रातः 11.30 बजे– दोपहरः 01.00 बजे	चक्रवात (साइक्लोन) एवं अन्य वायु संबंधित आपदाएं	परिभाषाएं, प्रकार (आंधी, बवंडर (टोरनाडो), तूफान (हॅरिकॅन) /प्रचंड तूफ़ान (टाइफून), लू एवं ग्रीष्म एवं शीत लहरें, आदि) कारण एवं प्रभाव	आपस में अनुभव बांटना / समूह कार्य, अभ्यास	फ्लिप चार्ट, मार्कर, हैंडआउट्स, मानचित्र (नक्शे), बोर्ड
दोपहरः 01.00 बजे– दोपहरः 02.00 बजे	भोजनावकाश (लंच ब्रेक)			
दोपहरः 02.00 बजे– दोपहरः 03.30 बजे	भूकम्प एवं अन्य भू से संबंधित आपदाएं	परिभाषाएं, प्रकार (सुनामी, भू–स्खलन, हिम–स्खलन, आदि) कारण एवं प्रभाव	आपस में अनुभव बांटना/ समूह कार्य/अभ्यास	फ्लिप चार्ट, मार्कर, हैंडआउट्स, मानचित्र (नक्शे), बोर्ड
दोपहरः 03.30 बजे– दोपहरः 04.00 बजे	हेल्थ ब्रेक			
दोपहरः 04.00 बजे– सायंः 05.30 बजे	सूखा एवं अकाल, अन्य फसल से संबंधित आपदाएं	परिभाषाएं, प्रकार (अकाल, महामारी, कीट आक्रमण, आदि) कारण एवं प्रभाव	आपस में अनुभव बांटना/ समूह कार्य/अभ्यास	फ्लिप चार्ट, मार्कर, हैंडआउट, चार्ट, मानचित्र (नक्शे), बोर्ड
दिन–IV				
प्रातः 09.00 बजे– प्रातः 09.30 बजे	दिन– III की प्रस्तुति के सार को दोहराना, दिन के लिए रिपोर्टर का चयन			
प्रातः 09.30 बजे – प्रातः 11.00 बजे	उपद्रव, हिंसा तथा अन्य संघर्ष संबंधित आपदाएं	परिभाषाएं, प्रकार (सजातीय/नस्ली उपद्रव, राजनैतिक उपद्रव, युद्ध, आदि) कारण एवं प्रभाव, क्या करें और क्या न करें	आपस में अनुभव बांटना /समूह कार्य/नकल/ अनुकरण, खेल, प्रकरण अध्ययन (केस स्टडी)	फ्लिप चार्ट, मार्कर, हैंडआउट्स, चार्ट, मानचित्र (नक्शे), बोर्ड
प्रातः 11.00 बजे– प्रातः 11.30 बजे	हेल्थ ब्रेक			

अनुबंध

अनुबंध

समय	विषय/शीर्षक	उपप्रसंग/प्रमुख शिक्षण बिंदु	तरीके/सामग्री	उपकरण/ साधन
प्रातः 11.30 बजे– दोपहरः 01.00 बजे	दुर्घटना एवं भगदड़	परिभाषाएं, प्रकार (सड़क, रेल, हवाई जहाज, रासायनिक एवं औद्योगिक, आदि) भगदड़ – कारण एवं प्रभाव, क्या करें तथा क्या न करें	आपस में अनुभव बांटना/ समूह कार्य	फ्लिप चार्ट, मार्कर, हैंडआउट्स, मानचित्र (नक्शे), बोर्ड
दोपहरः 01.00 बजे– दोपहरः 02.00 बजे	भोजनावकाश (लंच ब्रेक)			
दोपहरः 02.00 बजे– दोपहरः 03.30 बजे	आग तथा अन्य संबंधित आपदाएं	परिभाषाएं, प्रकार (वन आग, गांव आग, ऊंची इमारतों में आग, भीड़–भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों में आग, आदि) कारण एवं प्रभाव, क्या करें और क्या न करें	आपस में अनुभव बांटना/ समूह कार्य	फ्लिप चार्ट, मार्कर, हैंडआउट्स, मानचित्र (नक्शे), बोर्ड
दोपहरः 03.30 बजे– दोपहरः 04.00 बजे	हेल्थ ब्रेक			
दोपहरः 04.00 बजे– सायंः 05.30 बजे	चुनौतियों एवं उपयुक्त रणनीतियों पर विचारोत्तेजक सत्र	मानव जनित एवं प्राकृतिक दोनों प्रकार की आपदाओं से संबंधित विभिन्न चुनौतियों की पहचान, उपयुक्त रणनीतियां विकसित करना	आपस में अनुभव बांटना/ चार समूहों में समूह कार्य, चुनौतियों को पहचानने के लिए दो समूह (1 हैंडआउट्स, चार्ट, मानचित्र (नक्शे), बोर्ड मानव जनित के लिए और दूसरा समूह प्राकृतिक आपदाओं हेतु) तथा संभावित चुनौतियों पर कार्रवाई करने के लिए रणनीति विकसित करने हेतु 2 समूह	फ्लिप चार्ट, मार्कर
दिन–V				
प्रातः 09.00 बजे – प्रातः 09.30 बजे	दिन–**IV** की प्रस्तुति के सार को दोहराना, दिन के लिए रिपोर्टर का चयन			

समय	विषय/शीर्षक	उपप्रसंग/प्रमुख शिक्षण बिंदु	तरीके/सामग्री	उपकरण/ साधन
प्रातः 09.30 बजे– दोपहरः 11.00 बजे	आपदा के प्रभावों का आकलन करने के लिए क्षेत्र का दौरा और हालात से निपटने के लिए कार्य योजना बनाना	स्थिति का आकलन, वीसीए, चुनौतियों की पहचान, क्षति होने पर सूचना एकत्रित करना, जानकारी की प्रति–जांच, आवश्यकता का आकलन तथा रिपोर्टिंग, संसाधनों का स्त्रोत एवं बजट बनाना	साक्षात्कार (इंटरव्यू) आंकड़े एकत्रित करना, प्रति जांच, पीआरए, समूह कार्य	फ्लिप चार्ट, मार्कर
प्रातः 11.00 बजे– प्रातः 11.30 बजे	हेल्थ ब्रेक			
प्रातः 11.30 बजे– दोपहरः 01.00 बजे	क्षेत्र का दौरा जारी			
दोपहरः 01.00 बजे– दोपहरः 02.00 बजे	भोजनावकाश (लंच ब्रेक)			
दोपहरः 02.00 बजे– दोपहरः 03.30 बजे	क्षेत्र की रिपोर्ट प्रस्तुत करना	क्षेत्र के दौरों के निष्कर्ष	समूह कार्य	फ्लिप चार्ट, मार्कर
दोपहरः 03.30 बजे– दोपहरः 04.00 बजे	हेल्थ ब्रेक			
दोपहरः 04.00 बजे– सायंः 05.30 बजे	भारत में आपदा प्रबंधन संरचनाएं/ढांचें तथा संस्थाएं, आपदा प्रबंधन नीति	भारत में आपदा प्रबंधन नीति को कार्यान्वित करने के लिए विभिन्न संरचनाएं तथा पद्धतियां	व्याख्यान (लेक्चर) – सह–परिचर्चा	फ्लिप चार्ट, मार्कर
दिन–VI				
प्रातः 09.00 बजे – प्रातः 09.30 बजे	दिन–**V** की प्रस्तुति के सार को दोहराना, दिन के लिए रिपोर्टर का चयन			
प्रातः 09.30 बजे – प्रातः 11.00 बजे	आपदा प्रबंधन योजना	विकास एवं लिंग आधारित मुद्दों के साथ संबद्ध कड़ियां (लिंकेज), आकस्मिकता योजना	परिचर्चा, अभ्यास एवं समूह कार्य	फ्लिप चार्ट, मार्कर, हैंडआउट्स, मानचित्र (नक्शे), बोर्ड

अनुबंध

समय	विषय/शीर्षक	उपप्रसंग/प्रमुख शिक्षण बिंदु	तरीके/सामग्री	उपकरण/ साधन
प्रातः 11.00 बजे– प्रातः 11.30 बजे	हैल्थ ब्रेक			
प्रातः 11.30 बजे– दोपहरः 01.00 बजे	सत्र जारी	योजना के भाग के रूप में स्वयंसेवा से संबंधित प्रबंधन	चर्चा, अभ्यास एवं समूह कार्य	फ्लिप चार्ट, मार्कर, हैंडआउट्स, मानचित्र (नक्शे), बोर्ड
दोपहरः 01.00 बजे– दोपहरः 02.00 बजे	भोजनावकाश (लंच ब्रेक)			
दोपहरः 02.00 बजे– दोपहरः 03.30 बजे	नागरिक सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन	आज तक नागरिक सुरक्षा की भूमिका एवं जिम्मेदारियां, आपदा प्रबंधन को अपनाने के लिए नई उभरती हुई भूमिकाएं	संक्षिप्त विहंगावलोकन, परिचर्चा	फ्लिप चार्ट, मार्कर, हैंडआउट्स, बोर्ड
दोपहरः 03.30 बजे– दोपहरः 04.00 बजे	हेल्थ ब्रेक			
दोपहरः 04.00 बजे– सायंः 05.30 बजे	आपदा प्रबंधन के लिए कार्य योजना तैयार करना	आपदा से पूर्व, आपदा के दौरान और आपदा के पश्चात् प्रबंधन के लिए योजना	4 समूहों में समूह कार्य	फ्लिप चार्ट, मार्कर
दिन–VII				
प्रातः 09.00 बजे – प्रातः 09.30 बजे	दिन– VI की प्रस्तुति के सार को दोहराना, दिन के लिए रिपोर्टर का चयन			
प्रातः 09.30 बजे– प्रातः 11.00 बजे	प्रशिक्षण कौशल पर प्रदर्शन	भागीदारों द्वारा चुना गया कोई भी आपदा से संबंधित विषय	रोल प्ले (मददगार द्वारा निर्देशित)	प्रशिक्षुओं द्वारा यथापेक्षित फ्लिप चार्ट, मार्कर
प्रातः 11.00 बजे– प्रातः 11.30 बजे	हेल्थ ब्रेक			

समय	विषय/शीर्षक	उपप्रसंग/प्रमुख शिक्षण बिंदु	तरीके/सामग्री	उपकरण/ साधन
प्रातः 11.30 बजे– दोपहरः 01.00 बजे	सत्र जारी	प्रशिक्षण कौशल और कार्यप्रणाली पर दिए गए प्रदर्शन का मूल्यांकन एवं विश्लेषण	शिक्षण बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए परिचर्चा	
दोपहरः 01.00 बजे– दोपहरः 02.00 बजे	भोजनावकाश (लंच ब्रेक)			
दोपहरः 02.00 बजे– दोपहरः 03.30 बजे	शंकाओं का स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, प्रशिक्षण कार्यक्रम का मूल्यांकन	–––––	प्रश्न/उत्तर, मूल्यांकन शीट को भरना	–––
दोपहरः 03.30 बजे– दोपहरः 04.00 बजे	हेल्थ ब्रेक			
दोपहरः 04.00 बजे– सायंः 05.30 बजे	समापन सत्र/समापन भाषण	प्रमाणपत्र का वितरण	–––	–––

मददगार के लिए टिप्पणी : *यह सांकेतिक डिजाइन है – परिवर्तन या संशोधन स्थानीय जरूरतों के आधार पर निर्भर हैं।*

अनुबंध

अनुबंध – I (ग)

नागरिक सुरक्षा, राष्ट्रीय कैडेट कोर, नेहरू युवा केंद्र संगठन, एनएसएस, स्काउट और गाइड, रेड क्रॉस आदि के प्रमुख स्वयंसेवक

उद्देश्य: हम इसे आपदा प्रबंधन के लिए आधारभूत प्रशिक्षण भी कह सकते हैं। इसका उद्देश्य प्रमुख स्वयंसेवकों को आपदाओं की विभिन्न आवधारणाओं, पहलुओं तथा प्रकारों से अवगत कराना, भागीदारों की प्रबंधन में कुशलता/सामर्थ्य को बढ़ाना, तैयारी, दृष्टिकोण तथा रणनीतियों, क्षमता निर्माण, तरीकों तथा प्रयासों/नवाचारों तथा आपदा संदर्भ में ज्ञान प्रशिक्षण के प्रकारों का प्रयोग, उनके कौशल और क्षमताओं को बढ़ाना ताकि वे आपदा स्थितियों में प्रभावी ढंग से कार्य के सकें।

सत्र अवधि : पंद्रह दिन

समय	विषय/शीर्षक	उपप्रसंग/प्रमुख शिक्षण बिंदु	तरीके/सामग्री	उपकरण/ साधन
दिन–I				
प्रातः 09.00 बजे– प्रातः 09.30 बजे	पंजीकरण	स्वागत	संदर्भ सामग्री के साथ संसाधन किट (रिसॉर्स किट)	पंजीकरण फार्म, पाठयक्रम (कोर्स)–पूर्व मूल्यांकन प्रश्नावली
प्रातः 09.30 बजे– प्रातः 10.00 बजे	स्वागत एवं उद्घाटन उद्बोधन		कोर्स निदेशक, मददगार द्वारा प्रतिनिधियों का कार्यक्रम में स्वागत।	
प्रातः 10.00 बजे– प्रातः 11.00 बजे	चुप्पी तोड़ना एवं प्रत्येक प्रतिभागी द्वारा स्वयं परिचय देना	एक दूसरे को जानना	जोड़े बनाना, फीडबैक एकत्रित करना, साक्षात्कार लेना	पेपर, शीट, फ्लैश कार्ड
प्रातः 11.00 बजे– प्रातः 11.30 बजे	हेल्थ ब्रेक			
प्रातः 11.30 बजे– प्रातः 12.00 बजे	अपेक्षाओं को आपस में बांटना	प्रस्तावित कार्यक्रम की प्रमुख अपेक्षाओं को समझना	विचार एकत्रित करना, समूह चर्चा तथा प्रस्तुतीकरण (प्रजेंटेशन)	फ्लिप चार्ट, ड्राइंग शीट/मार्कर

समय	विषय/शीर्षक	उपप्रसंग/प्रमुख शिक्षण बिंदु	तरीके/सामग्री	उपकरण/ साधन
प्रातः 12.00 बजे– प्रातः 12.15 बजे	प्रशिक्षण के लिए आधारभूत नियम बनाना, दिन के लिए रिपोर्टर का चयन	अनुशासन सुनिश्चित करना, सहभागिता बढ़ाना, भिन्नता का सम्मान करना	पारस्परिक चर्चा, परिचर्चा, आधारभूत नियमों का चयन करना	फ्लिप चार्ट, मार्कर
प्रातः 12.15 बजे– प्रातः 01.00 बजे	आपदाओं के संबंध में जानकारी एवं अवधारणा का मूल्यांकन	उनके ज्ञान एवं समझ के आधार पर आपदाओं की पहचान	समाचार–पत्र तथा मीडिया से आपदा से संबंधित घटनाओं को चयनित करने के लिए समूह कार्य, स्टोरी स्वयं को समझना	विभिन्न तारीखों के समाचार–पत्र, ड्राइंग शीट, स्कैच पैन, फ्लिप चार्ट, मार्कर
दोपहरः 01.00 बजे– दोपहरः 02.00 बजे	भोजनावकाश (लंच ब्रेक)			
दोपहरः 02.00 बजे– दोपहरः 03.30 बजे	भोजनावकाश से पूर्व के समूह कार्य का प्रस्तुतीकरण	आपदाओं के संबंध में समूह ज्ञान (लर्निंग)	समुह प्रस्तुतीकरण (ग्रुप प्रेजेंटेशन), ज्ञान एवं अवधारणाओं का मूल्यांकन, चर्चा	फ्लिप चार्ट, मार्कर
दोपहरः 03.30 बजे– दोपहरः 04.00 बजे	हेल्थ ब्रेक			
दोपहरः 04.00 बजे– सायंः 05.30 बजे	भारत में आपदा परिदृश्य, अंतरराष्ट्रीय प्रयास	संक्षिप्त इतिहास, कालक्रमानुसार घटनाएं	सूचना निविष्टि	पीपीपी हैंडआउट्स
दिन–II				
प्रातः 09.00 बजे– प्रातः 09.30 बजे	दिन–I की प्रस्तुति के सार को दोहराना, दिन के लिए रिपोर्टर का चयन	सीखे गए का मूल्यांकन करना और नए ज्ञान से संबद्ध करना		
प्रातः 09.30 बजे– प्रातः 11.00 बजे	नागरिक सुरक्षा	यह क्या है, इसके लक्ष्य, उद्देश्य, प्रयोजन, कार्य	व्याख्यान (लेक्चर), परिचर्चा	पीपीपी हैंडआउट्स

अनुबंध

अनुबंध

समय	विषय/शीर्षक	उपप्रसंग/प्रमुख शिक्षण बिंदु	तरीके/सामग्री	उपकरण/ साधन
प्रातः 11.00 बजे– प्रातः 11.30 बजे	हैल्थ ब्रेक			
प्रातः 11.30 बजे– दोपहरः 01.00 बजे	नागरिक सुरक्षा	नागरिक सुरक्षा अधिनियम, संगठन, ढांचे, सीमाएं	व्याख्यान (लेक्चर)	फ्लिप चार्ट, मार्कर, हैंडआउट्स, बोर्ड
दोपहरः 01.00 बजे– दोपहरः 02.00 बजे	भोजनावकाश (लंच ब्रेक)			
दोपहरः 02.00 बजे– दोपहरः 03.30 बजे	नागरिक सुरक्षा	भूमिका एवं उत्तरदायित्व, सीडी संगठनों की पुनर्व्यवस्था, उच्चाधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशें, नई भूमिकाएं	व्याख्यान (लेक्चर), परिचर्चा	फ्लिप चार्ट, मार्कर, हैंडआउट्स, बोर्ड
दोपहरः 03.30 बजे– दोपहरः 04.00 बजे	हेल्थ ब्रेक			
दोपहरः 04.00 बजे– सायंः 05.30 बजे	नागरिक सुरक्षा एवं अन्य सहायक संगठन, गैर–सरकारी संगठन, नागरिक समाज समन्वयन	स्वयंसेवा की भावना को प्रोत्साहित करना, अन्य सहायक संगठन के साथ संबंध जोड़ना, स्वयंसेवा संबंधी प्रबंधन रणनीतियां, नेतृत्व एवं प्रोत्साहन युवा संगठनों की भूमिका, नेटवर्किंग एवं संबंध बनाना		फ्लिप चार्ट, मार्कर, हैंडआउट्स, बोर्ड
सायंः 07.00 बजे– सायंः 09.00 बजे	समूह नेतृत्व पर श्रव्य–दृश्य (ऑडियो विज्युअल) /डाक्युमेंटरी, आपदा परिभाषा, आदि	–––	वीडियो शो	वीसीडी, सीडी, आदि
दिन–III				
प्रातः 09.00 बजे – प्रातः 09.30 बजे	दिन–II की प्रस्तुति के सार को दोहराना, दिन के लिए रिपोर्टर का चयन			

समय	विषय/शीर्षक	उपप्रसंग/प्रमुख शिक्षण बिंदु	तरीके/सामग्री	उपकरण/ साधन
प्रातः 09.30 बजे– प्रातः 11.00 बजे	सभी आपदा के बारे में	आपदा के लक्षण, अर्थ एवं परिभाषाएं, आपदा शब्दावली, आपदाओं के प्रकार, लक्षण, कारण एवं प्रभाव	प्रश्नोत्तरी (क्विज) परिचर्चा, आपसी चर्चा	फ्लिप चार्ट, मार्कर, हैंडआउट्स, बोर्ड
प्रातः 11.00 बजे– प्रातः 11.30 बजे	हेल्थ ब्रेक			
प्रातः 11.30 बजे– दोपहरः 01.00 बजे	आपदा एवं विकास	दोनों को संबद्ध करना	विचारोत्तेजक चर्चा व्याख्यान	पीपीपी हैंडआउट्स
दोपहरः 01.00 बजे– दोपहरः 02.00 बजे	भोजनावकाश (लंच ब्रेक)			
दोपहरः 02.00 बजे– दोपहरः 03.30 बजे	आपदा प्रबंधन में विशेष मुद्दे	वृद्ध, महिलाएं, बच्चे, विकलांग व्यक्ति	समूह के अभिमत एकत्रित करना, चर्चा	सफेद बोर्ड, मार्कर
दोपहरः 03.30 बजे– दोपहरः 04.00 बजे	हेल्थ ब्रेक			
दोपहरः 04.00 बजे– सायंः 05.30 बजे	विभिन्न असुरिक्षत समूहों पर आपदा प्रबंधन का प्रभाव / असर (दी गई स्थिति में)	वृद्ध, महिलाओं, बच्चों, विकलांग व्यक्तियों पर प्रभाव	छोटे समूह की गतिविधियां	फ्लिप चार्ट, मार्कर,
सायंः 07.00 बजे– रात्रिः 09.00 बजे	ऑडियो–विज्युअल शो/ आपदा के असर पर डाक्युमेंटरी	––	वीडियो शो	वीसीडी, सीडी आदि
दिन–IV				
प्रातः 09.00 बजे – प्रातः 09.30 बजे	दिन– III की प्रस्तुति के सार को दोहराना, दिन के लिए रिपोर्टर का चयन			

अनुबंध

अनुबंध

समय	विषय/शीर्षक	उपप्रसंग/प्रमुख शिक्षण बिंदु	तरीके/सामग्री	उपकरण/ साधन
प्रातः 09.30 बजे – प्रातः 11.00 बजे	आपदा प्रबंधन योजना	आपदा प्रबंधन चक्र, विकास से संबद्ध करना	आपस में अनुभव बांटना/ समूह कार्य	फ्लिप चार्ट, मार्कर, हैंडआउट्स, मानचित्र (नक्शे), बोर्ड
प्रातः 11.00 बजे– प्रातः 11.30 बजे	हेल्थ ब्रेक			
प्रातः 11.30 बजे– दोपहरः 01.00 बजे	सत्र जारी	आकस्मिक योजना, स्वयंसेवक से संबंधित प्रबंधन, लिंग संबंधी मुद्दे	आपस में अनुभव बांटना/ समूह कार्य	फ्लिप चार्ट, मार्कर, हैंडआउट्स, चार्ट, मानचित्र (नक्शे), बोर्ड
दोपहरः 01.00 बजे– दोपहरः 02.00 बजे	भोजनावकाश (लंच ब्रेक)			
दोपहरः 02.00 बजे– दोपहरः 03.30 बजे	आपदा प्रबंधन कार्रवाई/ प्रतिक्रिया	पूर्व–चेतावनी, आकलन, खोज एवं बचाव, प्रथमोपचार, शरण/आश्रय, खोज एवं राहत प्रबंधन, समन्वय, टीमवर्क, रिपोर्टिंग आदि।	आपस में अनुभव बांटना/ समूह कार्य/अभ्यास	फ्लिप चार्ट, मार्कर, हैंडआउट्स, मानचित्र (नक्शे), बोर्ड
दोपहरः 03.30 बजे– दोपहरः 04.00 बजे	हेल्थ ब्रेक			
दोपहरः 04.00 बजे– सायंः 05.30 बजे	आपदा मूल्यांकन	जोखिम, खतरा, असुरक्षितता, क्षमता, जोखिम प्रबंधन, राहत मुद्दे	आपस में अनुभव बांटना/ समूह कार्य	फ्लिप चार्ट, मार्कर, हैंडआउट्स, मानचित्र (नक्शे), बोर्ड
सायंः 07.00 बजे सायंः 09.00 बजे	आपदा–पश्चात् स्थितियों में समुदाय सहभागिता पर श्रव्य–दृश्य (ऑडियो –विज्युअल)/डॉक्युमेंटरी	समूह ज्ञान	वीडियो शो	वीसीडी, सीडी, आदि
दिन–V				
प्रातः 09.00 बजे – प्रातः 09.30 बजे	दिन–IV की प्रस्तुति के सार को दोहराना			

समय	विषय/शीर्षक	उपप्रसंग/प्रमुख शिक्षण बिंदु	तरीके/सामग्री	उपकरण/ साधन
प्रातः 09.30 बजे – प्रातः 11.00 बजे	खोज एवं बचाव पर अभ्यासिक (प्रैक्टिकल) सत्र	रस्सियों का प्रयोग, उपकरणों, रस्सी और छड़ी की वैकल्पिक व्यवस्था	अभ्यासिक (प्रैक्टिकल)	रस्सियां, विभिन्न आकार की छड़ियां (स्टिक्स)
प्रातः 11.00 बजे– प्रातः 11.30 बजे	हेल्थ ब्रेक			
प्रातः 11.30 बजे– दोपहरः 01.00 बजे	जारी ...	जारी ...		
दोपहरः 01.00 बजे– दोपहरः 02.00 बजे	भोजनावकाश (लंच ब्रेक)			
दोपहरः 02.00 बजे– दोपहरः 03.30 बजे	जारी ...	जल में खोज एवं बचाव, वन, घनी आग, ऊंची इमारतें, गहरे कुएं, खानें, पेड़, असुरक्षित एवं जोखिम वाले स्थान	अभ्यासिक (प्रैक्टिकल)	
दोपहरः 03.30 बजे– दोपहरः 04.00 बजे	हेल्थ ब्रेक			
दोपहरः 04.00 बजे– सायंः 05.30 बजे	प्रतिभागियों द्वारा प्रदर्शन	जारी ...		
सायंः 07.00 बजे– सायंः 09.00 बजे	खोज एवं बचाव तरीकों पर सिनेमा/डॉक्युमेंटरी	...	वीडियो शो	वीसीडी, सीडी, आदि
दिन–VI				
प्रातः 09.00 बजे – प्रातः 09.30 बजे	दिन–V की प्रस्तुति के सार को दोहराना			
प्रातः 09.30 बजे– प्रातः 11.00 बजे	आपदा प्रथमोपचार की बुनियादी जानकारी	प्रथमोपचार क्या है, प्रथमोपचार के सिद्धांत, प्रथमोपचारक की विशेषताएं	व्याख्यान–सह–परिचर्चा	पीपीपी हैंडआउट्स

अनुबंध

अनुबंध

समय	विषय/शीर्षक	उपप्रसंग/प्रमुख शिक्षण बिंदु	तरीके/सामग्री	उपकरण/ साधन
प्रातः 11.00 बजे– प्रातः 11.30 बजे	हेल्थ ब्रेक			
प्रातः 11.30 बजे– दोपहरः 01.00 बजे	सत्र जारी ...	मानव शरीर के ढांचे को समझना	प्रदर्शन	मानचित्र (नक्शे), चित्र, अस्थि पंजर (स्केलटन)
दोपहरः 01.00 बजे– दोपहरः 02.00 बजे	भोजनावकाश (लंच ब्रेक)			
दोपहरः 02.00 बजे– दोपहरः 03.30 बजे	सत्र जारी ...	जख्मों पर कार्रवाई करना, खून बहना, फ्रैक्चर, विषाक्तता, डूबना आदि	अभ्यासिक (प्रैक्टिकल)	बैंडेज, गेज, रूई आदि
दोपहरः 03.30 बजे– दोपहरः 04.00 बजे	हेल्थ ब्रेक			
दोपहरः 04.00 बजे– सायंः 05.30 बजे	सत्र जारी ...	कार्डियो–पल्मोनरी रिससिटेशन (सीपीआर) कृत्रिम श्वसन	अभ्यासिक (प्रैक्टिकल)	वीसीडी, सीडी आदि
सायंः 07.00 बजे– सायंः 09.00 बजे	प्रथमोपचार उपकरणों के प्रयोग पर सिनेमा/ डॉक्यूमेंटरी	––	वीडियो शो	वीसीडी, सीडी आदि
दिन–VII				
प्रातः 09.00 बजे – प्रातः 09.30 बजे	दिन–VI की प्रस्तुति के सार को दोहराना			
प्रातः 09.30 बजे– प्रातः 11.00 बजे	बाढ़–स्वरुप एवं विशेषताएं	परिभाषा, कारण एवं प्रभाव	आपस में अनुभव बांटना/ समूह कार्य	फ्लिप चार्ट, मार्कर, हैंडआउट्स, चार्ट, मानचित्र (नक्शे), बोर्ड
प्रातः 11.00 बजे– प्रातः 11.30 बजे	हेल्थ ब्रेक			

समय	विषय/शीर्षक	उपप्रसंग/प्रमुख शिक्षण बिंदु	तरीके/सामग्री	उपकरण/ साधन
प्रातः 11.30 बजे– दोपहरः 01.00 बजे	बाढ़ के प्रकार	आकस्मिक बाढ, नदी बाढ़, लवणीय बाढ़, शहरी बाढ़, गतिहीन/स्थिर बाढ़, प्रशमन उपाय, क्या करें तथा क्या न करें		पीपीपी
दोपहरः 01.00 बजे– दोपहरः 02.00 बजे	भोजनावकाश (लंच ब्रेक)			
दोपहरः 02.00 बजे– दोपहरः 03.30 बजे	बाढ़ के दौरान बचाव व्यवस्था/तंत्र	प्रभावी उपकरण, कुशल स्वयंसेवक, बाढ़ की योजना एवं प्रबंधन	समूह कार्यकलाप	फ्लिप चार्ट, मार्कर
दोपहरः 03.30 बजे– दोपहरः 04.00 बजे	हेल्थ ब्रेक			
दोपहरः 04.00 बजे– सायंः 05.30 बजे	सत्र जारी	क्या करें तथा क्या न करें	भूमिका निभाना (रोल प्ले)	–––
सायंः 07.00 बजे– सायंः 09.00 बजे	बाढ़ तथा उसके प्रभाव पर सिनेमा/डॉक्युमेंटरी	––	वीडियो–शो	वीसीडी, सीडी आदि
दिन–VIII				
प्रातः 09.00 बजे – प्रातः 09.30 बजे	दिन–**VII** की प्रस्तुति के सार को दोहराना, दिन के लिए रिपोर्टर का चयन			
प्रातः 09.30 बजे– प्रातः 11.00 बजे	चक्रवात तथा अन्य हवा से संबंधित आपदाएं	परिभाषा, प्रकार (तूफ़ान, बवंडर, अंधड़ (हरिकेन) प्रचंड तूफान, (टाइफून), लू एवं बिजली, आदि) कारण एवं प्रभाव	आपस में अनुभव बांटना/ समूह कार्य	फ्लिप चार्ट, हैंडआउट्स, चार्ट, मानचित्र (नक्शे), बोर्ड
प्रातः 11.00 बजे– प्रातः 11.30 बजे	हेल्थ ब्रेक			

अनुबंध

अनुबंध

समय	विषय/शीर्षक	उपप्रसंग/प्रमुख शिक्षण बिंदु	तरीके/सामग्री	उपकरण/ साधन
प्रातः 11.30 बजे– दोपहरः 01.00 बजे	सत्र जारी ...		आपस में अनुभव बांटना/ समूह कार्य	फ्लिप चार्ट, मार्कर, हैंडआउट्स, मानचित्र (नक्शे), बोर्ड
दोपहरः 01.00 बजे– दोपहरः 02.00 बजे	भोजनावकाश (लंच ब्रेक)			
दोपहरः 02.00 बजे– दोपहरः 03.30 बजे	चक्रवात के लिए बचाव व्यवस्था	चक्रवात की योजना एवं प्रबंधन, सीखे गए सबक, क्या करें तथा क्या न करें	आपस में अनुभव बांटना/ समूह कार्य	फ्लिप चार्ट, मार्कर, हैंडआउट्स, चार्ट, मानचित्र (नक्शे), बोर्ड
दोपहरः 03.30 बजे– दोपहरः 04.00 बजे	हेल्थ ब्रेक			
दोपहरः 04.00 बजे– सायंः 05.30 बजे	सत्र जारी ...	मानव–जनित तथा प्राकृतिक दोनों आपदाओं की विभिन्न चुनौतियों की पहचान करना, उपयुक्त रणनीतियां तैयार करना और क्या करें तथा क्या न करें, दिशानिर्देश	चार समूहों में अनुभव बांटना/समूह कार्य, दो समूह चुनौतियों को पहचानने के लिए (1 मानव –जनित तथा 2 प्राकृतिक आपदाओं के लिए) तथा 2 समूह संभावित चुनौतियों का सामना करने के लिए रणनीतियां विकसित करने हेतु	फ्लिप चार्ट, मार्कर
सायंः 07.00 बजे– सायंः 09.00 बजे	चक्रवात तथा उसके प्रभाव पर सिनेमा/डॉक्युमेंटरी	––	वीडियो शो	वीसीडी, सीडी आदि
दिन–IX				
प्रातः 09.00 बजे– प्रातः 11.00 बजे	क्षेत्र का दौरा/अध्ययन			

समय	विषय/शीर्षक	उपप्रसंग/प्रमुख शिक्षण बिंदु	तरीके/सामग्री	उपकरण/ साधन
प्रातः 11.00 बजे– प्रातः 11.30 बजे	हेल्थ ब्रेक			
प्रातः 11.30 बजे– दोपहरः 01.00 बजे	क्षेत्र का दौरा/अध्ययन जारी			
दोपहरः 01.00 बजे– दोपहरः 02.00 बजे	भोजनावकाश (लंच ब्रेक)			
दोपहरः 02.00 बजे– दोपहरः 03.30 बजे	क्षेत्र का दौरा/अध्ययन जारी			
दोपहरः 03.30 बजे– दोपहरः 04.00 बजे	हेल्थ ब्रेक			
दोपहरः 04.00 बजे– सायंः 05.30 बजे	क्षेत्र का दौरा/अध्ययन जारी			
सायंः 07.00 बजे– सायंः 09.00 बजे	क्षेत्र की रिपोर्टें तैयार करना	––	वीडियो शो	ड्राइंग शीट, स्कैच पैन
दिन–X				
प्रातः 09.00 बजे – प्रातः 09.30 बजे	दिन–**IX** की प्रस्तुति के सार को दोहराना, दिन के लिए रिपोर्टर का चयन			
प्रातः 09.30 बजे– प्रातः 11.00 बजे	क्षेत्र रिपोर्टों का प्रस्तुतीकरण	परिभाषा, कारण एवं प्रभाव	आपस में अनुभव बांटना/ समूह कार्य	ड्राइंग शीट, स्कैच पैन
प्रातः 11.00 बजे– प्रातः 11.30 बजे	हेल्थ ब्रेक			
प्रातः 11.30 बजे– दोपहरः 01.00 बजे	जारी ...			

अनुबंध

अनुबंध

समय	विषय/शीर्षक	उपप्रसंग/प्रमुख शिक्षण बिंदु	तरीके/सामग्री	उपकरण/ साधन
दोपहरः 01.00 बजे– दोपहरः 02.00 बजे	भोजनावकाश (लंच ब्रेक)			
दोपहरः 02.00 बजे– दोपहरः 03.30 बजे	आपदा प्रबंधन पर नई रणनीतियां/नवाचार/दृष्टिकोण	आपदा कार्रवाई	व्याख्यान (लेक्चर), चर्चा, समूह कार्य	पीपीपी, फ्लिप चार्ट, मार्कर
दोपहरः 03.30 बजे– दोपहरः 04.00 बजे	हेल्थ ब्रेक			
दोपहरः 04.00 बजे– सायंः 05.30 बजे	समन्वय	नेटवर्किंग एवं कमान पद्धति	व्याख्यान (लेक्चर)	पीपीपी
सायंः 07.00 बजे– सायंः 09.00 बजे	नागरिक सुरक्षा हस्तक्षेप पर सिनेमा/डॉक्युमेंटरी	––	वीडियो–शो	वीसीडी, सीडी आदि
दिन–XI				
प्रातः 09.00 बजे – प्रातः 09.30 बजे	दिन–**X** की प्रस्तुति के सार को दोहराना, दिन के लिए रिपोर्टर का चयन			
प्रातः 09.30 बजे– प्रातः 11.00 बजे	भूकम्प तथा भू से संबंधित अन्य आपदाएं	परिभाषा, प्रकार (सुनामी, भू–स्खलन, हिम–स्खलन, आदि) – कारण एवं प्रभाव	आपस में अनुभव बांटना/समूह कार्य/अभ्यासिक कार्य	फ्लिप चार्ट, मार्कर/पीपीपी
प्रातः 11.00 बजे– प्रातः 11.30 बजे	हेल्थ ब्रेक			
प्रातः 11.30 बजे– दोपहरः 01.00 बजे	सत्र जारी ...	क्या करें तथा क्या न करें संबंधी दिशानिर्देश		हैंडआउट्स, स्लाइड
दोपहरः 01.00 बजे– दोपहरः 02.00 बजे	भोजनावकाश (लंच ब्रेक)			

समय	विषय/शीर्षक	उपप्रसंग/प्रमुख शिक्षण बिंदु	तरीके/सामग्री	उपकरण/ साधन
दोपहरः 02.00 बजे– दोपहरः 03.30 बजे	भूकंप/सुनामी / हिम–स्खलनों / भू–स्खलनों के लिए बचाव व्यवस्था	प्रभावी उपकरण, कुशल स्वयंसेवक, योजना एवं बाढ़ का प्रबंधन	समूह कार्य एवं अभ्यास	फ्लिप चार्ट, मार्कर
दोपहरः 03.30 बजे– दोपहरः 04.00 बजे	हेल्थ ब्रेक			
दोपहरः 04.00 बजे– सायंः 05.30 बजे	सत्र जारी ...	आपदा प्रबंधन चक्र (कार्रवाई, पुनर्वास, बचाव, पुनर्बहाली, प्रशमन, तैयारी)	समस्या–केंद्रित और समकक्ष समीक्षा तकनीक	फ्लिप चार्ट, मार्कर
सायंः 07.00 बजे– सायंः 09.00 बजे	भूकम्प, सुनामी, भू–स्खलन और उनके प्रभाव पर सिनेमा/डॉक्युमेंटरी	––	वीडियो–शो	वीसीडी, सीडी आदि
दिन–XII				
प्रातः 09.00 बजे– प्रातः 09.30 बजे	दिन–**VII** की प्रस्तुति के सार को दोहराना, दिन के लिए रिपोर्टर का चयन			
प्रातः 09.30 बजे– प्रातः 11.00 बजे	सूखा तथा अकाल–स्वरूप, लक्षण एवं कार्रवाईयां	परिभाषा, प्रकार (अकाल, महामारी कीट आक्रमण, आदि) – कारण एवं प्रभाव	चर्चा, अभ्यास, समूह कार्य	फ्लिप चार्ट, मार्कर, हैंडआउट्स, मानचित्र (नक्शे), बोर्ड
प्रातः 11.00 बजे– प्रातः 11.30 बजे	हेल्थ ब्रेक			
प्रातः 11.30 बजे– दोपहरः 01.00 बजे	सत्र जारी ...	योजना के भाग के रूप में स्वयंसेवा संबंधी प्रबंधन	परिचर्चा, अभ्यास, समूह कार्य	फ्लिप चार्ट, मार्कर, हैंडआउट, मानचित्र (नक्शे), बोर्ड

अनुबंध

अनुबंध

समय	विषय/शीर्षक	उपप्रसंग/प्रमुख शिक्षण बिंदु	तरीके/सामग्री	उपकरण/ साधन
दोपहरः 01.00 बजे– दोपहरः 02.00 बजे	भोजनावकाश (लंच ब्रेक)			
दोपहरः 02.00 बजे– दोपहरः 03.30 बजे	सूखे तथा अकाल का प्रबंधन	सूखे तथा अकाल की योजना एवं प्रबंधन	संक्षिप्त विहंगावलोकन, चर्चा	फ्लिप चार्ट, मार्कर, हैंडआउट्स, मानचित्र (नक्शे), बोर्ड
दोपहरः 03.30 बजे– दोपहरः 04.00 बजे	हेल्थ ब्रेक			
दोपहरः 04.00 बजे– सायंः 05.30 बजे	सत्र जारी ...	महामारी प्रबंधन	4 समूहों में समूह कार्य	फ्लिप चार्ट, मार्कर
सायंः 07.00 बजे– सायंः 09.00 बजे	सूखे तथा अकाल पर सिनेमा/डॉक्युमेंटरी	––	वीडियो–शो	वीसीडी, सीडी आदि
दिन–XIII				
प्रातः 09.00 बजे – प्रातः 09.30 बजे	दिन–**VIII** की प्रस्तुति के सार को दोहराना, दिन के लिए रिपोर्टर का चयन			
प्रातः 09.30 बजे– प्रातः 11.00 बजे	आग संबंधी खतरे–लक्षण और स्वरूप	परिभाषा, प्रकार एवं प्रभाव	आपस में अनुभव बांटना/ समूह कार्य	फ्लिप चार्ट, मार्कर, हैंडआउट्स, मानचित्र (नक्शे), बोर्ड
प्रातः 11.00 बजे– प्रातः 11.30 बजे	हेल्थ ब्रेक			
प्रातः 11.30 बजे– दोपहरः 01.00 बजे	आग के प्रकार और उनके प्रभाव	वन की आग, गांव की आग, ऊंची इमारतों में आग, भीड़–भाड़ वाले सार्वजनिक इलाकों में आग, आदि	आपस में अनुभव बांटना/ समूह कार्य, अभ्यास	फ्लिप चार्ट, मार्कर, हैंडआउट्स, मानचित्र (नक्शे), बोर्ड

समय	विषय/शीर्षक	उपप्रसंग/प्रमुख शिक्षण बिंदु	तरीके/सामग्री	उपकरण/ साधन
दोपहरः 01.00 बजे– दोपहरः 02.00 बजे	भोजनावकाश (लंच ब्रेक)			
दोपहरः 02.00 बजे– दोपहरः 03.30 बजे	उष्ण एवं शीत लहर– प्रकार, कारण, प्रभाव	इतिहास, ये किस प्रकार होते हैं, सुरक्षित आपातकालीन सहायता के लिए उपाय	आपस में अनुभव बांटना/ समूह कार्य	फ्लिप चार्ट, मार्कर, हैंडआउट्स, मानचित्र (नक्शे), बोर्ड
दोपहरः 03.30 बजे– दोपहरः 04.00 बजे	हेल्थ ब्रेक			
दोपहरः 04.00 बजे– सायंः 05.30 बजे	घर आग, वन आग, ग्रीष्म एवं शीत लहर के लिए बचाव तंत्र	बचाव, जन जागरूकता, क्या करें और क्या न करें के विवरण	आपस में अनुभव बांटना/ समूह कार्य	फ्लिप चार्ट, मार्कर, हैंडआउट्स, मानचित्र (नक्शे), बोर्ड
सायंः 07.00 बजे – सायंः 09.00 बजे	आग आपदा पर सिनेमा /डॉक्युमेंटरी	–	वीडियो शो	वीसीडी, सीडी आदि
दिन–XIV				
प्रातः 09.00 बजे – प्रातः 09.30 बजे	दिन–**XIII** की रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण			
प्रातः 09.30 बजे– प्रातः 11.00 बजे	घटनाएं–स्वरूप एवं लक्षण, दुर्घटनाओं के प्रकार एवं प्रभाव	परिभाषाएं, कारण एवं प्रभाव, प्रकार (सड़क, रेल, हवाई जहाज, रासायनिक एवं औद्योगिक, भगदड़, आदि)	4 समूहों में समूह कार्य	फ्लिप चार्ट, मार्कर
प्रातः 11.00 बजे– प्रातः 11.30 बजे	हेल्थ ब्रेक			
प्रातः 11.30 बजे– दोपहरः 01.00 बजे	विशेष देखभाल	मनो–सामाजिक देखभाल एवं उपचार	आपस में अनुभव बांटना/ समूह कार्य, अभ्यास	फ्लिप चार्ट, मार्कर, हैंडआउट्स, चार्ट, मानचित्र (नक्शे), बोर्ड

अनुबंध

अनुबंध

समय	विषय/शीर्षक	उपप्रसंग/प्रमुख शिक्षण बिंदु	तरीके/सामग्री	उपकरण/ साधन
दोपहरः 01.00 बजे– दोपहरः 02.00 बजे	भोजनावकाश (लंच ब्रेक)			
दोपहरः 02.00 बजे– दोपहरः 03.30 बजे	हिंसा एवं संघर्ष	स्वरूप, प्रकार, कारण एवं परिणाम, प्रतिक्रिया	4 समूहों में समूह कार्य	फ्लिप चार्ट, मार्कर
दोपहरः 03.30 बजे– दोपहरः 04.00बजे	हेल्थ ब्रेक			
दोपहरः 04.00 बजे– सायंः 05.30 बजे	बचाव, युद्ध एवं संघर्ष, भगदड़ सहित दुर्घटनाओं के लिए बचाव, प्रतिक्रिया तंत्र	दुर्घटनाओं, युद्ध, संघर्ष, भगदड़ के लिए योजना एवं प्रबंधन, क्या करें और क्या न करें	4 समूहों में समूह कार्य	फ्लिप चार्ट, मार्कर
सायंः 07.00 बजे – सायंः 09.00 बजे	दुर्घटनाओं एवं उनके प्रभाव पर सिनेमा/ डॉक्युमेंटरी	–	वीडियो शो	वीसीडी, सीडी, आदि
दिन–XV				
प्रातः 09.00 बजे – प्रातः 09.30 बजे	दिन–**XIV** की रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण			
प्रातः 09.30 बजे– प्रातः 11.00 बजे	आपदा प्रबंधन सिद्धांत	नीतियां, कोड, मानक एवं संहिताएं	व्याख्यान	पीपीपी हैंडआउट्स
प्रातः 11.00 बजे– प्रातः 11.30 बजे	हेल्थ ब्रेक			
प्रातः 11.30 बजे– दोपहरः 01.00 बजे	जारी			

समय	विषय/शीर्षक	उपप्रसंग/प्रमुख शिक्षण बिंदु	तरीके/सामग्री	उपकरण/ साधन
दोपहरः 01.00 बजे– दोपहरः 02.00 बजे	भोजनावकाश (लंच ब्रेक)			
दोपहरः 02.00 बजे– दोपहरः 03.30 बजे	मूल्यांकन	कोर्स मूल्यांकन, नई चुनौतियों के लिए उपयुक्त कार्रवाइयां तैयार करना	आरूप भरना	मूल्यांकन आरूप (फार्मेट)
दोपहरः 03.30 बजे– दोपहरः 04.00 बजे	हेल्थ ब्रेक			
दोपहरः 04.00 बजे– सायंः 05.30 बजे	समाहार (समिंग अप)	सीखे गए सबक	समापन	

मददगार के लिए टिप्पणीः *यह सांकेतिक डिजाइन है – परिवर्तन या संशोधन स्थानीय जरूरतों के आधार पर निर्भर हैं।*

अनुबंध

अनुबंध – II

पंजीकरण प्रपत्र*

प्रशिक्षण कार्यक्रम का शीर्षक :

अवधि : तारीख : स्थान :

कोर्स निदेशक/समन्वयक का नाम :–

1. प्रशिक्षु का नाम
2. संपर्क पता, फोन संख्या, ई–मेल आईडी
3. जन्म–तिथि
4. शैक्षणिक/व्यावसायिक योग्यताएं
5. सहयोगी संस्था का नाम (यदि कोई हो)
6. पदनाम/कार्य–शीर्षक का नाम
7. कार्य का अनुभव
8. आपको इस प्रशिक्षण के बारे में कैसे पता लगा ?
9. क्या आपने यह प्रशिक्षण स्वेच्छा से स्वीकार किया है ? यदि हां, तो क्यों ?
10. क्या आप महसूस करते हैं कि जिस प्रशिक्षण के लिए आप आए हैं ? उसके बारे में आपको पहले से कुछ जानकारी थी।
11. इस प्रशिक्षण से आपकी क्या अपेक्षाएं हैं, विशेषकर निम्नलिखित पहलुओं पर ?

    ज्ञान/
    जानकारी

	कौशल / क्षमता		
	अभिरुख एवं व्यवहार संबंधी परिवर्तन		
	क्षमताओं को सुदृढ़ बनाना		
	अन्य कोई		
12	क्या आप इस कोर्स के मूलभूत उद्देश्यों तथा इस प्रशिक्षण की कार्य–प्रणाली के बारे में जानते हैं ?	हां	नहीं
13	आप कितना महसूस करते हैं कि भविष्य में इस कोर्स से आपके कार्यनिष्पादन में सुधार आएगा और आपकी क्षमताएं सुदृढ़ होंगी ?		

अनुबंध – III

सत्र मूल्यांकन आरूप*

अवधि : तारीख : स्थान :

कोर्स निदेशक/समन्वयक का नाम :–

1. सत्र का विषय/शीर्षक
2. संसाधन व्यक्ति/मददगार का नाम
3. क्या कोर्स आरंभ होने से पहले आपको इस सत्र में कवर किए गए विषय के संबंध में कोई सामग्री/हैंडआउट दिए गए थे ?
4. यदि हां, तो क्या आपने इन्हें पहले से पढ़ा तथा और अधिक स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए कुछेक मदें नोट की ?
5. निम्नलिखित के संबंध में आपकी क्या रेटिंग है ?

	उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	औसत	खराब
प्रेजेंटेशन की विषय–वस्तु					
प्रयुक्त कार्यप्रणाली					
विषय का प्रस्तुतीकरण					
मददगार/संसाधन व्यक्ति द्वारा सत्र एवं समय का प्रबंधन					
प्रतिभागियों के साथ आपसी चर्चा					
दिया गया/प्रदत्त कौशल					

6. क्या सत्र में कवर किए गए विषयों पर कोई चर्चा हुई थी। हां नहीं
7. यदि हां, तो क्या आपने भाग लिया ? हां नहीं
8. यदि नहीं, तो किस कारण से भाग नहीं लिया ?

9.	क्या आप प्रश्न–उत्तर/चर्चा से संतुष्ट हैं?	हां	नहीं
10.	क्या आप उक्त विषय के लिए उसी व्यक्ति को दोबारा आमंत्रित करना चाहेंगे ?	हां	नहीं
11.	यदि नहीं, तो इस सत्र के लिए आप किस प्रकार के संसाधन व्यक्ति को आमंत्रित करना चाहेंगे ?		
12	इस सत्र के द्वारा कोर्स के कौन से महत्वपूर्ण उद्देश्यों को पूरा किया गया		
13	इस सत्र से आपकी क्या अपेक्षाएं थीं ?		
14.	क्या आपकी अपेक्षाएं पूरी हुईं ?	हां	नहीं
15.	यदि नहीं, तो क्यों ?		
16.	क्या इस सत्र से :		
	आपका ज्ञान स्तर बढ़ा ?	हां	नहीं
	आप में नया कौशल आया ?	हां	नहीं
	मौजूदा कौशल को सुदृढ़ किया गया ?	हां	नहीं
	आपने जो सीखा क्या उसका प्रयोग करने के लिए आप प्रोत्साहित हुए ?	हां	नहीं

उ.– उत्कृष्ट; ब.अ.– बहुत अच्छा; अ.– अच्छा; औ.– औसत, ख.– खराब

अनुबंध – IV

क्षेत्र दौरा मूल्यांकन आरूप*

1. दौरा किए गए स्थान का नाम
2. दौरे का प्रयोजन
3. क्या दौरे के प्रयोजन के संबंध में आपके पास पहले से काफ़ी जानकारी थी ?
4. दौरे से आपको क्या अपेक्षाएं थीं ?
5. क्या दौरे के दौरान अभ्यास/कृत्रिम कवायद किया गया ?
6. क्या आपको अभ्यास करने की कार्य–प्रणाली से अवगत कराया गया ?
7. क्षेत्र अभ्यास में आपने कितनी सक्रियता से भाग लिया ? 100% 75% 50% 25% बिल्कुल भी नहीं
8. क्या आपको क्षेत्र दौरे तथा अभ्यास से लाभ हुआ हैं ?
9. क्या आप सिफारिश करते हैं कि इस सत्र में किए जाने वाले अभ्यास/अभ्यासों को भविष्य में भी किया जाए ?
10. क्षेत्र दौरे/अभ्यास/कृत्रिम कवायद अभ्यास के संबंध में आपकी समग्र रेटिंग क्या है ?

उ.– उत्कृष्ट; ब.अ.– बहुत अच्छा; अ.– अच्छा; औ.– औसत, ख.– खराब

अनुबंध – V

प्रशिक्षण मूल्यांकन आरूप*

प्रशिक्षण कार्यक्रम का शीर्षक :
अवधि :
तारीखें :
स्थान :
कोर्स निदेशक/समन्वयक का नाम :
प्रशिक्षण संस्थान/एजेंसी का नाम :

1. भागीदार/प्रशिक्षु का नाम
2. आपको पृष्ठभूमि प्रशिक्षण सामग्री/संसाधन किट कब प्राप्त हुई ?
   - कार्य स्थान पर
   - कोर्स के स्थान पर पहुंचने के तुरंत बाद
   - उसी दिन
3. यदि आपको सामग्री पहले से नहीं भेजी गई होती, तो क्या आप समझते हैं कि यह भेजी जाती और यदि हां तो कितने समय पहले?
4. यदि सामग्री आपको पहले से भेजी गई होती, तो क्या आपने उसे पहले से पढ़ा होता?
5. इस कोर्स से आपकी क्या अपेक्षाएं थीं ?
6. क्या आप समझते हैं कि यह कोर्स आपकी नौकरी की आवश्यकताओं को पूरा करता है ?
7. यदि हां, तो कैसे और यदि नहीं तो किस पर अधिक जोर दिया गया होता ?
8. क्या आप इस प्रशिक्षण के प्रमुख उद्देश्यों से संतुष्ट हैं ?
9. यदि नहीं तो, उद्देश्यों की सूची में और क्या जोड़ा जा सकता था ?
10. क्या आप समझते हैं कि कोर्स में शामिल किए गए सत्र/अभ्यास उद्देश्यों से मेल खाते हैं?

11. यदि नहीं तो आपके क्या सुझाव हैं ?
12. क्या आप लर्निंग के परिणामों से संतुष्ट हैं ?
13. क्या प्रशिक्षण से आपको निम्नलिखित पहलुओं पर लाभ हुआ?
    - ज्ञान / जानकारी
    - व्यावहारिक पहलू
    - कौशल एवं क्षमताएं
    - रवैया एवं व्यावहारिक परिवर्तन
14. क्या आप समझते हैं कि प्रशिक्षण परिणामों का आप अपनी नौकरी में प्रयोग कर पाएंगे ?
15. यदि हां, तो कैसे और यदि नहीं, तो किस पर अधिक जोर दिया गया होता ?
16. अपने अन्य सहकर्मियों को प्रशिक्षित / उन्मुख / पुनरभिमुख करने संबंधी कोर्स में भाग लेने के बाद क्या आप अभिप्रेरित हुए हैं ?
17. क्या आप कोर्स के दौरान प्रदान की गई प्रशिक्षण सुविधा तथा व्यवस्थाओं से संतुष्ट हैं ?
18. यदि नहीं, तो आपके क्या सुझाव हैं ?
19. आपकी राय में निम्नलिखित का क्या रवैया था ? **उत्कृष्ट बहुत अच्छा अच्छा औसत खराब**
    - कोर्स निदेशक / समन्वयक
    - संसाधन व्यक्ति / विशेषज्ञ
    - सहायक स्टाफ़
    - आवास एवं भोजन का प्रभारी
20. सह भागीदारों के साथ चर्चा के संबंध में आपकी क्या रेटिंग है ? **उत्कृष्ट बहुत अच्छा अच्छा औसत खराब**
21. कृपया निम्नलिखित के संबंध में सुधार लाने के हेतु अपने विचार दें :
    - प्रशिक्षण सामग्री / किट
    - विषय / प्रसंगों की सूची बनाना
    - सत्र संचालन
    - सिद्धांत–अभ्यास–कौशल / अभ्यास
22. कोर्स के संबंध में आपकी समग्र रेटिंग क्या है ? **उत्कृष्ट बहुतअच्छा अच्छा औसत खराब**

अनुबंध – VI

प्रशिक्षण पश्चात् मूल्यांकन प्रश्नावली*

बहु–विकल्प प्रश्नों के सही उत्तर पर (✓) का निशान लगाएं

1. निम्नलिखित में से कौन सी आपदा मानव–जनित नहीं है ?

* युद्ध
* संघर्ष
* औद्योगिक दुर्घटनाएं
* बवंडर (टोरनाडो)

2. निम्नलिखित में से कौन सी आपदा जलवायु से संबंधित नहीं है ?

* भूकंप
* चक्रवात
* बाढ़
* सूखा
* अकाल

3. भूकंप के मामले में अधिकेंद्र पर निर्गमित ऊर्जा की मात्रा निम्नलिखित में किसके द्वारा दर्शाई जाती है ?

* रिक्टर स्केल
* हैक्टो पास्कल
* संशोधित मर्कली स्केल
* उपरोक्त में से कोई नहीं

4. भारत में प्राकृतिक आपदा प्रबंधन प्रभाग निम्नलिखित मंत्रालय में स्थित है ?

* गृह मंत्रालय
* श्रम और रोजगार मंत्रालय
* कृषि और सहकारिता मंत्रालय
* मानव संसाधन विकास मंत्रालय

5. निम्नलिखित अधिकारियों में से कौन जिला स्तर क्षेत्र योजना, निर्देश देने, पर्यवेक्षण करने तथा आपदाओं के लिए राहत संबंधी उपायों की मॉनीटरिंग के लिए केंद्र बिन्दु हैं ?

* समाहर्ता (कलक्टर) या उपायुक्त
* राज्य का सचिव
* राजस्व प्रमंडल अधिकारी
* डीडीओ/मामलातदार/ग्राम पंचायत

6. प्रशमन से तात्पर्य है ?

* सभी क्षति/हानि का अनुमान
* दुर्घटनाध्आपदा घटने के बाद मृत्यु/चोट, निकासी, पुनर्वास आदि।
* आपदा के पूर्व समुदाय पर उसके प्रभाव को कम करने के लिए किए गए दीर्घकालीन उपाय
* सामान्य स्थिति बहाल होने पर आपदा प्रारंभ होने के पूर्व क्या गलत हुआ था, उन कारणों का विश्लेषण
* उपरोक्त में से कोई नहीं

7. तैयारी उपायों से तात्पर्य है ?

* क्षति/हानि का अनुमान
* मृत्यु/चोट
* निकासी
* दुर्घटना/आपदा घटने के बाद पुनर्वास आदि

** इग्नू द्वारा तैयार किए गए दस्तावेज "आपदा प्रबंधन पुस्तिका" से लिया गया।*

अनुबंध – VII

आपदा शब्दावली और पारिभाषिक शब्दावलियां

दुर्घटना : कोई अवांछनीय अथवा दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, जो असावधानी, अनभिज्ञता, अज्ञानता, प्रणाली विफलता अथवा इन कारणों के मेल से अनजाने में होती है, जिसके फलस्वरूप सामान्यतः नुकसान, चोट, मृत्यु, आजीविका अथवा संपत्ति की क्षति और पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है।

अम्ल वर्षा : इसे अम्ल अवक्षेपण कहा जाना चाहिए क्योंकि इसमें वर्षा, हिमपात, हिम वर्षा, कुहासा और अवक्षेपण के अन्य रूप शामिल होते हैं। इसका उत्पादन जलते हुए कोयले तथा पेट्रोलियम उत्पादों से गंधक (सल्फर) एवं नॉइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन में औद्योगिक उप–उत्पादों के रूप में किया जाता है। यह पूरे विश्व में पाई जाती है, इसकी अधिक सघनता शहरी क्षेत्रों में होती है।

वनारोपण : बंजर अथवा खेती की भूमि को वन में बदलना।

कृषि अपशिष्ट : मुर्गी पालन, पशुधन, रोएंदार पशुओं के उत्पादन एवं मार्किटिंग तथा उनके उत्पादों, चावल पुआल, चावल की भूसी तथा अन्य पौधों के अपशिष्ट से सृजित सामग्री द्रव या ठोस के रूप में अपशिष्ट।

वायु प्रदूषण : वायु में ऐसे पदार्थों का घुलना–मिलना, जो इसे अशुद्ध बनाते हैं, वायु प्रदूषण है।

अल्फा विकिरण : अल्फा किरणों में रंगहीन गैस (हीलियम) तत्व का केंद्रक होता है और इसमें धनात्मक आवेश होता है। वे सुदृढ़तापूर्वक वेधन नहीं करते, परंतु छोटे क्षेत्र में काफ़ी नुकसान करते हैं।

जलभर (अक्विफर) : एक भूवैज्ञानिक रचना, जो आमतौर पर चट्टान (रॉक), बजरी, रेत या अन्य छिद्रदार सामग्री का संयोजन होती है और जो कुओं या झरनों के लिए जल उत्पादन करती है। ये खराब तरीके से ढके गए कुओं के माध्यम से प्रदूषकों के जाने से इंजैक्शन के अपशिष्ट निपटान तथा भूमि के नीचे अन्य चीजों के जाने से प्रदूषित किए जा सकते हैं।

पृष्ठभूमि विकिरण : विकिरण, जो अंतरिक्ष किरणों (कॉस्मिक रेज़) और रेडॉन या परमाणु परीक्षणों और मनुष्य द्वारा किए गए अन्य नाभिकीय कार्यकलापों द्वारा पर्यावरण में प्राकृतिक रूप से होता है।

बीटा विकिरण : बीटा कण किसी अणु के केंद्रक से उत्सर्जित इलैक्ट्रॉन हैं और इन पर एक ऋणात्मक आवेश होता है। वे अल्फा किरणों से अधिक वेधन करते हैं, त्वचा में जलन पैदा कर सकते हैं और, जब शरीर द्वारा अंतर्ग्रहण होता है, तो कैंसर होता है।

जैवसंचयी : प्रजातियों में रसायनों की एक विशेषता जब एक प्राणी में ग्रहण करने की दर मलोत्सर्जन, या उपापचय से अधिक हो। इसके उद्‌भासन संकेद्रण के सापेक्ष ऊतक संकेंद्रण में वृद्धि होती है।

खतरनाक जैविक अपशिष्ट : मानव या पशु मूल का कोई पदार्थ, खाद्य अपशिष्टों को छोड़कर, जिसका निपटान किया जा सकता है और जो रोगजनक कीटाणुओं को जगह दे सकता है या उनको संचारित कर सकता है। ऐसे अपशिष्टों में ऊतक, रक्त कण, मल स्त्राव, पट्टियां और संबंधित पदार्थ शामिल होते हैं।

जैवपिंड (बायोमास) : कोई भी कार्बनिक सामग्री जिसे ईंधन की लकड़ी में बदला जा सकता है, इसमें सूखे पौधे और कार्बनिक अपशिष्ट शामिल हैं।

कैंसरजन (कार्सिनोजन) : पदार्थ, जिनसे कैंसर होता है। कई पदार्थ अप्रत्यक्ष रूप से कैंसरजन हो सकते हैं, जो शरीर की कुछ कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं, इससे वे अन्य पदार्थों, जिनसे कैंसर हो सकता है, के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं।

वहन क्षमता : एक संकल्पना जो यह मानती है कि प्राकृतिक जैविक प्रणाली के सहारे चलने वाले जीवन की अधिकतम मात्रा का निर्धारण, नुकसान हुए बिना अधिकतम उत्पादन क्षमता द्वारा किया जाता है। अधिकतम वहनीय उत्पादन क्षमता का निर्धारण प्रणाली के आकार और पुनरुत्पादक शक्तियों द्वारा किया जाता है।

क्लोरोफ्लोरोकार्बन (सीएफसी) : रेफ्रिजरेटरों, एयरकंडीशनरों, विलायक (सॉल्वैंटस), खाद्य फ्रीजेंट्स और संक्रामकों (स्टेरलैंट्स), और फॉस्ट–फूड कंटेनरों, कपों, इंसुलेशन, पैकिंग सामग्री तथा अन्य उत्पादों में इस्तेमाल किए जाने वाले प्लास्टिक फोम को बनाने में निर्मित गैस का प्रयोग किया जाता है। जब वे पृथ्वी के वायुमंडल में छोड़ी जाती हैं, तो वे रासायनिक अभिक्रिया पैदा करती है और ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती हैं, जिससे लोग सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों के खतरनाक स्तरों से प्रभावित होते हैं।

चक्रवात/तूफ़ान/प्रचंड तूफ़ान : तूफान और प्रचंड तूफान शब्द एक शक्तिशाली 'उष्णकटिबंधीय चक्रवात' के लिए क्षेत्रीय नाम हैं। सभी उष्णकटिबंधीय या उप–उष्णकटिबंधीय जल–क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं और प्रति घंटे मील से अधिक की तेज हवाएं पैदा करते हैं।

तूफ़ान (हरिकेन) : उत्तर एटलांटिक महासागर। प्रचंड तूफ़ान–काल्पनिक अंतरराष्ट्रीय रेखा (डेट लाइन), पूर्व–प्रशांत महासागर में आता है। गंभीर उष्णकटिबंधीय चक्रवात–दक्षिण पश्चिम हिन्द महासागर में आता है।

वन की कटाई : ईंधन की लकड़ी इकट्ठा करने, व्यावसायिक रूप से वृक्षों की कटाई, स्थानांतरित खेती, घास चराई, सड़क के निर्माण, पशु–पालन, खनन तथा आग लगने के कारण वनों का नुकसान होता है। वन के आवास क्षेत्र के नष्ट होने से मृदा–क्षरण होता है और बाढ़ आ जाती है तथा वन्य–जीवन को खतरा उत्पन्न होता है।

मरूस्थलीकरण : एक प्रक्रिया जिससे भूमि की उत्पादकता वनों की कटाई, पानी इकट्ठा होने (वाटर लॉगिंग) और लवणन (सेलिनिज़ेशन), पोषक तत्वों के घुल कर बहने से रासायनिक अवक्रम, और चरागाह कुप्रबंध जैसे अत्यधिक चराई (अधिक चरने) (ओवरग्रेजिंग), मृदा–क्षरण तथा अनुर्वरता और अर्द्ध अनुर्वरता के कारण कम हो जाती है।

आपदा : एक अप्रत्याशित और अक्सर आकस्मिक घटना जिससे बड़ा नुकसान, विनाश तथा मानवीय पीड़ा होती है। यद्यपि, आपदाएं प्राकृतिक खतरे के कारण होती हैं, तथापि, इसका मूल कारण मानव हो सकता है। एक घटना को आपदा के रूप में तब वर्गीकृत किया जाता है जब यह समाज के कार्यचालन में भारी विघ्न पैदा करती है, व्यापक मानव, भौतिक, या पर्यावरण का नुकसान करती है, जो प्रभावित समाज की क्षमता से अधिक बढ़ जाती है, जिसके कारण केवल अपने संसाधनों के प्रयोग द्वारा मुकाबला करना पड़ता है।

आपदा प्रबंधन : एक सामूहिक शब्द जिसमें आपदा–पूर्व तथा आपदा–पश्चात् के कार्यकलापों सहित आपदाओं के लिए योजना बनाने और कार्रवाई करने संबंधी सभी पहलू शामिल हैं। इसमें जोखिमों तथा आपदाओं के परिणामों, दोनों का प्रबंधन शामिल हो सकता है।

विस्थापित व्यक्ति : इन शब्दों का प्रयोग आमतौर पर सशस्त्र संघर्ष, आमतौर पर नागरिक अशांति या प्राकृतिक आपदा के कारण अपने घरों से पलायन करने वाले व्यक्तियों पर लागू होता है। यह लोगों पर तब संदर्भित रहता है जब तक कि वे अपने देश की सीमाओं में रहते हैं। जैसे ही, वे बार्डर पार दूसरे देश में चले जाते हैं, अधिकांश मामलों में उन्हें शरणार्थी कहा जाने लगता है।

विलीन ऑक्सीजन : ऑक्सीजन जल में पाई जाती है और जीवों के जीवित रहने के लिए आवश्यक है, जैसे ही जल में मल–जल की मात्रा बढ़ जाती है, जीवाणुओं की संख्या कई गुणा बढ़ जाती है और ऑक्सीजन का इस्तेमाल अधिक होने लगता है, जिससे वहां रहने वाले अन्य पशुओं के लिए उपलब्ध जल की मात्रा कम हो जाती है।

सूखा : जलवायु की एक सामान्य आवर्ती विशेषता जो एक विस्तारित अवधि आमतौर पर, एक मौसम या अधिक के दौरान वर्षा की कमी से उत्पन्न होती है। सूखा वास्तव में सभी जलवायु–परिस्थितियों में हो सकता है।

भूकम्प : पृथ्वी की सतह के नीचे चट्टान के अचानक हिलने के कारण पृथ्वी का कंपन। भूकंप एक भ्रंश पर होता है, जो चट्टान के दो खंडों के बीच टूटी–फूटी (क्रश्ड) चट्टान की पतली परत होती है। भ्रंश की सीमा कुछ सेंटीमीटर से लेकर हजारों मीलों तक हो सकती है।

पारिस्थितिक जीवन तंत्र : जैव समुदाय तथा उसके गैर–जीवन (नॉन–लिविंग) पर्यावरण का परस्पर क्रियाशील तंत्र।

आपातस्थिति : एक असाधारण स्थिति है जहां आपदा, आपदा का आसन्न खतरा, लापरवाही की संचित प्रक्रिया, नागरिक संघर्ष, पर्यावरण गिरावट और सामाजिक–आर्थिक स्थितियों के परिणामस्वरूप मानव जीवन को गंभीर एवं तात्कालिक खतरे हों।

आपातस्थिति से निपटने की तैयारी : सभी उपलब्ध/जुटाए गए संसाधन, जो आपातस्थिति के परिणामों को प्रभावी ढंग से कम करते हैं, का उपयोग करने के संबंध में कार्रवाई करने हेतु सामान्य स्थितियों के दौरान क्षमता का विकास करना तथा लोगों की सुरक्षा तथा स्वास्थ्य, जीवन की गुणवत्ता, संपत्ति एवं पर्यावरण की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है।

आपातस्थिति के प्रति कार्रवाई : लोगों की सुरक्षा और स्वास्थ्य, उनके जीवन–स्तर, संपत्ति और पर्यावरण पर आपातस्थिति के प्रभावों को कम करने के लिए आपातस्थिति द्वारा पैदा की गई तनाव की स्थितियों के अंतर्गत की जाने वाली कार्रवाइयां। यह सामान्य सामाजिक और आर्थिक कार्यकलापों को बहाल करने के लिए भी आधार प्रदान करती है।

पर्यावरण रिपोर्टिंग : मनुष्य और प्राकृतिक एवं मानव–जनित पर्यावरण, घटनाओं या स्थितियों के बीच परस्पर संबंध के बारे में जानकारी देना।

भू–क्षरण : वर्षा और हवा की क्रिया के माध्यम से सतही मिट्टी का नुकसान। इससे तलछटीकरण (सेडमेन्टेशन) तथा जलमार्गों की ऐसी स्थिति हो जाती है, जो जलीय तथा समुद्री जीवों को नष्ट कर देती है, पानी को पीने के लिए अनुपयुक्त बना देती है और पानी पर निर्भर औद्योगिक मशीनरी और अन्य अंतर्ग्रहण उपकरण का काम बाधित करती है।

अभ्यास : अभ्यास शब्द से किसी भी प्रकार की कवायद (ड्रिल), परीक्षण (ट्रायल), टेबलटॉप, आंशिक, पूर्ण और क्षेत्र में किए जाने वाले अभ्यास का आशय है।

अकाल : एक लम्बी अवधि जिसके दौरान लोगों को खाद्य/भोजन की गंभीर कमी का अनुभव होता है। युद्ध, गरीबी, सूखा, बाढ़, ज्वालामुखी फटना (वॉल्कैनिक इरप्शन), भूकंप तथा अन्य आपदाओं के कारण अकाल हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार, विकसित देशों की अनुमानित 20 प्रतिशत जनसंख्या–80 करोड़ (800 मिलियन) से अधिक लोगों को भोजन की कमी है।

क्षेत्र अभ्यास : आपातकालीन कार्रवाई दलों (टीमों) और कार्मिकों को कार्य–स्थल पर या उसके चारों ओर तैनाती को शामिल करते हुए किया जाने वाला अभ्यास।

प्रथम प्रतिक्रियादाता : राहत एवं बचाव कार्य संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए आपात स्थल पर पहले पहुंचने वाला आपातकालीन सेवा का एक सदस्य।

बाढ़ : बाढ़, विशेष रूप से आकस्मिक बाढ़ से, प्रत्येक वर्ष तूफान, प्रचंड तूफ़ान या बिजली (लाइटनिंग) से मरने वालों की अपेक्षा अधिक लोगों की जानें जाती हैं। बाढ़ का पानी भ्रामक रूप से शक्तिशाली हो सकता है। 4 मील प्रति घंटा (एमपीएच) (एक तेज चलने की गति) की गति से बहने वाला बाढ़ का पानी किसी भी सामने आने वाले प्रत्येक वर्ग फीट पर लगभग 66 पाउंड का बल डालता है।

खाद्य सुरक्षा : एक सक्रिय, स्वस्थ जीवन के लिए सभी लोगों को हर समय पर पर्याप्त खाद्य पदार्थ प्राप्त होना। इसके अनिवार्य अवयव भोजन की उपलब्धता और इसे प्राप्त करने की क्षमता है। यू एन खाद्य और कृषि संगठन की खाद्य सुरक्षा परिभाषा में निम्नलिखित आवश्यकताओं को शामिल किया गया है : पर्याप्त आपूर्ति निर्बाध आपूर्ति, और आपूर्ति तक पहुंच (पर्याप्त खपत, खाद्य पदार्थ की कीमतों और रोजगार के लिए पर्याप्त आय सहित)

फ्लाई एश : जलते हुए ईंधन या अन्य ईंधनों से वायुवाहित दहन अपशिष्ट, जिसमें मुख्य रूप से विभिन्न ऑक्साइड और सिलिकेट होते हैं। प्रमुख स्रोत चूर्णित (पॅलवॅराइज़्ड) कोयला से जलने वाले बॉयलर होते हैं।

गामा किरणें : एक्स–रे के समान विद्युत चुंबकीय (इलेक्ट्रोमैग्नेटिक) विकिरणें, अस्थिर परमाणु के नाभिक से उत्सर्जित, जो प्रकाश की गति से सीधे मार्गों पर चलती हैं, पदार्थों का शीघ्र–वेधन करती हैं, लेकिन पदार्थ को रेडियोधर्मी (रेडियोएक्टिव) नहीं बनाती हैं। वे अल्फा या बीटा विकिरणों की अपेक्षा बड़े क्षेत्र का वेधन करती हैं, परंतु कम नुकसान करती हैं क्योंकि वे विकिरण (रेडिएशन) का कमजोर रूप होती हैं।

गामा विकिरण : एक प्रायोगिक खतरनाक अपशिष्ट रासायनिक शोधन विधि होती है, जो जीवों को होने वाली बीमारी को नष्ट करने के लिए गामा विकिरणों का उपयोग करके अपशिष्ट को विसंक्रमित करती हैं।

जेनेवा समझौते : अंतरराष्ट्रीय करारों की एक शृंखला (सीरीज़), जो अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस और रेड क्रीसेंट अभियान के लिए कानूनी आधार प्रदान करती है। वे युद्ध के दौरान मानव जीवन और सम्मान के मूल्य की पुनःपुष्टि करते हैं।

ग्रीनहाउस प्रभाव : यह सिद्धांत कि जीवाश्म ईंधन के निरंतर जलने से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का संकेद्रण बढ़ेगा, जिससे अतिरिक्त उष्मा और आर्द्रता प्राप्त होगी। कभी–कभी यह तापमान के स्तर को बढ़ाएगा।

भूजल : उपसतही जल (सब्सर्फेस वाटर) का भाग, जो संतृप्ति (सैच्युरेशन) के क्षेत्र (ज़ोन), जहां मिट्टी के कणों के बीच के लगभग सभी खुले मार्ग (ओपनिंग्स) जल से भर जाते हैं। जमीन में संतृप्ति (सैच्युरेशन) के क्षेत्र (ज़ोन) के शीर्ष भाग को जल–स्तर (वाटर टेबल) कहा जाता है।

पर्यावास (हैबिटाट) : एक विशिष्ट स्थान की कुल पर्यावरण स्थिति संबंधित समष्टि जिस पर जीव, लोगों, या समुदाय द्वारा कब्जा किया गया हो।

खतरा : खतरा एक प्राकृतिक या मानव–जनित घटना है, जो यदि मानव आबादी, कृषि या औद्योगिक कार्यकलाप के क्षेत्र में घटित हो जाए, तो भौतिक क्षति, आर्थिक नुकसान, या मानव जीवन और सुखों को जोखिम में डाल सकती है।

खतरे का आकलन : निर्धारित क्षेत्रों के लिए, निर्दिष्ट अवधि के अंदर दी गई तीव्रता वाली हानिकारक संभावित घटना के होने की संभावनाओं का आकलन करने की प्रक्रिया। खतरे के आकलन में औपचारिक एवं अनौपचारिक ऐतिहासिक रिकार्डों का विश्लेषण और मौजूदा स्थलाकृतिक (टोपोग्राफिकल), भू–वैज्ञानिक (जिआलॉजिकल), भू–आकृति वैज्ञानिक (जीओमॉर्फोलाजी), जीवाणु प्रदाहक (हाइड्रोलॉजिकल) और भूमि प्रयोग मानचित्र की कुशल व्याख्या शामिल है।

खतरा मानचित्रण : भौगोलिक दृष्टि से पता करने की प्रक्रिया कि विशेष घटना कहां और किस सीमा तक लोगों, बुनियादी सुविधाओं, और आर्थिक गतिविधियों के लिए खतरा पैदा कर सकती है।

खतरनाक अपशिष्ट (हैज़ार्डस वेस्ट) : कोई भी अपशिष्ट (वेस्ट), जो ज्वलनशील, नाशक, क्रियात्मक या विषाक्त है और अनुचित तरीके से प्रबंधित किए जाने पर मानव स्वास्थ्य तथा सुरक्षा या पर्यावरण के लिए खतरा उत्पन्न कर सकते हैं (क्रियात्मक का संबंध किसी तीव्र रासायनिक अभिक्रिया में प्रवेश करने की योग्यता से है, जिसमें विस्फोट या धुआं शामिल हो)।

हजमत : खतरनाक सामग्री के लिए 'तकनीकी शब्दावली' जो, यदि जारी की जाए या दुरुपयोग किया जाए, तो लोगों और पर्यावरण के लिए खतरा हो सकती है। हजमत विस्फोटक, ज्वलनशील और दहनशील पदार्थ, जहर और रेडियोधर्मी (रेडियोएक्टिव) सामग्री हो सकती हैं।

मानव–जनित आपदा (मनुष्य–जनित आपदा) : एक आपदा या आपातस्थिति जिसका सिद्धांत, प्रत्यक्ष कारण मानवीय क्रियाओं द्वारा, जान–बूझकर या अन्यथा जाने–पहचाने योग्य होते हैं। 'तकनीकी आपदाओं' के अलावा इसमें वे स्थितियां मुख्य रूप से होती हैं जिनमें युद्ध, नागरिक अव्यवस्था या

नीति के कार्यान्वयन के कारण नागरिक हताहत होते हैं, संपत्ति, बुनियादी सेवाओं और आजीविका का नुकसान होता है।

हाइड्रोकार्बन : कार्बानिक यौगिकों की कोई भी बड़ी श्रेणी, जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन से युक्त हो। हाइड्रोकार्बन यौगिकों की आण्विक संरचना सर्वाधिक सरल, मीथेन से भारी और अधिक जटिल आण्विकों जैसे : ओक्टाइन, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के घटक, जिन्हें अक्सर हाइड्रोकार्बन या हाइड्रोकार्बन के ईंधन के रूप में संदर्भित किया जाता है।

घटना : एक घटना या कम महत्व की घटना होना ।

हस्तक्षेप : उद्भासन को कम करने या टालने या स्त्रोतों से होने वाला उद्भासन, जो नियंत्रित कार्यप्रणाली का हिस्सा नहीं है या जो नियंत्रण से बाहर है जिसके कारण दुर्घटना हो सकती है, के लिए आशयित कोई कार्रवाई।

लैंडमाइन : लैंडमाइन विस्फोटक एक प्रचालक (ऑपरेटर) या वाहन, व्यक्ति, या पशु की निकटता से सक्रिय किए जाने पर विस्फोट करने के लिए जमीन पर या जमीन में रखे जाने के लिए डिजाइन किया गया एक यंत्र है। यह नाम खनन के अभ्यास (प्रैक्टिस) से आरंभ हुआ है, जहां दुश्मनों की किलेबंदी या सेना के तहत सुरंगें खोदी जाती थीं।

प्रशमन : आपदाओं के निवारण अथवा संबद्ध खतरे कम करने की प्रक्रिया। नुकसान को सीमित करने के उपाय इतने सरल हो सकते हैं जितना बाढ़ प्रवण क्षेत्र की दीवार पर ऊंचाई में फ़्यूज बॉक्स रखना, या भूकंप झेलने के लिए एक मजबूत इमारत की संरचना को बनाने जितना महंगा।

मानसून : मानसून एक मौसमी विद्यमान वायु है, जो कई महीनों तक चलती है। भारतीय महासागर और अरब महासागर से दक्षिण–पश्चिम में बहने वाली बड़ी मौसमी हवाओं जिससे क्षेत्र में भारी वर्षा होती है, के संदर्भ में इस शब्द का प्रयोग अंग्रेज़ी में सबसे पहले भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान एवं पड़ोसी देशों में हुआ। {1} जलविज्ञान में मानसून वर्षा उसे कहते हैं जो किसी क्षेत्र में होती है जहां विशेष मौसम के दौरान वे अपनी वर्षा का अधिकांश प्राप्त करते हैं।

प्राकृतिक खतरे : प्राकृतिक खतरा या भू–भौतिकी खतरा एक ऐसी घटना का खतरा है जिसका लोगों पर या पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। कई प्राकृतिक खतरे आपस में संबंधित होते हैं जैसेः भूकंप से सुनामी आ सकती है, सूखे से सीधे ही अकाल और बीमारी हो सकती है।

नाभिकीय अथवा विकिरणकीय आपदा : जब एक नाभिकीय अथवा विकिरणकीय आपातस्थिति का प्रभाव नाभिकीय हमले (जैसाकि जापान में हिरोशिमा और नागासाकी में हुआ) या नाभिकीय अथवा विकिरणकीय सुविधाओं (जैसा कि यूक्रेन में चर्नोबिल) से बड़े पैमाने पर छोड़ी गई रेडियोधर्मिता के

कारण बहुत अधिक होता है, तो यह माना जाता है कि नाभिकीय आपदा से बड़ी संख्या में लोग हताहत होंगे, सामान्य सेवाएं बाधित होंगी, और बड़े क्षेत्रों का नुकसान होगा। नाभिकीय अथवा विकिरणकीय आपातस्थिति के विपरीत, नाभिकीय आपदा का प्रभाव स्थानीय प्राधिकारियों की मुकाबला करने की क्षमता से परे होता है और ऐसी स्थिति में, अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से सहायता, यदि अपेक्षित हो, लेने का साथ राष्ट्रीय स्तर पर निपटे जाने की आवश्यकता होती है।

नाभिकीय अथवा विकिरणकीय आपातस्थिति : एक आपातस्थिति जिसमें (क) नाभिकीय शृंखला (चेन) अभिक्रिया के कारण या शृंखला (चेन) अभिक्रिया के उत्पादों के क्षय होने से उत्पन्न नाभिकीय ऊर्जा से या (ख) विकिरण उद्‌भासन के कारण खतरा होने, या होने का अनुमान लगाया जा सकता है। इस तरह की आपातस्थितियां आमतौर पर पड़ोसी प्रशासनिक एजेंसियों, यदि अपेक्षित हो, के साथ संयंत्र/सुविधा केंद्र के प्राधिकारी के मुकाबला करने की क्षमता के भीतर होती हैं।

ओज़ोन छिद्र : अंटार्कटिक क्षेत्र के ऊपर अक्तूबर में कुछ सप्ताह के लिए प्रत्येक वर्ष दिखाई देने वाली समताप मंडल की ओज़ोन परत में बढ़ता हुआ छिद्र। ओज़ोन रिक्तीकरण दो भिन्न, लेकिन सापेक्ष प्रेक्षण को वर्णित करती है; 1970 के दशक के उत्तरार्द्ध से पृथ्वी के वायुमंडल में ओज़ोन की कुल मात्रा में प्रति दशक लगभग 4 प्रतिशत की धीमी और स्थिर गिरावट और एक बहुत बड़ी लेकिन मौसमी, और उसी दौरान पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों पर ओज़ोन गैस में कमी। बाद की विशेष घटना का जिक्र सामान्यतया ओज़ोन छिद्र के रूप में होता है।

ओज़ोन परत : ओज़ोन परत पृथ्वी के वायुमंडल में एक ऐसी सतह है जिसमें ओज़ोन (ओ3) का अपेक्षाकृत उच्च संकेद्रण होता है। यह सतह सूर्य की उच्च आवृत्ति के 93–99% पराबैंगनी प्रकाश (अल्ट्रावाइलेट लाइट), जो संभवतः पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक है, को अवशोषित कर लेती है।

पादप–विष (फाइटो–टॉक्सिन) : इसका अर्थ सामान्यतः 'पौधा विष' है, पादप–विष पौधे द्वारा उत्पादित किसी भी प्रकार के विष से संबंधित हो सकता है।

बिंदु–स्रोत प्रदूषण (प्वाइंट सोर्स पॉल्यूशन) : प्रदूषण का एक बिंदु–स्रोत वायु, जल, तापीय ध्वनि अथवा प्रकाश प्रदूषण का परिचित स्थानीकृत स्रोत है। बिंदु–स्रोत की नगण्य सीमा होती है, जो अन्य प्रदूषण स्रोतों से भिन्न है। स्रोतों को बिंदु–स्रोत इसलिए कहा जाता है क्योंकि गणितीय मॉडल में, उनका विश्लेषण सरल करने के लिए गणितीय बिंदु के रूप में अनुमान लगाया जा सकता है।

प्रदूषण : वातावरण में संदूषकों का घुलना, चाहे उनके जो भी पूर्व–निर्धारित या परस्पर सहमत अनुपात या संदर्भ–रूपरेखा हों; ये संदूषक अस्थिरता, अव्यवस्था, नुकसान और शारीरिक प्रणाली या उनमें रहने वाले जीव–जन्तुओं को नुकसान पहुंचाते हैं। प्रदूषण रासायनिक पदार्थ या ऊर्जा जैसे ध्वनि, ऊष्मा या प्रकाश का रूप ले सकते हैं।

पोलीक्लोरिनेटिड बाइफिनाइल (पीसीबी) : पोलीक्लोरिनेटिड बाइफिनाइल (पीसीबी) बाइफेनिल, जो दो बेंजीन छल्लों जिसमें प्रत्येक में छह कार्बन परमाणु से बना अणु है, वाले बाइफिनाइल के साथ संबद्ध 1 से 10 क्लोरीन परमाणु परमाणुओं के कार्बनिक यौगिकों की एक श्रेणी है। सभी पीसीबी के लिए रासायनिक फॉर्मूला **Cl2H10&XClx** है।

तैयारी : इसका संदर्भ किसी विशिष्ट या अप्रत्याशित घटनाओं या स्थितियों के लिए तैयार रहने की दिशा से दिया जाता है। तैयारी लक्ष्यों को प्राप्त करने और नकारात्मक परिणामों से बचने और कम करने की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। यह आपातस्थिति प्रबंधन का प्रमुख चरण है, और प्रतियोगिता के क्षेत्रों जैसे : खेल तथा सैन्य विज्ञान में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।

संरक्षणात्मक कार्रवाई : सार्वजनिक सदस्यों को आपातस्थितियों अथवा चिरकालिक उद्भासन की स्थितियों से बचने या उसे कम करने के लिए अभिप्रेत हस्तक्षेप।

विकिरण : जैसाकि भौतिक–शास्त्र में इस शब्द का प्रयोग किया जाता है, विकिरण परमाणु या अन्य पिंडों द्वारा उत्सर्जित तरंगों या चल उप–आण्विक कणों के रूप में ऊर्जा है क्योंकि यह एक उच्च ऊर्जा स्थिति से कम ऊर्जा को परिवर्तित होती है। विकिरण को परमाणु पदार्थ पर उसके प्रभाव के आधार पर आयनीकृत (ऑयोनाइज़िंग) या गैर–आयनीकृत (नॉन–ऑयोनाइज़िंग) विकिरण का संदर्भ देता है। विकिरण शब्द का सबसे आम प्रयोग आयनीकृत विकिरण का संदर्भ देता है। आयनीकृत विकिरण में परमाणु या अणुओं को आयनीकृत करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा होती है जबकि गैर–आयनीकृत विकिरण में नहीं। रेडियोधर्मी (रेडियोएक्टिव) पदार्थ एक भौतिक पदार्थ है जो आयनीकृत विकिरण को छोड़ता है।

सुरक्षा करने के लिए उत्तरदायित्व (आर 2 पी) : आर 2 पी अंतरराष्ट्रीय संबंधों में हाल ही में विकसित एक संकल्पना है, जो देश की जनसंख्या के प्रति उसके उत्तरदायित्व और यदि देश अपने उत्तरदायित्व पूरा करने में असमर्थ रहता है, तो अंतरराष्ट्रीय समुदाय के उत्तरदायित्व से संबंधी है। एक महत्वपूर्ण उद्देश्य, अन्यों के साथ, उस देश में जो नरसंहार, बड़े पैमाने पर हत्या और अन्य बड़े पैमाने पर मानव अधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए 'मानवीय हस्तक्षेप' विदेशी संस्था (अभिकरण द्वारा हस्तक्षेप संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय समुदाय) के लिए कानूनी एवं नैतिक आधार प्रदान करना है।

रेडियोधर्मी अपशिष्ट : रेडियोधर्मी अपशिष्ट ऐसे अपशिष्ट हैं जिनमें रेडियोधर्मी रासायनिक तत्व होते हैं जिनका कोई व्यावहारिक प्रयोजन नहीं होता। वे कई बार नाभिकीय प्रक्रियाओं, जैसे नाभिकीय विखंडन का उत्पाद होते हैं।

पुनःवनारोपण मौजूदा वनों और वनस्थली, जो देशीय वृक्षों के रोपण के कारण समाप्त प्रायः हो गए हैं, का पुनःभंडारण है। **[1]** पुनःवनारोपण शब्द को वृक्षारोपण भी कहा जा सकता है, यह जंगली भूमि

या वनों जो किसी समय मौजूद थे परंतु विगत में किसी समय उखाड़ लिए गए थे या दूसरे रूप में हटा या नष्ट कर दिए गए थे, को पुनःबहाल करने और दोबारा सृजित करने की प्रक्रिया है। इसके परिणामस्वरूप वन पारिस्थितिकी तंत्र और संसाधन लाभ, दोनों प्रदान कर सकते हैं और उनमें बड़ा कार्बन अड्डा (सिंक) बनने की क्षमता है।

रिक्टर पैमाना : रिक्टर परिमाण पैमाना, या सही ढंग से स्थानीय परिमाण एमएल पैमाना, भूकंप द्वारा निर्मुक्त ऊर्जा की मात्रा के मापन हेतु एकल संख्या दी जाती है। यह आधार–10 का लघुगणक आधारित पैमाना है, जो वुड–एंडसर्न टार्सन भूकंपमापी (सेस्मोमीटर) आउटपुट के सर्वाधिक विस्थापन के संयुक्त क्षैतिज आयाम (एंप्लिटयूड) का लघुगणक निकालने पर मिलता है। इसलिए, उदाहरण के लिए, रिक्टर पैमाने पर मापा गया 5.0 तीव्रता का एक भूकंप उसी पैमाने पर आंके गए 4.0 तीव्रता के भूकंप के आयाम से 10 गुना विस्तार को कंपित करने की क्षमता वाला होता है। स्थानीय परिमाण (लोकल मैग्नीट्यूड़) के लिए माप की प्रभावी सीमा लगभग 6.8 है।

जोखिम : ऐसी संकल्पना है, जो मान के कुछ लक्षण जो भावी घटना से उत्पन्न हो सकते हैं, के लिए एक संभावित नकारात्मक प्रभाव का द्योतक है, या हम कह सकते हैं कि 'जोखिम ऐसी घटनाएं या स्थितियां हैं, जो यदि होती हैं, तो उनका हानिकारक या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है'। अनिश्चितता के परिणामों की चपेट में आने से जोखिम होता है। दिन–प्रतिदिन के प्रयोग में, जोखिम का प्रयोग अक्सर एक ज्ञात नुकसान के पर्याय के रूप में किया जाता है।

जोखिम विश्लेषण :

संभावनापूर्ण जोखिम आकलन (पीआरए) (या संभावनापूर्ण सुरक्षा आकलन/विश्लेषण) जटिल सुनियोजित प्रौद्योगिकी संगठन (जैसे एयरलाइनर अथवा विद्युत संबद्ध संयंत्र) से संबद्ध जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए एक व्यवस्थित और समग्र विधि है।

नाभिकीय संभावित खतरों का आकलन (पीआरए) में जोखिम को व्यवहार्य हानिकारक परिणाम के रूप में परिभाषित किया गया है।

प्रजाति विलोपन : जीव विज्ञान और पारिस्थिकी–विज्ञान में, प्रजातियों या टैक्सा के समूह का समाप्त होना विलुप्त होना है। विलुप्त होने के समय को आमतौर पर उस प्रजाति के अंतिम व्यक्ति की समाप्ति (मौत) के रूप में माना जाता है (हालांकि जन्म और पुनःबहाल होने की क्षमता इस बिंदु से पहले ही खत्म हो चुकी होती है)। क्योंकि एक प्रजाति की संभावित रेंज बहुत बड़ी हो सकती है, और इस क्षण का अनुमान लगाना कठिन है, और आमतौर पर भूतलक्षी (रिट्रोस्पेक्टिव) प्रभाव से इसे किया जाता है। इस कठिनाई से एक ऐसी घटना जैसे लाजारूस टेक्सा जहां विलुप्त हुई मानी गई प्रजाति (विशेष रूप से जीवाश्म रिकार्ड), अचानक दोबारा प्रकट हो जाती है।

तापीय प्रदूषण : तापीय प्रदूषण मानव प्रभाव के कारण जल के प्राकृतिक स्रोतों में तापमान में हुआ परिवर्तन है। तापमान परिवर्तन ऊर्ध्वमुखी या अधोमुखी हो सकता है।

बवंडर : बवंडर हवा का एक उग्र घूर्णन स्तंभ है, जो पृथ्वी की सतह तथा तूफ़ानी बादल, दोनों के संपर्क में, या विरले मामलों में, मेघपुंज बादल के आधार के संपर्क में रहता है। बवंडर कई आकारों में आते हैं परंतु विशेष रूप से दृष्टिगोचर संघनन (कन्डेन्सेशन) कीप (फनेल) के रूप में, जिसका संकीर्ण सिरा पृथ्वी को छूता है और कई बार धूल के बादलों के द्वारा घिरा हुआ होता है।

विषैला अपशिष्ट : विषैला अपशिष्ट अक्सर रासायनिक रूप में बेकार पदार्थ है, जिससे जीवों की मौत हो सकती है या उन्हें चोट लग सकती है। यह आमतौर पर उद्योग या वाणिज्य का उत्पाद होता है, लेकिन आवासीय उपयोग, कृषि, सेना, चिकित्सा सुविधाओं, रेडियोधर्मी (रेडियोएक्टिव) स्रोतों, और हल्के उद्योग जैसे ड्राईक्लीनिंग प्रतिष्ठानों से भी आता है।

ट्राइएज : प्रभावित व्यक्तियों की चोट और अथवा बीमारी की गंभीरता के आधार पर, उन्हें समूहों में छांटने के लिए प्रक्रियाओं का उपयोग करते हुए एक तीव्र विधि होती है, ताकि उपलब्ध नैदानिक सेवाओं तथा सुविधाओं के अधिकतम प्रयोग द्वारा शीघ्र नैदानिक परिचर्या की जा सके।

सुनामी : जल के स्रोत जैसे : महासागर, के तेजी से विस्थापित हो जाने पर उत्पन्न सुनामी (घोषित) लहरों की शृंखला सुनामी है।

ज्वालामुखी : यह ग्रह की सतह अथवा पटल से खुला एक भाग या दरार है, जिससे सतह के नीचे से उष्ण, पिघली हुई चट्टान, राख, और गैस निकलती हैं। चट्टानों को बाहर निकालने वाले ज्वालामुखी के कार्यकलाप के कुछ समय के बाद पहाड़ या पहाड़ जैसा बनता है।

असुरक्षितता : असुरक्षितता शारीरिक या भावनात्मक चोट या आक्रमण के प्रति अति संवदेनशीलता है। इसका तात्पर्य अपनी सुरक्षा न कर पाने से भी है, निंदनीय या आलोचनीय; आक्षेप के लिए तैयार रहना होता है। किसी व्यक्ति के असुरक्षित होने का तात्पर्य दबाव या प्रलोभन के समक्ष घुटने टेक देने की स्थिति है। (*अतिसंवेदनशीलता की परिभाषाओं की तुलना के लिए थाइविसेन 2006 देखें*)

जल प्रदूषण : यह जल स्रोतों झीलों, नदियों, महासागरों और भूमिगत जल का मानव कार्यकलापों के कारण हुआ संदूषण है, जो इन जल स्रोतों में रहने वाले जीवों और पौधों के लिए हानिकारक हो सकता है।

संपर्क करें

नागरिक सुरक्षा एवं संबद्ध संगठनों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुस्तिका

कृपया संपर्क करें :

श्री ज्योति कुमार सिन्हा, भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी (सेवानिवृत्त)
सदस्य
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण,
भारत सरकार,
एनडीएमए भवन,
ए-1, सफदरजंग एनक्लेव,
नई दिल्ली-110 029
दूरभाष : ३91-11-26701740
फैक्स : ३91-11-26701754
ई-मेल : jk_sinha2001@yahoo.com
वेबसाइट : www.ndma.gov.in

सुरक्षित समुदाय, सुदृढ़ देश

यह पुस्तिका मास्टर प्रशिक्षकों की महत्वपूर्ण संख्या के प्रशिक्षण की बढ़ती हुई आवश्यकता पूरी करने के लिए तैयार की गई है। यह पुस्तिका बड़ी संख्या में संबंधित शिक्षण में सहायक उपकरणों और सामग्री द्वारा प्रयोक्ता–अनुकूल तरीके से आपदा की तैयारी और प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं को शामिल करती है। यह पुस्तिका सरल ढंग से संकलित की गई है ताकि प्रत्येक खण्ड का सुविधानुसार अलग उपयोग किया जा सके, उसे आगे विकसित किया जा सके और एक स्वायत्तशासी इकाई और एक विशेष उपभोक्ता वर्ग (क्लाइंटिल) के लिए विशेष (स्टैंड अलोन) मॉड्यूल के रूप में उसका प्रयोग किया जा सके।

नागरिक सुरक्षा जैसे संगठनों को एकजुट होकर कार्य (टीमवर्क) करने पर फोकस सहित एक खुले, परिचित, भागीदारीपूर्ण वातावरण में कार्य करने के लिए पर्याप्त संख्या में दक्ष, सकारात्मक, प्रतिबद्ध और अत्यधिक कुशल व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। नियमित आधार पर प्रशिक्षण और पुनः प्रशिक्षण कार्यक्रम ही ऐसे व्यावसायिक, प्रवृत्तिमूलक और व्यवहारमूलक परिवर्तनों को बढ़ावा दे सकते हैं। ये प्रशिक्षकों में, प्रेरणा के स्तर को कायम रख सकते हैं और उनको उद्देश्य और समुदाय से जोड़े रख सकते हैं।

इण्डिया ऑफसेट प्रैस (आईएसओ 9001:2000 प्रमाणित इकाई)
ए–1, मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र, फेस–1, नई दिल्ली
+91-11-28116494, 9811526314
www.indiaoffsetpress.com